Azadi Ka Amrit Mahotsav

58वीं 58th

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-21

एनएससी NSC

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

CIN : U74899DL1963GOI003913

निदेशक मण्डल
Board of Directors

श्री वि. मोहन
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Shri V. Mohan
Director (Finance) & Chairman-cum-Managing Director (Addl. charge)

सुश्री शुभा ठाकुर
निदेशक (सरकारी नामांकित)
Ms. Shubha Thakur
Director (Govt. Nominee)

श्री राकेश सिंह नायल
निदेशक (सरकारी नामांकित)
Shri Rakesh Singh Nayal
Director (Govt. Nominee)

* As on the date of Report i.e. 08.11.2021

निदेशक मण्डल **BOARD OF DIRECTORS**	श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Shri V. Mohan, Director (Finance) & CMD (Addl. Charge) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल व तिलहन) Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds) श्री राकेश सिंह नायल, उप सचिव (बीज) Shri Rakesh Singh Nayal, Dy. Secretary (Seeds)
कम्पनी सचिव **COMPANY SECRETARY**	सुश्री आयुषी कनोडिया Ms. Aayushi Kanodia
कार्यापालक **EXECUTIVES**	श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक (विधि व कंपनी मामले) Shri Kuldeep Singh, Sr. General Manager (Legal & CA) श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) Shri Kaushik Rakshit, Sr. General Manager (F&A) श्री के.सी. शर्मा, महाप्रबंधक (विपणन) Shri K.C. Sharma, General Manager (Marketing) डां. पंकज कुमार त्यागी, महाप्रबंधक (उत्पादन) Dr. P.K. Tyagi, General Manager (Production) श्री एस.के. मेहता, महाप्रबंधक (वित्त व लेखा/कल्याण) Shri S.K. Mehta, General Manager (F&A/Welfare) श्री शीलेन्द्र कुमार, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) Shri Sheelendra Kumar, Addl. General Manager (HR) श्री ओंकार सिंह, अपर महाप्रबंधक (गु.नि./उत्पादन) Shri Onkar Singh, Addl. General Manager (QC/Prodn.) श्री असीम गंगवार, अपर महाप्रबंधक (विपणन) Shri Aseem Gangwar, Addl. General Manager (Marketing) श्री एस.पी. पाण्डेय, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) Shri S.P. Pandey, Dy. General Manager (HR) श्री आर.के. कासवा, उप महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) Shri R.K. Kaswan, Dy. General Manager (Engg.) श्री एस.के. सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक (सर्तकता/मु.स.अधि.) Shri S.K. Sinha, Asstt. General Manager (Vigilance/ CVO) श्री प्रियम भारद्वाज, सहायक महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) Shri Priyam Bhardwaj, Asstt. General Manager (MM) श्री चन्द्रशेखर, सहायक महाप्रबंधक (कृषि अभियंता) Shri Chander Shekhar, Asstt. General Manager (Agril. Engg.)
बैंकर्स **BANKERS**	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
सांविधिक लेखा परीक्षक **STATUTORY AUDITORS**	मैसर्स अरोड़ा एण्ड चौधरी एसोसियेटस, नई दिल्ली–110 005 M/s Arora & Choudhary Associates, New Delhi-110 005
शाखा लेखा परीक्षक **BRANCH AUDITORS**	मैसर्स रंजीत जैन एण्ड कम्पनी, कोलकत्ता–700 001 (पश्चिम बंगाल) M/s Ranjit Jain & Co., Kolkata-700 001 (W.B.). मैसर्स मुर्ती एण्ड कंथ, हैदराबाद–500 034 (तेलगांना) M/s Murthy & Kanth, Hyderabad-500 034 (Telengana) मैसर्स वीपीआर एण्ड एसोसियेटस, पूणे–411 004 (महाराष्ट्र) M/s V P R and Associates, Pune-411 004 (Maharashtra) मैसर्स एस.सी. बिछावट एण्ड कम्पनी, चैन्नई–600 007 (तमिलनाडु) M/s S.C. Bichhawat & Co., Chennai-600 007 (Tamilnadu) मैसर्स विरेन्द्र राजीव एण्ड एसोसियेटस, हनुमानगढ़–335 512 (राजस्थान) M/s Virendra Rajeev & Associates, Hanumangarh-335 512 (Raj.) मैसर्स जैन मित्तल चौधरी एण्ड एसोसियेटस, हिसार–125 001 (हरियाणा) M/s Jain Mittal Chaudhary & Associates, Hisar-125 001 (Haryana) मैसर्स आर.एन. सिंह एण्ड कम्पनी, पटना–800 001 (बिहार) M/s R.N. Singh & Co., Patna-800 001 (Bihar) मैसर्स दिनेश पीपड़ा एण्ड कम्पनी, रायचूर–584 101 (कर्नाटक) M/s Dinesh Pipara & Co., Raichur-584 101 (Karnataka) मैसर्स बी.एन. पे एण्ड कम्पनी, बैंगलोर–560 040 (कर्नाटक) M/s B.N. Pai & Co., Bangalore-560 040 (Karnataka) मैसर्स जयेदव परमार एण्ड कम्पनी, गांधीनगर–382 023 (गुजरात) M/s Jaydev Parmar & Co., Gandhinagar-382 023 (Gujarat) मैसर्स संजय राजीव एण्ड कम्पनी, लखनऊ–226 001 (उत्तर प्रदेश) M/s Sanjay Rajiv & Co., Lucknow-226 001 (U.P.). मैसर्स श्रीनिवास अग्रवाल एण्ड एसोसियेटस, भोपाल–462 016 (मध्य प्रदेश) M/s Shrinivas Agrawal & Associates, Bhopal-462 016 (M.P.) मैसर्स अनिल पूनीत एण्ड एसोसियेटस, मोहाली, चण्डीगढ़–160 044 (पंजाब) M/s Anil Puneet & Associates, Mohali, Chandigarh-160 055 (Punjab) मैसर्स कौशिक सारसवत जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर–302 004 (राजस्थान) M/s Kaushik Saraswat Jain & Co., Jaipur-302 004 (Rajasthan).
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE**	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110 012 Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012.

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के पतों की सूची
ADDRESS OF REGIONAL MANAGERS

1. श्री अहमद रज़ा
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
कृषि विज्ञान विश्वविधालय परिसर
हैब्बल, बैंगलूरू–560024 (कर्नाटका)
फोन– 080–23410159, 23415816, 23416824

2. श्री गुलबीर सिंह पवार
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
48–49, सेक्टर–बी, इंडस्ट्रियल एरिया
गोबिन्दपुरा, भोपाल–462026 (मध्य प्रदेश)
फोन– 0755–2787122, 2580271

3. श्री नानु राम यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
प्लॉट नं. 24, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज
एसएएस नगर, मोहाली–160062 (पंजाब)
फोन– 0172–2214388, 2215388

4. श्रीमती पी.पी. आयशा
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
22–सी, सीडको (उत्तर), औद्योगिक क्षेत्र
नजदीक टेलीफोन एक्सचैंज, अम्बातुर
चैन्नई–600098 (तमिलनाडु)
फोन– 044–26242363, 26256192

5. श्री अवधेश कृष्णा
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
चौमु हाऊस (तबेला)
सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम
जयपुर–302001 (राजस्थान)
फोन– 0141–2376760, 2365947

6. श्री पी.के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
ब्लॉक–एक्यु, प्लॉट नं. 12, सेक्टर–V
साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता, 700091 (पश्चिम बंगाल)
फोन– 033–23671077, 23671074

7. श्री मुकेश कुमार जाट
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
लुक्श प्लॉजा, चौथी मंजिल, आइएनएस–19
सेक्टर–7 सी, वृन्दावन योजना
अमर शहीद पथ
लखनऊ–226012 (उत्तर प्रदेश)
फोन– 0522–2421826, 2421832

8. डां. विजय कराहणे
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
शेखपुरा, राजा बज़ार
पटना–800014 (बिहार)
फोन– 0612–2287744, 2280200

9. श्री जय प्रकाश
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
681–690, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड
पूणे–411037 (महाराष्ट्रा)
फोन– 020–24267059, 24264587, 24266584

1. Shri Ahmed Raza
National Seeds Corporation Limited
University of Agril. Sciences Campus
Hebbal, Bengaluru-560024 (Karnataka)
Phone- 080-23410159, 23415816, 23416824

2. Shri Gulbir Singh Panwar
National Seeds Corporation Limited
48-49, Sector-B, Industrial Area
Govindpura, Bhopal -462023(M.P.)
Phone- 0755-2787122, 2580271

3. Shri Nanu Ram Yadav
National Seeds Corporation Limited
Plot No. 24, Industrial Area, Phase IX
Mohali-160062 (Punjab)
Phone- 0172-2214388, 2215388

4. Shri P.P. Ayisha
National Seeds Corporation Limited
22-C, SIDCO (N), Industrial Estate
Near Telephone Exchange, Ambatur
Chennai-600098 (Tamilnadu)
Phone- 044-26242363, 26256192

5. Shri Awadhesh Krishna
National Seeds Corporation Limited
Chomu House (Tabela)
Sardar Patel Marg, C-Scheme
Jaipur – 302001 (Raj.)
Phone- 0141-2376760, 2365947

6. Shri P.K. Patnaik
National Seeds Corporation Limited
Block-AQ, Plot No. 12, Sector- V
Salt lake City, Kolkata-700091 (West Bengal)
Phone- 033-23671077,23671074

7. Shri Mukesh Kumar Jat
National Seeds Corporation Limited
Luksh Plaza, 4th Floor, INS-19
Sector –7C, Vindavan Yojna
Amar Shaheed Path
Lucknow-226012 (UP)
Phone- 0522-2421826, 2421832

8. Dr. Vijay Karahney
National Seeds Corporation Limited
Sheikhpura, Raja Bazar
Patna-800014 (Bihar)
Phone- 0612-2287744, 2280200

9. Shri Jai Prakash
National Seeds Corporation Limited
681-690, Gultekdi, Market Yard
Pune-411037 (Maharashtra)
Phone- 020-24267059, 24264587, 24266584

10. श्री ए. ब्रिटो
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
17–11, तुकाराम गेट, नार्थ लालागुडा
सिकन्दराबाद–500017, (तेलंगाना)
फोन– 040–27731152, 27730635

11. श्री प्रशांत शर्मा
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बी–116–118, सवागत रेनफोरेस्ट–2
स्वामी नारायण धाम के सामने
कोवा हाईवे, कुडासन
गांधीनगर–382421 (गुजरात)
फोन– 079–23600302

10. Shri A. Britto
National Seeds Corporation Limited
17-11, Tukaram Gate, North Lalaguda
Secunderabad-500017 (Telangana)
Phone- 040-27731152, 27730635

11. Shri Prashant Sharma
National Seeds Corporation Limited
B-116-118, Swagat Rainforest-2
Infront of Swami Narain Dham
Koba Highway, Kudasan
Gandhinagar-382 421 (Gujarat)
Phone- 079-23600302

फार्म प्रमुखों के पतों की सूची / ADDRESS OF FARM HEADS

1. श्री प्रबेश कुमार
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म
10 कि.मी. सिरसा रोड़, हिसार–125001 (हरियाणा)
फोन– 01662–275581, 275797

2. श्री चंचल शाह
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़–335804
जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
फोन– 01509–220084, 220006, 220309

3. श्री आर.एस. चन्देल
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़–335705
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
फोन– 01509–238296

4. श्री शुशांत प्रियदर्शी
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर–335702
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
फोन– 01498–261202

5. श्री राम निवास यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, ज्वालागेरा
पोस्ट वाया सिंधनूर–584143
जिला रायचूर (कर्नाटका)
फोन– 08535–201246

6. श्री पी.के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म
जेएआरसी, नालहाटी
जिला बीरभूम–731220 (पश्चिम बंगाल)
मोबाइल– 8348206642

7. श्री पी.के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सुकिन्दा
पोस्ट– दामोदरपुर वाया सुकिन्दा–755 018
जिला जाजपुर (उड़ीसा)
मोबाइल– 8348206642

1. Shri Prabesh Kumar
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm
10 Km, Sirsa Road, Hissar-125001 (Haryana)
Phone- 01662-275581, 275797

2. Shri Chanchal Shah
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm, Suratgarh-335804
Distt. Sriganganagar (Raj.)
Phone- 01509-220084, 220006, 220309

3. Shri R.S. Chandel
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm, Sardargarh-335705
Distt. Sriganganagar (Raj.)
Phone- 01509-238296

4. Shri Shushant Priyadarshi
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm, Jetsar-335702
Distt. Sriganganagar (Raj.)
Phone- 01498-261202

5. Shri Ram Niwas Yadav
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm, Jawalgera
PO via Sindhanur-584143
Distt. Raichur (Karnataka)
Phone- 08535-201246

6. Shri P.K. Patnaik
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm
ZARC, Nalhati
Distt. Birbhum-731 220(West Bengal)
Mobile- 8348206642

7. Shri P.K. Patnaik
National Seeds Corporation Limited
Central State Farm, Sukinda
P.O. Damodarpur Via Sukinda-755 018
Distt. Jajpur (Orissa)
Mobile- 8348206642

विषय सूची
CONTENTS

सूचना
Notice 06

अध्यक्ष का अभिभाषण
Chairman's Speech 46

बोर्ड की रिपोर्ट
Boards' Report 58

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां
Comments of the Comptroller & Auditor General of India 140

निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी
Addendum to the Directors' Report 150

स्वतंत्र लेखा परीक्षाकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report 162

तुलन पत्र
Balance Sheet 204

लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss 206

नकदी प्रवाह विवरण
Statement of Cash Flow 208

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
Statement of changes in equity 210

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
Notes on financial statements 212

खंड रिपोर्टिंग
Segment Reporting 342

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)

(सी आई एन: U74899DL1963GOI003913)

"आई एस ओ 9001 & 14001 द्वारा प्रमाणित कंपनी"

पंजीकृत कार्यालय :– बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली– 110012 (भारत)

दूरभाष संख्या : 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई–मेल– nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com

बेवसाइट :www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी / 58 वीं–एजीएम / 2021–कं.स. दिनांक : 08 नवम्बर, 2021

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 58 वीं वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार, 30 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) का पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिए होगी :–

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैन्डएलोन वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अनुमोदित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।"

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निगम के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% की दर से अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है।''

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके मानदेय का अनुसमर्थन करना :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी / सीओवाय / केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15) / 208 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)
"An IS0 9001 & 14001 Certified Company"
Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673
E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com
Website :www.indiaseeds.com

No. NSC/58th AGM/2021-CS

Dated: the 08th November, 2021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 58th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited will be held on Tuesday, the 30th day of November, 2021 at 11:00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 through Video Conferencing in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars, to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. To consider and adopt the Standalone FINANCIAL STATEMENTS of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2021, the Report of the Board of Directors and Auditors thereon:

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the Audited standalone Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2021 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby considered and adopted."

2. To declare final dividend on Equity Shares of the Company for the Financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the final dividend @ 30% of Profit After Tax (PAT) on the paid up Equity Share Capital of the Corporation as recommended by the Board of Directors be and is hereby declared for the Financial Year 2020-21."

3. To take note the appointment of Statutory Auditors and ratify remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2020-21 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/208 dated 13.08.2020 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i.	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000.00
ii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000.00
iii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000.00
iv.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000.00
v.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000.00
vi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000.00
vii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000.00
viii	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000.00
ix.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000.00
x.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000.00
xi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000.00
xii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000.00
xiii.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000.00
xiv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000.00
xv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000.00

"**आगे यह भी संकल्प किया गया है कि** मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2020–21 से लेखों के समेकन के लिए रू3,60,000/– से रू. 4,10,000/– अनुमोदित किया गया है, को एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिकः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी/सीओवाय/केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15)/982 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता हैः– ''

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

"RESOLVED FURTHER THAT the revision in the remuneration of Statutory auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 from the year 2020-21 onwards, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified."

4. To take note the appointment and remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2021-22:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2021-22 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/982 dated 26.08.2021 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i.	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000.00
ii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000.00
iii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000.00
iv.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000.00
v.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000.00
vi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000.00
vii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000.00
viii	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000.00
ix.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000.00
x.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000.00
xi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000.00
xii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000.00
xiii.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000.00
xiv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000.00
xv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000.00

"आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000/– से रू. 4,10,000/– अनुमोदित किया गया है को एतद्द्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

5. श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जो कि कंपनी के सरकारी निदेशक नामित है, की नियुक्ति को नियमित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 एवं 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों तथा नियमों के अनुपालन में, श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जिन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिऐशन के तहत निहित शक्तियों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने 29 सितम्बर, 2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में हुई नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0/–
(आयुषी कनोडिया)
सहायक प्रबंधक (कंपनी सचिव)

पंजीकृत कार्यालय:
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–110012

दिनांक : 08.11.2021.

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

"**RESOLVED FURTHER THAT** the revision in the remuneration of Statutory auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 for the Financial year 2021-22, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified."

5. To regularize appointment of Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India as Government Nominee Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit , to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and 161 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, who was appointed as Government Director by President of India pursuant to the powers vested under Articles of Association of the Company and assumed charge on 29.09.2021 be and is hereby regularized to be appointed as Government Director on the Board of the Company."

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(Aayushi Kanodia)
Asst. Manager (Company Secretary)

Registered office:
National Seeds Corporation Limited
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

Date: 08.11.2021.

टिप्पणियाँ :

1. कोविड – 19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 13.01.2021 के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 05 मई, 2020 को परिपत्र (सामूहिक रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) जिसमें कंपनियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक/एजीएम (मीटिंग) आयोजित करने की अनुमति दी है तथा एजीएम/बैठक और उससे संबंधित अन्य सूचना एवं पत्राचार भी इक्लेट्रोनिक मोड के माध्यम से करने की अनुमति दी है। एमसीए के परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरण भी शामिल हैं (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) जिन्हें संलग्न करने की आवश्यकता है को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत ई–मेल आईडी पर सदस्यों को भेजा गया है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना कंपनी के वेबसाइट **www.indiaseeds.com** पर भी अपलोड की गई है।

3. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी **"GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर"** के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

   क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन–आईडी और पासवर्ड इस सूचना के साथ अलग से उपलब्ध कराया गया है;

   ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी–मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हैं;

   ग) उक्त सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी (पूर्वाह्न 10.30 बजे) और निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद (अपराह्न 12.15 बजे) तक खुला रखा जाएगा; तथा

   घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए **cs@indiaseeds.com/it@indiaseeds.com** पर ई–मेल करें या **011–25843673** पर संपर्क करें।

4. चूंकि एमसीए परिपत्रों के अनुसार,यह वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार सदस्यों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। निगम के पंजीकृत कार्यालय और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके रिपोर्ट के लिए अग्रेषित कर दिए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ओर निगमित शासन प्रमाणपत्र प्रकियाधीन हैं। टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट, यदि कोई, शेयरधारकों को परिचालित की जाएगी और वार्षिक आम बैठक में रखी जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट और सीएजी की टिप्पणियां, यदि कोई, को भी शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में रखा जाएगा और पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।

7. राबीनि की छह सहयोगी कंपनियों हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परंतु कई पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भेजने के वाबजूद, इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन के लिए

NOTES:-

1. In view of the COVID 19 pandemic situation, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated 13th January, 2021 read together with Circular dated 8th April, 2020 and 5th May 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), permitted convening the Annual General Meeting (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars and provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The venue of the AGM shall be the Registered Office of the Company

2. In compliance of the Statutory Guidelines, Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached therewith(Collectively referred to as Notice) have been sent to members on their e- mail ids registered with the Company through electronic means. The Notice alongwith Annual Report has also been hosted on the website of the Company i.e. **www.indiaseeds.com.**

3. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the members and other participants for attending the Meeting through **"GOOGLE MEET Software".** The members and other participants are requested to follow the following instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:

   a. The login-id and password for joining the meeting has been separately provided along with this Notice;

   b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;

   c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the time scheduled to start the meeting i.e. [10:30 A.M.] and 15 minutes after the expiry of the said scheduled time i.e. till [12:15A.M.]; and

   d. Members are requested to e-mail at **cs@indiaseeds.com/ it@indiaseeds.com** or call at **011-25843673** in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.

4. Since this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for this AGM. However, in terms Section 112 of the Companies Act, 2013, representative of the President of India can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available at the Registered Office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the continuance of Meeting.

6. The Financial Statements for the year 2020-21 as approved by the Board of Directors have been forwarded to the Statutory Auditors for their Report. The Report of the Statutory Auditors, Secretarial Auditor and Corporate Governance Certificate are under process. The Reports alongwith comments, if any, will be circulated to the Shareholders and placed at the Annual General Meeting. The Report of Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013 and comments, if any, of the CAG will also be placed at the Annual General Meeting and sent to the registered email ids of the Shareholders.

7. There are 6 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not finalized their

राबीनि को अब तक नहीं भेजे गए।

आवश्यक देरी से बचने के लिए, एनएससी के वित्तीय विवरणों को ही प्रस्तुत किया गया है। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

<u>सेवा में,</u>

i) प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।

ii) श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iii) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल एवं तिलहन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iv) सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

v) श्री राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vi) श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vii) श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

viii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपि</u>

1. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. सुश्री शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. श्री राकेश सिंह नायल, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. मैसर्स अरोडा एडं चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए, अब्दुल अजीज रोड, ओपोजिट शास्त्री पार्क, करोल बाग,नई दिल्ली– 110005
5. मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कपंनी सेक्रेट्रीजेस, 387, प्रथम तल, शक्ति खंड, तृतीय, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
6. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

Financial Statements in Ind-AS and sent the same till date to NSC for complying with the above legal requirements.

In order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.

To Members,

i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

ii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iii. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iv. Ms. Chhavi Jha, JS (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

v. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vi. Shri Rajesh Jaiswal, Deputy Secretary (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

viii. Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

Copy to:-

1. Shri V. Mohan, Director (Finance) & CMD (Additional Charge), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
2. Smt. Shubha Thakur, Government Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
3. Shri Rakesh Singh Nayal, Government Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
5. M/s. VAP & Associates, Company Secretaries, 387, First Floor, Shakti Khand-3rd, Indirapuram, Ghaziabad, U.P- 201010
6. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
(सी आई एन: U74899DL1963GOI003913)
"आई एस ओ 9001 & 14001 द्वारा प्रमाणित कंपनी"
पंजीकृत कार्यालय :– बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली– 110012 (भारत)
दूरभाष संख्या : 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673
ई–मेल– nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com
बेवसाइट :www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी / 58 वीं–एजीएम / 2021–कं.स. दिनांक : 09 दिस्मबर, 2021

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 58 वीं वार्षिक साधारण बैठक जो कि मूल रूप से 30 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई थी जिसे सीएजी की टिप्पणियों के अभाव में अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया गया था, अब यह स्थगित बैठक शुक्रवार, 31 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012 में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ ही कारपोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :–

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैन्डएलोन वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अनुमोदित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।''

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निगम के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% की दर से अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है।''

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके मानदेय का अनुसमर्थन करना :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी / सीओवाय / केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15) / 208 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An IS0 9001 & 14001 Certified Company"

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com

Website :www.indiaseeds.com

No. NSC/58th AGM/2021-CS | Dated: the 09th December, 2021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 58th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited which was originally held on the 30th November, 2021 at 11:00 A.M. and adjourned at a subsequent date for want of C&AG comments will now be held on Friday, the 31st day of December, 2021 at 11:00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 through Video Conferencing in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars, to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. To consider and adopt the Standalone Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2021, the Report of the Board of Directors and Auditors thereon:

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the Audited standalone Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2021 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby considered and adopted."

2. To declare final dividend on Equity Shares of the Company for the Financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the final dividend @ 30% of Profit After Tax (PAT) on the paid up Equity Share Capital of the Corporation as recommended by the Board of Directors be and is hereby declared for the Financial Year 2020-21."

3. To take note the appointment of Statutory Auditors and ratify remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2020-21 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/208 dated 13.08.2020 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i.	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000.00
ii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000.00
iii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000.00
iv.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000.00
v.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000.00
vi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000.00
vii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000.00
viii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000.00
ix.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000.00
x.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000.00
xi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000.00
xii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000.00
xiii.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000.00
xiv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000.00
xv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000.00

"आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2020–21 से लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000 / – से रू. 4,10,000 / – अनुमोदित किया गया है, को एतद्‌वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिकः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

''संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी / सीओवाय / केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15) / 982 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्‌वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

“RESOLVED FURTHER THAT the revision in the remuneration of Statutory Auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 from the year 2020-21 onwards, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified.”

4. To take note the appointment and remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2021-22:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2021-22 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/982 dated 26.08.2021 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i.	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000.00
ii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000.00
iii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000.00
iv.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000.00
v.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000.00
vi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000.00
vii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000.00
viii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000.00
ix.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000.00
x.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000.00
xi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000.00
xii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000.00
xiii.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000.00
xiv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000.00
xv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000.00

"आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000 / – से रू. 4,10,000 / – अनुमोदित किया गया है को एतद्द्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

5. श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जो कि कंपनी के सरकारी निदेशक नामित है, की नियुक्ति को नियमित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करनाः

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 एवं 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों तथा नियमों के अनुपालन में, श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जिन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत निहित शक्तियों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने 29 सितम्बर, 2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में हुई नियुक्ति को नियमित किया जाता है।''

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0 / –
(आयुषी कनोडिया)
सहायक प्रबंधक (कंपनी सचिव)

पंजीकृत कार्यालयः
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–110012

दिनांक : 09.12.2021.

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

"**RESOLVED FURTHER THAT** the revision in the remuneration of Statutory Auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 for the Financial year 2021-22, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified."

5. To regularize appointment of Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India as Government Nominee Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and 161 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, who was appointed as Government Director by President of India pursuant to the powers vested under Articles of Association of the Company and assumed charge on 29.09.2021 be and is hereby regularized to be appointed as Government Director on the Board of the Company."

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(Aayushi Kanodia)
Asst. Manager (Company Secretary)

Registered office:
National Seeds Corporation Limited
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

Date: 09.12.2021.

टिप्पणियाँ :

1. कोविड – 19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 13.01.2021 के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 05 मई, 2020 को परिपत्र (सामूहिक रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) जिसमें कंपनियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक/एजीएम (मीटिंग) आयोजित करने की अनुमति दी है तथा एजीएमध्बैठक और उससे संबंधित अन्य सूचना एवं पत्राचार भी इक्लेट्रोनिक मोड के माध्यम से करने की अनुमति दी है। एमसीए के परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट निदेशक मंडल रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों सहित जिनमें वित्तीय विवरण भी शामिल हैं (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) जिन्हें संलग्न करने की आवश्यकता है को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत ई–मेल आईडी पर सदस्यों को भेजा गया है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना कंपनी के वेबसाइट **www.indiaseeds.com** पर भी अपलोड किया गया है।

3. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी **"GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर"** के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

   क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन–आईडी और पासवर्ड इस सूचना के साथ अलग से उपलब्ध कराया गया है;

   ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी–मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हैं;

   ग) उक्त सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी (पूर्वाह्न 10.30 बजे) और निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद (अपराह्न 12.15 बजे) तक खुला रखा जाएगा; तथा

   घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए **cs@indiaseeds.com/it@indiaseeds.com** पर ई–मेल करें या **011–25843673** पर संपर्क करें।

4. शेयर धारक चाहे तो भौतिक रूप से शामिल हो सकते हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुसार,यह वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों के भौतिक उपस्थिति के विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार सदस्यों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। निगम के पंजीकृत कार्यालय और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) को भेज दिए गए है। सीएजी की टिप्पणियों को 58वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारको के समक्ष रखा जाएगा।

7. राबीनि की छह सहयोगी कंपनियों हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परंतु कई पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भेजने के वाबजूद, इन सहयोगी कंपनियों ने उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन में राबीनि को वित्तीय विवरण नहीं भेजे हैं।

NOTES:-

1. In view of the COVID 19 pandemic situation, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated 13th January, 2021 read together with Circular dated 8th April, 2020 and 5th May 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), permitted convening the Annual General Meeting (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars and provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The venue of the AGM shall be the Registered Office of the Company

2. In compliance of the Statutory Guidelines, Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached therewith(Collectively referred to as Notice) have been sent to members on their e- mail ids registered with the Company through electronic means. The Notice alongwith Annual Report has also been hosted on the website of the Company i.e. **www.indiaseeds.com.**

3. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the members and other participants for attending the Meeting through **"GOOGLE MEET Software".** The members and other participants are requested to follow the following instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:

   a. The login-id and password for joining the meeting has been separately provided along with this Notice;

   b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;

   c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the time scheduled to start the meeting i.e. [10:30 A.M.] and 15 minutes after the expiry of the said scheduled time i.e. till [01:00A.M.]; and

   d. Members are requested to e-mail at **cs@indiaseeds.com/ it@indiaseeds.com** or call at **011-25843673** in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.

4. The shareholders can attend the meeting physically if so desired. However, this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, hence the option to dispense with physical attendance of Members will be provided. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for this AGM. However, in terms of Section 112 of the Companies Act, 2013, representatives of the President of India can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available at the Registered Office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the Meeting.

6. The Financial Statements for the year 2020-21 as approved by the Board of Directors have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) u/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of C&AG will be placed before the Shareholders at the 58th Adjourned Annual General Meeting.

7. There are 6 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not sent the Financial Statements to NSC for complying with the above legal requirements.

आवश्यक देरी से बचने के लिए, एनएससी के स्टेन्डालोन वित्तीय विवरणों को ही प्रस्तुत किया गया है। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

सेवा में,

i) प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।

ii) श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iii) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल एवं तिलहन), कृषि एवं किसान कल्मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iv) सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

v) श्री राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vi) श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vii) श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

viii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि

1. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. सुश्री शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. श्री राकेश सिंह नायल, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. मैसर्स अरोडा एंड चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए, अब्दुल अजीज रोड, ओपोजिट शास्त्री पार्क, करोल बाग,नई दिल्ली– 110005
5. मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कपंनी सेक्रेट्रीजेस, 387, प्रथम तल, शक्ति खंड, तृतीय, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
6. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

In order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.

To Members,

i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

ii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iii. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iv. Ms. Chhavi Jha, JS (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

v. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vi. Shri Rajesh Jaiswal, DS (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vii. Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

viii. Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

Copy to:-

1. Shri V. Mohan, Director (Finance) & CMD (Additional Charge), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
2. Ms. Shubha Thakur, Government Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
3. Shri Rakesh Singh Nayal, Government Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
5. M/s. VAP & Associates, Company Secretaries, 387, First Floor, Shakti Khand-3rd, Indirapuram, Ghaziabad, U.P- 201010
6. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)

(सी आई एन: U74899DL1963GOI003913)

"आई एस ओ 9001 & 14001 द्वारा प्रमाणित कंपनी"

पंजीकृत कार्यालय :– बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली– 110012 (भारत)

दूरभाष संख्या : 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई–मेल– nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com

बेवसाइट :www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी / 58 वीं–एजीएम / 2021–कं.स. दिनांक : 03 जनवरी, 2022

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 58 वीं वार्षिक साधारण बैठक जो कि मूल रूप से 30 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई थी जिसे सीएजी की टिप्पणियों के अभाव में 31 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित किया गया था, इसके बाद यह स्थगित 58 वीं वार्षिक साधारण बैठक 31 दिसम्बर, 2021 को आयोजित की गई थी, परंतु कोरम के आभाव में पुनः स्थगित कर दी गई। अब एनएससी के सदस्यों को 58वीं दूसरी स्थगित वार्षिक बैठक शुक्रवार, 07 जनवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012 में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ ही कारपोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :–

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैन्डएलोन वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अनुमोदित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।''

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निगम के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% की दर से अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है।''

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके मानदेय का अनुसमर्थन करना :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी / सीओवाय / केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15) / 208 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An IS0 9001 & 14001 Certified Company"

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com

Website :www.indiaseeds.com

No. NSC/58th AGM/2021-CS | Dated: the 3rd January, 2022

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 58th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited which was originally held on the 30th November 2021 at 11:00 A.M. was adjourned at a subsequent date for want of C&AG comments to be held on 31st December 2021 at 11:00 A.M. Thereafter the Adjourned 58th AGM which was held on 31.12.2021 adjourned again for want of quorum. Now the 58th Second adjourned AGM of the Members of NSC is scheduled to be held on Friday, the 07th January 2022 at 11:00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 through Video Conferencing in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars, to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. To consider and adopt the Standalone Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2021, the Report of the Board of Directors and Auditors thereon:

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the Audited standalone Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2021 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby considered and adopted."

2. To declare final dividend on Equity Shares of the Company for the Financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the final dividend @ 30% of Profit After Tax (PAT) on the paid up Equity Share Capital of the Corporation as recommended by the Board of Directors be and is hereby declared for the Financial Year 2020-21."

3. To take note the appointment of Statutory Auditors and ratify remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2020-21 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/208 dated 13.08.2020 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i.	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000.00
ii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000.00
iii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000.00
iv.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000.00
v.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000.00
vi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000.00
vii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000.00
viii	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000.00
ix.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000.00
x.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000.00
xi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000.00
xii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000.00
xiii.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000.00
xiv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000.00
xv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000.00

"**आगे यह भी संकल्प किया गया है कि** मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2020–21 से लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000/– से रू. 4,10,000/– अनुमोदित किया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिकः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी/सीओवाय/केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15)/982 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

"RESOLVED FURTHER THAT the revision in the remuneration of Statutory Auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 from the year 2020-21 onwards, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified."

4. To take note the appointment and remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2021-22:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2021-22 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/982 dated 26.08.2021 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i.	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000.00
ii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000.00
iii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000.00
iv.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000.00
v.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000.00
vi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000.00
vii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000.00
viii	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000.00
ix.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000.00
x.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000.00
xi.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000.00
xii.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000.00
xiii.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000.00
xiv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000.00
xv.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000.00

"आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000 / – से रू. 4,10,000 / – अनुमोदित किया गया है को एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

5. श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जो कि कंपनी के सरकारी निदेशक नामित है, की नियुक्ति को नियमित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 एवं 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों तथा नियमों के अनुपालन में, श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जिन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिऐशन के तहत निहित शक्तियों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने 29 सितम्बर, 2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में हुई नियुक्ति को नियमित किया जाता है।''

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0 / –
(आयुषी कनोडिया)
सहायक प्रबंधक (कंपनी सचिव)

पंजीकृत कार्यालयः
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–110012

दिनांक : 03.01.2022.

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

“**RESOLVED FURTHER THAT** the revision in the remuneration of Statutory Auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 for the Financial year 2021-22, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified.”

5. To regularize appointment of Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India as Government Nominee Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and 161 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, who was appointed as Government Director by President of India pursuant to the powers vested under Articles of Association of the Company and assumed charge on 29.09.2021 be and is hereby regularized to be appointed as Government Director on the Board of the Company.”

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(Aayushi Kanodia)
Asst. Manager (Company Secretary)

Registered office:
National Seeds Corporation Limited
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

Date: 03.01.2022.

टिप्पणियॉं :

1. कोविड – 19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 13.01.2021 के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 05 मई, 2020 को परिपत्र (सामूहिक रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) जिसमें कंपनियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक/एजीएम (मीटिंग) आयोजित करने की अनुमति दी है तथा एजीएम/बैठक और उससे संबंधित अन्य सूचना एवं पत्राचार भी इक्लेट्रोनिक मोड के माध्यम से करने की अनुमति दी है। एमसीए के परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरण भी शामिल हैं (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) जिन्हें संलग्न करने की आवश्यकता है को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत ई–मेल आईडी पर सदस्यों को भेजा गया है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना कंपनी के वेबसाइट **www.indiaseeds.com** पर भी अपलोड किया गया है।

3. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी **"GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर"** के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

   क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन–आईडी और पासवर्ड इस सूचना के साथ अलग से उपलब्ध कराया गया है;

   ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी–मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हैं;

   ग) उक्त सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी (पूर्वाह्न 10.30 बजे) और निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद (अपराह्न 01.00 बजे) तक खुला रखा जाएगा; तथा

   घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए **cs@indiaseeds.com/it@indiaseeds.com** पर ई–मेल करें या **011–25843673** पर संपर्क करें।

4. शेयरधारक भौतिक रूप से बैठक मे शामिल हो सकते है। हांलाकिं एमसीए परिपत्रों के अनुसार,यह वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों के भौतिक उपस्थिति के विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार सदस्यों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। निगम के पंजीकृत कार्यालय में और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) को भेज दिए गए है। सीएजी की टिप्पणियों को 58वीं दूसरी स्थगित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाएगा।

7. राबीनि की छह सहयोगी कंपनियों हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परंतु कई पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भेजने के वाबजूद, इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन के लिए राबीनि को नहीं भेजे हैं।

NOTES:-

1. In view of the COVID 19 pandemic situation, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated 13th January, 2021 read together with Circular dated 8th April, 2020 and 5th May 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), permitted convening the Annual General Meeting (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars and provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The venue of the AGM shall be the Registered Office of the Company.

2. In compliance of the Statutory Guidelines, Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached therewith(Collectively referred to as Notice) have been sent to members on their e- mail ids registered with the Company through electronic means. The Notice alongwith Annual Report has also been hosted on the website of the Company i.e. **www.indiaseeds.com.**

3. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the members and other participants for attending the Meeting through **"GOOGLE MEET Software".** The members and other participants are requested to follow the following instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:

   a. The login-id and password for joining the meeting has been separately provided along with this Notice;

   b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;

   c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the time scheduled to start the meeting i.e. [10:30 A.M.] and 15 minutes after the expiry of the said scheduled time i.e. till [01:00A.M.]; and

   d. Members are requested to e-mail at **cs@indiaseeds.com/ it@indiaseeds.com** or call at **011-25843673** in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.

4. The shareholders can attend the meeting physically if so desired. However, this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, hence the option to dispense with physical attendance of Members will be provided. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for this AGM. However, in terms of Section 112 of the Companies Act, 2013, representatives of the President of India can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available at the Registered Office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the Meeting.

6. The Financial Statements for the year 2020-21 as approved by the Board of Directors have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) u/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of C&AG will be placed before the Shareholders at the 58th Second Adjourned Annual General Meeting.

7. There are 6 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not sent the Financial Statements to NSC for complying with the above legal requirements.

आवश्यक देरी से बचने के लिए, एनएससी के वित्तीय विवरणों को ही प्रस्तुत किया गया है। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

<u>सेवा में,</u>

i) प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।

ii) श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iii) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल एवं तिलहन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iv) सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

v) श्री राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vi) श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vii) श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

viii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपि</u>

1. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. सुश्री शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. श्री राकेश सिंह नायल, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. मैसर्स अरोडा एडं चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए, अब्दुल अजीज रोड, ओपोजिट शास्त्री पार्क, करोल बाग,नई दिल्ली– 110005
5. मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कपंनी सेक्रेट्रीजेस, 387, प्रथम तल, शक्ति खंड, तृतीय, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
6. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

In order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.

To Members,

i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

ii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iii. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iv. Ms. Chhavi Jha, JS (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

v. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vi. Shri Rajesh Jaiswal, DS (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vii. Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

viii. Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

Copy to:-

1. Shri V. Mohan, Director (Finance) & CMD (Additional Charge), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
2. Ms. Shubha Thakur, Government Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
3. Shri Rakesh Singh Nayal, Government Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
5. M/s. VAP & Associates, Company Secretaries, 387, First Floor, Shakti Khand-3rd, Indirapuram, Ghaziabad, U.P- 201010
6. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)

(सी आई एन: U74899DL1963GOI003913)

"आई एस ओ 9001 & 14001 द्वारा प्रमाणित कंपनी"

पंजीकृत कार्यालय :– बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली– 110012 (भारत)

दूरभाष संख्या : 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई–मेल– nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com

बेवसाइट :www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी / 58 वीं–एजीएम / 2021–क.स. दिनांक : 01 फरवरी, 2022

सूचना

एतद्‌वारा संक्षिप्त नोटिस दिया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 58 वीं तीसरी स्थगित वार्षिक साधारण बैठक, जो मूल रूप से 30 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसे सीएजी की टिप्पणियों के अभाव में 31 दिसंबर 2021 के लिए स्थगित कर दी गई और उसके बाद दूसरी बार 07 जनवरी 2022 को निर्धारित बैठक कोरम की कमी के कारण तथा सीएजी टिप्पणियों के अभाव में पुनः आयोजित नहीं की जा सकी। अब यह बैठक शुक्रवार, 04 फरवरी 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (एनएससी) के पंजीकृत कार्यालय, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012 में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों के लेन–देन के लिए आयोजित होगीः –

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैन्डएलोन वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अनुमोदित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

''**संकल्प किया गया है कि** 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।''

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करनाः

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

''**संकल्प किया गया है कि** वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निगम के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% की दर से अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है।''

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके मानदेय का अनुसमर्थन करना :

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः–

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी / सीओवाय / केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15) / 208 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्‌वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An IS0 9001 & 14001 Certified Company"

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com

Website :www.indiaseeds.com

No. NSC/58th AGM/2021-CS Dated: the 1st February, 2022

NOTICE

SHORTER NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 58th third Adjourned Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited, which was originally held on the 30th November 2021 adjourned for want of C&AG comments to held on 31st December 2021 and thereafter adjourned second time for want of quorum to held on 07th January 2022 however could not be held for want of C&AG comments, is now scheduled to be held on Friday, the 04th February 2022 at 11:00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 through Video Conferencing in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars, to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. To consider and adopt the Standalone Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2021, the Report of the Board of Directors and Auditors thereon:

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the Audited standalone Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2021 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby considered and adopted."

2. To declare final dividend on Equity Shares of the Company for the Financial Year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the final dividend @ 30% of Profit After Tax (PAT) on the paid up Equity Share Capital of the Corporation as recommended by the Board of Directors be and is hereby declared for the Financial Year 2020-21."

3. To take note the appointment of Statutory Auditors and ratify remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2020-21:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2020-21 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/208 dated 13.08.2020 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i)	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000 / –
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000 / –
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000 / –
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000 / –
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000 / –
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000 / –
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000 / –
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000 / –
ix)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000 / –
x)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000 / –
xi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000 / –
xii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000 / –
xiii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000 / –
xiv)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000 / –
xv)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000 / –

"आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2020–21 से लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000 / – से रू. 4,10,000 / – अनुमोदित किया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक:

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:–

''संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन शामिल है, और संबंधित लेखा परीक्षकों की सहमति के साथ जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपने पत्र संख्या सीए,वी / सीओवाय / केंद्रीय सरकार, एनसीड्स (15) / 982 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उनका मानदेय, जैसा कि नीचे दिया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है'':–

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

"RESOLVED FURTHER THAT the revision in the remuneration of Statutory Auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 from the year 2020-21 onwards, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified."

4. To take note the appointment and remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2021-22:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modification(s) thereof, and with the consent of the Auditors concerned, the appointment of Statutory Auditors and Branch Auditors as made by the Comptroller and Auditor General of India for National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2021-22 vide letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (15)/982 dated 26.08.2021 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i)	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल है।	रू. 3,60,000 / –
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रू. 34,000 / –
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रू. 34,000 / –
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रू. 34,000 / –
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रू. 34,000 / –
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रू. 34,000 / –
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के लिए	रू. 34,000 / –
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रू. 34,000 / –
ix)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रू. 42,000 / –
x)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रू. 42,000 / –
xi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ के लिए	रू. 42,000 / –
xii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए	रू. 42,000 / –
xiii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रू. 90,000 / –
xiv)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रू. 30,000 / –
xv)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रू. 30,000 / –

"आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्यालय की लेखा परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के मानदेय में संशोधन जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखों के समेकन के लिए रू.3,60,000 / – से रू. 4,10,000 / – अनुमोदित किया गया है को एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।"

5. श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जो कि कंपनी के सरकारी निदेशक नामित है, की नियुक्ति को नियमित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

''**संकल्प किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 एवं 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों तथा नियमो के अनुपालन में, श्री राकेश सिंह नायल, (डीआईएन : 09300428), उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जिन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत निहित शक्तियों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने 29 सितम्बर, 2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में हुई नियुक्ति को नियमित किया जाता है।''

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0 / –
(आयुषी कनोडिया)
सहायक प्रबंधक (कंपनी सचिव)

पंजीकृत कार्यालयः
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–110012

दिनांक : 01 फरवरी, 2022

i.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 3,60,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bangalore	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
x.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bhopal	Rs. 42,000.00
xi.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Chandigarh	Rs. 42,000.00
xii.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Jaipur	Rs. 42,000.00
xiii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00
xiv.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xv.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

"**RESOLVED FURTHER THAT** the revision in the remuneration of Statutory Auditors for audit of Head Office including IFC and Consolidation of Accounts from Rs. 3,60,000.00 to Rs. 4,10,000.00 for the Financial year 2021-22, as approved by the Board of Directors be and is hereby ratified."

5. To regularize appointment of Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India as Government Nominee Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and 161 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, Shri Rakesh Singh Nayal, (DIN: 09300428), Deputy Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, who was appointed as Government Director by President of India pursuant to the powers vested under Articles of Association of the Company and assumed charge on 29.09.2021 be and is hereby regularized to be appointed as Government Director on the Board of the Company."

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(Aayushi Kanodia)
Asst. Manager (Company Secretary)

Registered office:
National Seeds Corporation Limited
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

Date: the 1st Feb., 2022.

टिप्पणियाँ :

1. कोविड – 19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 13.01.2021 के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 05 मई, 2020 को परिपत्र (सामूहिक रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) जिसमें कंपनियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक/एजीएम (मीटिंग) आयोजित करने की अनुमति दी है तथा एजीएम/बैठक और उससे संबंधित अन्य सूचना एवं पत्राचार भी इक्लेट्रोनिक मोड के माध्यम से करने की अनुमति दी है। एमसीए के परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरण भी शामिल हैं (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) जिन्हें संलग्न करने की आवश्यकता है को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत ई–मेल आईडी पर सदस्यों को भेजा गया है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना कंपनी के वेबसाइट **www.indiaseeds.com** पर भी अपलोड किया गया है।

3. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी **"GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर"** के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

   क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन–आईडी और पासवर्ड इस सूचना के साथ अलग से उपलब्ध कराया गया है;

   ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी–मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हैं;

   ग) उक्त सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी (पूर्वाह्न 10.30 बजे) और निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद (अपराह्न 01.00 बजे) तक खुला रखा जाएगा; तथा

   घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए **cs@indiaseeds-com/it@indiaseeds-com** पर ई–मेल करें या **011–25843673** पर संपर्क करें।

4. शेयर धारक भौतिक रूप से बैठक मे शामिल हो सकते है। फिर भी एमसीए परिपत्रों के अनुसार,यह वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों के भौतिक उपस्थिति के विकलप को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार सदस्यों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। निगम के पंजीकृत कार्यालय और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

6. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अगेषित किए गए थे। सीएजी की टिप्पणियां अब तक नहीं मिलने के कारण पिछले स्थगित वार्षिक आम बैठकों में नहीं रखा जा सका। परंतु अब सीएजी की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं, जिन्हें इस सूचना के साथ सदस्यों को परिचालित किए जा रहे हैं।

7. राबीनि की छह सहयोगी कंपनियों हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके तहत नियमों के अनुपालन में, एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करना आवश्यक है, परंतु कई पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भेजने के वाबजूद, इन सहयोगी कंपनियों ने उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन में समय के भीतर राबीनि को नहीं भेजे हैं।

NOTES:-

1. In view of the COVID 19 pandemic situation, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated 13th January, 2021 read together with Circular dated 8th April, 2020 and 5th May 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), permitted convening the Annual General Meeting (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars and provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The venue of the AGM shall be the Registered Office of the Company

2. In compliance of the Statutory Guidelines, Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached therewith (Collectively referred to as Notice) have been sent to members on their e-mail IDs registered with the Company through electronic means. The Notice along with Annual Report has also been hosted on the website of the Company i.e. **www.indiaseeds.com.**

3. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the members and other participants for attending the Meeting through **"GOOGLE MEET Software".** The members and other participants are requested to follow the following instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:

   a. The login-id and password for joining the meeting has been separately provided along with this Notice;

   b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;

   c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the time scheduled to start the meeting i.e. [10:30 A.M.] and 15 minutes after the expiry of the said scheduled time i.e. till [01:00A.M.]; and

   d. Members are requested to e-mail at **cs@indiaseeds.com/ it@indiaseeds.com** or call at **011-25843673** in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.

4. The shareholders can attend the meeting physically if so desired. However, this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, hence the option to dispense with physical attendance of Members will be provided. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for this AGM. However, in terms of Section 112 of the Companies Act, 2013, representatives of the President of India can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available at the Registered Office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the Meeting.

6. The Financial Statements for the year 2020-21 as approved by the Board of Directors were forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) u/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of C&AG which could not be released so far and therefore these were not placed at the last Adjourned Annual General Meeting are now received from the C&AG and the same is circulated to the Members with this Notice.

7. There are 6 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not sent the Financial Statements to NSC within time for complying with the above legal requirements.

आवश्यक देरी से बचने के लिए, एनएससी के वित्तीय विवरणों को ही प्रस्तुत किया गया है। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

सेवा में,

i) प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।

ii) श्री अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iii) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल एवं तिलहन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

iv) सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

v) श्री राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vi) श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

vii) श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

viii) श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि

1. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. श्रीमती शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. श्रीमती एस. रूकमणि, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. डॉ सुधीर मोहनराव कोकरे, स्वतंत्र निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. श्रीमती अर्चना मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. मैसर्स अरोडा एडं चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए, अब्दुल अजीज रोड, ओपोजिट शास्त्री पार्क, करोल बाग,नई दिल्ली– 110005
7. मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कपंनी सेक्रेट्रीजेस, 387, प्रथम तल, शक्ति खंड, तृतीय, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
8. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

In order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.

To Members,

i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

ii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iii. Smt. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

iv. Smt. Chhavi Jha, JS (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

v. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vi. Shri Rajesh Jaiswal, DS (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

vii. Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

viii. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Ltd., New Delhi.

Copy to:-

1. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited.
2. Smt. Shubha Thakur, Government Director, National Seeds Corporation Limited.
3. Smt. S. Rukmani, Government Director, National Seeds Corporation Limited.
4. Dr. Sudhir Mohanrao Kokare, Independent Director, National Seeds Corporation Limited.
5. Smt. Archna Mishra, Independent Director, National Seeds Corporation Limited.
6. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
7. M/s. VAP & Associates, Company Secretaries, 387, First Floor, Shakti Khand-3rd, Indirapuram, Ghaziabad, U.P- 201010
8. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)

58वीं वार्षिक साधारण बैठक में
अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मैं, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से निर्धारित 58 वीं वार्षिक साधारण बैठक में सभी सम्मानित शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं इसके साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें इंड एएस के प्रावधानों के साथ विधिवत समेकित 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा परिक्षित वित्तीय विवरण तथा इन पर निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखा परीक्षको एवं सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ भी शामिल है। आपकी अनुमति से, मैं निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं 2020–21 के वित्तीय विवरण पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। फिर भी मैं इसके साथ वित्तीय विवरण की मुख्य बातें निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ:–

1. निष्पादन की मुख्य विशेषताएं :–

वैश्विक महामारी तथा भारत में कोविड–19 के मामलों में भारी वृद्धि के बाद लगे लॉकडाउन तथा इसकी दूसरी लहर के कारण आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 को एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष के रूप में देखा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड –19 महामारी की दूसरी लहर मानव स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरा है, जिसके कारण बढ़ती मानवीय लागत एवं आर्थिक उथल–पुथल उत्पन्न हुई है जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू अर्थव्यवस्था के संकुचन ने निगम के राजस्व को आंशिक रूप से प्रभावित किया है।

- फसलों की बुवाई और वानस्पतिक अवधि के समय नहर के पानी की कम उपलब्धता के साथ–साथ कृषि जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियॉ और बाद में खरीफ 2020 मौसम के दौरान परिपक्वता चरण में अत्याधिक बारिश से उत्पादन एवं बीजों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा राजस्थान के तीनों फार्मों में रबी 2020–21 के दौरान, नाली के पानी के साथ–साथ नहर के पानी की कम उपलब्धता के कारण उत्पादन भी कम रहा तथा सर्दियों में कम बारिश होने से फसल उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय विवरणों में राजस्व, पीबीटी, पीएटी में कमी को भी इंगित किया गया है, क्योंकि एनएससी में 2014–15 के बाद से वित्तीय विवरणों में सरकारी उत्पादन सब्सिडी को कार्यान्वयन आधार से वास्तविक खरीद आधार पर रिकॉर्ड करने के लिए लेखाकंन पद्धति में परिवर्तन होने के कारण ऐसा हुआ है। इसके तहत वर्ष के दौरान रू.81.61 करोड़ की उत्पादन सब्सिडी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ।

- तदनुसार, वर्ष 2020–21 के दौरान, मूल्यह्रास, ब्याज और कर (पीबीडीआईटी) पूर्व लाभ, पिछले वर्ष के रू. 86.99 करोड़ से घटकर इस वर्ष रू. 26.37 करोड़ हो गया। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) भी पिछले वर्ष के 60.88 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रू 4.61 करोड़ हो गया।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

CHAIRMAN'S SPEECH
58th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Shareholders,

On behalf of Board of Directors of National Seeds Corporation Limited, I warmly welcome all the esteemed Shareholders at this 58th Annual General Meeting of your Corporation scheduled through Video Conferencing facility.

I am placing herewith the Annual Report 2020-21, containing the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 duly complied with the provisions of Ind-AS along with Reports of Board and Auditors thereon and comments of Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the Financial Statements, Statutory Auditors and Secretarial Auditors Report. With your permission I assume the Boards' Report and Financial Statements 2020-21 as read. Nonetheless I submit herewith the highlights of the Financial Statement as under:-

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS:-

Due to the global pandemic and the spike in COVID 19 cases in India followed by lockdown and second wave, your Corporation has witnessed the Financial Year 2020-21 as a very challenging year. During the Financial Year 2020-21 the second wave of COVID-19 pandemic has emerged as a key risk to human health and is causing significant and rising human costs and economic turmoil which resulted in contraction of International as well as domestic economy partly impacted the Revenue of the Corporation.

- Further adverse agro-climatic conditions including less availability of canal water at the time of sowing and vegetative period of the crops and later receipt of rain at maturity stage during Kharif 2020 season, adversely affected production and quality of seeds. Further less production has also been seen at three Rajasthan Farms during Rabi 2020-21 season due to less availability of Nali Flood Water as well as Canal Water and failure of Winter rains with the result the crop productivity also affected adversely in rainfed condition.
- Apart from above, the Financials of the Company during the year also reflected reduction in Revenue, PBT, PAT due to change in Accounting method for recording the Government Production Subsidy in Financial Statements from Annual Action Plan implementation basis to Actual Procurement basis followed by NSC since 2014-15 onwards. Under this, major portion of Rs. 81.61 Crores Production Subsidy impacted during the year.
- Accordingly, during the year 2020-21, Profit before Depreciation, Interest and Tax(PBDIT) decreased from Rs. 86.99 Crores in the last year to Rs. 26.37 Crores in this year. Profit before Tax (PBT) has also decreased from Rs. 60.88 Crores in previous year to Rs. 4.61 Crores during the F.Y. 2020-21.

- फार्मों के निष्पादन में सुधार के प्रयास किए गए। मशीनीकरण, सिंचाई एवं अन्य ढांचागत विकास की सतत प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान रू. 9.42 करोड़ रुपये का पूंजीकरण किया गया।

- इक्विटी शेयरों के संबंध में, पूरी तरह से प्रदत्त 1000 / — रुपये के 573199 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति एवं अन्य सात नामित शेयरधारकों के पास है। इस प्रकार आपके निगम का कुल इक्विटी आधार पिछले वर्ष की तरह रू. 57.32 करोड़ बना रहा। वर्ष के दौरान, अन्य इक्विटी पिछले वर्ष के रू. 614.51 करोड़ से घटकर रु. 602.58 करोड़ हो गई है।

- इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा एनएससी में आईपीओ के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की इक्विटी शेयरधारिता के 25% को ऑफ—लोड करने और स्टॉक एक्सचेंज पर एनएससी के शेयरों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) समय—समय पर इस मामले में प्रगति की समीक्षा कर रहा है और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एजेंसियों और तीसरे पक्ष की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दीपम पहले ही बीआरएलएम और कानूनी सलाहकार नियुक्त कर चुका है। रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंसी और विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।

- आपके निगम ने भारतीय स्टेट बैंक से बीजी और एलसी सीमा सहित 75.00 करोड़ रूपये की नकद ऋण (सीसी) सीमा स्वीकृत की है। वर्ष के दौरान, निगम ने कम ब्याज दर पर बैंकों से अल्पावधि ऋण प्राप्त किया है। आपके निगम ने पिछले वर्ष रू 7.81 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रू. 4.20 करोड़ रुपये का ब्याज ब्याज एवं अन्य उधारी लागत का भुगतान किया है।

- आप जानते हैं कि आपके निगम ने भारत सरकार की एनएसपी योजना के तहत विभिन्न राज्य बीज निगमों में इक्विटी एवं वरीयता शेयरों में भी निवेश किया हुआ है और 31.03.2021 को यह लेखा पुस्तकों के अनुसार रू. 38.15 करोड़ है। हालांकि निवेश की गई वास्तविक राशि रु. 9.02 करोड़ है। इंड—एएस प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य अवधारणा के तहत चार गैर—एसोसिएट कंपनियों के शेयरों का मूल्यांकन से इसमें वृद्धि हुई है। वर्ष 2013—14 के दौरान, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की शेयरों के मूल्य में रू. 1.06 करोड़ की कमी का प्रावधान भी किया गया है। ऐसी कुछ कंपनियों से वर्ष 2020—21 के दौरान 0.31 करोड़ का कुल लाभांश प्राप्त हुआ, हालांकि एनएससी ने भारत सरकार को पीएटी के 30% पर वर्ष 2020—21 के लिए लाभांश के रूप में रू. 0.73 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है।

2. **कंपनी के वित्तीय परिणाम संक्षेप में इस प्रकार हैं :**

आपके निगम का वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान ब्याज, मूल्यह्रास और कर पूर्व सकल मार्जिन रु. 26.37 करोड़ रुपये रहा है जबकि 2019—20 के दौरान 86.99 करोड़ रूपये था, इस प्रकार 69.69 % की कमी आई। इसके अलावा इस वर्ष कर पूर्व लाभ में भी 92.43 % की कमी हुई अर्थात रु. 60.87 करोड़ से घटकर रु.4.61 करोड़ हो गया है। आपके निगम के निवल मूल्य भी 31.03.2020 को 646.37 करोड़ रूपये से घटकर 31.03.2021 को रू. 636.63 करोड़ रूपये हो गया। उत्पादन सब्सिडी के लिए लेखांकन पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, ऐसा कार्य निष्पादन हुआ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

- हालांकि, इस वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आपके निगम ने रेशे की बिक्री (मूल्यवार) में 115.85 %, चारा 46.03 %, दलहनों में 6.80 %, हरी खाद 1.18 % और सब्जियों सहित आलू और अन्य की बिक्री (मूल्यवार) में 37.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। बिना सब्सिडी के बेचे जाने वाले बीज के कारोबार के प्रतिशत में भी वृद्धि देखी गई है, यानी 2019—20 में 85.44 % से बढकर 2020—21 में 86.12 % यानी 0.80 % की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020—21 के दौरान प्रमाणित / गुणवत्तापूर्ण बीजों की बिक्री के कुल कारोबार में वर्ष 2019—20 में 940.70 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2020—21 में 980.05 करोड़ रूपये का रहा। यह वृद्धि वर्ष 2019—20 की तुलना में इस वर्ष दाल, चारा, रेशा और सब्जियों के बीजों की अधिक बिक्री के कारण हुआ है।

- आपके निगम ने वर्ष 2020—21 के दौरान, भारत सरकार की ओर से 26 नई निजी बीज कंपनियों / व्यापारियों को अन्य देशों से बीजों के आयात / निर्यात के लिए आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं और 45 मौजूदा निजी बीज कंपनियों / डीलरों के लिए उनका नवीनीकरण किया है। इसके अलावा, देश के दूरस्थ क्षेत्र में एनएससी की गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आपके निगम ने डीलर्स नेटवर्क पर मजबूती से काम किया है और 31.03.2021 को इसे 2958 तक बढ़ाया गया है, जबकि 31.03.2020 को इनकी संख्या 2640 थी।

- Efforts were made to improve the performance of the Farms. Continuous process of mechanization and irrigational and other infrastructural developments have been carried out under which capitalization worth Rs. 9.42 Crores was incurred during the F.Y. 2020-21.

- Regarding Equity Shares, 573199 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up remained held by the President of India alongwith with his other seven Nominee Shareholders. Thus the total Equity base of your Corporation continued to be at Rs. 57.32 crores as in previous year. During the year, other Equity has decreased to Rs. 602.58 crores from Rs. 614.51 crores in previous year.

- Further decision has been taken by the Government of India for off-loading 25% of the President of India Equity Shareholding in NSC through IPO route and list shares of NSC on stock exchange. The Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM) is reviewing the progress in the matter from time to time and necessary steps for engagement of agencies and third party for availing services are being taken. Already DIPAM has engaged the BRLMs and Legal Advisor. Engagement of Registrar & Share Transfer Agency and Advertising Agency is in progress.

- Your Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits. During the year, the Corporation has availed short term loans from Banks at reduced rate of interest. Your Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 4.20 Crores during the year in comparison to Rs. 7.81 Crores in the previous year.

- You are aware that your Corporation has also made investments in Equity and Preference shares in various State Seeds Corporations under the Government of India's NSP Scheme and as on 31.03.2021, it was Rs. 38.15 Crores as per Books. However the actual amount invested was Rs. 9.02 crores. The increase is due to valuation of four non-Associate Companies Shares under Fair Value Concept as per Ind-AS provisions. Provision for diminution in value of shares of Rs. 1.06 Crores of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has also been made during the year 2013-14. A total dividend of Rs. 0.31 Crore received during the year 2020-21 from few of such Companies, however NSC has proposed to pay Rs. 0.73 Crores as dividend to GOI for the year 2020-21 at 30 % of PAT.

2. THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY IN BRIEF ARE AS FOLLOWS:

The Gross Margin before Interest, Depreciation and Tax of your Corporation is Rs. 26.37 Crores during F.Y. 2020-21 as compared to Rs. 86.99 Crores during 2019-20 thus decreased by 69.69 %. Further Profit before Tax has also been decreased by 92.43 % i.e. from Rs. 60.87 Crores to Rs. 4.61 Crores during the F.Y. 2020-21. The decrease is also witnessed in the Net Worth of your Corporation from Rs. 646.37 Crores as on 31.03.2020 to Rs. 636.63 Crores as on 31.03.2021. Change in accounting method of the Production Subsidy resulted in such performance, as mentioned above.

- However during the year your Corporation has made efforts and increased sales (value wise)in Fibres by 115.85%, Fodder by 46.03 %, Pulses by 6.80%, Green Manure by 1.18 % and vegetables including potato and others by 37.67% as compared to the previous Financial Year. Further increase has also seen in the Seed sold without subsidy as a percentage of Turnover i.e. from 85.44 % in 2019-20 to 86.12% in 2020-21 i.e. increase by 0.80%. The total turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2020-21 has increased from Rs. 940.70 Crores in 2019-20 to Rs. 980.05 Crores in 2020-21. The reason for increase is more sale of Pulses, Fodder, Fibre and Vegetable seeds as compared to 2019-20.

- Your Corporation has issued import registration certificates on behalf of Government of India during the year 2020-21 to 26 new private seed companies/ dealers for import/ export of seeds from other countries and renewed the same for 45 existing Private Seed Companies/Dealers. Further to ensure availability of quality seeds of NSC in the remotest area of the Country, your Corporation has worked on strengthening of Dealers Network and taken the same to 2958 as on 31st March, 2021 from 2640 as on 31st March, 2020.

- अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके निगम ने नया प्रयास किया है जिसमें गतिविधियों का विविधीकरण शामिल है। वर्ष के दौरान आपके निगम ने रु. 14.78 लाख मूल्य के 1166.80 क्विंटल गुणवत्ता युक्त समृद्ध चारा ब्लॉक बेचे।

- आपके निगम ने एनएससी ब्रांड ''फार्म सोना बीज'' को लोकप्रिय बनाने और किसानों को उचित मूल्य पर सीधे गुणवत्ता और किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक और अभिनव विपणन गतिविधियों को शुरू किया है। किसानों की उत्पादन लागत कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जीप अभियान, नए उत्पादों का प्रदर्शन, क्षेत्र दिवस, किसानों / डीलरों की बैठकें, कृषि गोष्ठी और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और किसानों को एनएससी उत्पादों के बारे में पर्चे, पुस्तिकओं का वितरण के साथ–साथ तालुका स्तर पर डीलरों की नियुक्ति के प्रयास भी किए गए।

3. लाभांशः

वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल ने लाभांश के रूप में कर पश्चात लाभ का 30% भुगतान करने की सिफारिश की। इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष अनुरोध किया है कि 2015 के दौरान दीपम द्वारा जारी किए गए पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों पर लाभांश के भुगतान के लिए पीएटी का 30% या निवलमूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, के भुगतान के लिए निगम ने छूट की मांग की है।

4. कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए जनशक्ति ढांचा मजबूत करने के लिए उपायः

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती गतिविधियों का संचालन करके पेशेवर एवं तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति की भर्ती की है, और इस प्रकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/रिक्तियों के विरुद्ध 154 प्रशिक्षुओं/वरिष्ठ प्रशिक्षुओं/प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की है। इसके अलावा भारत सरकार की आरक्षण नीतियों के प्रावधानों के अनुपालन में, अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और विभिन्न श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों को समान रोजगार के अवसर दिए गए हैं। संगठन के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मौजूदा जनशक्ति का मनोबल बनाए रखने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा पहले से ही 2/3 वर्षों में त्वरित पदोन्नति और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई है।

- **प्रशिक्षणः**– संगठन की रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने पेशेवर कौशल में सुधार के लिए संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण, मार्च, 2021 के दौरान सीमित कार्यक्रम ही आयोजित किए गए। विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

- **हिन्दी को प्रोत्साहनः**– आपका निगम राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैठक आदि आयोजित करके यथोचित बढ़ावा दे रहा है। निगम में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन 14 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक किया गया।

5. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियांः–

कृषि क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास का मुख्य शासनादेश राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के पास है, हालांकि, किसानों के लाभ के लिए उपयुक्त फसलों और किस्मों के बीजों का चयन और गुणन करने के लिए नियमित रूप से प्रमुखता दी जा रही है। बीज श्रृंखला में जैविक और अजैविक तनाव सहिष्णु किस्मों को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पोषक तत्वों की विभिन्न किस्मों को शामिल करने के अलावा पोषण सुरक्षा के लिए जैव फोर्टिफाइड किस्मों को भी बीज श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है।

- In order to achieve its targets your Corporation has taken new endeavour which comprises the diversification of activities. During the year your Corporation had sold 1166.80 qtls. of quality enriched fodder blocks amounting to Rs. 14.78 Lakhs.

- Your Corporation has taken up the aggressive & innovative marketing activities for popularizing the NSC Brand "Farm Sona seeds" and also for availability of quality and variety of seeds directly to the farmers at reasonable price. All efforts are being made to reduce cost of production of farmers. In this regard jeep campaigning, demonstration of new products, field days, farmers/ dealers meetings, Krishi Goshthi & exhibitions were organised and the efforts for appointment of dealers at Taluka level were arranged alongwith distribution of leaflets, pamphlets about NSC products to the farmers.

3. DIVIDEND:

For the year 2020-21, the Board recommended payment of 30% of PAT as Dividend. For this purpose request has been made before administrative Ministry to seek exemption for your Corporation from DIPAM on the Capital Restructuring Guidelines issued during 2015 for payment of Dividend @ 30% of PAT or 5% of Networth whichever is higher.

4. STEPS FOR STRENGTHENING THE MANPOWER SET-UP AND EMPLOYEES RELATED MEASURES FOR BOOSTING THEIR MORALE AND UPGRADING THEIR TECHNICAL SKILL STATUS:

- During the year under review your Corporation has recruited professionally and technically qualified manpower by conducting recruitment activities in a fair and transparent manner and thus inducted 154 Trainees/Senior Trainees/Management Trainees against superannuation/vacancy of employees. Further equal employment opportunities have been given to the persons of OBC/Schedule Caste/ Scheduled Tribe, Persons with Benchmark Disability, and Ex. Servicemen in various Categories in compliance of the provisions of the Reservation Policies of the Government of India. All out efforts are being made to ensure quality manpower recruitment for the growth of the organization. Efforts are also being made to keep the morale of existing manpower to get higher productivity, for which already accelerated promotion in 2/3 years and Limited Departmental Competitive Examination have been introduced by the Management.

- **Training:-** A focused approach was adopted to train the Officers/ Employees/ Trainees of the Organization for improving their professional skills to enhance creativity and productivity of the organization. However, due to the COVID-19 pandemic situation, limited programs were organized during March, 2021. Details may be seen from Boards' Report.

- **Impetus to Hindi:-** Your Corporation is continuously giving due recognitions for Rajbhasha Hindi by organising workshops, conducting programmes, Meetings etc. The 'Hindi Pakhwara' was organized from 14 September, 2020 to 28 September, 2020.

5. R&D ACTIVITIES:-

As main mandate of R&D for agriculture sector is with National Agriculture Research System, however, regular emphasis is being given to select and multiply the seed of suitable crops & varieties for the benefit of farmers. Emphasis is also being given to include biotic & abiotic stress tolerant varieties in the seed chain. To ensure nutritional security bio fortified varieties are also being included in seed chain in addition to inclusion of various varieties of nutri cereals.

6. **सीएसआर गतिविधियां:—**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने के लिए आपके निगम ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया है जैसा कि वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट 2020—21 से देखा जा सकता है जो वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 का भाग है।

7. **एमओयू रेटिंग:**

वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्याकंन अभी भी प्रतीक्षित है, हालांकि 2019—20 के लिए आपके निगम के समझौता ज्ञापन निष्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा ''उत्तम'' घोषित किया गया है।

8. **फार्मों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायक गतिविधियाँ।**

- निगम के फार्मों पर बीजों में बहुलीकरण हेतु बीज की अनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधारीय बीजों का सतत उत्पादन किया जाता है।
- किसानों को आपूर्ति हेतु, फार्मों पर नर्सरियों में फल फसलों की पौधों—सिटरस, अमरूद, अनार, आम आंवला आदि के फूलों और वानिकी का उत्पादन किया जा रहा है।
- चार फार्मों यानि सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर व हिसार पर 228 हैक्टेयर क्षेत्र में फलीय फसलों के बाग स्थापित किए गए है।
- निगम अपने आउटलेट्स पर अंडरसाईजड, अनबिके बीजों आदि से तैयार गेहूँ का आटा, बासमती चावल, सरसों तेल आदि मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री कर रहा है।
- व्यावसायिक विविधता की ओर एक कदम के रूप में आपके निगम ने संवर्धित चारा ब्लॉक तथा मछली के बीजों का विपणन किया है।
- कृषि कार्यों को और अधिक प्रभावी ढ़ग से सुविधाजनक बनाने के लिए, आपका निगम, मशीनों, उपकरणों के बडे बेडे, स्वयं की कार्यशालाओं पर सभी मरम्मत और रखरखाव, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं और बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का संरक्षण कर रहा है।
- प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई पर मोबाईल / प्री—क्लीनर्स की सहायता से उपज को सुखाया जाता है और प्रांरभिक सफाई की जाती हैं।
- उपलब्ध पानी से सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि के लिए नहरों का पलस्तर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। नहर के पानी के पूरक के रूप में, सूरतगढ, सरदारगढ और जैतसर फार्मों पर नहरों के किनारे 07 गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं और 31.3.2020 तक 165 नलकूपों की तुलना में 31.3.2021 तक 172 नलकूप स्थापित किए गए।
- सिंचाई के पानी की सीमा को ध्यान में रखते हुए सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए जल भंडारण टैंको का निर्माण किया गया और कुल 2296 हैक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है।

9. **प्रक्षेत्र कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं फार्मों के कार्य:—**

वर्तमान में आपके निगम के पास 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 07 फार्म तथा 48 प्रक्षेत्र कार्यालय हैं, इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर लगभग 200 उत्पादन और विपणन केंद्र भी है। क्षेत्रीय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय, उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन, बीजों की खरीद और अंत में इसे प्रमाणित या टी / एल बीजों के रूप में पैक करने का कार्य कर रहे हैं। उच्च उत्पादकता और फसलों की अन्य वांछनीय विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए नई किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुणवत्ता के साथ—साथ समय पर प्रसंस्करण और प्रमाणन सुनिश्चित करके बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

आपके निगम ने वर्ष 2020—21 के दौरान विभिन्न फसलों की 37 नई किस्मों को भी जोड़ा है। वर्तमान में, बाजार की आवश्यकताओं के आकंलन के अनुसार, नई किस्मों का लगभग 65 % (10 वर्ष की आयु के भीतर) बीज उत्पादन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के

6. **CSR ACTIVITIES:-**

To comply with mandatory provisions of Companies Act, 2013, your Corporation has taken up various CSR activities as may be seen from the Annual CSR Report 2020-21 forming part of Annual Report 2020-21.

7. **MOU RATING:**

The MOU rating for Financial Year 2020-21 is still awaited, however the MOU performance of your Corporation for 2019-20 has been adjudged as "Good" by DPE.

8. **SUPPORTING ACTIVITIES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE FARMS.**

- At the Farms of the Corporation sustainable production of Foundation seed is undertaken to ensure genetic purity of seed for further multiplication.
- Saplings of Fruit crops – Citrus, Guava, Pomegranate, Mango, Aonla etc., Flowers and Forestry trees are being produced in Nurseries at the farms, for supply to the farmers.
- Established Fruit Crops Orchards in an area of 228 ha. at four Farms i.e. Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Hisar.
- Value added products namely Wheat Flour, Basmati Rice, Mustard Oil etc., produced from undersized, unsold seeds etc. are being sold from outlets of your Corporation.
- As a step toward business diversity, your Corporation has marketed enriched fodder block and fish seeds.
- In order to facilitate agriculture operations more effectively, your Corporation has been maintaining large fleet of Machinery, Implements, its repairs & maintenance facility by its own workshops, modern Irrigation Systems, Post-Harvest facilities and Seed Processing Plants.
- Drying & Preliminary cleaning of produce is being done with the help of mobile/ pre- cleaners at each Processing Unit.
- The Lining of Canal & Micro Irrigation Systems are being used for increasing more area under irrigation with the available water. To supplement with canal water, 7 deep tube wells have been installed along the banks of canals at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms and now the total Nos. of tube-wells have been increased upto 172 as on 31.03.2021 from 165 as on 31.03.2020.
- Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks were constructed and Micro Irrigation Systems have been installed in total area of 2296 Ha.

9. **WORKING OF THE REGIONAL OFFICES, AREA OFFICES & FARMS:-**

Presently your Corporation is having 7 Farms, 11 Regional Offices and 48 Area Offices in addition to about 200 nos. Production and Marketing Centres at various places. Regional and Area Offices are performing the functions of production of seeds through growers, procuring of seeds and finally packing it as certified or T/L seeds and distribution through various channels. The focus is to produce high quality seed of new varieties for ensuring higher productivity and other desirable crops attributes. Alongwith quality, timely availability of seed is also being ensured by timely processing & certification.

Your Corporation has also added 37 new varieties of different crops during the year 2020-21. Presently, seed production of around 65 % of newer varieties (within 10 years age old) being carried out as per the assessment of market requirements. The seed production of Bio-fortified varieties of various crops has also been done to ensure

साथ–साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसलों की बायो–फर्टिफाइ किस्मों का बीज उत्पादन भी किया गया है। एनएससी के पास प्रतिवर्ष लगभग 25000 नमूनों की जांच करने की क्षमता युक्त 04 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं।

हिसार में फार्म की विस्तारित अवधि 31.03.2019 को समाप्त हो गई और आपका निगम इसके नवीनीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार को उच्च स्तर पर पहले ही पत्र लिखे जा चुके हैं। मामले को निपटने के लिए उच्च स्तर पर बैठक भी की जा रही है। आशा है कि नवीनीकरण बहुत जल्द किया जाएगा।

10. भविष्य का दृष्टिकोण

- आपका निगम उच्च उत्पादकता वाली नई किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन और विभिन्न जैविक और अजैविक तनावों के प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि कम लागत को सुनिश्चित किया जा सके जिससे किसान की आय में वृद्धि हो।

- आपका निगम उत्पाद मिश्रण में बदलाव कर रहा है और किसानों को उचित मूल्य पर सब्जी बीजों की आपूर्ति के लिए सब्जी बीज व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस क्रम में, वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में कारोबार का वित्तीय वर्ष 2020–21 में सब्जी बीजों की बिक्री में 33.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हमारे सब्जी बीजों का मूल्य तुलनात्मक रूप से कम होने से किसानों को बीज की लागत कम करने में सहायता मिली है।

- आपके निगम की वरीयता, उच्च गुणवत्ता फसल किस्मों एवं संकर बीजों की विस्तृत श्रृंखला के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और विपणन करना है ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

- सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आपका निगम कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास की तैयारी कर रहा है।

- आपका निगम कम लागत पर उच्च पैदावार प्राप्त करने हेतु मौसम पूर्वानुमान और फसल संरक्षण के लिए उच्च तकनीकी पर जोर दे रहा है।

- पानी की कमी को देखते हुए आपका निगम बड़े क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में सुधार व विस्तार तथा फार्मों पर जल संचयन संरचना के निर्माण के लिए प्रयासरत है।

- आपका निगम ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेंट (खरीद) प्रणाली भी लागू कर रहा है तथा जेम पोर्टल पर उपलब्ध मदों को जेईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद का पालन भी कर रहा है।

11. अनुपालन पहलू:

- वर्ष 2020–21 के दौरान आपके निगम का प्रबंधन, पेशेवर रूप से योग्य और प्रख्यात कार्यकारी और गैर–कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया गया, जिसमें बोर्ड में महिला निदेशक भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन में आपके निगम को डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस ग्रेडिंग विभाग द्वारा जारी की जानी बाकी है।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में आपके निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए संशोधनों के अनुरूप संशोधित नीति अपनाई है। सीएसआर बजट का उपयोग बडे पैमाने पर जनता के लाभ के लिए विभिन्न अनुमोदित उद्देश्यों के लिए किया गया। एनएससी, एमएसएमई अधिनियम और अन्य लागू प्रावधानों का भी अनुपालन कर रहा है। इसके अलावा निगम में संचालन समिति, शिकायत समिति आदि जैसी अन्य समितियां भी हैं। बोर्ड द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन समिति को उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा कर रहा है। निगम सभी लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों सहित डीपीई दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहा है जो उस पर लागू होते हैं।

nutritional security along with food security. NSC has 4 Quality Control Laboratories with the capacity to test around 25000 samples per year and has proper mechanism to redress the quality related complaints of seeds at field level.

The extended lease period of the Farm at Hisar, Haryana expired on 31.03.2019 and your Corporation is continuously pursing for its renewal. In this regard already letters written at higher level from the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare to the Govt. of Haryana. Meeting at higher level is also being organized to settle the issue. Hope the renewal will be done very shortly.

10. FUTURE OUTLOOK

- Your Corporation is focusing on Production of high quality seed of new varieties having higher productivity and having resistance to various biotic and abiotic stresses, to ensure lower input costs thereby increasing farmers' income.

- Your Corporation is also changing product mix and is concentrating to increase vegetable seed business to supply different vegetable seeds to the Farmers at reasonable price. In this line, sale of vegetable seeds as percentage of turnover has been increased by 33.38% in F.Y. 2020-21 as compared to F.Y. 2019-20. This has helped the farmers in reducing seed cost as our vegetable seed price is comparatively very less.

- The priority of your Corporation is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity.

- In order to fulfil the Government's objective, your Corporation is also preparing for skill development in agriculture and related areas.

- Your Corporation is also planning to become high-tech towards weather forecast and crop protection to have high yield at low cost.

- While looking to the shortage of water your Corporation is making endeavors to improve and extend Micro Irrigation System in large area and construction of Water Harvesting Structures at Farms, to use available water efficiently.

- Your Corporation is also implementing online e-procurement system and also following procurements through GeM portal for the items which are available on the said Portal.

11. COMPLIANCE ASPECTS:

- During the year 2020-21 your Corporation was managed by professionally qualified and eminent Executive and non- executive/ Independent Directors, including Woman Directors on the Board. Your Corporation was graded as Excellent by DPE in the matter of compliance of Corporate Governance Guidelines during the F.Y. 2019-20. However the Corporate Governance grading for F.Y. 2020-21 are yet to be issued by the Department.

- Regarding Corporate Social Responsibilities (CSR) your Corporation has adopted revised policy in line of the amendments made in the Companies Act, 2013.CSR Budget was utilized for various permissive purposes for the cause of benefit of the public at large. NSC is also complying with MSME Act and other applicable laws. In addition there are other Committees like Steering Committee, Grievance Committee etc. in the Corporation. The Risk Management Committee constituted by the Board is reviewing the risk areas for taking remedial actions. To conclude, the Corporation is fully complying with all the applicable Laws, DPE Guidelines including Corporate Governance Guidelines which are applicable to it.

12. सामाजिक छवि का विकास – पुरस्कार और सम्मान की प्राप्तिः

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2020 के दौरान आपके निगम को कृषि बीज उत्पादन और विपणन गतिविधियों में कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए 'सेमी–फाइनलिस्ट' और 'SKOCH अवार्ड 2020' के लिए विजेता घोषित किया गया।

13. पावतीः

मैं इस अवसर पर आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव तथा अन्य अधिकारियों और उनके मातहत कार्यालयों/निदेशालयों का, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं, सचिव, डीएआरई/डीजी, आईसीएआर तथा आईसीएआर के अंतर्गत सभी संस्थानों और सभी राज्य कृषि विश्वाविद्यालयों को भी पैतृक सामग्री उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करने के लिए भी आभारी हूँ। मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संविधिक लेखा परिक्षकों, सचिविय लेखा परीक्षको एवं शाखा लेखा परीक्षकों के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं।

मैं शेयरधारकों तथा प्रबंधन की ओर से, बैंकरों, उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों को भी निगम के प्रति उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने प्यारे देश के कृषक समुदाय का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो एन.एस.सी. के बीजों पर निरन्तर भरोसा जता रहे हैं। मैं निदेशक मंडल के सम्मानित सदस्यों और निगम के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों, जिन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर संभव मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया है, के प्रति कृतज्ञता व्यक्त् करता हूँ एवं दिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समर्पित और मेहनती कार्मिकों के साथ किसानों व अन्य माननीय हितधारकों के बहुमूल्य समर्थन से निगम आने वाले वर्षों में और अधिक ऊचाईयों पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.02.2022

(वि. मोहन)
निदेशक (वित्त)

* यह 58 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।

12. SOCIAL IMAGES DEVELOPMENTS – RECEIPT OF AWARDS AND ACCOLADES:

It is the matter of great pleasure that during the year 2020, your Corporation was adjudged as semi-finalist and the winner for SKOCH Award 2020 for Corporate Excellence in Agriculture Seed Production and Marketing Activities.

13. ACKNOWLEDGEMENT:

I would like to take this opportunity to place my sincere thanks to the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Minister of State for Agriculture, the Secretary, the Addl. Secretary, the Joint Secretaries and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and its subordinate Offices/Directorates. I am also thankful to the Secretary, DARE/DG, ICAR and all Institutes under ICAR and all State Agricultural Universities for their support in providing the parental material. I am also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Statutory Auditors, Secretarial Auditors and the Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance.

On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Bankers, Customers and other Stakeholders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I sincerely thank the farming community of our beloved country who are continuously posing faith in NSC's seeds. I would also like to extend my gratitude and high appreciation towards my esteemed colleagues on the Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. I have a strong belief that with such dedicated and hardworking workforce coupled with valuable support of our Farmers and other esteemed stakeholders in & enlarged, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

Place: New Delhi **(V. Mohan)**
Dated: 04.02.2022 Director (Finance)

* This does not purport to be a part of the proceedings of 58th Annual General Meeting.

निदेशकों की रिपार्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निगम के स्टैण्डालोन लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ आपके निगम के व्यवसाय तथा कार्यकलापों पर 58वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही हैं।

1. कारपोरेट अवलोकन

एनएससी को वर्ष 1963 में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) द्वारा विकसित की जा रही नई किस्मों के बीजों को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। 01.04.2014 को एनएससी में एसएफसीआई के विलय के बाद, एनएससी ने स्वयं को एक मात्र बीज उत्पादक कंपनी से, अपने फार्मों के साथ–साथ बीज उत्पादकों के फार्मों पर बुवाई से लेकर कटाई तक तथा फसल कटाई के बाद की तकनीक में नई तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की सभी गतिविधियों का निष्पादन करने वाली कंपनी में परिवर्तित किया है। इसके अलावा, 28.02.2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमति के साथ अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए, एनएससी ने स्वयं को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर लिया है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एवं मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाया है।

प्रगति की इस यात्रा को जारी रखते हुए एनएससी, कैबिनेट सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयरहोल्डिंग के हिस्से को आई.पी.ओ के माध्यम से खुले बाजार में जनता के समक्ष विनिवेश के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ताकि निगम के शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सके।

2. वित्तीय मुख्य आकर्षण एवं सार

पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

(i) कार्यशील परिणाम

(राशि रु. लाख में)

	विवरण	2020-21	2019-20
I.	**आयः**		
	प्रचालन से राजस्व	101517.83	105996.66
	अन्य आय	3288.21	2547.15
	कुल	**104806.04**	**108543.81**
II.	**खर्चे :**		
	उपभोग की सामग्रियों की लागत	2777.81	2619.33
	व्यापारगत माल की खरीद	74063.07	74420.41
	तैयार माल, प्रक्रियाधीन माल तथा व्यापारगत माल की अनुसूची में परिवर्तन	30.02	(1263.22)
	कार्मिकों के लाभ के लिए किए गए खर्च	12377.29	12963.90
	वित्तीय लागत	419.87	780.93
	अन्य खर्चे	12999.49	11527.56
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1756.19	1830.34
	कुल	**104423.74**	**102879.25**
III.	**असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ (I-II)**	**382.30**	**5664.56**
IV.	असाधारण मदें	78.64	423.31
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**	**460.94**	**6087.87**
VI.	**कर संबंधी व्यय**		
	वर्ष के लिए लाभ	---	1050.00
	पिछले वर्ष के लिए चालू कर (निवल)	(-) 11.27	886.43

BOARDS' REPORT

To

The Shareholders,

Your Directors have pleasure in presenting the 58th Annual Report on the performance and business operations of your Corporation together with the Standalone Audited Financial Statements of the Corporation for the Financial Year ended March 31st, 2021.

1. CORPORATE OVERVIEW:

National Seeds Corporation Limited (NSC) was incorporated in the year 1963 with a mandate to multiply the seeds of the new varieties being bred by National Agriculture Research System (NARS). After merger of SFCI with NSC w.e.f. 01.04.2014, it has converted itself from barely being Seed Producing Company to a Company showcasing all the activities of quality seed production in its Farms as well as on the Growers fields by demonstrating new technology from sowing to harvesting and post harvest technology. Further in order to expand its horizon with the permission of the Shareholders in the Extra –Ordinary General Meeting held on 28.02.2020, NSC has converted itself as a Public Limited Company and adopted new set of Memorandum of Association and Articles of Association.

Now to continue this journey of progress, NSC is moving on the path for disinvestment in accordance with the decision of the Cabinet Secretariat by offering the part of Shareholding held by Hon'ble President of India to the Public at large in the open market by way of an IPO and list its Equity Shares on the stock exchange.

2. FINANCIAL HIGHLIGHTS AND SUMMARY:

The following is the highlights of the standalone financial performance of the Company during the year under review in comparison to the previous year:

(a) Working results

(₹ in Lakhs)

	Particulars	2020-21	2019-20
I.	**INCOME:**		
	Revenue from Operations	101517.83	105996.66
	Other Income	3288.21	2547.15
	Total	**104806.04**	**108543.81**
II.	**EXPENSES :**		
	Cost of materials consumed	2777.81	2619.33
	Purchases of Stock-in-Trade	74063.07	74420.41
	Changes in biological assets and inventories of finished goods, stock-in-trade and work in progress	30.02	(1263.22)
	Employee Benefits Expense	12377.29	12963.90
	Finance Costs	419.87	780.93
	Other Expenses	12999.49	11527.56
	Depreciation and amortization expenses	1756.19	1830.34
	Total	**104423.74**	**102879.25**
III.	**Profit Before exceptional items and tax (I-II)**	**382.30**	**5664.56**
IV.	Exceptional items	78.64	423.31
V.	**Profit Before Tax (III-IV)**	**460.94**	**6087.87**
VI.	**Tax expense:**		
	Current Tax for the year	---	1050.00
	Current Tax for earlier years (net)	(-) 11.27	886.43

	आस्थगित कर	228.53	1159.49
	कुल कर संबंधी खर्चे	**217.26**	**3095.92**
VII.	वर्ष के लिए लाभ (V-VI)	243.68	2991.95
VIII.	अन्य व्यापक आय	(-) 42.01	(158.97)
IX.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय) (VIII-IX)**	**201.67**	**2832.98**
X.	प्रति शेयर उपार्जन (रु. में)	42.51	521.97

(ख) कंपनी के मामले / निष्पादन की स्थितिः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपके निगम का परिचालन से राजस्व 101517.83 लाख रूपये रहा, जबकि 2019–20 में 105996.66 लाख रूपये था। वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ में 92.43% की कमी हुई, अर्थात 6087.87 लाख रूपये से 460.94 लाख रूपये रहा, कर पश्चात लाभ 91.86% यानी 2991.95 लाख रूपये से घटकर 243.68 लाख रूपये रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने 104806.04 लाख रूपये की कुल आय हासिल की, जबकि पिछले वर्ष 108543.81 लाख रूपए थी। 2020–21 के दौरान ब्याज, मूल्यह्रास और कर से पहले सकल मार्जिन 2637.00 लाख रूपये है, जबकि 2019–20 के 8699.14 लाख रूपये की तुलना में भी 69.69% की कमी हुई है।

प्रति शेयर आय सहित इन सभी मापदंडों में कमी का कारण, मुख्य रूप से 2014–15 के बाद से अपनाई गई मौजूदा प्रथा से वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा बहियों में उत्पादन सब्सिडी के लिए लेखांकन में बदलाव के कारण हुआ है। इसका बड़ा असर 81.61 करोड़ रूपये की उत्पादन सब्सिडी पर पड़ा है जिसे अगले साल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान, खरीफ 2020 के हिस्से से संबंधित उत्पादन सब्सिडी भी केवल 12.48 करोड़ रूपये थी। इसलिए इसने उपरोक्त मापदंडों को प्रभावित किया है और यह केवल इसी वित्त वर्ष 2020–21 के लिए होगा, यदि पूर्व अभ्यास के अनुसार होता तो परिणाम निम्नानुसार होताः–

(रु. करोड़ में)

विवरण	**एएपी के अनुसार (अनु./अलेखापरीक्षित)**	**वास्तविक खरीद के अनुसार**
परिचालन से राजस्व	1,096.79	1,015.18
कुल राजस्व	1,129.67	1,048.06
कर पूर्व लाभ	83.22	4.61
कर पश्चात लाभ	64.72	2.44
प्रति शेयर उपार्जन (रु.)	1,129.09	42.51

(ग) पूंजीगत संरचनाः

<u>अधिकृत शेयर पूंजी</u>

31 मार्च, 2021 को कंपनी की अधिकृत पूंजी रु. 1,73,61,00,000/– (रूपये एक सौ तिहत्तर करोड़ इकसठ लाख) थी, जिसमें प्रत्येक रू. 1000/– के 17,36,100 (रूपये सत्रह लाख छत्तीस हजार एक सौ मात्र) इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त हैं।

<u>जारी और चुकता शेयर पूंजीः</u>

31 मार्च, 2021 को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु. 57,31,99,000/– (रूपये सत्तावन करोड़ इकतीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) हैं जो 5,73,199 (पांच लाख तिहत्तर हजार एक सौ निन्यानवे) इक्विटी शेयर मे विभाजित हैं, प्रत्येक रू.1000/– के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त, भारत के राष्ट्रपति एवं उनके सात नामित शेयरधारकों के पास है।

	Deferred Tax (net)	228.53	1159.49
	Total Tax Expense	**217.26**	**3095.92**
VII.	**Profit for the year (V-VI)**	**243.68**	**2991.95**
VIII.	Other Comprehensive Income	(-) 42.01	(158.97)
IX.	**Total comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit and other comprehensive income for the period) (VIII-IX)**	**201.67**	**2832.98**
X.	Earning per share (In Rs.)	42.51	521.97

(b) State of Company's affairs / performance:

During the Financial Year 2020-21 Revenue from Operations of your Corporation stood at Rs. 101517.83 Lakhs as compared to Rs. 105996.66 Lakhs in 2019-20. During the year Profit Before Tax has been decreased by 92.43 % i.e. from Rs. 6087.87 Lakhs to Rs. 460.94 Lakhs, Profit for the year after tax decreased by 91.86% i.e. from Rs. 2991.95 Lakhs to Rs. 243.68 Lakhs.

During the year 2020-21, the Corporation has achieved total Income of Rs. 104806.04 Lakhs as against Rs. 108543.81 Lakhs. The gross margin before interest, depreciation and tax during 2020-21 is Rs. 2637.00 Lakhs as compared to Rs. 8699.14 Lakhs of 2019-20 is also decreased by 69.69 %.

The reason for decrease in all these parameters including Earnings Per Share is mainly due to the change in accounting for Production Subsidy in the books during 2020-21 from the existing practice followed since 2014-15 onwards. This has a major impact of Rs. 81.61 Crores Production Subsidy shifted to next year. During 2020-21, the Production Subsidy pertaining to part of Kharif 2020 amounting to Rs. 12.48 Crores only accounted. Hence it has impacted the above parameters and this will be during the first year only, which is 2020-21. As per the earlier practice, the result would have been as below:-

(₹ in Crores)

Particulars	**As per AAP (Approx / Unaudited)**	**As per Actual Procurement**
Revenue from Operations	1,096.79	1,015.18
Total Revenue	1,129.67	1,048.06
Profit Before Tax	83.22	4.61
Profit After Tax	64.72	2.44
Earning Per Share (in Rs.)	1,129.09	42.51

(c) Capital Structure:

Authorized Share Capital:

The Authorized capital of the Company as at March 31, 2021 was Rs. 173,61,00,000/- (One Seventy Three Crores Sixty One Lakh) divided into 17,36,100 (Seventeen Lakh Thirty Six Thousand One Hundred) Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up.

Issued and paid up Share capital:

The paid-up Equity Share Capital as at March 31, 2021 is Rs. 57,31,99,000/- (Fifty Seven Crores Thirty One Lakh Ninety Nine Thousand) divided into 5,73,199 (Five Lakh Seventy Three Thousand One Hundred Ninety Nine) Equity Shares, having face value of Rs. 1000/- each fully paid up held by President of India along with his seven Nominee Shareholders.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतर मतदान अधिकारों के साथ कोई शेयर या परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं और न ही कोई स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी या वारंट जारी किया है।

अन्य इक्विटी

अन्य इक्विटी रु. 61451.17 लाख से घटकर रु. 60258.15 लाख हो गई। वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय रु. 15.45 करोड़ घटकर रु.579.75 करोड़ और ओसीआई रु. 2.19 करोड़ घटकर रु. 23.26 करोड़ रह गई है।

(घ) कंपनी की स्थिति में परिवर्तनः

एनएससी को वर्ष 1963 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के दर्जे के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में नियमित किया गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान, भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई), जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन ही भारत सरकार का एक अन्य उपक्रम था, को दिनांक 01.04.2014 से एनएससी में विलय कर दिया गया था। इस प्रकार एनएससी बड़े संसाधनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी बन गई है।

28.02.2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में निगम के शेयरधारकों ने अपनी स्थिति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया है और एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के नए सेट को भी अपनाया है। तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने 04.04.2020 को और उसके बाद वित्तीय वर्ष के दौरान निगमन का एक नया प्रमाणपत्र जारी किया है। 2020–21 में शेयरधारक मौजूदा तीन से बढ़कर आठ हो गए हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के 100% इक्विटी शेयर के साथ–साथ उनके सात अन्य नामांकित व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनके पास 1000/– रुपये का एक–एक इक्विटी शेयर है।

भारत सरकार द्वारा आईपीओ मार्ग के माध्यम से एनएससी में भारत के राष्ट्रपति की इक्विटी शेयरधारिता के 25% को बेचने के लिए आगे का निर्णय लिया गया है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) समय–समय पर मामले में प्रगति की समीक्षा कर रहा है और एनएससी के आईपीओ के लिए समय सीमा निर्धारित की है।

(ङ) शेयरों की वापसीः

वर्ष के दौरान निगम द्वारा शेयरों की वापसी नहीं की गई। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 68 के अनुसार सूचना शून्य मानी जाए।

(च) प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन **(रू. 1000/– प्रत्येक का अंकित मूल्य):**

	2020-21	**2019-20**
असाधारण मदों से पूर्व मूल एवं अवमिश्रित	42.51	521.97
असाधारण मदों के पश्चात मूल एवं अवमिश्रित	42.51	521.97

कमी का कारण पैरा 2(ख) में बताया गया है।

(छ) लाभांशः

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को निवल मूल्य का 5% या कर पश्चात् लाभ का 30%, जो भी अधिक हो, लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि एनएससी कृषि आधारित गतिविधि में संलग्न एक सीपीएसई होने के नाते इसे पूंजी संरचना के रखरखाव एवं विकास पर वार्षिक आधार पर भारी निवेश की आवश्यकता है। इसलिए सीएपीईएक्स के पहलू पर उचित विश्लेषण के बाद, एनएससी को लागू दिशानिर्देशों से छूट देने और वर्ष 2020–21 के लिए पीएटी का 30% की दर से लाभांश के भुगतान की अनुमति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से दीपम के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए आपके निदेशकों ने सदस्यों के अनुमोदन हेतु इसकी 58वीं वार्षिक आम बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडएएस के प्रावधानों के अनुसार, पीएटी का 30% की दर से अर्थात रु. 0.73 करोड़ का लाभांश देने की सिफारिश की है।

During the year under review, the Company has not issued any shares or convertible securities with differential voting rights nor has granted any stock options or sweat equity or warrants.

Other Equity

Other Equity decreased to Rs. 60258.15 Lakhs from Rs. 61451.17 Lakhs. During the year retained earnings decreased by Rs. 15.45 Crores to Rs. 579.75 Crores and OCI decreased by Rs. 2.19 Crores to Rs. 23.26 Crores.

(d) Change in status of the Company:

NSC was incorporated during 1963 as a wholly owned Government of India Undertaking with its status of a Private Limited Company under the Companies Act, 1956. During 2013-14, State Farms Corporation of India Limited (SFCI) which was another Government of India Undertaking under the same Ministry of Agriculture and Farmers Welfare was merged with NSC with effect from 01.04.2014. Thus NSC has become a sole Public Sector wholly owned Government Company with large resources.

The Shareholders of the Corporation in the Extra ordinary General Meeting held on 28.02.2020, has converted its status from Private Limited Company to a Public Limited Company and also adopted the new set of Memorandum of Association and Articles of Association. Accordingly, the Registrar of Companies (ROC) has issued a fresh Certificate of Incorporation on 04.04.2020 and thereafter during the F.Y. 2020-21 the shareholders have increased from existing three to eight which includes President of India being the 100% Equity Shareholder of the Corporation alongwith his seven other Nominees who are holding One Equity Share of Rs. 1000/- in the capacity of Nominee of Hon'ble President of India.

Further decision has been taken by the Government of India for off loading 25% of the President of India Equity Shareholding in NSC through IPO route. The Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM) is reviewing the progress in the matter from time to time and has prescribed the timeline for IPO of NSC.

(e) Buy Back of Shares:

There was no buy-back of Shares by the Corporation during the year. Therefore, the information pursuant to Section 68 of the Companies Act, 2013 be treated as **NIL.**

(f) Earnings per equity share **(Face value of Rs.1000/- each.)**

	2020-21	**2019-20**
Basic & Diluted before extraordinary items	42.51	521.97
Basic & Diluted after extraordinary items	42.51	521.97

Reasons for reduction explained in Para 2(b).

(g) Dividend:

As per the Capital Restructuring Guidelines issued by the Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM) the CPSEs are required to pay dividend @ 5% of Net worth or 30% of Profit after Tax, whichever is higher. However NSC being a CPSE engaged in agriculture based activity required huge investment on annual basis on maintenance and development of Capital structure. Hence after justified analysis on the aspect of CAPEX, request has been submitted before DIPAM through Administrative Ministry to exempt NSC from applicable Guidelines and permit the payment of dividend @ 30% of PAT for F.Y. 2020-21.

Your Directors therefore have recommended, for approval of the Members, at its 58th Annual General Meeting, a Dividend @30% of PAT i.e. of Rs. 0.73 Crore for the year ended March 31, 2021 as per the provisions of IndAS.

(ज) ऋणः

निगम ने भारतीय स्टेट बैंक से रू. 75.00 करोड़ की सीमा तक नकदी ऋण (सीसी) लेने की सुविधा प्राप्त की हुई है जिसमें बीजी एवं एलसी लिमिट भी शामिल है। वर्ष के दौरान, निगम ने रू. 419.87 लाख का ब्याज एवं अन्य उधार लागत का भुगतान किया, जबकि पिछले वर्ष रू. 780.93 लाख का ब्याज चुकाया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक के साथ नकद ऋण सुविधा के संबंध में कंपनी की संपत्ति पर सृजित प्रभार को 07 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 290वीं बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन से संशोधित किया गया था। शुल्क में संशोधन का प्रमाणपत्र के लिए कंपनी रजिस्ट्रार ने दिनांक 29.10.2020 को प्रमाणपत्र जारी किया।

(झ) निवेश–

आपके निगम ने 1970 के दशक के दौरान विभिन्न राज्य बीज निगमों (एसएससी) में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से बीज क्षेत्र में व्यापार विवरणिका बढ़ाने और राज्य बीज निगम के साथ बीज प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान के लिए निवेश किया था। निगम का 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी एवं अधिमान्य शेयरों में रू. 3815.21 लाख का निवेश था जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार राज्य बीज निगम के शेयरों की लागत में रू.106.38 लाख के कमी का प्रावधान किया गया। गैर एसोसिएटस कंपनियों के शेयरों का उचित मूल्य पर मूल्याकंन किया जाता है।

इसके अलावा कुल दस राज्य बीज निगमों में से, जहां एनएससी ने निवेश किया था, छह राज्य बीज निगमों में इसकी हिस्सेदारी 20% से अधिक है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (6) के प्रावधानों के अनुसार उन्हें एनएससी की सहयोगी कंपनियां कहा जाता है। हालाँकि, ये निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) और (3) के तहत एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकन के उद्देश्य से एनएससी को अपने लेखा परीक्षित और अनुमोदित वित्तीय विवरण प्रदान करने में असमर्थ हैं, इसलिए आपका निगम इस संबंध में तथ्यों के विवरण के साथ कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण दाखिल कर रहा है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की देखरेख में कई बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें सहयोगी कंपनियों को अपने शेयर वापस खरीदने या संबंधित राज्य सरकारों को अतिरिक्त शेयरहोल्डिंग (यानी 19%) की खरीद के प्रस्ताव के साथ सहयोगी कंपनी से बाहर आने का प्रस्ताव दिया गया है।

हालांकि किसी भी कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसलिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पत्र संख्या 6–12/2015–एसडी–I दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण विभाग के नाम पर छह सहयोगी कंपनियों के एनएससी धारित 50% शेयरों के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ञ) आरक्षित को हस्तांतरित राशिः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(जे) के प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम द्वारा किसी भी रिजर्व में ले जाने के लिए प्रस्तावित राशि, यदि कोई हो, का विवरण निम्नानुसार हैः– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सृजित आरक्षित निधियों का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 22 में दिया गया है

(ट) फार्मों के कार्यः

फार्मों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए वर्ष के दौरान मशीनीकरण, सिंचाई एवं अन्य बुनियादी, सुविधाओं में निरंतर विकास किए गए। वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के तहत क्रमश रू. 9.42 करोड़ एवं रू. 7.66 करोड़ का पूंजीकरण किया गया। हालांकि वर्ष के दौरान सभी फार्मों के कर पूर्व लाभ में 89.40% की कमी हुई हृै जो पिछले वर्ष के रू. 27.64 करोड़ से घटकर इस वर्ष रू. 2.93 करोड़ पर है जैसा कि पैरा 2(ख) में वर्णित है कि यह कमी उत्पादन सब्सिडी के लेखाकंन में परिवर्तन के कारण हुआ है।

2020–21 के दौरान पिछले वर्ष के 2.40 लाख क्विंटल के मुकाबले कुल कच्चे बीज का उत्पादन 2.22 लाख क्विंटल रहा, कुल उत्पादन में यह कमी मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य फार्म हिसार, सरदारगढ़ और जैतसर में हुई, जहां फसल अवधि के दौरान विशेष रूप

(h) Loans:

The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 419.87 Lakhs in comparison to Rs. 780.93 Lakhs in the previous year.

During the year under review, the Charge created on the property of Company with respect to the Cash credit facility with State Bank of India was modified with the approval of the Board of Directors in its 290th Meeting held on 07th July, 2020. The Certificate of Registration for modification of Charge was issued by the Registrar of Companies vide Certificate dated 29.10.2020.

(i) Investment:

Your Corporation had made investment in various State Seeds Corporations (SSCs) during 1970s out of the Funds provided by the Government of India under National Seeds Project (NSP) Scheme to enhance the business prospectus in seed sector and exchange of seed technology with State Seeds Corporations. The total investment in equity and preference shares as on 31st March, 2021 is Rs. 3815.21 Lakhs. Out of which provision for diminution in value of shares of Rs. 106.38 Lakhs of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. Non-Associate Companies Shares valued at Fair value.

Further out of total ten State Seeds Corporations where NSC had invested, its Shareholding in six State Seeds Corporations is more than 20 % and thus as per provisions of Section 2(6) of the Companies Act, 2013 they are termed as Associate companies of NSC. However, since these Corporations are unable to provide their Audited and approved Financial Statements to NSC on time for the purpose of Consolidation with the Financial Statements of NSC u/s 129(2) & (3) of the Companies Act, 2013, your Corporation is filing its Standalone Financial Statements with Registrar of Companies with the Statement of facts in this regard with the approval of the Board.

Various meetings have been conducted including the meetings under the supervision of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare with proposal to the Associate companies to Buy back their shares or purchase of excess shareholding (i.e. above 19%) by the respective State Government, to come out of the purview of Associate company.

However no positive response is received from any company. Therefore, the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare vide letter no. 6-12/2015-SD-I dated 24.08.2021 has approved the transfer of 50% shares held by NSC in the six Associate Companies in the name of the Department of Agriculture & Farmers Welfare. Necessary actions are being taken in accordance with the approval of the Ministry.

(j) Amount transferred to Reserves:

In accordance with the provisions of the Section 134(3)(j) of the Companies Act 2013 the amounts, if any, which it proposes to carry to any reserves by your Corporation during the year under review is detailed as under:- The Reserves created during the F.Y. 2020-21 are detailed in Note No. 22 of the Financial Statements forming part of the Annual Report.

(k) Working of the Farms:

During the year in order to improve the performance of the Farms, continuous process of mechanization and irrigational and other infrastructural developments have been carried out under which capitalization worth Rs. 9.42 Crores and Rs. 7.66 Crores were done during 2019-20 & 2020-21 respectively. However Profit before tax for the Farms combined during the year has decreased by 89.40 % from Rs. 27.64 Crores during the previous year to Rs.2.93 Crores during the year 2020-21 due to change in Accounting of Production Subsidy, as mentioned in para 2(b).

During 2020-21 total raw seed production remained 2.22 Lakh quintals against the 2.40 Lakh quintals of previous year, this shortfall in total production happened mainly in Central State Farms Hisar, Sardargarh and Jetsar due to

से रबी मौसम में वर्षा बहुत कम हुई थी। आगे नहर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर था, इसलिए सिंचाई सुविधाओं के आभाव में उत्पादन में कमी हुई।

3. बीज उत्पादन क्रियाकलापः

भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद (आईसीएआर) के आबंटन के अनुसार, एनएससी अपने फार्मों पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई किस्मों का परीक्षण स्टॉक का उत्पादन कर रहा है ताकि समय पर प्रजनक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और विभिन्न प्रकार की फील्ड परिस्थितियों के तहत किस्मों की निष्पादन की जांच हो सके। इसके अलावा, संबंधित फसल अनुसंधान संस्थान/आईसीएआर के निदेशालय द्वारा दिए गए आबंटन के अनुसार कुछ किस्मों का प्रजनक बीज भी फार्मों पर उत्पादित किया जा रहा है। आधारीय बीज का अधिकांश उत्पादन फार्मों पर किया जाता है ताकि बीज बढ़ोत्तरी के लिए अनुवांशिकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से 621 से अधिक किस्मों/संकर से युक्त 80 फसलों जैसे अनाज, तिलहन, दलहन, बाजरा, चारा, रेशा, हरी खाद के गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें सब्जी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है, इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। टेस्ट स्टॉक, प्रजनक बीज एवं आधारीय बीज उत्पादन के बाद शेष बचे खेतों में प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जाता है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए इनपुट लागत सुनिश्चित करने हेतु, उच्च उत्पादकता और विभिन्न जैविक और अजैविक तनाव प्रतिरोधी नईं किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तद्नुसार वर्ष 2020–21 में विभिन्न फसलों की 37 नई किस्मों को जोड़ा गया है। इस प्रकार वैराइटल प्रतिस्थापन दर में मदद मिल रही हैं, जोकि विभिन्न शासकीय योजनाओं में बीज घटक का महत्वपूर्ण मिशन है। वर्तमान में, बाजार की आवश्यकता के आंकलन के अनुसार नई किस्मों की लगभग 67 प्रतिशत नई किस्मों का बीज उत्पादन (10 वर्ष की आयु के भीतर) किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसलों की बायोफोटिवाईड किस्मों का भी उत्पादन किया जा रहा है।

निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीजों की आपूर्ति के लिए बीज उत्पादन हेतु लागू योजनाओं तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की निम्नलिखित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा हैः–

1. एनएफएसएम–तिलहन के अंतर्गत तिलहनों की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
2. एनएफएसएम–दलहन के अंतर्गत दलहनों की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
3. एनएफएसएम–वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत पटसन बीज की नई किस्मों का उत्पादन।
4. एनएफएसएम– पोषक–अनाजों के अंतर्गत पोषक अनाजों की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
5. एसएमएएफ योजना के तहत वाणिकी पौध रोपण।

निगम ने वर्ष के दौरान एनएफएसएम – तिलहन के अंतर्गत लगभग रू. 33.00 करोड़, एनएफएसएम–दलहन के तहत रू. 55.92 करोड़, एनएफएसएम–पटसन के तहत रू. 02.05 करोड़, एनएफएसएम– पोषक अनाजों के तहत रूय 03.04 करोड़ एवं एसएमएएफ योजना के तहत रू. 5.74 लाख के लिए एएपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया हैं।

एनएससी के पास 08 फार्मों यानि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर (राजस्थान), हिसार (हरियाण), रायचूर (कर्नाटक), नालहाट्टी (पश्चिम बंगाल), बलियपुर (झारखंड) एवं सुकिंदा (उड़ीसा) के तहत कुल 22,182 हैक्टेयर अधिकारिक क्षेत्रफल है। वर्ष 2020–21 के दौरान, 21707.33 हैक्टयर क्षेत्र में बुवाई की गई एवं रबी व खरीफ मौसम में 2.22 लाख कु. कच्चे बीज का उत्पादन किया गया। अधिकांश फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं इसलिए उत्पादन में पानी की अधिकतर समस्या बनी रहती है। इन्हीं बाधाओं के कारण राज्य प्राधिकरण को बलियापुर फार्म को वापस करने का निर्णय लिया गया है। इस फार्म पर परिचालन कार्य बंद कर दिया गया है।

फलीय फसलों की पौधः– फार्मों की नर्सरी में किसानों को आपूर्ति करने के लिए अमरूद, अनार, किन्नू, आम, आंवला इत्यादि, फूल एवं वानिकी पौधों का उत्पादन भी किया जा रहा है। सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर एवं हिसार फार्म के 228 है. क्षेत्र में फलीय फसलों के बगीचे भी स्थापित किए गए हैं।

lack of irrigation water. Total rainfall received during the cropping period particularly in Rabi season was very less and the construction work of Canal was under progress. Thus due to deprivation from irrigation water facilities decrease in production witnessed.

3. SEED PRODUCTION ACTVITIES:

The Corporation is producing Test Stock seed of newly identified varieties developed by Scientists & Researchers under the National Agricultural Research System (NARS) at the Farms of NSC as per mandate given by ICAR, to ensure timely availability of Breeder Seed and also to check the performance of varieties under field conditions. The Breeder Seed of some of varieties is also being produced at the Farms as per the allocation made by concerned Crop Research Institute/Directorate of ICAR. Most of the Foundation Seed production is undertaken at the Farms to ensure genetic purity of seed for further multiplication.

Quality certified seed production of 80 crops consisting of 621 varieties/hybrids comprising of Cereals, Oilseeds, Pulses , Millets, Fodder, Fibres, Green Manure and a wide range of Vegetable crops is taken through registered seed grower farmers, thus creating Public Private Partnership (PPP) opportunities in the Agriculture Sector. Certified Seed production is implemented at NSC Farms in the land left after allotment to test stock, breeder seed and foundation seed production.

The focus on Production is to produce high quality seed of new varieties having higher productivity and having resistance to various biotic and abiotic stresses, to ensure lower input costs thereby increasing farmer's income. Accordingly, 37new varieties of different crops were added in Financial Year 2020-21. Thus, enhancing the Varietal Replacement Rate (VRR) which is important mission of the seed component in various Government schemes. Presently, seed production of around 67% of newer varieties (within 10 years age old) being carried out as per the assessment of market requirements. The seed production of Bio-fortified varieties of various crops has also been done to ensure nutritional security along with food security.

The Corporation is also actively implementing the Annual Action Plan (AAP) for seed production for supply of seed to important programmes/Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as detailed below :-

1. Seed Production of new varieties of Oilseeds under NFSM-Oilseeds.
2. Seed Production of new varieties of Pulses under NFSM-Pulse.
3. Seed production of new varieties of Jute Seed under NFSM-Commercial crops.
4. Seed production of new varieties of Nutri-Cereals crops under NFSM -Nutri-Cereals.
5. Plantation of Forestry Plants under S.M.A.F. Scheme.

The Corporation ensured implementation of AAP for about Rs. 33.00 Crores under NFSM-OS, Rs. 55.92 Crores under NFSM-Pulse, Rs. 2.05 Crores under NFSM-Jute, Rs. 3.04 Crores under NFSM-Nutri-Cereals and Rs. 5.74 Lakhs under S.M.A.F. Scheme.

NSC is having 8 Nos. Farms i.e. Central State Farm Suratgarh, Sardargarh, Jetsar(Rajasthan), Hisar (Haryana), Raichur(Karnataka), Nalhati (W.B.), Baliyapur (Jharkhand) and Sukinda (Odisha) with total area under possession 22182 ha. During the year 2020-21, 21707.33 ha. area was sown and 2.22Qtls. raw seed was produced in both Kharif & Rabi season. Most of the Farms are situated on the tail end of Canal, therefore the water availability is major constraint in the production. Due to various constraints, a letter to surrender the Baliyapur farm has been issued to the State authorities and no activities carried out in the farm.

Saplings of Fruit crops – Citrus, Guava, Pomegranate, Mango, Aonla etc., Flowers and Forestry trees are being produced in Nurseries at the Farms, for supply to the farmers. Fruit Crops Orchards are also established in an area of 228 ha. at four Farms i.e. Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Hisar.

4. गुण नियंत्रण

क. एनएससी की प्राथमिकता कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए फसल किस्मों एवं संकर किस्मों की व्यापक श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना है। भारतीय न्यनूतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार खेत स्तर के साथ–साथ बीज स्तर पर कठोर गुण नियंत्रण के उपायों का पालन किया जा रहा है तथा किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुरूप ही बीज लॉट का प्रापण किया जा रहा है।

भारतीय न्यनूतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार एनएससी के पास 04 प्रयोगशालाएं है जैसे नई दिल्ली, भोपाल, सूरतगढ एवं सिकन्दराबाद, जिनकी प्रतिवर्ष लगभग 25000 नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता है। इसके अलावा, संकर बीजों की अनुवांशिकी शुद्धता के परीक्षण के लिए नई दिल्ली में एक डीएनए फिंगरप्रिटिंग प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। आधारीय एवं संकर बीजों की अनुवांशिकी शुद्धता का पता लगाने के लिए 6 गोट फार्म (ग्रो आउट टेस्ट हेतु) विभिन्न स्थानों यानी केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर (राजस्थान), हिसार (हरियाण), रायचूर (कर्नाटक), नालहाट्टी (पश्चिम बंगाल) और सुकिंदा (उड़ीसा) में स्थापित किए गए हैं।

प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एनएससी, अतंराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) का सदस्य है एवं अतंराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

फील्ड स्तर पर बीजों की गुणवत्ता शिकायतों को निवारण के लिए एनएससी के पास उचित तंत्र है। जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका तत्काल निवारण किया जाता है। बीज स्टॉक की पहचान के लिए एक नियमित प्रणाली भी है, जो स्टॉक प्राकृतिक प्रक्रिया में अमानक बन जाते हैं, उस स्टॉक को गुणवत्ता नियंत्रण उपायों से गैर बीज के रूप में निपटान हेतु कार्रवाई की जाती है। खेत स्तर पर एवं प्रयोगशाला में गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए नए जनशक्ति सेटअप के तहत गुणवत्ता नियंत्रण कमियों का एक विशिष्ट संवर्ग बनाया गया है।

ख. प्रस्वीकरण–आईएओ 9001 एवं ईएमएस 14001 :

एनएससी को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमशः 19.03.2007 और 21.03.2009 से प्रमाणित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएससी, मैनुअलों में निहित प्रावधानों और विशिष्ट प्रकियाओं का पालन कर रही है, आंतरिक तथा बाहरी लेखा परीक्षकों से वार्षिक लेखा परीक्षा करवाई जाती है। इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, एनएससी को क्यूएमएस, आईएसओ 9001 एवं ईएमएस, आईएसओ 14001 के लिए पुनः प्रमाणित किया गया है।

5. विपणन क्रियाकलापः

विशेषताएं

क. वर्ष 2020–21 के दौरान प्रमाणित / गुणवत्ता बीजों का कुल कारोबार निम्न प्रकार से हैंः–

(मूल्य रु. लाख में)

2020-21	2019-20
98005.00	94070.00

उपर्युक्त लागत में डीलरों का कमीशन शामिल है। वर्ष 2020–21 के टर्नओवर में 4.18% की मामूली वृद्धि हुई है।

ख. बिना सब्सिडी की बीज बिक्री

(कारोबार का %)

2020-21	2019-20	प्रतिशत वृद्धि
86.12	85.44	0.80

ग. चैनलवार बीज बिक्री

(कारोबार का %)

2020-21		2019-20	
सरकारी ऐजेंसी	गैर सरकारी ऐजेंसी	सरकारी ऐजेंसी	गैर सरकारी ऐजेंसी
64.08	35.92	59.77	40.23

4. QUALITY CONTROL:

A. NSC's priority is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity. Strict quality control measures are followed as per Indian Minimum Seed Certification Standards (IMSCS-2013) at field level as well as at seed storage places and the seed lots confirming to standard of IMSCS-2013 are only procured to ensure quality seeds to the farmers.

NSC has 4 Quality Control Laboratories for ascertaining the quality parameters as per IMSCS- 2013. Laboratories are established at New Delhi, Secunderabad, Bhopal and Suratgarh which have capacity to test around 25000 samples per annum. In addition, a DNA finger printing lab is also established at New Delhi for testing of Genetic purity of Hybrid seeds. 6 Grow Out Test (GOT) Farms are also established at different locations i.e. CSF- Jetsar, Sardargarh, Suratgarh (Rajasthan), CSF-Hisar (Haryana), CSF-Raichur (Karnataka) and CSF-Sukinda (Odisha) for Grow Out Test for ascertaining the Genetic Purity of Hybrids & Foundation Seed.

NSC is a Member of ISTA for participating in proficiency test and accreditation from ISTA is under process.

NSC has proper mechanism to redress the quality complaints in respect of seed at field level. The complaints are immediately redressed as and when received. There is also a regular system of identifying the seed stocks which have become sub-standard in the natural process and action is taken for its disposal as non seed as one of the quality control measures. To further monitor the quality parameters at field and lab a specific cadre of quality control personnel has been created under new manpower setup.

B. RECOGNITIONS: ISO 9001 and EMS 14001:

NSC is certified for Quality Management System and Environment Management System since 19.03.2007 and 21.03.2009 respectively. In order to ensure that NSC is following the provisions contained in the manuals and following the specified process, internal and external audit is conducted annually. As a result of this audit, NSC has been recertified for QMS ISO 9001 and EMS ISO 14001.

5. MARKETING ACTIVITIES:-

HIGHLIGHTS

a. The turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2020-21 is as under.

(Value Rs. in Lakhs)

2020-21	2019-20
98005.00	94070.00

The above value is inclusive of dealers' commission. There is marginal increase of 4.18% in turnover of the year 2020-21.

b. Seed sold without subsidy

(%age of turnover)

2020-21	2019-20	% Increase
86.12	85.44	0.80

c. Channel wise Seed Sale

(%age of turnover)

2020-21		2019-20	
Govt. Agencies	Non. Govt Agencies	Govt. Agencies	Non. Govt Agencies
64.08	35.92	59.77	40.23

घ. सब्जी बीजों की बिक्री

(कारोबार का %)

2020-21	2019-20	% वृद्धि
9.11	6.83	33.38

ङ. नई किस्मों/योजनाओं के अंतर्गत बिक्रीः

निगम ने एनएफएसएम (ओएस एंड ओपी) के अंतर्गत तिलहन एवं एनएफएसएम के तहत दलहन के मिनिकिटों की आपूर्ति की है। इस प्रकार किसानों को किस्म प्रतिस्थापन दर में सुधार के लिए मिशन के रूप में नई किस्मों को अपनाने की सुविधा प्राप्त हुई।

(मूल्य रु. लाख में)

योजना	2020-21#	2019-20
एनएफएसएम (ओएस एवं ओपी)*	2412	1275
एनएफएसएम (दलहन)	1684	2866

* पहले एनएमओओपी के नाम से जाना जाता था

\# प्रस्तावित दर पर अनुमानित

च. निगम ने किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति की है जिनमें शामिल हैं:–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं तेल पॉम) – तिलहन
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) – चावल, गेहूं, दलहन, पोषक अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें (जूट)
3. एनएफएसएम– सीड विलेज स्कीम (बीज ग्राम योजना)

छ. निगम ने कृषि विस्तार एवं प्रोद्योगिकी के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए बीज एवं रोपण सामग्री के उप–मिशन में भाग लियाः–

1. **राष्ट्रीय बीज आरक्षितः** कृषि जलवायु के प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजों को बिक्री/आपूर्ति के लिए बीजों को आरक्षित में रखा जाता है।

(मूल्य रु. लाख में)

2020-21	2019-20
377.99	299.41

2 परिवहन सब्सिडीः दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।

(मूल्य रु. लाख में)

2020-21	2019-20
243.07	254.05

ज अन्य गतिविधियां

(i) आयात लाईसेंस जारी करना

एनएससी ने भारत सरकार की ओर से निजी बीज कंपनियों/डीलरों को आयात लाईसेंस जारी किएः–

वर्ष	नया	नवीकरण	कुल
2020-21	26	45	71
2019-20	15	42	57

d. Sale of Vegetable Seeds

(%age of turnover)

2020-21	2019-20	% Increase
9.11	6.83	33.38

e. Sales under New Varieties / Schemes:-

The Corporation has supplied minikits of Oilseeds under NFSM (OS & OP) and Pulses under NFSM. Thus facilitating adoption of newer varieties by farmers as a mission for improving Varietal Replacement Rate (VRR).

(Value in Rs. Lakhs)

Scheme	2020-21#	2019-20
NFSM (OS&OP)*	2412	1275
NFSM (Pulses)	1684	2866

* Earlier known as NMOOP
# Estimated at proposed rate

f. The Corporation has supplied seeds to various State Govts. under important Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India. These includes:-

i) National Food Security Mission (Oil Seeds & Oil Palm)- Oilseeds.
ii) National Food Security Mission (NFSM)- Rice, Wheat, Pulses, Nutri cereals and Commercial Crops (Jute).
iii) NFSM- Seed Village Scheme (Beej Gram Yojna)

g. The Corporation has participated in the Sub-Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the components of:-

i. **National Seed Reserve:** The Seeds are kept in reserve for strengthening contingency measures to supply seeds in situation of agro climatic aberrations.

(Value in Rs. Lakhs)

2020-21	2019-20
377.99	299.41

ii. Transport subsidy: For ensuring seed supplies to the farmers in difficult hilly areas and North Eastern States of India.

(Value in Rs. Lakhs)

2020-21	2019-20
243.07	254.05

h. Other activities:

i) Issue of Import License:

NSC has issued Import licenses on behalf of Government of India to the Private Seed Companies/Dealers as under:

Year	New	Renewal	Total
2020-21	26	45	71
2019-20	15	42	57

(ii) डीलर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरणः

दूर–दराज के क्षेत्र में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आपके निगम ने 339 नए डीलरों को नियुक्त करके अपने डीलरशिप नेटवर्क को मजबूत किया है, जिससे कुल संख्या 2958 हो गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

(नये नियुक्ति डीलरों की संख्या)

2020-21	2019-20	31 मार्च, 2021 तक कुल डीलर
339	411	2958

(iii) निगम ने वर्ष के दौरान, बीज भवन, कृषि भवन, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा फार्मों के बीज बिक्री केंद्रो से बीज के छोटे दानों, शेष बचे बीजों इत्यादि अर्थात गेहूं का आटा, बासमती चावल, काबुली चना एवं सरसों के तेल इत्यादि की 432 कुं. मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री की है।

(iv) वर्ष के दौरान निगम ने 1166.80 कु. गुणवत्ता वाले समृद्ध चारा ब्लॉकों की रू.14.78 लाख में बिक्री की है।

(v) निगम ने कम मात्रा उच्च मूल्य वाले सब्जी बीज खंड पर ध्यान केंद्रित करके विपणन में जोखिम प्रबंधन को ऋणनीतिक रूप दिया है।

(vi) वर्ष 2020–21 के दौरान निगम ने रू. 8.49 लाख के मत्स्य बीजों की बिक्री की।

i. प्रचार एवं प्रसार कार्य :

विपणन विभाग ने एनएससी ब्रांड "फार्म सोना बीज" को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा किसानों और डीलरों को सीधे बीज बिक्री के लिए तार्किक एवं नवीन विपणन गतिविधियों को अपनाया है। इस संबंध में, जीप अभियान, नए उत्पादों का प्रदर्शन, क्षेत्र दिवस, किसानों / डीलरों की बैठक, कृषि मेला और प्रदर्शनियों और तालुका स्तर पर डीलरों की नियुक्ति के साथ–साथ किसानों एवं डीलरों को एनएससी उत्पादों से संबंधित पत्रकों, पर्चों का वितरण किया गया। हालांकि, कोविड–19 के कारण, इस वर्ष कम प्रचार–प्रसार रहा। यद्यपि मीडिया/सामाजिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने पर बल दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः –

विवरण	संख्या/कुल
क्षेत्र दिवस (संख्या)	13
प्रदर्शनी (संख्या.)	03
जीप अभियान (संख्या.)	60
डीलरों की बैठक (संख्या.)	15
किसानों की बैठक (संख्या.)	11
कृषि मेला प्रदर्शनी (संख्या.)	5
कुल	**107**

ञ. नई पहलः–

विपणन खंड में, आपके निगम ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आंगनवाड़ी को 51.53 करोड़ रुपये के सब्जी मिनीकिट, चारा मिनीकिट की आपूर्ति के लिए पहल की है।

ii) Strengthening of Dealers Network:

To ensure seed availability in the remotest area, your Corporation has strengthen its dealership network by appointing 339 new Dealers taking the total figure to 2958 as detailed below:

(No. of new dealers appointed)

2020-21	2019-20	Total Dealers as on 31st March, 2021
339	411	2958

iii) During the year, your Corporation has sold approximately 432 qtls. of value added products namely Wheat Flour, Basmati Rice, Mustard Oil etc., produced from undersized, unsold seeds etc. from NSC's outlets at Beej Bhawan, Krishi Bhawan, Regional Offices and Farms.

iv) During the year, your Corporation has sold 1166.80 qtls. of quality enriched fodder blocks amounting to Rs. 14.78 Lakhs.

v) The Corporation has strategized Risk Management in Marketing by focusing on low volume, high value vegetable seed segment.

vi) Fish Seed sold worth Rs. 8.49 Lakhs during 2020-21.

i. Promotion and Publicity work:

Marketing Division has taken up the aggressive & innovative marketing activities for popularizing the NSC Brand Farm Sona seeds and also for sale of seeds directly to the farmers and dealers. In this regard, jeep campaigning, demonstration of new products, field days, farmers/ dealers meetings, Krishi Mela & exhibitions and the appointment of dealers at Taluka level were arranged alongwith distribution of leaflets, pamphlets about NSC products to the farmers and dealers. Due to COVID-19 situation, very few promotional activities at filed level could be organized. However, emphasis was given on publicity through mass/social media. The details of activities for Financial Year 2020-21 are as under:-

Particulars	Nos./Total
Field day (Nos.)	13
Demonstration (Nos.)	03
Jeep Campaign (Nos.)	60
Dealers Meeting (Nos.)	15
Farmers Meeting (Nos.)	11
Krishi Mela Exhibition (Nos.)	5
Total	**107**

j. New Initiative:-

In the Marketing segment, your Corporation has taken the initiative for Supply of vegetable minikits to aangan wadi and fodder minikits under National Livestock Mission worth Rs. 51.53 Crores.

6. अभियांत्रिकी एक नजर में:

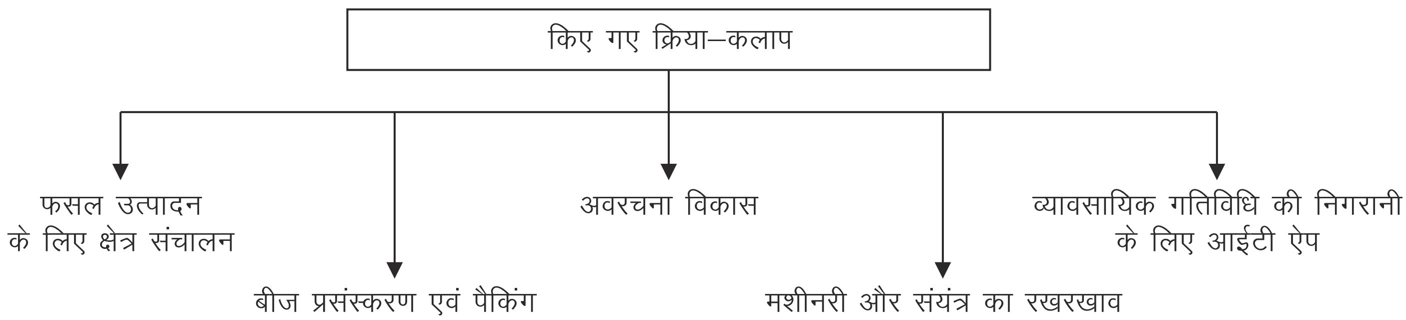

1.

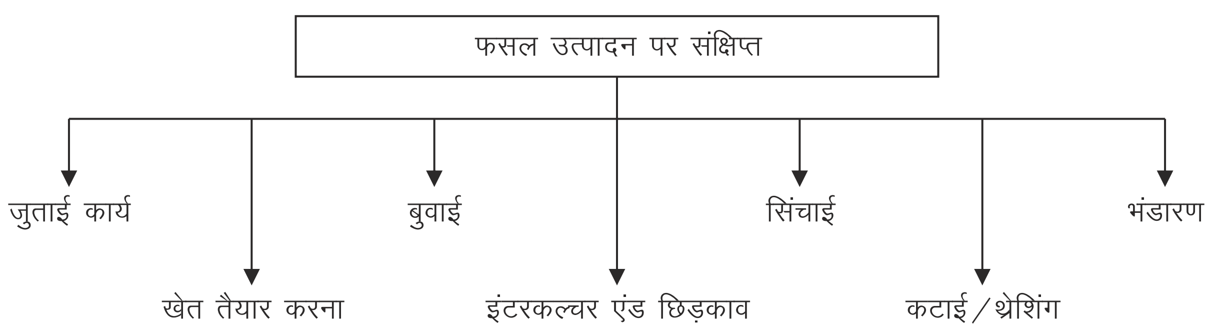

उपर्युक्त गतिविधियों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निगम, अपने स्वयं की स्थापित कार्यशालाओं, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं तथा बीज प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा मशीनों एवं उपकरणों के एक बड़े बेड़े का रख–रखाव कर रहा है।

कृषि कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निगम ने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मशीनों को अद्यतन/प्रतिस्थापित किया व बदला है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 तक की स्थिति
1.	बीज प्रसंस्करण क्षमता (एमटी)	2376200
2.	बीज भंडारण क्षमता (एमटी)	1574700
3.	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (हेक्टेयर/संख्या)	2296/42

2. **बीज प्रसंस्करण :** फसल कटाई के पश्चात कच्चे बीज को गहाई केन्द्रों तक लाया जाता है। प्रत्येक फार्म पर मोबाईल/प्री–क्लीनर्स की सहायता से उत्पाद को सुखाया जाता है व प्रारंभिक सफाई की जाती है। प्रारंभिक सफाई के पश्चात बीजों को बीज विधायन संयंत्रों में प्रसंस्करण एवं ग्रेडिंग के लिए स्थानातंरित किया जाता है।

पिछले 05 वर्षों में बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रतिस्थापनः–

वित्तीय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क्षमता (टीपीएच में)	4	8	8	16	14

6. ENGINEERING AT A GLANCE:-

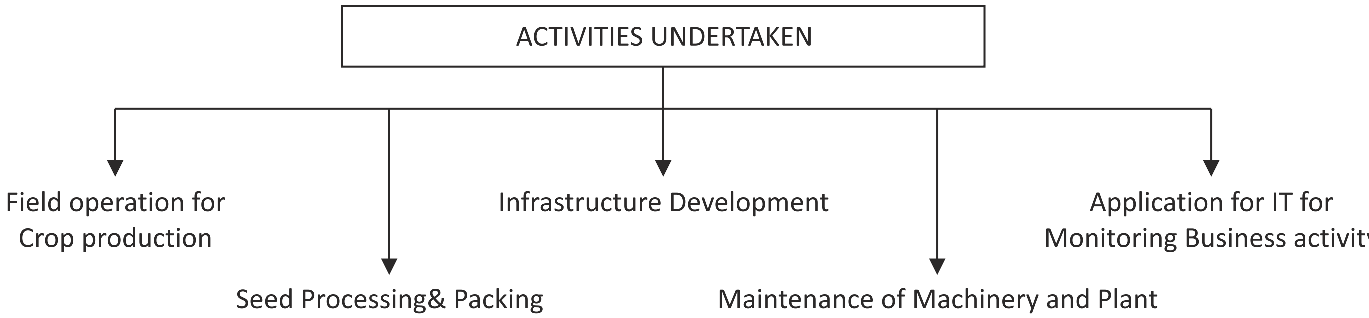

1.

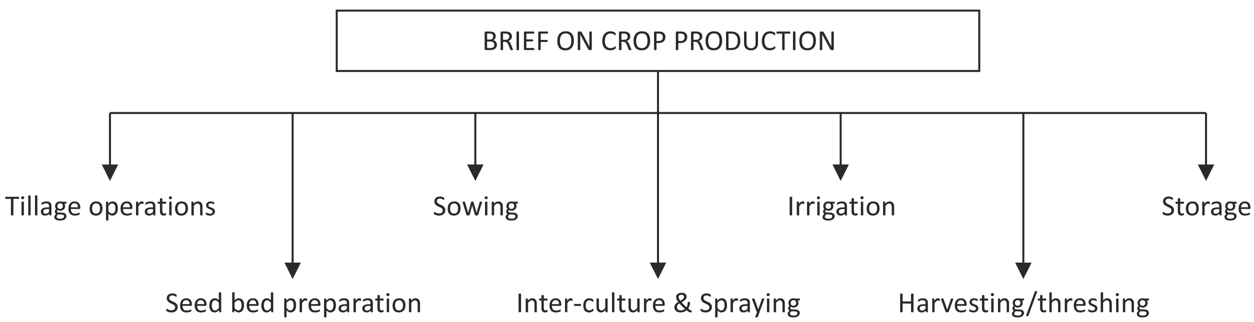

To complete the above activities successfully in time, Corporation is maintaining large fleet of Machinery, Implements, its repairs & maintenance facility by own established workshops, modern Irrigation Systems, Post-Harvest facilities and Seed Processing Plants.

In order to facilitate agriculture operations more effectively, **the Corporation has installed/ upgraded & replaced various machineries at different locations, descriptions of which are as below:-**

S.No.	Particulars	Status as on 31.03.2021
1.	Seed Processing Capacity (MT)	2376200
2.	Seed Storage Capacity(MT)	1574700
3.	Micro Irrigation System (ha/Nos)	2296/42

2. **SEED PROCESSING:** After harvesting of the crop, raw seed is brought to the threshing floors. Drying & preliminary cleaning of produce is being done with the help of Mobile/Pre-cleaners at each Processing Unit. After pre-cleaning, the produce is shifted to Seed Processing Plants for processing/ grading.

REPLACEMENT OF PROCESSING PLANTS IN LAST 5 YEARS:

F.Y	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Capacity (in TPH)	4	8	8	16	14

3. **सिंचाई एवं जल निकासी :** सभी फार्मों पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित सूरतगढ़ व सरदारगढ़ फार्म तथा हरियाणा में हिसार फार्म की सिंचाई भाखड़ा नहर के पानी से की जाती है व राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित जैतसर फार्म इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी प्राप्त करता है। रायचूर फार्म तुंगभद्रा के पश्चिमी किनारे की नहर से पानी प्राप्त करता है। सभी फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं तथा अधिकृत जल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फार्म पर जमीन का पानी खारा है और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। नहर के पानी को ध्यान में रखते हुए सूरतगढ़ / सरदारगढ़ और जैतसर फार्मों के नहर किनारे 07 उथले / गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं।

सिंचाई के पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया गया है। 314 है0 क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है तथा 600 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रक्रियाधीन है। सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं।

(रु. लाख में)

1.	जल संग्रहण टैंक	01 नग.	91.30
2.	नालियों का पलस्तर	14.22 कि.मी	337.78
3.	गहरे नलकूप	07 नग.	17.00
	कुल		**446.08**

4. **फार्म संरचना :** रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं की निधि से निम्नलिखित कार्य किए गए :

विवरण	संख्या/क्षमता	राशि (रु. लाख में)	टिप्पणी
बीज भंडारण गोदाम	05 नग/10000 एमटी	546.28	बीजों के सुरक्षित भंडारण के लिए।

5. **नवीन परियोजनाएं :-**

- पानी की कमी को देखते हुए, आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विस्तार अन्य अधिक क्षेत्र में किया जाएगा।
- एनटीपीसी के सहयोग से केराफा, जैतसर में 340 हैक्टेयर पर अकृषि योग्य भूमि पर 160 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
- एनएससी फार्मों पर जल संचयन सरंचनाओं का निर्माण।
- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन योजना के अंतर्गत फार्म मशीरनी का प्रदर्शन।

6. **आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण :**

क. बीज भंडार गृहों एवं संयंत्र भवनों का निर्माण:

एनएससी ने वर्ष 2020-21 के दौरान आधुनिक तकनीक से 01.00 लाख क्विंटल बीज भंडारण क्षमता को बढ़ाया। उचित हवादार बनाए रखने के लिए तथा पक्षियों के घोसलों से बचने के लिए भंडारण गोदामों की छत का निर्माण टर्बो वेटिलेंटरों के साथ कम गैल्वैल्यूम शीट से किया गया है। एनएससी के पास 31 मार्च, 2021 तक 15.62 लाख क्विंटल की बीज भंडारण क्षमता एवं 12,100 क्विंटल के लिए अतिरिक्त वातानुकूलित बीज भंडार क्षमता है।

ख. बीज प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण :

पुराने बीज प्रसंस्करण संयंत्र, जिनका उपयोगी जीवन पूर्ण हो चुका था उन्हें अनुपयोगी किया गया है तथा उनके स्थान पर धूल मुक्त वातावरण रखने तथा बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीक के नए प्रसंस्करण संयंत्र प्रतिस्थापित किए गए हैं। प्रसंस्करण संयंत्रों को पीएलसी आधारित नियंत्रण कक्ष के साथ निर्मित किया गया हैं। एनएससी के पास 31.03.2021 तक वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 23.76 लाख क्विंटल हो गई है।

3. **IRRIGATION AND DRAINAGE:** All the farms are irrigated through canal. Suratgarh and Sardargarh Farms located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan and Hisar in Haryana receive water through Bhakra canal system and Jetsar Farm located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan receive water through Indira Gandhi Nahar Pariyojna. Raichur Farm receives water through Tungabhadra Left Bank Canal. Farms are located at the tail end of the canal system and not getting authorized discharge. The ground water is brackish and unfit for irrigation at Farms. To supplement with canal water, 07 Nos. Deep tube wells have been installed alongside the bank of canals at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms.

Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks were constructed and Micro Irrigation Systems have been installed in total area of 314 Ha (installed) & 600 Ha. (is under process of procurement) to increase the irrigation potential, following works were taken up during the year:

			(Rs. in Lakhs)
1.	Water Storage tank	01 no.	91.30
2.	Lining of water courses	14.22Kms	337.78
3.	Deep tube wells	07nos.	17.00
	Total		**446.08**

4. **FARM STRUCTURES:** The following works were carried out during the reporting period with the grant received from DAC & FW and with own funds:

Description	No./Capacity	Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
Seed Storage Godowns	05/10000 MT	546.28	For safe storage of seeds.

5. **INNOVATIVE PROJECTS :-**

- Looking to the shortage of water, improved Micro Irrigation System will be extended in large area.
- Solar Power plant of capacity 160 MW shall be established at CSF Jetsar by NTPC in the uncultivable land covering 340 hectares.
- Construction of Water Harvesting Structures at NSC Farms.
- Demonstration of Farm Machineries under the scheme on Sub-Mission on Agricultural Mechanization is in process.

6. **STRENGTHENING OF INFRASTRUCTURE**

a. **Construction of Seed Storage Godowns and Seed Processing Plant buildings:**

NSC added Seed storage capacity of 1,00,000 Qtls. during the year 2020-21 by constructing with modern technique. To maintain the proper ventilation and to avoid the sheltering of birds, the roof of the Storage Godowns were constructed with support less galvalume sheet with turbo ventilators. The total storage capacity as on 31.03.2021 is 15.62 lakh Qtls. and additional Air conditioned seed storage capacity of 12100 Qtls.

b. **Creation of seed processing capacity :**

The processing plants which were outdated and completed their economical useful life were condemned and replaced by new processing plants of the latest technology to maintain dust free environment and improving the quality of seeds. The processing plants were erected with PLC-mimic based control panel. As on 31.03.2021 annual processing capacity is 23.76 Lakh Qtls.

ग. सिंचाई सुविधाओं का निर्माण

यद्यपि फार्मों का भूमिगत जल खारा है जो सिंचाई के लिए सीधे उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है, किन्तु नहर के पानी की कमी को देखते हुए, एनएससी, जल बहाव (डिस्चार्ज) तथा अधिक उत्पादन के लिए जल स्रोतों में पानी की पूर्ति हेतु नहर के किनारे नलकूप स्थापित कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने फार्मों में 07 नलकूपों का निर्माण किया। इस प्रकार एनएससी के पास 31.03.2021 तक कुल 172 नलकूप हो गए है।

घ. निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता :

एनएससी भारत सरकार के निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडेल ऐजेंसी है। इस योजना के तहत पूरे देश में 651 लाभार्थियों ने एनएससी के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त की है। इस योजना के माध्यम से दिनांक 31.03.2021 तक निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 160.52 लाख टन कु. प्रसंस्करण क्षमता तथा 60.05 लाख कु. बीज भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। वर्ष के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों के लिए पहली किस्त की धनराशि जारी नहीं की गई तथा मंत्रालय के निर्देशानुसार पहली किस्त के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए विगत वर्ष से, कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं बढ़ाई गई।

ड. परामर्शी सेवा:

एनएससी अपने कार्यों के अलावा, विभिन्न राज्य एंजेसियों को परामर्शी सेवाएं एवं प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

क्रमांक	कार्य का नाम	एजेंसी
1.	बिहार राज्य में बीआरबीएन के 05 स्थानों पर कुल 15000 मीट्रिक टन गोदाम के लिए डीह्यूमिडिफायर की आपूर्ति, स्थापना और चालू करना।	बीआरबीएन, पटना
2.	बिहार राज्य में बीआरबीएन के 32 स्थानों पर 1 टीपीएच प्रसंस्करण संयंत्र और मशीनरी + 500 मीट्रिक टन गोदाम की स्थापना।	बीआरबीएन, पटना
3.	कुदरा (कैमूर), बिहार में 8 टीपीएच प्रसंस्करण संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग।	बीआरबीएन, पटना

च. सूचना प्रौद्योगिकी:

व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, एनएससी ने मोबाइल ऐप के साथ–साथ संपूर्ण कृषि प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सॉफ्टवेयर (ईआरपी–एएमएस) विकसित करते हुए एक नई पहल की है। यह सॉफ्टवेयर संपूर्ण बीज उत्पादन (क्षेत्रीय कार्यालय और फार्म) श्रृंखला, विपणन और बिक्री गतिविधियां, गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, परियोजनाएं एवं इंजीनियरिंग सेवा, वित्त और लेखा, मानव संसाधन गतिविधियों के साथ–साथ कंपनी सचिवालय और कानूनी प्रक्रिया को शामिल किया है। सीड ट्रेसबिलिटी में इस मोबाइल ऐप सेवाओं से इन्हें अतिरिक्त लाभ होगा, तथा एनएससी उपयोगकर्ताओं के लिए क्यूआर कोड के साथ–साथ डैश बोर्ड से तत्काल रिपोटिंग में लाभ होगा।

7 सामाग्री प्रबंधन गतिविधियां:

- ऑनलाईन निविदा के माध्यम से खरीद की जा रही है।
- एनएससी द्वारा खरीदी जा रही सामग्री को जैम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है जो वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। ताकि अधिकतम खरीद पोर्टल के माध्यम से की जा सके।
- संभावित आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि स्वंय को जैम पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं।
- एमएसई आदेश 2012 के अनुसार, एमएसएमई फर्मों को निविदाओं में वरीयता दी जा रही है।
- थैलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पैकिंग सामग्रियों की तकनीकी विशेषताओं को संशोधित किया गया है।
- विपणन में सुधार के लिए फसल विशिष्ट बीओपीपी बैंगों और नए डिजाईन वाले लेमिनेटेड फोटो पॉली पाउचों की शुरूआत की गई हैं।
- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकांश खरीद को केंद्रीकृत किया जा रहा है।

c. **Creation of irrigation facilities :**

Although the underground water of the farms is brackish which is not suitable for irrigation as a direct use but due to acute shortage of canal water, NSC is installing tube-wells alongside the banks of the canal to supplement the water in water courses for increasing the discharge and further output. During the year 2020-21, Corporation has added 07Nos of tube-wells in the Farms and the total Nos. of tube-wells are 172 as on 31.03.2021.

d. **Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector :**

NSC is the Nodal Agency for implementing the Central Sector Scheme on Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector of the Government of India. Throughout the country, 651 Nos. beneficiaries have taken the subsidy through NSC under this scheme. About 160.52 Lakh Qtls of Processing capacity and 60.05 Lakh Qtls. of Seed storage capacity were generated by the Private Sector through this scheme upto 31.03.2021. During the year, DAC & FW has not released any funds towards first installment to the beneficiaries and no first installment proposals were processed, as advised by the DAC & FW. Hence no additional capacity added from last year.

e. **Consultancy Services :**

Apart from own works, NSC is rendering Consultancy services, technical support for infrastructure creation in various State agencies. In F.Y. 2020-21 MoU for following project has been signed:-

S.No.	Name of Work	Agency
1.	Supply, Installation & Commissioning of Dehumidifier for Total 15000 MT Godown at 05 locations of BRBN at Bihar State.	BRBN, Patna
2.	1 TPH Processing Plant & Machinery + 500 MT godown at 32 locations of BRBN at Bihar State.	BRBN, Patna
3.	Supply, Installation & Commissioning of 8 TPH Processing Plant & Machinery at Kudra (Kaimur), Bihar.	BRBN, Patna

f. **Information Technology :**

For maintaining the business operations and transparency in process, NSC has taken a new initiative to develop software (ERP-AMS) for complete Agriculture Management System along with Mobile App. This software covers the Complete Seed Production (RO & Farm) chain, Marketing & Sales activities, Quality Control, Material Management, Projects and Engineering Service, Finance & Accounts, Human Resource Activities along with CS & Legal process. Mobile app Services will be an added advantage for farmers for Seed Traceability with QR Code and Dash Board for NSC Users for instant reporting.

7. **Material Management Activities.**

- Procurements are being made through online tendering process.
- GeM Portal is being requested to upload the goods being procured by NSC which are not currently available on the portal so that maximum purchase can be done through the portal only.
- The potential suppliers are being requested to register themselves at the GeM portal.
- MSME firms are being given preference in the tenders as per MSE order 2012.
- Additional Crop specific BOPP bags and Laminated Photo Poly pouches with new designs have been introduced for improving the Marketing potential.
- Most of the procurement is being made centralized for maintaining the quality at competitive prices.

- खरीद की गई सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नामित प्रयोगशालाओं से परीक्षण किया जाता है।
- एनएससी के द्वारा खरीदी गई सामग्री का मासिक खरीद डाटा निरंतर **"एमएसएमई संबंद्ध पोर्टल"** पर अपलोड किया जा रहा है।
- एमएसएमई आदेश 2012 का अनुपालन निम्न प्रकार से हैं:–

(आकड़े लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	प्रस्तावित लक्ष्य वर्ष 2021–22
1	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	9372.72	7273.28	7500.00
2	एमएसईज (MSEs) से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत (अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम भी शामिल है)	3048.29	2849.37	---
3	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यमों द्वारा सिर्फ एमएसईज (MSEs) से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत	1.23	0.39	---
4	एमएसई (MSEs) से खरीद का प्रतिशत (कुल खरीद मे से एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई (MSEs) सहित)	32.52%	39.17%	25% से अधिक
5	कुल खरीद में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसईज (MSEs) खरीद का प्रतिशत	0.013%	0.005%	4 % से अधिक
6	क्या एमएसईज से खरीद के लिए वार्षिक प्रापण योजना को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है?	हां	हां	हां
7	क्या लक्ष्यों को वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है?	हां	हां	हां

8. मानव संसाधन विभागः

एनएससी के सुचारू एवं कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान मानव संसाधन विभाग ने अपने भर्ती नियमों को संशोधित करके निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पेशेवर एवं तकनीकी जनशक्ति की भर्ती की है। तदनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के विरूद्ध प्रशिक्षुओं/वरिष्ठ प्रशिक्षुओं/प्रबंधन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की है।

31.03.2021 तक सभी वर्गों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1312 थी, जबकि 31.03.2020 तक यह 1494 थी। 31.03.2021 को कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक श्रेणी के कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार से है:

श्रेणी	कार्मिकों की संख्या
कार्यपालक (ई–0 एवं अधिक)	204
गैर कार्यपालक :–	
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस–4)	31
ख. कामगार / मजदूर (एनएस–0 से एस–3)	1077
कुल	**1312**

- The procured materials are tested from designated laboratories to ensure its quality.
- The monthly procurement data of procurement by NSC are being uploaded on **“MSME SAMBANDH PORTAL”** regularly.
- The compliance report of MSE order 2012 is given below:-

(Figures in Lakhs)

S.No.	Particulars	Financial Year 2019-20	Financial Year 2020-21	Proposed target for the Financial Year 2021-22
1	Total Annual Procurement (In Values)	9372.72	7273.28	7500.00
2	Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs)	3048.29	2849.37	---
3	Total value of goods and services procured from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs	1.23	0.39	---
4	Percentage of procurement from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement)	32.52%	39.17%	More than 25%
5	Percentage of procurement from only MSEs owned by SC/ST entrepreneur out of total procurement	0.013%	0.005%	More than 4 %
6	Whether Annual Procurement plan for purchases from MSEs uploaded on the official Website	YES	YES	YES
7	Whether targets reported in Annual Report	YES	YES	YES

8. HUMAN RESOURCE DEPARTMENT:

Human Resource Department of NSC plays a very important role for smooth and efficient functioning of NSC. During the year 2020-21, HR Department has recruited professionally and technically sound manpower by revising its Recruitment Rules and conducting recruitment activities in a fair and transparent manner and accordingly inducted Trainees/Senior Trainees/Management Trainees against superannuation of employees during the year 2020-21.

The total number of employees of all categories as on **31.03.2021** was 1312 as compared to total number of 1494 as on **31.03.2020.** The staff strength in Executive and Non-Executive category as on 31.03.2021 was as under:

Category	Total No. of Employees
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	204
NON EXUECUTIVE :-	
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	31
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	1077
Total	**1312**

वर्ष 2020–21 के दौरान पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद एवं अ.जा. / अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:–

क. पदोन्नतिः

श्रेणी	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा. / अ.ज.जा से संबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा
कार्यपालक (ई–0 एवं अधिक)	31	3	1
गैर कार्यपालक :–			
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस–4)	26	1	**शून्य**
ख. कामगार / मजदूर (एनएस–0 से एस–3)	129	25	8
कुल	**186**	**29**	**9**

ख. सीधी भर्ती :

समूह	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व. / शा.अं. से संबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या			
		अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	शा.अं.
कार्यपालक (ई–0 एवं अधिक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर कार्यपालक :–					
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस–4)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. कामगार / मजदूर (एनएस–0 से एस–3)	37*	12	1	9	1
कुल	**37**	**12**	**1**	**9**	**1**

* निगम की नियमितीकरण नीति के अनुसार इसमें 37 दैनिक वेतन भोगी / दैनिक वेतन कामगार (एससी–12, एसटी–1, ओबीसी–9 एवं दिव्यांग–1) को नियमित कामगार ग्रेड–।।। (एनएस–0) के रूप में नियमित किया गया।

ग. **31.03.2021 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का एनएससी में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों में प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है:–**

श्रेणी	कार्मिकों की कुल संख्या	अ.जा. / अ.ज.जा से संबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा
कार्यपालक (ई–0 एवं अधिक)	204	28	13
गैर कार्यपालक :–			
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस–4)	31	3	0
ख. कामगार / मजदूर (एनएस–0 से एस–3)	1077	219	53
कुल	**1312**	**250**	**66**

The information with regard to the posts filled-up by promotion/direct recruitment and number of employees / candidates belonging to SC/ST category promoted/appointed during the year 2020-21 is as under:-

A. Promotion:

Category	No. of Posts filled	No of employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	31	3	1
NON EXUECUTIVE :-			
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	26	1	Nil
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	129	25	8
TOTAL	**186**	**29**	**9**

B. Direct Recruitment:

Category	No. of Posts filled	No of candidates belonging to SC/ST/OBC/PH			
		SC	ST	OBC	PH
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
NON EXUECUTIVE :-					
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B. WORKMEN / WORKER (NS-0 TO S-1)	37*	12	1	9	1
TOTAL	**37**	**12**	**1**	**9**	**1**

* This includes Regularization of 37 DPWs/DWWs (SC-12, ST-1 OBC-9 & PH-1 as RW Gd. III (NS-0) as per regularization policy of the Corporation.

C. Representation of Schedule Caste/ Scheduled Tribes in various Categories of employees as on 31.03.2021 was as under:

Category	Total No. of Employees	No of Employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	204	28	13
NON EXUECUTIVE :-			
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	31	3	0
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	1077	219	53
Total	**1312**	**250**	**66**

घ. **बैंचमार्क दिव्यांगों का नियोजनः**

31.03.2021 को बेंचमार्क दिव्यांगों की संख्या निम्न प्रकार हैः–

दिव्यांगता की श्रेणी	संख्या
श्रेणी–"क"– अंधत्व के कारण दिव्यांग	7
श्रेणी–"ख"– बहरेपन के कारण दिव्यांग	2
श्रेणी–"ग"– सेरेबल पाल्सी की लोकोमोटर विकलांगता (आर्थोपेडिकली विकलांगता सहित) प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पद।	10
श्रेणी –"घ"– बहु विकलांगता	शून्य

ड. **भूतपूर्व सैनिकों का नियोजनः**

31.03.2021 को भूतपूर्व सैनिकों की नियोजन संख्या निम्न प्रकार हैः–

श्रेणी	संख्या
कार्यपालक (ई–0 एवं अधिक)	लागू नहीं
गैर कार्यपालक :–	शून्य
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस–4)	
ख. कामगार / मजदूर (एनएस–0 से एस–3)	
कुल	

निगम 'पदों पर आधारित' आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय–समय पर प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

च. **दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 का पालनः**

राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वाणिज्यिक संगठन है जोकि लोक उद्यम विभाग की नीतियों द्वारा शासित है तथा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 के अनुसरण में समय–समय पर डीओपीटी/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करता है। एनएससी ने हमेशा निगम में बैंच मार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया हैं। एनएससी का प्रबंधन दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़–संकल्प है। एनएससी के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 की प्रत्येक धारा को लागू करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैंः–

(i) **निगम के कर्मचारियों को समानता/सुविधाएं**

- ➢ एक बड़े कार्य के रूप में, निगम ने सभी सीधी भर्ती के पदों को सूचीबद्ध किया है जिसमें प्रत्येक पद के कार्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ विकलांगता नियोजन के लिए विकलांगता की पहचान करता है जिससे भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जा सके। विकलांगता पदों के लिए उपयुक्त ऐसे पद एनएससी की वेबसाइट https://www.indiaseeds.com/doc-file/PWED-PD-pdf. पर उपलब्ध है।
- ➢ सामान अवसर के लिए तथा निगम के कार्मिकों/हितधारकों/आम जनता में दिव्यांगजनों के अधिकारों को अपनी वेबसाइट पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 को अपलोड किया है।
- ➢ एनएससी अपने परिसर के भीतर दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है जैसे चलने के लिए रेप, अलग शौचालय तथा विश्राम कक्ष की सुविधाएं पद्रान की गई हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढ़ग से निवर्हन कर सकें।

D. Employment of Persons with Benchmark Disability:

The Strength of Persons with Benchmark Disability (PWBD) as on 31.03.2021 was as under:

Category	Strength
CAT "A" - Blindness of low vision	7
CAT "B" - Hearing impairment	2
CAT "C" - Locomoter disability of cerebral palsy (including Orthopedically handicapped) in post identified for each disability	10
CAT "D" – Multiple disabilities	NIL

E. Employment of Ex-Servicemen:

The Strength of Ex-servicemen as on 31.03.2021 was as under:

Category	Strength
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	Not applicable
NON EXUECUTIVE :-	Nil
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	
Total	

The Corporation is following guidelines received from Department of Public Enterprises, Govt. of India, New Delhi from time to time in regard to maintaining "Post Based" reservation roster.

F. <u>Compliance of Reservation to Persons with Disabilities Act, 2016</u>

NSC is a commercial organization under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, governed by the policies of DPE, follows the laid down norms as prescribed by DoPT/Govt. of India from time to time. In pursuance of RPwD Act 2016, NSC has always made maximum possible efforts to ensure reservation to persons with benchmark disabilities in the Corporation. The Management of NSC is determinant on the subject of providing equal opportunities to Employees of PwD categories. Following are the major steps taken by NSC in order to implement each and every section of RPwD Act, 2016:

(i) <u>Equality/facilities to Employees of the Corporation</u>

- As a major step NSC has listed out all the direct recruitment posts in the Corporation identified suitable for PwDs based on the sub-category and physical requirement of PWD along with the Duties and Responsibilities of each post, in compliance of the directions received from Govt. of India. Such posts identified suitable for PWDs are available on NSC website at https://www.indiaseeds.com/doc-file/PWED-PD-pdf.
- For equal opportunity and to bring the rights of PwD in the notice of employees of the Corporation/ Stakeholders/General Public, NSC has uploaded RPwD Act, 2016 on its website.
- NSC is providing necessary facilities and amenities within the premises such as walking ramp, separate toilets and rest room facility to enable them to discharge their duties effectively.

➢ दिव्यांगजनों के आरक्षण के लिए अलग से रजिस्टर बनाया गया है।

(ii) निगम में समान रोजगार के अवसर

➢ वर्ष 2020 से सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

➢ निगम की आवश्यकतानुसार दिव्यांगजनों की उनके गृह राज्य के नजदीक तैनाती के लिए अधिकतम प्रयास किए गए।

➢ सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड को हमेशा सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी से नीचे रखा गया है।

➢ परीक्षा में दिव्यांगजनों (बैंच मार्क अपंगता) को लिखने की सुविधा, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई।

(iii) शिकायत निवारण

➢ निदेशक (वित्त) जोकि पीईएसबी के द्वारा नियुक्त है, एनएससी के शिकायत निवारण अधिकारी हैं जिनके अधीन एक अलग शिकायत रजिस्टर रखा गया है और उनकी प्रत्यक्ष देख रेख में समय पर कार्रवाई की जा रही है।

➢ कार्यपालक स्तर के अधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. एनएससी में प्रशिक्षण गतिविधियां:–

आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न पहलुओं के तहत अपने कर्मचारियों के कौशल को चमकाने और बढ़ाने के लिए एक नियोजित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम का पालन किया है। हालाँकि, कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, प्रस्तावित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जा सके। बहरहाल, मार्च, 2021 के दौरान स्थिति में सुधार होने पर निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए:

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 से निगम के कामकाज के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करने के लिए एनएससी ने निगम के फार्म में गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिससे प्रशिक्षण लागत का लगभग 50–60% भी बचेगा।

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	आयोजक
1	एसआरआर बाजार विश्लेषण, बीज प्रमाणन, गुणवत्ता मानदंड और किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना।	01–04 मार्च, 2021	30	एनएससी, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार
2	रबी फसलों के लिए बीज उत्पादन	08–11 मार्च, 2021	20	एनएससी, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ
3	रबी फसलों के लिए बीज उत्पादन	22–25 मार्च, 2021	23	एनएससी, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर

10. राजभाषा का कार्यान्वयन:

सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और फार्मों में 14 सितंबर, 2020 से 28 सितंबर, 2020 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कोविड–19 लॉकडाउन के कारण, वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोविड–19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में केवल तीन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में तीन बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई और हिंदी के प्रगति रिपोर्ट से संबंधित प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय/गृह मंत्रालय को भेजी गई।

- Separate register for reservation of PWDs is maintained.

(ii) <u>Equal Employment Opportunity in the Corporation</u>

- Ensured 4% reservation in direct recruitment in the year 2020.
- Maximum efforts were made to provide nearby/home State as place of posting of PwD candidates as per needs of the Corporation.
- The eligibility criteria to PWD candidates for direct recruitment and promotion have always been kept below UR/OBC/SC/ST.
- Facilities of Scribe, sitting arrangement & others to PWD (Benchmark disability) were provided in the examination during the recruitment process.

(iii) <u>Grievance Redressal</u>

- Director (Finance), a PESB appointee is the Grievance Redressal Officer of NSC under whom a separate complaint register has been maintained and timely actions are being taken under direct supervision of him.
- Executive level Officer has been appointed as Liaison Officer for PWD.

9. STATUS OF TRAINING PROGRAMME:

Your Corporation has followed a planned training and skill development program to polish and enhance the skills of its employees under the various facet during the Financial Year 2020-21. However, due to the COVID-19 pandemic situation, the proposed trainings could not be organized. Nonetheless as the situation improved during March, 2021, the following training programmes were conducted successfully:

Further in order to provide in depth knowledge about the functioning of Corporation, from the Financial Year 2021-22, NSC has started in house training programme at Farms of the Corporation which will also save about 50-60% of the training cost.

S.No.	Name of Programme	Date	No. of Participants	Organiser
1	SRR Market analysis, Seed Certification, Quality Norms & Publicity education of Govt. scheme to farmers.	01-04 March, 2021	30	NSC, CSF, Hisar
2	Seed Production for Rabi Crops	08-11 March, 2021	20	NSC, CSF, Suratgarh
3	Seed Production for Rabi crops	22-25 March, 2021	23	NSC, CSF, Raichur

10. OFFICAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

With a view to promote use of Hindi language in Official work, "Hindi Pakhwara" was organized from 14 September, 2020 to 28 September, 2020 in Corporate Office as well as Regional Offices and Farms. During this period, various competitions were organized wherein top performers were awarded with cash prizes.

Due to COVID-19 Lockdown, during the year only three Hindi Workshops were organized for Officers/employees in adherence to the COVID 19 protocol. Three Meetings of Official Language Implementation Committee at Head Office were conducted in each quarter to review the progressive use of Official Language in Official Work and the quarterly reports on progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare/Home Ministry.

वर्ष 2020–21 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राजभाषा संसदीय समिति ने क्रमशः 14.10.2020 और 11.12.2020 को निगमित कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया और एनएससी में राजभाषा के अनुपालन को संतोषजनक पाया।

एनएससी की वेबसाइट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में और इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ''वार्षिक कार्यक्रम'' के प्रावधानों और लक्ष्य के अनुपालन के लिए निरंतर प्रयास किए गए।

11. सतर्कता गतिविधियांः

i) निवारक सतर्कता

निवारक सतर्कता की पहल के रूप में निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः

क) ठेके के निरीक्षण / आश्चर्य जनक जांच / संवीक्षा जैसे निवारक उपाय किए गए।

ख) लंबित अनुशासनात्मक मामलों और शिकायतों की नियमित निगरानी की जा रही है।

ग) सीवीसी / डीओपीटी / डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सतर्कता / अनुशासनात्मक मामलों पर उपयुक्त सलाह देकर प्रबंधन की सहायता करना।

घ) कर्मचारियों द्वारा दाखिल वार्षिक संपत्ति विवरणी की नियमित आधार पर समीक्षा और जांच की जा रही है।

ङ) कर्मचारियों के लिए सतर्कता संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाएं / प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

ii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह –

क) केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, एनएससी ने 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 मनाया।

ख) पूरे भारत में कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / फार्मों पर बैनर प्रमुख रूप से लगाए गए थे।

ग) दिनांक 27.10.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। फार्म निदेशकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों ने भी संबंधित फार्मों और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

घ) कॉरपोरेट कार्यालय में दिनांक 27.10.2020 को ''निवारक सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही'' विषय पर सतर्कता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ङ) 31.10.2020 को निगम के सभी कर्मचारियों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2020 के विषय पर एक ''निबंध प्रतियोगिता'' आयोजित की गई थी।

12. निगमित शासनः

निगम, कारपोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसके समग्र व्यवसायिक लेन–देन में नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत, जिम्मेदारी और पारदर्शी प्रकटीकरण के उच्च मानकों ने अपनी पकड़ मजबूत की है और इसके निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कार्मिकों के द्वारा सांझा की गई है।

निगम ने अपनी समग्र जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपने निदेशक मंडल की जानकारी हेतु आधुनिक प्रणालियों एवं पद्धतियों को स्थापित किया है और लंबी अवधिक शेयरधारक मूल्य निर्धारण हेतु प्रबंधन के लिए एक रणनितिक दिशा प्रदान की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट **अनुबंध–I** में दी गई है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा दिशानिर्देशों और अनुबंधों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की गई। कंपनी सचिव से प्राप्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र के साथ–साथ टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर, यदि कोई हो, **अनुबंध–II** में दिया गया है।

During the Year 2020-21, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Parliamentary Committee on Official Language inspected Corporate Office on 14.10.2020 and 11.12.2020, respectively and were satisfied with the compliance of Official Language in NSC.

The website of NSC is also available in bilingual form i.e. in English and Hindi and it is being updated from time to time.

Constant efforts were made to comply with the provisions and target of the "Annual Programme" for the F.Y. 2020-21.

11. VIGILANCE ACTIVITIES:

i) Preventive Vigilance-

As an initiative of preventive Vigilance following actions have been taken:

a) Preventive measures like inspection/surprise checks/scrutiny of contracts were conducted.

b) Regular monitoring of pending disciplinary cases and complaints is being done.

c) Assist Management by rendering suitable advice on Vigilance/Disciplinary matters in line with the guidelines issued by CVC/DOPT/DPE from time to time.

d) Annual property returns filed by the employees are being reviewed and scrutinized on regular basis.

e) Workshops/trainings are being organized on vigilance related issues for the employees.

ii) Vigilance Awareness Week –

a) In accordance to directives of the Central Vigilance Commission, NSC observed Vigilance Awareness Week-2020 from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020.

b) Banners were prominently placed at Corporate Office and at all Offices/Farms across India.

c) Integrity pledge was administered to all employees at Corporate Office, New Delhi on 27.10.2020 at 11.00 AM. Farm Directors & Regional Managers administered the integrity pledge to the employees of respective Farm and Regional Offices across India.

d) Vigilance Workshop was organized at Corporate Office on 27.10.2020 on the subject "Preventive Vigilance/Disciplinary Proceedings".

e) An "Essay Competition" on the theme of Vigilance Awareness Week – 2020 was organized for all the employees of the Corporation on 31.10.2020.

12. CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation strives to foster a corporate culture in which high standards of ethical behavior, individual accountability and transparent disclosures are ingrained in all its business dealings and shared by its Board of Directors, Management and Employees.

The Corporation has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well-informed and well equipped to fulfill its overall responsibilities and to provide the management a strategic direction to create long-term shareholders value.

A Report on Corporate Governance is given at **Annexure-I.** Further, as per Corporate Governance Guidelines issued by the Department of Public Enterprises, the examination of compliances of conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines and Annexes was conducted by a Practicing Company Secretary for the Financial Year 2020-21. The Corporate Governance Certificate received from the Practicing Company Secretary along with management's reply to the observations, if any, is given at **Annexure-II.**

लंबे समय तक ट्रेक रिकार्ड को बनाए रखते हुए यह बड़े हर्ष की बात है कि निगमित शासन के अंतर्गत निगम को वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा "उत्कृष्ट" श्रेणी का दर्जा दिया गया हैं। यद्यपि वित्त वर्ष 2020–21 की ग्रेडिंग डीपीई द्वारा घोषित नहीं की गई है।

13. वार्षिक रिर्टन

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) और धारा 92 (3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिटर्न को कंपनी की वेबसाइट https://www.indiaseeds.com/CSInvRel.html पर वेब लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

14. निदेशकों:

आपके निगम के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा निर्देश 2010 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से नामित और नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 4–4 / 2017–एसडी–I दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत, डॉ. बी.बी. मोहंती को तीन साल की अवधि के लिए एनएससी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा कार्यकाल पूरा होने के कारण और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से इनका कार्यकाल विस्तार के आदेश प्राप्त न होने पर, डॉ बी बी मोहंती का कार्यकाल 17.10.2020 से समाप्त हो गया।

इसी तरह राष्ट्रपति के आदेश संख्या 4–4 / 2017–एसडी–I दिनांक 7 अगस्त, 2018 के तहत श्री श्यामवीर सैनी को तीन साल की अवधि के लिए एनएससी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा कार्यकाल पूरा होने के कारण, श्री श्यामवीर सैनी का कार्यकाल 6 अगस्त, 2021 से समाप्त हो गया।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 6–24 / 2021–एसडी– दिनांक 2 अगस्त, 2021 के तहत, श्री राकेश सिंह नायल, उप सचिव (बीज), कृषि और किसान कल्याण विभाग को, उनके सेवाकाल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, एनएससी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी आदेश के साथ श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक जो एनएससी के बोर्ड में सरकारी निदेशक थी, का भी तत्काल प्रभाव से एनएससी के निदेशक मंडल की सदस्यता समाप्त हो गई।

15. धारा 149 का भी के उपनियम (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी गई घोषणा का विवरणः

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री श्यामवीर सैनी ने घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने डीपीई द्वारा निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 में निर्धारित व्यावसायिक आचरण एवं आचार सहिंता का अनुपालन किया है तथा इन दोनों घोषणाओं को आयोजित बोर्ड की बैठक में रखा गया था।

16. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरणः

हमारे ज्ञान एवं विश्वास तथा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आपके निदेशक, अधिनियम की धारा 134 (3)(सी) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण देते हैं:

(क) यह कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उनका सतत रूप से प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए हैं जो उचित एवं विवेकसम्मत हैं तथा जो 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

(ग) निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जिनमें निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखेधड़ी एवं अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है।

(घ) निदेशक मंडल ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; तथा

Maintaining the long track record for long past, it is a matter of pleasure that NSC has achieved Excellent Grading for the Financial Year 2019-20 under Corporate Governance by the DPE. However the Grading for Financial Year 2020-21 under Corporate Governance is yet to be declared by the DPE.

13. ANNUAL RETURN:

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the annual return of the Company for the Financial Year 2020-21 can be accessed through the web link on the Company's website https://www.indiaseeds.com/CSInvRel.html.

14. BOARD OF DIRECTORS:

The Directors of your Corporation are nominated and appointed by the President of India through Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MOA&FW) in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and Corporate Governance Guidelines, 2010 issued by Department of Public Enterprises.

Vide Presidential Order No. 4-4/2017-SD-I dated 17th October, 2017, Dr. B.B. Mohanty was appointed as Independent Director on the Board of NSC for a period of three years, as such, due to completion of tenure and non-receipt of any tenure extension order from MOA&FW, the office of Dr. B.B. Mohanty ceased w.e.f. 17th October, 2020.

Similarly vide Presidential Order No. 4-4/2017-SD-I dated 7th August, 2018, Shri Shyamvir Saini was appointed as Independent Director on the Board of NSC for a period of three years and upon completion of term, the office of Shri Shyamvir Saini ceased w.e.f. 6th August, 2021.

Vide Presidential Order No. 6-24/2021-SD-I dated 2nd August, 2021, Shri Rakesh Singh Nayal, Deputy Secretary (Seeds), Department of Agriculture and Farmers Welfare was appointed as Government Director on the Board of NSC for a period of his tenure or till further orders whichever is earlier. With the same order the Directorship of Smt. Gurpreet Gadhok, who was Government Director on the Board of NSC has been ceased to be on the Board of Directors of NSC with immediate effect.

15. A STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTOR UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 149:

Shri Shyamvir Saini, Independent Director of the Company has given a declaration that he meets the criteria of independence as laid down in the Companies Act, 2013. Further, he has also confirmed that he has complied with the Code of Business Conduct & Ethics as prescribed by DPE in its Corporate Governance Guidelines, 2010 and both the declarations were placed before the Board of Directors in its Meeting.

16. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanation obtained, your Directors make the following statement in terms of Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013:

(a) That in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2021, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

(b) The Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the State of Affairs of the Company as at March 31, 2021 and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;

(d) The Annual Accounts have been prepared on a going concern basis; and

(ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी के मामलें में, कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे है। – लागू नहीं

कपंनी, एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। हालांकि, आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया है जोकि पर्याप्त हैं तथा 31.03.2021 को प्रभावी रूप से कार्य रहे हैं, जिन्हें सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कपंनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जांचा एवं प्रमाणित किया है।

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजन हेतु शब्द "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" से अभिप्राय, कंपनी के कारोबार को सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कपंनी द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं से है। जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंम्पत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं इनका पता लगाना, लेखा–अभिलेखों की सटीकताओं एवं संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना भी शामिल है, और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की है और इस तरह की व्यवस्थायें पर्याप्त थी एवं प्रभावी ढ़ग से कार्य कर रही थी।

17. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्याः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट का भाग है। इन्हें यहां संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है।

18. निदेशक मंडल की समितियांः

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया हैः–

1. लेखा परीक्षा समिति
2. नामाकंन तथा पारिश्रमिक समिति तथा
3. प्रथम टियर नैगर्मिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता (सस्टेनेबिलटी) समिति।

19. शीर्ष प्रबंधकीय अधिकारी

कंपनी के शीर्ष प्रबंधकीय अधिकारी निम्नलिखित हैः–

1. श्री विनोद कुमार गौड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक #
2. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)
3. श्री एम.एल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)#
4. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)/सीएफओ और
5. श्री मो.राक़िम, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट मामलों)*
6. सुश्री आयुषी कनोडिया, सहायक प्रबंधक (कंपनी सचिव)**

श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक) 30.09.2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

* 09.04.2021 को श्री मोहम्मद रकीम के निधन के कारण वह कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं रहे।

** दिनांक 18.06.2021 को आयोजित 295वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा 18.06.2021 से नियुक्त किया गया।

20. नामाकंन एवं पुनर्मूल्याकंन नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अनुसरण में, उक्त प्रावधान के अंतर्गत शामिल कंपनी, निदेशकों की स्वतंत्रता, सकरात्मकता विशेषताओं, निर्धारित अर्हताओं के लिए मापदंडों और धारा 178 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त अन्य मामलों सहित

(e) That the Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. N.A.

The Company is not a listed Company. However, the internal financial controls to be followed which are adequate and are operating effectively as at March 31st, 2021 and these were checked and certified by the Statutory Auditors in their report, as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Explanation:- For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the Accounting Records, and the timely preparation of reliable financial information; and

(f) That the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

17. NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD:

The details of the number of meetings of the Board held during the Financial Year 2020-21 forms part of the Corporate Governance Report therefore for the sake of brevity, these are not repeated here.

18. COMMITTEES OF THE BOARD:

The Board of Directors has constituted the following Committees:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; &
3. 1st Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee.

19. KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

The following are the Key Managerial Personnel of the Company:

1. Sh. Vinod Kumar Gaur, Chairman cum Managing Director#
2. Sh. V. Mohan, Director(Finance)
3. Sh. M.L. Arora, Director (Commercial)#
4. Sh. Kaushik Rakshit, Senior General Manager Finance (CFO); &
5. Sh. Mohd. Raquim, Company Secretary & General Manager (Corporate Affairs).*
6. Ms. Aayushi Kanodia, Assistant Manager (Company Secretary).**

Shri Vinod Kumar Gaur, Chairman cum Managing Director and Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial) are superannuated on 30.09.2021.

*Due to demise of Shri Mohd. Raquim on 09.04.2021 he ceased to be the Key Managerial Personnel of the Company.

** Appointed by the Board of Directors in 295th Board Meeting held on 18.06.2021 w.e.f. 18.06.2021.

20. NOMINATION AND REMUNERATION POLICY:

In accordance with Section 178(1) of the Companies Act, 2013, a company covered under said provision shall frame a company's policy on Directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a Directors and other matters as provided under sub-section (3) of section 178.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करेगी। हालांकि एक सरकारी कंपनी होने के नाते यह एनएससी पर लागू नहीं है। निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय है, जो अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है, जो कि 'अनुसूची – बी' सीपीएसई पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक और प्रत्येक समिति की बैठक के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है जिसमें वे सदस्य होते हैं।

21. कंपनी द्वारा ऋण, गांरटी अथवा निवेश का विवरणः

31.03.2021 तक एनएससी ने रू. 93.47 लाख का ऋण लिया, जबकि राज्य बीज निगमों एवं अन्य में निवेश रू. 3708.83 लाख है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल ऋण, गांरटी और निवेश का ब्यौरा, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

22. निगरानी तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीतिः

i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसर, पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने के तरीके को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

ii. लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के विवरण एवं प्रारूप को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

iii. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए रिकार्ड खुले हैं।

iv. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, भारत का नागरिक कोई भी सूचना मांग सकता है।

v. समय–समय पर कई अन्य जानकारियों का खुलासा एनएससी की वेबसाइट पर किया जाता है।

23. सम्बद्ध पार्टी लेन–देनः

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, किसी भी निदेशक ने अधिनियम की धारा 188 की उप धारा (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का कोई उल्लेख या विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा, एनएससी और उसकी सहयोगी कंपनियों के बीच लेन–देन होते हैं, वो सभी सरकारी कंपनियां है, इसलिए अधिनियम की धारा 188(1) का चौथा प्रावधान तथा सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के अनुसार छूट दी गई है।

24. नियामकों या न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय आदेशः शून्य

25. लेखा परीक्षकः

सांविधिक लेखा परीक्षाः भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मेसर्स अरोड़ा और चौधरी एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या –03870एन) को सांविधिक लेखा परीक्षक एवं अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति और पारिश्रमिक के भुगतान को शेयरधारकों की 58वीं एजीएम में अनुसमर्थन और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के तहत आवश्यक स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षाः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए इस कंपनी सचिव फर्म को नियुक्त किया है।

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

However the same is not applicable on NSC, being a Government Company. The Directors are appointed by the Hon'ble President of India through MOA&FW, which is the Administrative Ministry who also prescribes the remuneration of functional Directors including Chairman cum Managing Director, as per the guidelines applicable to 'Schedule – B' CPSEs. However, the Independent Directors are paid only the sitting fees for every Board Meeting and each Committee Meeting in which they are Members.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE BY THE COMPANY:

As on 31st March, 2021 NSC has Loans taken of Rs. 93.47 Lakhs whereas investment in SSCs & others is Rs. 3708.83 Lakhs.

Further, the details of Loans, Guarantees and Investments covered under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 are given in the notes to Financial Statements forming part of this Annual Report.

22. VIGIL MECHANISM/ WHISTLE BLOWER POLICY:

i. Procedure for filing complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines has been uploaded on NSC website.

ii. The details and format of Lokayukt Act, 2013 has been uploaded on NSC website.

iii. Records open to CAG;

iv. Citizen of India may ask any information in accordance with RTI Act, 2005.

v. Suo motto disclosure of many more information is made on the website of NSC which is uploaded from time to time.

23. RELATED PARTY TRANSACTION:

During the period under review none of the Directors has reported any such details or particulars of contracts or arrangements with related parties as referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013. Further the dealings between NSC and its Associates Companies, all of whom are Government Companies are on arms length basis hence exempt pursuant to 4th proviso of Section 188 (1) of the Act and Govt. Notification dated 05.06.2015.

24. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS: NIL

25. AUDITORS:

Statutory Audit: The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s Arora & Choudhary Associates, Chartered Accountants, (Firm Registration No-03870N), as the Statutory Auditors and other Chartered Accountants Firms were reappointed/appointed as Branch Auditors for the financial year 2020-21 for the Units. Their appointment and payment of remuneration will be placed before the Shareholders for ratification and approval at the 58th AGM.

During the year, the Statutory Auditors have confirmed that they satisfy the independence criteria required under Companies Act, 2013 and Code of Ethics issued by Institute of Chartered Accountants of India.

Secretarial Audit: Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board of Directors had appointed M/s VAP & Associates, Company Secretaries, a firm of Company Secretaries in Practice to carry out the Secretarial Audit of the Company for the Financial Year 2020-21.

The Company has devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and that such systems are adequate and operating effectively.

आंतरिक लेखा परीक्षाः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मेसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, पंजीकरण संख्या एफआरएन 004085 एन को मुख्यालय के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की सभी इकाइयों के लिए अलग से आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है।

26. लेखा परीक्षा अर्हताः

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मेसर्स अरोड़ा एंड चौधरी एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा दी गई रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है। निगम का हमेशा प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाए। हालांकि, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएटस द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को अनुबंध–III के रूप में संलग्न किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर, यदि कोई हो, को इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

27. धोखाधड़ी की रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों ने अधिनियम की धारा 143 (12) के तहत किसी भी मामले की सूचना नहीं दी थी, इसलिए अधिनियम की धारा 134 (3) (सीए) के तहत कोई विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

28. निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक अहर्ता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकार पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणीयाँः–

i) लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

ii) अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

iii) निगमित शासन प्रमाणपत्र में अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

iv) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों पर वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

29. जोखिम प्रबन्धन :

आपकी कंपनी का मानना है कि जोखिम को प्रबंधित करने से प्रतिफल अधिकतम करने में मदद करता है। व्यवसायिक जोखिमों को दूर करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण व्यापक है और इसमें ऐसे जोखिमों की आवधिक समीक्षा भी शामिल है। इस तरह के जोखिमों के परिणामों को कम करने, नियंत्रण करने, रिपोर्टिंग करने और उनसे बचने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है।

जोखिम प्रबंधन ढ़ाचे की समय–समय पर विभागा/यक्षों की समिति द्वारा समीक्षा की जाती है जिनके कार्यवृत्त समीक्षा हेतु निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जोखिक प्रबंधन समिति की कुल 03 बैठकें 15.06.2020, 17.10.2020 एव 27.02.2021 को आयोजित की गई।

30. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर संशोधित और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप, कंपनी ने सीएसआर पर एक नीति तैयार की है और सीएसआर पर खर्च की सिफारिश एवं निगरानी के लिए एक सीएसआर समिति भी गठित की है। हाल के संशोधनों के आधार पर, कंपनी ने सीएसआर नीति में संशोधन किया है। निगम की संशोधित सीएसआर नीति निगम की वेबसाइट https://www.indiaseeds.com/doc-file/Docs2021/CS2021/CSR21Pol.pdf पर अपलोड की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और अनुसूची VII के प्रावधानों के तहत अपेक्षित आवश्यकताओं के संदर्भ में, कंपनी ने पर्यावरण स्थिरता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, भूख उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं।

Internal Audit: Pursuant to provisions of Section 138 of the Companies Act, 2013 the Board on recommendation of the Audit Committee had appointed M/s Vinay Jain & Associates, Chartered Accountants, having Registration No. FRN 004085N as Internal Auditors of the HO and separate internal auditors were appointed for the Units of the Corporation to undertake internal audit during the financial year ending March 31, 2021.

26. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Report given by M/s Arora & Choudhary Associates Chartered Accountants, on the financial statements of the Company for the financial year 2020-21 is a part of the Annual Report. It is always the Corporation's endeavor to present an unqualified Financial Statement. However the Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2021, if any, is forming part of Annual Report.

The Report of the Secretarial Audit given by M/s. VAP & Associates is annexed herewith as **Annexure-III.** The Management's reply to the Secretarial Auditors' observations on the compliances during the financial year 2020-21, if any, is forming part of Annual Report.

27. REPORTING OF FRAUDS:

During the year under review, the Statutory Auditors and Secretarial Auditors had not reported any matter under Section 143 (12) of the Act, therefore no detail is required to be disclosed under Section 134 (3) (ca) of the Act.

28. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

(i) By the Auditor in his Report forms part of Annual Report.

(ii) By the Company Secretary in Practice in the Secretarial Audit Report forms part of the Annual report.

(iii) By the Company Secretary in Practice in the Corporate Governance Certificate forms part of the Annual report.

(iv) By the CAG on the Financial Statements 2020-21-forming part of Annual Report.

29. RISK MANAGEMENT:

Your Company believes that managing risks help in maximizing returns. The Company's approach to addressing business risks is comprehensive and includes periodic review of such risks and a Risk Management Policy has been framed for mitigating, control, reporting and avoiding consequences of such risks.

The Risk Management framework is reviewed periodically by the Committee of the Head of Divisions whose Minutes are placed before the Audit Committee and Board of Directors for review. During the year under review, total 3 meetings of Risk Management Committee were held on 15.06.2020, 17.10.2020 and 27.02.2021.

30. CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY:

In line with the provisions of the Companies Act, 2013 as amended from time to time and the rules framed there under with respect to the Corporate Social Responsibility (CSR), the Company has formulated a Policy on CSR and has also constituted a CSR Committee to recommend and monitor expenditure on CSR. Based on the recent amendments, the Company has amended the CSR policy. The amended CSR Policy of the Corporation is uploaded on the website of Corporation at https://www.indiaseeds.com/doc-file/Docs2021/CS2021/CSR21Pol.pdf.

In terms of the requisite requirements, the Company has interalia undertaken projects in the areas of environment sustainability, preventive health care, eradication of hunger, education, health, hygiene etc., as covered under the provisions of the Companies Act, 2013 and Schedule VII.

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अपेक्षित सीएसआर व्यय का विवरण **अनुबंध IV** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। कंपनी, पिछले कई वर्षों से समाज के विभिन्न वर्गों के सुधार और उत्थान के लिए योग्य सामाजिक कारणों का सक्रिय रूप से समर्थन करना जारी रखे हुए है।

31. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न एवं यौन संबंधी शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक एंटी यौन उत्पीड़न नीति तैयार की है और इसे लागू किया है। सभी महिला कर्मचारी स्थायी, अस्थाई, प्रशिक्षु या संविदा के तहत, उपर्युक्त नीति के अंतर्गत आती हैं। उक्त अधिनियम के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

32. लेखा खातों को इलैक्ट्रोनिक मोड में रखे जानाः

कंपनी के लेखा खातों को वेब आधारित कार्यक्रम के तहत प्रबंधित किया जा रहा है और एक समर्पित सर्वर सी–डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 मानक) पर इलैक्ट्रोनिक मोड पर रखा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / फार्मों की पुष्टि के पश्चात, मुख्यालय में डाटा को बंद किया जाता है। सर्वर का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ
क	सेवा प्रदाता का नाम	सी–डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 स्टैनडर्ड)
ख	सेवा प्रदाता का आईपी प्रोटोकॉल पता	http://220.156.188.25:7783
ग	सेवा प्रदाता का स्थान	सी–56 / 1, अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, सैक्टर–62, नोएडा–201307 उ.प्र. (भारत)
घ	लेखा खातों, अन्य खातों एवं कागजातों को क्लाउड पर रखा जाता है, सर्वर का पता।	एप्लीकेशन को समर्पित सर्वर पर रखा जाता है। एप्लीकेशन का डोमेन है www.nscl.in (http:// 220-156-188-25:7778) अन्य वित्तीय सूचनाओं को www.indiaseeds.com (सी–डैक) पर रखा गया है।

33. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

1. **ऊर्जा संरक्षणः**– निगम, अपने फार्मों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रक्षेत्र कार्यालयों और मुख्यालय में ईंधन और विद्युतीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में समय–समय पर अधिकारियों / कर्मचारियों को, जब वे अपनी सीट पर नहीं होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में अप्रयुक्त लाईटों, पंखों और वातानुकूलितों और अन्य विद्युत उपकरणों को बंद करने हेतु परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। सभी बिजली उपकराणों को नवीनतम तकनीक से परिवर्तित किया गया हैं। फार्म अधिकारी ईंधन की खपत को कम करने हेतु खेतों का दौरा करते समय वाहन साझा कर रहे हैं। ट्रैक्टरों एवं अन्य मशीनरी बेकार न चलें, इसलिए सेल्फ स्टार्टर लगाए गए है। प्रचालनात्मक क्षमता बढ़ाने और ईंधन की खपत को कम करने के लिए पुरानी और अप्रचलित मशीनों को समय–समय पर बदला जा रहा है। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

2. **तकनीकी अवशोषण** : बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए निगम द्वारा, नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। उपलब्ध पानी से ही सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने हेतु नहरों का प्लस्तर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। फार्मों पर बुवाई और कटाई के लिए नवीनतम विकसित मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजों को कीटनाशकों या माइक्रोन्यूट्रिएंट से कोट करने हेतु सीड कोटिंग मशीनें लगाई गई हैं। ईआरपी प्रणाली लागू की जा रही है।

The details of CSR Expenditure as required under the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is annexed as **Annexure IV** and forms an integral part of this Report. The Company continues to actively support deserving social causes for improvement and upliftment of various sections of the society as has been its practice for the past several years.

31. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

In order to comply with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Company has formulated and implemented an Anti Sexual Harassment Policy on prevention, prohibition and redressal of complaints related to sexual harassment of women at the workplace. All women employees permanent, temporary, trainees or contractual are covered under the above policy. An Internal Complaint Committee (ICC) is existing in compliance with the said Act.

During the year under review, no complaint pertaining to sexual harassment of women employees were reported to the Company.

32. BOOKS OF ACCOUNTS (IN ELECTRONIC MODE):

The Books of Accounts of Company is being managed with web based programme and is kept in electronic mode at a dedicated server reside at CDAC, Noida Data Centre (ISO 27001:2013 standards).The data is locked at Head Office after confirming from the concerned RO/Farm. The details of the servers are as under:-

S.No.	Particulars	Response
A	Name of Service Provider	C-DAC, Noida (ISO 27001:2013 standards)
B	IP Protocol address of the Service provider	http://220.156.188.25:7783
C	Location of service provider	C-56/1,Anusandhan Bhawan, Institutional Area, Sector-62, Noida-201 307, U.P (India)
D	Where the Books of Accounts and other books and papers are maintained on cloud, address of the Server	The application is hosted on a dedicated Server. Domain of the application is www.nscl.in(http://220.156.188.25:7783) Other Financial informations are kept at web site www.indiaseeds.com (Reside at CDAC, Noida)

33. THE CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

(i) Conservation of Energy: The Corporation is taking every step to conserve the fuel and electrical energy at the Farms, R.Os, AOs and H.O. Time to time circulars are being issued to switch off the lights, fans and ACs and other electric equipment which are not being used in their absence, whenever the Officer/staff is not available on their seat. All electronics and electrical equipment are switched to latest energy efficient appliances. Farm Officers are sharing the vehicle for visiting the fields to minimize the fuel consumption. The tractors and other machinery are fitted with self-starter to reduce the idle running. Old and outdated machineries are being replaced periodically to reduce the consumption of fuel and to increase the operational efficiency. Effective monitoring and surprise checks are being done for ensuring the compliance of instructions.

(ii) Technology absorption: For increasing the seed production, the Corporation is adopting latest techniques and technology. The Lining of Canal & Micro Irrigation Systems are being used for increasing more area under irrigation with the available water. Newly developed machines are being used for sowing and harvesting of crops at Farms. Seed Coating Machines have been installed to coat the seed with pesticides or micronutrient. ERP System is under implementation.

3. **विदेशी मुद्रा अर्जन– शून्य**

विदेशी मुद्रा व्यय	**2019-20**	**2020-21**
विदेश भ्रमण	रु. 4.11 लाख	---
सदस्यता शुल्क	रु. 4.47 लाख	रु. 3.97 लाख

विदेशी मुद्रा में कुल व्यय रू. 3.97 लाख

34 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निगम ने 249 आवेदन और 24 प्रथम अपील प्राप्त की तथा इनका विधिवत निपटान किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की गई। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सी.आई.सी. के समक्ष 02 आरटीआई द्वितीय अपील सूचीबद्ध किए गए।

35. **कम्पनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई, जो कपंनी के वित्तीय वर्ष के बीच हुई हैं से संबंधित वित्तीय विवरणः**

शून्य

36. **सम्प्रेषण का माध्यमः**

निगम की वार्षिक साधारण बैठक एवं वित्तीय निष्पादन की सूचना निगम की वैबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किए गए हैं। स्टेकहोल्डर्स, निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव को पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 पर संपर्क कर सकते हैं।

ई–मेल– cs@indiaseeds.com / फोन नं. 011–25843673

आभारोक्ति :

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल की ओर से आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), संयुक्त सचिव (बीज) एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति के सभी वैज्ञानिकों को पैतृक बीज (Parental line) उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी के सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षकों, निगम के सचिवीय लेखा परीक्षकों को भी उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

मैं निदेशक मंडल में अपने माननीय सहयोगियों और निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना एवं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर सम्भव मार्गदर्शन, सहयोग व सहायता दी तथा उनके कठिन परिश्रम के बिना कंपनी की उपलब्धियों को प्राप्त करना संभव नहीं था। मैं शेयर धारकों एवं प्रबंधन की तरफ से केन्द्रीय मंत्रीमंडल, बैंकरों, ग्राहकों, डीलरों, ऐजेंटों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों का भी उनके द्वारा निगम को दिए गए सतत सहयोग, विश्वास एवं भरोसे के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि अपने आदरणीय हितधारकों के अनमोल समर्थन के साथ जुड़े समर्पित एवं मेहनती कार्यबल के साथ निगम आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

ह0 /–
निदेशक मंडल के आदेश से
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अति. प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.11.2021

(iii) Foreign exchange earning – NIL

Foreign exchange outgo	**2019-20**	**2020-21**
Foreign Travel	Rs. 4.11 Lakhs	---
Membership Fees	Rs. 4.47 Lakhs	Rs. 3.97 Lakhs

TOTAL EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE IS RS. 3.97 Lakhs

34. RTI Act, 2005:

During the Financial Year 2020-21, Corporation received 249 Nos. applications & 24 Nos. First Appeals under the RTI Act, 2005 which were duly disposed off. Quarterly and Annual Returns were also submitted with Central Information Commission (CIC) and the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. During the FY 2020-21, 02 RTI Second Appeal was listed before C.I.C.

35. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT;

NIL

36. MEANS OF COMMUNICATIONS:

Notice for Annual General Meeting and financial performance of the Corporation have been uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.

e-mail-cs@indiaseeds.com /Phone No. 011-25843673.

ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity on behalf of the Board to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Ministers of State for Agriculture, the Secretary, Agril.,& Farmers Welfare, the Joint Secretary and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. I also acknowledge the contribution of ICAR and all the Scientists of National Agriculture Research System for making parental line available. I am also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors, Secretarial Auditors of the Corporation for their support and guidance.

I would also like to place on record my sincere thanks and high regards for the support and Co-operation received from my esteemed colleagues on the Board and to all the Officers and staff of the Corporation at all levels who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management and without whose hard work your Company's achievements would not have been possible. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Union Cabinet, Bankers, Customers, dealers, agents, suppliers and other Stakeholders, for their continued support and faith reposed in the Company and its Management.

I am confident that with such dedicated and devoted workforce coupled with valuable support of our all the esteemed stakeholders and with the exploration of the enlarged treasure of resources, Corporation will touch further heights and milestones in the forthcoming years.

Sd/-
By Order of the Board of Directors
Director (Finance) & Chairman-cum-Managing Director
(Addl. Charge)

Place: New Delhi
Dated: 08.11.2021

अनुबंध–I

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन प्रणाली :

आपका निगम, लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन दिशा–निर्देश, 2010 का अनुपालन कर रहा है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल की है जिनका सामान्य जनजीवन और निगमित क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह निगम ईमानदारी को स्थायी सफलता के लिए इसे आवश्यक शर्त के रूप में मानता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेयता और उत्तरदायित्व कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों के स्तम्भ हैं। इस पहलात्मक प्रयास से सर्वोत्तम निगमित शासन आचरण अपनाने की निगम की वचनबद्धता को प्रबलता मिलती है।

निगम का दृष्टिकोण किसानों को गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति एवं अन्य कृषि आदानों/सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

निगम का ध्यान उच्च स्तर की एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के कारण, विभिन्न फसल किस्मों एवं संकर के गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा विपणन द्वारा भारतीय बीज उद्योग का नेतृत्व करना तथा किसानों की संतुष्टि हेतु अन्य कृषि संबंधी आदानों और सेवाओं के माध्यम से मूल्य वर्धन करना है।

2. निदेशक मण्डल :

क) निदेशक मण्डल का आकार :

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी है, जिसकी कुल चुकता अंश पूंजी का शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के संस्थागत अंर्तनियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी ने अपनी स्थिति को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया है और असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन एवं मिमोरन्डम ऑफ एसोसियेशन के नए सेट को अपनाया है।

इस प्रकार निगम के नए अपनाए गए संस्था अंर्तनियम की शर्तों के अनुसार इसके निदेशक मण्डल में तीन से कम और पंद्रह से ज्यादा निदेशक नहीं होगे। इन निदेशकों में कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उपक्रमों के कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुसार पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक और सरकारी निदेशक शामिल होंगे।

ख) गठन :

लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार, निदेशक मण्डल में कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों का एक अनुकूल संयोजन होना चाहिए। 31 मार्च, 2021 को निदेशक मण्डल में छह निदेशक थे, जिनमें से तीन कार्यात्मक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (वाणिज्यिक), 01 स्वतंत्र निदेशक तथा 02 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित थें।

ग) निदेशक मण्डल की बैठकें :

निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समुचित सूचना देकर निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाती हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान अल्पावधि सूचना पर कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। अपवाद या तत्कालिकता के मामलें में, संचलन के माध्यम से भी निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों को समय पर एजेंडा के साथ विस्तृत कार्यसूची, प्रबंध रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किए जाते हैं ताकि उन्हें बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचनापरक तथा संकेन्द्रित निर्णय लेने में सुविधा हो। जिन मामलों में किसी दस्तावेजों को परिचालित करना व्यवहारिक न हो अथवा कार्यसूची गोपनीय प्रकृति की हो तो ऐसे दस्तावेजों को निदेशक मंडल की अनुमति से बैठक के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं।

Annexure-I

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY:

Your Corporation has been complying with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of the DPE and has undertaken major initiatives in several critical areas which impacts the lives of the common man and Corporate Sector in a positive way.

Corporation believes in integrity as a necessary condition for enduring success. Transparency, fairness, accountability and responsibility which are the pillars of the Corporation's business ethics and activities. The initiative further reinforces the commitment of the Corporation to adopt best corporate governance practices.

The Vision of the Corporation is to contribute in the prosperity of the Nation through Farmers by supplying quality seeds and other agro inputs / services and to enhance agricultural productivity.

As being Sole Apex Level Public Sector Company, the Mission of the Corporation is to lead the Indian Seed Industry by producing and marketing quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids, and adding value through other agro related inputs and services to the satisfaction of farmers.

2. BOARD OF DIRECTORS:

a) Size of Board

National Seeds Corporation Limited is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013 as the President of India holds 100% of the total paid-up share capital. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India.

The Company has converted its Status from Private Limited to Public Limited Company and adopted new Memorandum of Association and Articles of Association with the approval of the Shareholders in the Extra–ordinary General Meeting.

As such, in terms of the newly adopted Articles of Association of the Corporation, the strength of NSC Board shall not be less than three Directors and not more than fifteen Directors. These Directors shall include Whole-Time Functional Directors, Independent Directors, Women Director and Government Directors as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Corporate Governance Guidelines of Dept. of Public Enterprises.

b) Composition

As per Corporate Governance Guidelines of DPE, the Board of Directors should have an optimum combination of executive and non-executive Directors. As on 31st March, 2021 the Board comprised Six Directors out of which three are Functional Directors viz. Chairman cum Managing Director, Director (Finance) and Director (Commercial), One Independent Director and Two Directors are nominated by Government of India.

c) Board Meetings

The Meetings are convened by giving appropriate advance Notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. Further no Meetings were called at Shorter Notice during the year under review. In case of exigencies or urgency, resolutions are also got passed from the Board through circulation.

Detailed Agendas, Management Reports and other Explanatory Statements are circulated in advance along with the defined agenda format amongst the Members for enabling them to have a meaningful, informed and focused decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda as being of confidential or emergent nature, the same is tabled at the meeting with the permission of Board.

घ) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	289वीं	10.06.2020
2.	290वीं	07.07.2020
3.	291वीं	10.08.2020
4.	292वीं	30.09.2020
5.	293वीं	23.12.2020
6.	294वीं	05.03.2021

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। हालांकि, कोविड–19 से उत्पन्न खतरे के कारण, निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की गई, जो ऐसा चाहते थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 06 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बोर्ड की बैठकों का विवरण और अन्य कंपनियों में उनके निदेशक पद का विवरण नीचे दिया गया है: –

क्र.सं.	निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		अन्य संस्थाओं में निदेशक
		आयोजित की गई	शामिल हुए	
1.	श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक #	6	6	8
2.	श्रीमती शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक	6	3	1
3.	श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक *	6	5	शून्य
4.	श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)	6	6	4
5.	श्री एम.एल अरोडा, निदेशक (वाणिज्यिक) #	6	6	1
6.	डॉ बी.बी. मोंहती, स्वंतत्र निदेशक **	4	4	शून्य
7.	श्री श्यामवीर सैनी, स्वंतत्र निदेशक ***	6	6	शून्य

*** दिनांक 02.08.2021 से निदेशक मडंल के सदस्यता से कार्यमुक्त**
**** दिनांक 17.10.2020 से निदेशक मंडल के सदस्यता से कार्यमुक्त**
***** दिनांक 06.08.2021 से निदेशक मंडल के सदस्यता से कार्यमुक्त**
 # 30.09.2021 को सेवानिवृत्त हो गए।

ड़) निदेशकों का पारिश्रमिक:

i) प्रकार्यात्मक निदेशक

(रु. लाख में)

क्र.सं	नाम एवं पदनाम	सकल परिलब्धियां
1.	श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	69.30
2.	श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	43.48
3.	श्री एम.एल अरोडा,, निदेशक (वाणिज्यिक)	34.90

d) Number of meetings of the Board:

S. No.	Number of Board Meeting concerned	Date of Board Meeting concerned
1.	289th	10.06.2020
2.	290th	07.07.2020
3.	291st	10.08.2020
4.	292nd	30.09.2020
5.	293rd	23.12.2020
6.	294th	05.03.2021

The meetings of the Board of Directors are normally held at the Corporation's Registered Office at New Delhi. However due to the threat posed by COVID -19 the facility to attend the Board Meetings through Video conference was also provided to the Directors, who desired as such. 06 Board Meetings were held during the financial year 2020-21. Details of Board meetings attended by each of the Directors along with further details of their directorships in other companies are given below:-

S. No.	Directors	Board meetings		No. of other Director-ships
		Held during the period	Attended	
1.	Shri V.K. Gaur Chairman-cum-Managing Director #	6	6	8
2.	Smt. Shubha Thakur, Government Director	6	3	1
3.	Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director *	6	5	NIL
4.	Shri V. Mohan, Director (Finance)	6	6	4
5.	Shri M.L. Arora, Director (Commercial) #	6	6	1
6.	Dr. B.B. Mohanty, Independent Director **	4	4	NIL
7.	Shri Shyamvir Saini, Independent Director ***	6	6	NIL

*** Ceased to function on the Board w.e.f. 02.08.2021.**
**** Ceased to function on the Board w.e.f. 17.10.2020.**
*****Ceased to function on the Board w.e.f. 06.08.2021.**
 # Superannuated on 30.09.2021.

e) Remuneration of the Directors:

i) Functional Directors

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Name & Designation	Gross Emoluments
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director	69.30
2.	Shri V. Mohan, Director (Finance)	43.48
3.	Shri M.L. Arora, Director (Commercial)	34.90

ii) **अंशकालिक सरकारी निदेशक / सरकारी निदेशक :**

निगम द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों या सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

iii) **अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :**

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता को छोड़कर अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

3 **निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समितिः**

वित्तीय वर्ष 2020–20 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति में डॉ बी.बी. मोहन्ती, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष सदस्य तथा श्रीमती गुरूप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक सदस्य एवे श्री श्यामवीर सैनी स्वतंत्र निदेशक, सदस्य शामिल थे।

हालाँकि, डॉ बी.बी. मोहन्ती, का दिनांक 17.10.2020 को कार्यकाल पूरा हो जाने पर, बोर्ड द्वारा 23.12.2020 को हुई अपनी 293 वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति को पुनर्गठित किया, जिसमें श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक को लेंखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया तथा श्री एम.एल. अरोडा को सदस्य के रूप में नामित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 10.06.2020, 07.07.2020, 10.08.2020, 30.09.2020, 23.12.2020 एवं 05.03.2021को बैठकें कीं।

4 **निदेशक मंडल की नामाकंन व पारिश्रमिक समिति का गठन व कार्यः**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नामाकंन व पारिश्रमिक समिति में डॉ बी बी मोहंती, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष, श्रीमती गुरप्रीत गढोक, सरकारी निदेशक, सदस्य और श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य शामिल थे। डॉ बी बी मोहंती, स्वतंत्र निदेशक के पद की समाप्ति के परिणामस्वरूप, उन्होंने नामांकन और पारिश्रमिक समिति में भी कार्य करना बंद कर दिया। तदनुसार, बोर्ड ने 23.12.2020 को आयोजित अपनी 293वीं बैठक में श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक को उक्त समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और श्री एम.एल. अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक) को सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 30.09.2020 और 05.03.2021 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

5. **जोखिम प्रबन्धन :**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 7.3 के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने निगम की जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है। जोखिम प्रबंधन समिति की समय–समय पर अपनी बैठके आयोजित करती है तथा कार्यवृत्त, लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाते है। इस प्रकार एनएससी ने अपनी परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार के चोट, नुकसान या क्षति से रक्षा के लिए अपनी रणनीति के तहत जोखिम प्रबन्धन के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि किसानों, कार्मिकों एवं जन साधारण के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता हैं। जोखिम प्रबन्धन की प्रक्रिया में, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम के शमन हेतु वर्गीकरण करना और जोखिम के लिए जोखिम उपचार योजना शामिल हैं। निगम की सारी स्थायी परिसम्पत्तियों का बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए निगम में एक समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली है। त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए एवं वर्ष के अंत में संपत्तियों के सत्यापन हेतु मुख्यालय के साथ–साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और 05 प्रमुख फार्मों में स्वंतत्र सनदी लेखाकारों / लागत लेखाकार फर्मों की नियुक्ति हेतु यहां पर स्पष्ट कार्य प्रणाली है। यदि किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो अन्वेषण एवं जांच करने के बाद अनुमोदित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 15.06.2020, 17.10.2020 एवं 27.02.2021 को 03 बैठकें आयोजित हुई हैं।

6 **निदेशकों की जवाबदेयताः**

निगम और भारत सरकार के बीच प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्यक्षेत्रों के लक्ष्य, भारत सरकार के परामर्श से नियत किए जाते हैं। वर्ष के अंत में इन लक्ष्यों की तुलना, निगम के कार्य निष्पादन से समीक्षा की जाती है। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य निष्पादन की समीक्षा निगम के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रूप से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कमियों की पहचान करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

ii) Part-time Official Director/ Government Director

No remuneration is paid to the Part-time Official/Government Directors by the Corporation.

iii) Part time Non-official Director

No remuneration other than sitting fee and T.A./D.A. is paid to Part-time Non-official/ Independent Directors.

3. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the Financial Year 2020-21, the Audit Committee were comprising of three Members viz., Dr. B.B. Mohanty, Chairman, Ms. Gurpreet Gadhok, Government Director, Member and Shri Shyamvir Saini, Independent Director, Member.

However, upon cessation of office of Dr. B.B. Mohanty in consequence of completion of his tenure on 17.10.2020, the Audit Committee was reconstituted by the Board in its 293rd Meeting held on 23.12.2020. Shri M.L. Arora, Director (Commercial) was appointed as a Member of Audit Committee and Shri Shyamvir Saini was re-designated as Chairman of the Committee. During the year under review, the Audit Committee held its meetings on10.06.2020, 07.07.2020, 10.08.2020, 30.09.2020, 23.12.2020 and 05.03.2021.

4. CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under review the Nomination and Remuneration Committee of the Board comprised the following Members viz., Dr. B.B. Mohanty, Independent Director, Chairman, Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director, Member and Shri Shyamvir Saini, Independent Director, Member. Consequent upon cessation of the office of Dr. B.B. Mohanty, Independent Director, he also ceased to function in Nomination & Remuneration Committee. Accordingly, Shri Shyamvir Saini, Independent Director has been appointed as Member and Chairman of the said Committee and Shri M.L. Arora, Director (Commercial) as Member by the Board in its 293rd Meeting held on 23.12.2020.

During the Financial Year 2020-21,Two Meetings of the Nomination & Remuneration Committee were held on 30.09.2020 and 05.03.2021.

5. RISK MANAGEMENT:

In pursuance of Clause 7.3 of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, there is in existence of a Risk Management Policy of the Corporation which also fulfills the requirement of Section 177(4) (vii) of the Companies Act, 2013. Risk Management Committee holds its Meetings from time to time whose minutes are placed before Audit Committee and Board. As such, NSC is committed for risk management as an element of its strategy to safeguard the Corporation's assets from any injury, loss or damage that could materially affect its ability to discharge its responsibility towards farmers, employees and other members of the public. Risk management process includes risk identification, risk assessment, risk valuation, categorization and risk treatment plan for mitigation of the risks. All the assets of the Corporation are insured through insurance policies and there is a proper internal control system to check the frauds. There is a clear laid-down practice for appointing the independent Chartered Accountants / Cost Accountants firms for all the Regional Offices, five major Farms as well as Head Office for undertaking quarterly internal audit and verification of the assets at the end of the year. Once a fraud is detected, disciplinary action is taken by following the set of approved procedures after conducting investigation and enquiry. During the year 2020-21, 03 Meetings of Risk Management Committee of HODs, NSC have been held on 15.06.2020, 17.10.2020 and 27.02.2021.

6. ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS:

Memorandum of Understanding (MoU) is entered into annually by the Corporation with Government of India (GOI) in the beginning of each year setting the targets in financial and non-financial parameters with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Corporation is measured at the end of the year vis-a-vis these targets. The performance with regard to MoU is reported and reviewed regularly by the Board of Directors of the Corporation on quarterly basis. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are taken.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन की उपलब्धियों की रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रायल भेजी जाती है और लोक उद्यम विभाग की आंतरिक मंत्रालयी समिति द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर निगम के कार्य निष्पादन का मूल्याकंन किया जाता है तथा ग्रेडिंग प्रदान की जाती है।

7 साधारण सभा बैठक–

क) वार्षिक साधारण बैठक

पिछली तीन वार्षिक बैठकों की तारीख, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार हैः

तारीख	29.09.2018 / 29.10.2018 / 22.11.2018 (स्थगित वा.सा.बै.)	28.09.2019 / 31.10.2019 / 20.12.2019 (स्थगित वा.सा.बै.)	30.09.2020 / 23.12.2020 / 30.12.2020 (स्थगित वा.सा.बै.)
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे, पूर्वाह्न 11.00 बजे एवं पूर्वाह्न 11.00 बजे	पूर्वाह्न 10.30 बजे, पूर्वाह्न 10.30 बजे एवं पूर्वाह्न 10.30 बजे	अपराह्न 2.00 बजे, अपराह्न 2.00 बजे और पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
उपस्थिति	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़
	2. श्री रोहित माथुर, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि	2. श्री एस.एस. वगुलापर्णम (28.09.2019 और 31.10.2019 के लिए) एवं श्रीमती गुरप्रीत गढोक (20.12.2019 के लिए), भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में	2 श्री एस.एस. वगुलापर्णम भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में
	3. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज)	3 श्री एस.एस. वगुलापर्णम, अवर सचिव (बीज)	3. श्रीमती छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाय)
	4. श्री दिनेश अरोड़ा	4 श्री वी. मोहन	4 श्री एस.एस. वगुलापर्णम,अवर सचिव (बीज)
	5. श्री वी. मोहन	5 श्री एम.एल अरोडा	5 श्री राजवीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच)
	6. श्रीमती प्रतिभा सुमन	6. श्रीमती प्रतिभा सुमन	6. श्री राजेश जायसवल, उप सचिव (वित्त)
	7 डॉ बी.बी. मोहंती	7 डॉ बी.बी. मोहंती	7. श्री वी. मोहन
	8 श्री श्यामवीर सैनी	8 श्री श्यामवीर सैनी	8 श्री एम.एल. अरोड़ा
			9 श्री श्यामवीर सैनी
			10 श्री विजय कुमार चोधरी एवं राजीव कुमार लखोटिया मैसर्स अरोडा एवं चौधरी, सांविधिक लेखा परीक्षक की ओर से

8 प्रकटन :

क) सम्बद्ध पार्टी सौदे :

बोर्ड के सदस्यों और सभी मंडलों और इकाई प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत संबंधित पार्टी लेनदेन पर रिपोर्ट की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जिसमें सभी संबंधितों द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

चूंकि कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और कॉरपोरेट बॉडी (कॉर्पोरेटों) के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया था, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव था, इन संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण फॉर्म एओसी 2 में अधिनियम की धारा 134 (3) (एच) के तहत समीक्षाधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

At the end of each quarter of the financial year, the MoU achievements Report is furnished to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and performance of the Corporation is evaluated by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and annually by Department of Public Enterprises Inter Ministerial Committee (IMC) on the basis of actual achievements as per signed MoU and grading is awarded accordingly.

7. GENERAL BODY MEETINGS:

a) Annual General Meetings

Date, time and location where the last three Annual General meetings were held are as under:-

Date	29.09.2018/ 29.10.2018/ 22.11.2018 (Adjourned AGM)	28.09.2019/31.10.2019/ 20.12.2019 (Adjourned AGM)	30.09.2020/23.12.2020/ 30.12.2020 (Adjourned AGM)
Time	11:00 A.M., 11:00A.M. & 11:00 A.M. respectively	10.30 AM,10:30 AM and 10.30 AM respectively.	2.00 PM, 2.00 PM and 11.00 AM respectively.
Venue	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi Conference)	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi (Held through Video
Special Resolution	NIL	NIL	NIL
Attendance	1. Sh. V.K. Gaur	1. Sh. V.K. Gaur	1. Sh. V.K. Gaur
	2. Sh. Rohit Mathur, Representative of President of India.	2. Sh. S.S. Vagulaparnam (for 28.09.2019 and 31.10.2019) & Smt. Gurpreet Gadhok (for 20.12.2019), Representative of President of India.	2. Sh. S.S. Vagulaparnam, Representative of President of India.
	2. Sh. A.K. Jha, US (Seeds)	3. Sh. S.S. Vagulaparnam, US (Seeds)	3. Ms. Chhavi Jha, JS (RKVY)
	4. Sh. Dinesh Arora	4. Sh. V. Mohan	4. Sh. S.S. Vagulaparnam, US (Seeds)
	5. Sh. V. Mohan	5. Sh. M.L. Arora	5. Sh. Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH).
	6. Smt. Partibha Suman	6. Smt. Partibha Suman	6. Shri Rajesh Jaiswal, Dy. Secretary (Finance).
	7. Dr. B.B. Mohanty	7. Dr. B.B. Mohanty	7. Sh. V. Mohan
	8. Sh. Shyamvir Saini	8. Sh. Shyamvir Saini	8. Shri M.L. Arora
			9. Sh. Shyamvir Saini
			10. Shri Vijay Kumar Choudhary and Shri Rajiv Kumar Lakhotiya from M/s Arora & Chaudhary, Statutory Auditors.

8. DISCLOSURES:

a) Related Party Transactions

The report on Related Party transaction submitted by the Members of the Board and all the Divisional and Units Heads are reviewed by the Audit Committee on quarterly basis wherein NIL particulars were submitted by all the concerned.

As there were no other materially significant related party transactions made by the Company with Promoters, Directors, Key Managerial Personnel and Body Corporate(s) which had a potential conflict with the interest of the Company at large, the disclosure of these Related Party Transactions as required under Section 134 (3) (h) of the Act in Form AOC 2 is not applicable for the year under review.

एनएससी और उसकी सहयोगी कंपनियों, जिनमें सभी सरकारी कंपनियां हैं, के बीच लेन–देन व्यापक आधार पर था और व्यापार के सामान्य क्रम में थे इसलिए अधिनियम की धारा 188 (1) के प्रावधान IV के अनुसार प्रकटीकरण से छूट दी गई थी। सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2016 संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन का विवरण संलग्न वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

ख) लेखा व्यवस्था :

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन लागू नियमों तथा आवश्यक रूप से लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

9. सम्प्रेषण का माध्यम :

वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथा निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन को निगम की वैबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किया जाता हैं। स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 को भेज सकते हैं। ई–मेल– cs@indiaseeds.com/ फोन नं. 25843673

10. लेखा परीक्षा योग्यता :

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मेसर्स अरोड़ा एंड चौधरी एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

निगम का हमेशा प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाएं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स द्वारा दी गई सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट इसके साथ अनुबंध–III के रूप में संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम द्वारा अनुपालन पर सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का जवाब, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

11 निगम का शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

निगम के 100% शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ–साथ उनके सात अन्य नामांकित व्यक्तियों के पास हैं, जिनके पास भारत के राष्ट्रपति के नामिती की क्षमता में 1000/– रुपये का 1 इक्विटी शेयर है।

12. व्हिसल ब्लोअर नीति :

i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना दाताओं का सरंक्षण (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायत दर्ज करने के तरीकों को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

ii. लोक आयुक्त अधिनियम, 2013 के प्रपत्र एवं विवरण को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

iii. सीएजी के लिए रिकार्ड खुला है।

iv. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है।

13. निगम में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास :

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार समय–समय पर संशोधित साथ ही साथ निगम की सीएसआर नीति के अनुसार, निगम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करता है।

निदेशकों की प्रथम स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति गठित की गई हैं, जो कि विभागाध्यक्षों की द्वितीय टीयर निगमित सामाजिक उत्तरादायित्व एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी द्वारा विधिवत और अनुशंसित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बनाई गई है, और इन प्रस्तावों को निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिश करती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, सीएसआर बजट को हर साल बोर्ड द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अनुमोदित किया जाता है। सीएसआर गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि किए गए कार्यक्रमों का प्रभाव समाज के चयनित क्षेत्रों पर दिखाई दे।

वर्ष के दौरान सीएसआर के तहत किए गए विभिन्न कार्यो का विवरण वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध–IV में रखा गया है जोकि इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ह0/–
निदेशक मंडल के आदेश से
निदेशक (वित्त) व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.11.2021

The dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies, were on arms' length basis and were in the ordinary course of business hence exempt from disclosure pursuant to Proviso IV of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2016.

The details of the transactions with related parties are provided in the accompanying Financial Statements.

b) Accounting Treatment:

The Financial Statements are prepared with applicable mandatory Indian Accounting Standards and relevant presentational requirements as per the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder.

9. MEANS OF COMMUNICATIONS

Notice for Annual General Meeting and financial performance of the Corporation are uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.e-mail-cs@indiaseeds.com /Phone No.011- 25843673.

10. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Report given by M/s Arora & Choudhary Associates Chartered Accountants, on the financial statements of the Company for the financial year 2020-2021 is a part of the Annual Report.

It is always the Corporation's endeavor to present an unqualified Financial Statement. However the Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2020, if any, is forming part of Annual Report.

The Report of the Secretarial Audit given by M/s. VAP & Associates is annexed herewith as Annexure –III. The Management's reply to the Secretarial Audit Report on the compliances by Corporation during Financial year 2020-21, if any, is forming part of Annual Report.

11. SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION:

100% shares of the Corporation are held by the Hon'ble President of India alongwith his other seven Nominees who are holding 1 Equity Share of Rs. 1000/- each in the capacity of Nominee of President of India.

12. WHISTLE BLOWER POLICY:

i. Procedure for filing complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines has been uploaded on NSC website.

ii. The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.

iii. Records open to CAG.

iv. RTI Act, 2005 is applicable

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT:

As per the Companies Act, 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 as amended from time to time, as well as CSR Policy of the Corporation, the Corporation complies with the provisions concerning Corporate Social Responsibility.

A 1st Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee of the Directors has been constituted to consider the proposals duly vetted & recommended by 2nd Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee of HODs to further recommend these proposals for approval of the Board of Directors.

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a CSR Budget is approved by the Board every year for expending on CSR activities. CSR activities are planned in a manner that the impact of implementation programmes becomes visible on the selected segments of society.

The details of different works done under CSR during the year are placed in the Annual Report at Annexure-IV forming part of the present Annual Report.

Sd/-
By Order of the Board of Directors
Director (Finance) & Chairman-cum-Managing Director
(Addl. Charge)

Place: New Delhi
Dated: 08.11.2021

रवि. एस. शर्मा एवं एसोसिएटस
कंपनी सचिवगण

निगमित शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में सदस्यगण,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

हमने **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,** (निगम) की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की, जैसा कि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जी.एम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकलपित है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जॉच निगमित शासन की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा इनके कार्यान्वयन तक समित है। यह न ही वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम द्वारा रखे गए रिकॉर्ड व दस्तावेजों के अनुसार हम सत्यापित करते हैं कि निगम ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशोंमें निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय,

(i) **पिछले वित्तीय वर्ष की निदेशक मंडल की अंतिम बैठक और समीक्षाधीन अवधि की पहली बैठक में 3 महीने से अधिक का अंतराल था; जो निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 के अनुपालन में नहीं है।**

(ii) **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक, नामित और स्वतंत्र निदेशकों का कोई इष्टतम संयोजन नहीं था, जो निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.1 और 3.1.4 के अनुपालन में नहीं है।**

(iii) **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों के पास वित्तीय मामलों की विशेषज्ञता नहीं थी, जो निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 के अनुपालन में नहीं है।**

(iv) **लेखापरीक्षा समिति की 50वीं बैठक की संरचना अपर्याप्त थी, समिति में केवल दो सदस्य थे; जो निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 के अनुपालन में नहीं है।**

हम आगे कहते है कि इस तरह के अनुपालन न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है, जिसमें प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते रवि एस.शर्मा एवं एसोसिएटस
कंपनी सचिवगण

ह0/–
रवि एस. शर्मा
(प्रोपराईटर)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.11.2021

3016/5, द्वितीय तल, लेन सं. 12ए, रणजीत नगर, साऊथ पटेल नगर, नियर शिव चौक, नई दिल्ली–110008
दूरभाष: 011-25841748, Mob: 9310675151 ईमेल: csravisharma@gmail.com

RAVI. S. SHARMA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National Seeds Corporation Limited,** [“the Corporation”] for the year ended on 31st March 2021, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except

(i) There was a gap of more than 3 months in the last board meeting of the previous financial year and first board meeting of the period under review; which is not in compliance with Para 3.3.1 of the DPE guidelines on Corporate governance.

(ii) There were no optimum combination of functional, nominee and independent directors in the Board of the Company during the year under review; which is not in compliance with Para 3.1.1 and 3.1.4 of the DPE guidelines on Corporate governance.

(iii) The members of the audit committee didn’t have the expertise of financial matters including Chairman of the committee, during the year under review, which is not in compliance with Para 4.1.3 of the DPE guidelines on Corporate governance.

(iv) The Composition of Audit committee in its 50th meeting was inadequate, there were only two member in the Committee; which is not in compliance with Para 4.1.3 of the DPE guidelines on Corporate governance.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For, Ravi S Sharma & Associates,
Company Secretaries,

Sd/-
Ravi S Sharma
(Proprietor)

Place: New Delhi
Date: 07.11.2021

3016/5, II Floor, Lane No. 12A, Ranjeet Nagar, South Patel Nagar, Near Shiv Chowk, New Delhi-110008
Tel: 011-25841748, Mob: 9310675151 Email: csravisharma@gmail.com

निगमित शासन प्रमाणपत्र के अंतर्गत उठाई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1.	**पिछले वित्तीय वर्ष की आगामी निदेशक मंडल की बैठक और समीक्षाधीन अवधि की पहली निदेशक मंडल की बैठक में 3 महीने से अधिक का अंतराल था; जो निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 के अनुपालन में नहीं है।**	डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन महीने के अंतराल पर न्यूनतम चार बैठकें होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में निदेशक मंडल की अंतिम बैठक 28.02.2020 को आयोजित की गई। वित्त वर्ष 2020–21 की निदेशक मंडल की पहली बैठक 10.06.2020 को आयोजित हुई। इस प्रकार दो बैठकों का अंतराल तीन महीने से अधिक का था। कोविड–19 के खतरे के कारण तथा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने से देरी हुई। आगे कोविड– 19 के प्रकोप को देखते हुए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 11/2020 दिनांक 24.03.2020 में छूट दी थी। इस प्रकार निदेशक मंडल की बैठक 120 दिनों से 180 दिनों तक की अनिवार्य आवश्यकता को अगली दो तिमाहियों तक यानी 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
2.	**समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में कार्यात्मक, नामित और स्वतंत्र निदेशकों का कोई इष्टतम संयोजन नहीं था, जो कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.1 और 3.1.4 के अनुपालन में नहीं है।**	एनएससी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशकों के स्वीकृत पद 3 हैं। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएससी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक कुल संख्या का 1/3 होगें और 2 सरकारी नामित निदेशक होगें। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल में 3 कार्यात्मक और 2 सरकारी नामित निदेशक थे। हालांकि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार इष्टतम संयोजन हासिल नहीं किया जा सका। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जोकि प्रशासनिक मंत्रालय है, को उपरोक्त विनियमों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था।

Management's Reply on the observations raised under Corporate Governance Certificate are as under:

Sr.no.	Observations	Management's Reply
1.	**There was a gap of more than 3 months in the last board meeting of the previous financial year and first board meeting of the period under review; which is not in compliance with Para 3.3.1 of the DPE guidelines on Corporate governance.**	The Para 3.3.1 of DPE Guidelines provides that there shall be minimum four meetings in every year with atleast three months gap. The last Board Meeting of the F.Y. 2019-20 was held on 28.02.2020. The First Board Meeting of F.Y. 2020-21 was held on 10.06.2020. Thus the gap of two meetings was more than three months. The reason for delay was threat posed by COVID 19 and Nationwide lockdown with extension. Further looking to the COIVD 19 outbreak, the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular no. 11/2020 dated 24.03.2020 had granted relaxation and extended the mandatory requirement of holding Board meeting from 120 days to 180 days till next two quarters i.e. till 30th September, 2020.
2.	**There were no optimum combination of functional, nominee and independent directors in the Board of the Company during the year under review; which is not in compliance with Para 3.1.1 and 3.1.4 of the DPE guidelines on Corporate governance.**	The approved posts of Functional Directors on the Board of NSC are 3. As per DPE Guidelines and the Board of NSC shall have 1/3 of the total strength as Independent Director and 2 Government Nominee Directors. During the F.Y. 2020-21, the Board had 3 functional and 2 Government Nominee Directors. However due to completion of term of Independent Directors the optimum combination as per the Guidelines could not be achieved. As per the Articles of Association of the Company, the power to appoint Directors vests with the President of India. The Company had requested Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, being administrative Ministry for appointment of Independent Directors for compliance of the above regulations

क्र.सं.	अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
3.	**समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों के पास वित्तीय मामलों की विशेषज्ञता नहीं थी, जो कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 के अनुपालन में नहीं है।**	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, एनएससी के निदेशक मंडल में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जाते हैं । चूंकि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और अधिकांश सदस्य स्वतंत्र निदेशक होते हैं, कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को लेखा परीक्षा समिति में नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 में प्रावधान है कि कम से कम एक सदस्य को संबंधित लेखांकन तथा वित्तीय विशेषज्ञता का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
4.	**50वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की संरचना अपर्याप्त थी, समिति में केवल दो सदस्य थे; जो कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 के अनुपालन में नहीं है।**	डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे जिनमें से बहुमत स्वतंत्र निदेशकों का होगा। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एनएससी की लेखा परीक्षा समिति में दो स्वतंत्र और एक सरकारी नामित निदेशक सहित तीन निदेशक शामिल हैं। यद्यपि डॉ. बी.बी. मोहंती, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 17.10.2020 को पूरा होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एनएससी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक शेष रह गए । इसलिए कंपनी ने विनियमों के अनुपालन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जोकि निगम का एक प्रशासनिक मंत्रालय है, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया।

Sr.no.	Observations	Management's Reply
3.	**The members of the audit committee didn't have the expertise of financial matters including Chairman of the committee, during the year under review, which is not in compliance with Para 4.1.3 of the DPE guidelines on Corporate governance.**	Being a Central Public Sector Enterprise, the power to appoint Directors on the Board of NSC vest with the President of India. Accordingly all the Directors including Independent Directors are appointed by the Administrative Ministry i.e. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare by issuance of Presidential Order. As the Chairman and majority of Members of the Audit Committee shall be Independent Director, the Independent Directors appointed on the Board of Company are appointed in Audit Committee. Further Para 4.1.3 of the Guidelines provides that atleast one Member shall have good knowledge of accounting and related financial expertise.
4.	**The Composition of Audit committee in its 50th meeting was inadequate, there were only two member in the Committee; which is not in compliance with Para 4.1.3 of the DPE guidelines on Corporate governance.**	As per Para 4.1.3 of DPE Guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors out of which majority shall be Independent Director. During the F.Y. 2020-21 the Audit Committee of NSC comprises of three Directors including two Independent and one Government Nominee Director. However due to completion of term of Dr. B.B. Mohanty, Independent Director on 17.10.2020 only one Independent Director remains on the Board of NSC for the F.Y. 2020-21. Hence the Company had requested Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, being administrative Ministry for appointment of Independent Directors for compliance of the regulations.

अनुबंध–III

वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पताः 387, पहला तल, शक्ति खंड–3,
इन्द्रापुरम, गाजियाबाद–201010, (उत्तर प्रदेश)
Tel : +91-0120-4272409
M : +91-9910091070
+91-9711670085
ई–मेल : vapassociatespcs@gmail.com

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी के नियम 09 के अनुसार
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014]

प्रति
सदस्यगण,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली–110012

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (सीआईएन यू74899डीएल1963जीओआई003913)** (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा प्रभावी निगमित प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित की गई, जिससे हमें कॉपरेट मूल्याकंन/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यकन के लिए और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

क. कंपनी की कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों तथा दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं विवरणियों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी एवं उनके अधिकारियों, एंजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एतद्वारा हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2021को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में (ऑडिट अवधि) सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह तक कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रिया एवं अनुपालन तंत्र है।

ख. हमने प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों और दाखिल किए प्रपत्रों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार कीः–

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम,

ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)**

iii) डिपोजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियमय

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं थे, और कोई बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं लिया गया।)**

v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम एवं दिशानिर्देश– **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.,
Tel : +91-0120-4272409
M : +91-9910091070
+91-9711670085
E-mail : vapassociatespcs@gmail.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH, 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members,
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **National Seeds Corporation Limited (CIN U74899DL1963GOI003913)** (hereinafter called the 'Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

A. Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

B. We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under; **(No such event during Audit Period)**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Company during the Audit period as there were no Foreign Direct Investments, Overseas Direct Investments in the Company and no External Commercial Borrowings were made by the company);**

(v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act')- **(Not Applicable to the Company during the Audit period);**

vi) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के विभिन्न विभागों के प्रमुखों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण/प्रमाणपत्रों और उनके द्वारा दिए गए कंपनी सचिवालय के कानूनी विभाग को प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आमतौर पर उन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो कंपनी पर लागू होते है जिनमें शामिल है–सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) कॉपरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, बीज अधिनियम (1966), बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 या उसके संशोधन का पालन किया है।

ग. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस–1) और आम बैठकें (एसएस–2) की बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक,

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के साथ किए गए सूचिवद्ध करारनामे **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

घ. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का निम्नलिखित अवलोकन के अधीन अनुपालन किया है:–

(i) धारा 149, कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। हालांकि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक दिनांक 17.10.2020 से 31.03.2021 तक केवल एक ही था। (रिपोटिंग अवधि का अंत तक)

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति लंबित होने के कारण तथा निदेशक मंडल एवं उसकी समितियों की अनुचित संरचना से 17.10.2020 से 31.03.2021 तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 की आवश्यकता तथा अन्य संबद्ध आवश्यकताओं के कारण जैसे स्वतंत्र निदेशकों आदि की अलग बैठक इत्यादि विचलन का कारण बना है।

(iii) धारा 129 के अनुसार, जहां किसी कंपनी की एक या अधिक सहायक या सहयोगी कंपनियां है, इसे उप नियम–2 के तहत प्रदान किए गए वित्तीय विवरणों के अलावा कंपनी और उसकी सभी सहयोगी एवं सहायक कंपनियों की उसी रूप में और उसी तरीके से समेकित वित्तीय विवरण तैयार करनी होती हैं, लागू लेखा मानकों के अनुसार, जिस तरह से स्वंय की वित्तीय विवरण तैयार किए और उन्हें उपधारा (2) के तहत कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रखे जाने चाहिए। कंपनी की छह (6) सहयोगी कंपनियां है: लेकिन कंपनी ने केवल स्टैंडआलोन वित्तीय विवरण तैयार किए और अनुमोदित किए। समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए एवं अनुमोदित नहीं किए।

(iv) सचिवीय मानक 1 के अनुसार, बोर्ड या समिति की बैठक के समापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसके कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड या समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाएगा। फिर भी, कार्यवृत्त टिप्पणियॉ के लिए परिचालित नहीं किए गए थे।

(v) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक को होने चाहिए, लेखा परीक्षा समिति में दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक सदस्य होंगे। हालांकि कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 17.10.2020 से 31.03.2021 तक केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

ड) **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :–**

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है: सिवाय, ऊपर 'घ' में इंगित स्वंतत्र निदेशक को छोड़कर। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन मे किया गया।

(vi) Having regard to the compliance system prevailing in the Company, on the basis of presentation/ certificates made by the heads of the various Departments of the Company, and the compliance certificates made by them submitted to the Secretarial and Legal Department of the Company, we report that the Company has generally complied with the provisions of those Acts that are applicable to company including Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, The Seeds Act (1966), Seed Rules, 1968 and Seed (Control) Order, 1983 or any amendment there of.

C. We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s). **(not applicable to the Company during the audit period).**

D. During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

(i) As per Section 149 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 the Company shall have at least two independent directors and shall have at least one woman director. However, there was only one independent Director on the Board of the Company w.e.f. 17.10.2020 till 31.03.2021 (end of reporting period).

(ii) Due to pending appointment of Independent Director on the Board of the Company and improper composition of the Board and its Committees w.e.f. 17.10.2020 till 31.03.2021, the respective requirements of Sections 177 and 178 of the Companies Act, 2013, with respect to Independent Directors on its Board has also led to deviation with other allied requirements such as separate Meeting of independent Directors etc.

(iii) As per Section 129, where a company has one or more subsidiaries or associate companies, it shall, in addition to financial statements provided under sub-section (2), prepare a consolidated financial statement of the company and of all the subsidiaries and associate companies in the same form and manner as that of its own and in accordance with applicable accounting standards, which shall also be laid before the annual general meeting of the company along with the laying of its financial statement under sub-section (2). The Company has Six (6) Associate Companies, but the Company has prepared and approved only Standalone Financial Statements, Consolidated Financial Statements have not been prepared and approved.

(iv) As per Secretarial Standard 1, Within fifteen days from the date of the conclusion of the Meeting of the Board or the Committee, the draft Minutes thereof shall be circulated to all the members of the Board or the Committee, as on the date of the Meeting, for their comments, however, the minutes were not circulated for the comments.

(v) As per the DPE Guidelines, at least one-third of the Board Members should be Independent Directors, two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors, however, there was only one independent Director on the Board of the Company w.e.f. 17.10.2020 till 31.03.2021.

E. **We further report that**

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors except as mentioned in para D above regarding Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक की सूचना समय पर दी गई है और एंजेंडे एवं विस्तृत नोट आम तौर पर बैठक से सात दिन पूर्व भेजें गए और बैठक से पहले एंजेडा पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा सार्थक भागीदारी के लिए पर्याप्त प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं: जैसे कि निदेशक मंडल या समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज हैं, जैसा भी मामला हो।

ङ. **हमे आगे रिपोर्ट करते हैं कि** हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कंपनी में रखे गए रिकॉर्ड, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं। सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देश की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली है।

टिप्पणीः इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है।

वीएपी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएन : S2014UP280200
सहकर्मी समीक्षा संख्या – 1083/2021

पारूल जैन
प्रोपराईटर
सदस्यता संख्या – एफ8323
सीपी संख्या – 13901
यूडीआईएनः एफ008323सी001117002

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 07.10.2021

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were generally sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out by majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

F. **We further report that** based on the information and explanations given to us and the representations made by the Management and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

For **VAP & Associates**
Company Secretaries
FRN: S2014UP280200
Peer Review No: 1083/2021

Parul Jain
Proprietor
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323C001117002

Place: Ghaziabad
Date: 07.10.2021

"अनुलग्नक–क"

वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पताः 387, पहला तल, शक्ति खंड–3,
इन्द्रापुरम, गाजियाबाद–201010, (उत्तर प्रदेश)
Tel : +91-0120-4272409
M : +91-9910091070
+91-9711670085
ई–मेल : vapassociatespcs@gmail.com

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली–110012

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व इन सचिवीय अभिलेखों की लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है। हम मानते है कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने समीक्षधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है; इसलिए हमने नमूना आधार पर वैधानिक/कानूनी अनुपालनों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित किया है तथा उनकी रिपोर्ट में इंगित योग्यता/अवलोकन भी इस रिपोर्ट का भाग हैं।
4. हमने कपंनी के खातों की वित्तीय अभिलेखों और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
5. जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन तक सीमित थी।
7. कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच, भारत में आम तौर पर स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार की हैं। हमने संस्थान के दौरान, कंपनी या उसके द्वारा किसी भी धोखाधड़ी के मामले का पता नहीं चला और न ही वर्ष के दौरान इस तरह के मामलें की सूचना मिली और तदनुसार कंपनी ने हमें ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

वीएपी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएन : S2014UP280200

पारूल जैन
प्रोपराईटर
सदस्यता संख्या – एफ8323
सीपी संख्या – 13901

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 07.10.2021

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Add: 387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.,
Tel : +91-0120-4272409
M : +91-9910091070
+91-9711670085
E-mail : vapassociatespcs@gmail.com

To
The Members,
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial record. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have relied on the Internal Auditors Report for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory/ Legal Compliances on sample basis. The qualifications/observations mentioned in their report also forming part of this report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
6. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
7. During the course of our examination of the books and records of the Company carried out in accordance with generally accepted practices in India, we have neither come across any instance of fraud on or by the Company, nor the Company has noticed and reported any such case during the year and accordingly the Company has not informed us of any such case.

For **VAP & Associates**
Company Secretaries
FRN: S2014UP280200

Parul Jain
Proprietor
M. No. F8323
CP No. 13901

Place: Ghaziabad
Date: 07.10.2021

बोर्ड की रिपोर्ट में परिशिष्ट

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
(i)	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित धारा 149 के अनुसार, कंपनी में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे और कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। तथापि, दिनांक 17.10.2020 से 31.03.2021 तक (रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति) तक कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशक डॉ बी बी मोहंती का कार्यकाल दिनांक 17.10.2020 को पूर्ण हो गया था। तत्पश्चात , वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एनएससी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक रहा है, की कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक है। कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जोकि प्रशासनिक मंत्रालय है, को उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था।
(ii)	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति लंबित होने के कारण और दिनांक 17.10.2020 से 31.03.2021 तक बोर्ड और उसकी समितियों की अनुचित सरंचना के कारण, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 एवं अन्य संबद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आदि का भी विचलन हुआ है।	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड के साथ–साथ बोर्ड की समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व को संज्ञान में लिया गया है। हालाँकि बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। इस प्रकार प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
(iii)	धारा 129 के अनुसार, जहां किसी कंपनी की एक या अधिक सहायक या सहयोगी कंपनियां हैं, वहां उप–धारा (2) के तहत प्रदान किए गए अपने वित्तीय विवरणों के अलावा, कंपनी अपने सभी सहायक कंपनियों की एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी और उसी रूप और तरीके से और लागू लेखा मानकों के अनुसार, उप–धारा (2) के तहत, अपने वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखी जाएगी। कंपनी की छह (6) सहयोगी कंपनियां हैं, लेकिन कंपनी ने केवल अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार और अनुमोदित किए हैं तथा समेकित वित्तीय विवरण तैयार एवं अनुमोदित नहीं किए।	बीज क्षेत्र में व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य बीज निगमों के साथ बीज प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) योजना के तहत, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) और पूर्ववर्ती भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड (एसएफसीआई) के माध्यम से वर्ष 1970 के दौरान, विभिन्न राज्य बीज निगमों में निवेश किया था। इसके अलावा एनएससी और एसएफसीआई ने इन निधियों को कुल 10 राज्य बीज निगमों में निवेश किया था और बदले में भारत सरकार को एनएससी के शेयर जारी किए थे। आज तक, दोनों निगमों की कुल शेयरधारिता (01.04.2014 से विलय के बाद) छह राज्य बीज निगम में 20% से अधिक है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर उन्हें एनएससी की सहयोगी कंपनियां कहा जाता है। निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) और (3) के तहत इन एसोसिएट कंपनियों के इंडएएस लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ अपने वित्तीय विवरणों को समेकित करना अनिवार्य है।

<u>**ADDENDUM TO THE BOARDS' REPORT -**</u>

Management's Reply on the Secretarial Audit Report is as under:

Sr.no.	Observations	Management's Reply
(i)	As per Section 149 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 the Company shall have at least two Independent Directors and shall have at least one woman Director. However, there was only one Independent Director on the Board of the Company w.e.f. 17.10.2020 till 31.03.2021 (end of reporting period).	During the financial year 2020-21 the term of Dr. B.B. Mohanty, Independent Director was completed on 17.10.2020. Thereafter only one Independent Director remains on the Board of NSC for the F.Y. 2020-21 as against the requirement under the provisions of the Companies Act, 2013. As per the provisions of the Articles of Association of the Company, the power to appoint Directors vests with the President of India. The Company had requested Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, being administrative Ministry for appointment of Independent Directors for compliance of the above provisions.
(ii)	Due to pending appointment of Independent Director on the Board of the Company and improper composition of the Board and its Committees w.e.f. 17.10.2020 till 31.03.2021, the respective requirements of Sections 177 and 178 of the Companies Act, 2013, with respect to Independent Directors on its Board has also led to deviation with other allied requirements such as separate Meeting of independent Directors etc.	The mandatory representation of the Independent Directors on the Board as well as Committees of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 are noted with. However the power to appoint Directors on the Board is vested with the President of India. Thus request is submitted to the administrative Ministry for appointment of Independent Directors on the Board to comply with the provisions.
(iii)	As per Section 129, where a company has one or more subsidiaries or associate companies, it shall, in addition to financial statements provided under sub-section (2), prepare a consolidated financial statement of the company and of all the subsidiaries and associate companies in the same form and manner as that of its own and in accordance with applicable accounting standards, which shall also be laid before the annual general meeting of the company along with the laying of its financial statement under sub-section (2). The Company has Six (6) Associate Companies, but the Company has prepared and approved only Standalone Financial Statements, Consolidated Financial Statements have not been prepared and approved.	In order to enhance business prospects in Seed Sector and exchange of Seed technology with State Seeds Corporations, Govt. of India had infused funds through National Seeds Corporation Limited (NSC) and erstwhile State Farms Corporation of India Limited (SFCI) under National Seeds Project (NSP) Scheme for investment in various State Seeds Corporations during 70's. Further NSC & SFCI had invested these funds in total 10 State Seeds Corporations and in turn issued NSC's shares to the Govt. of India. As on date, aggregate Shareholding of both the Corporations (after merger w.e.f. 01.04.2014) is more than 20% in six State Seeds Corporation and thus by virtue of the provisions of the Companies Act, 2013 they are termed as Associate Company of NSC and Corporation is mandated to consolidate its Financial Statements with the Audited Financial Statements in IndAS of these Associate companies u/s 129(2)&(3) of the Companies Act, 2013.

क्र.सं.	अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 11.01.2021, 09.03.2021, 30.06.2021 और 14.07.2021 को इन एसोसिएट कंपनियों को पत्र लिखे गए थे, जिसमें इंड एएस में तैयार किए गए उनके ऑडिटेड और अनुमोदित वित्तीय विवरणों की मांग की गई थी, ताकि ऑडिट के बाद समेकित वित्तीय विवरणों को वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सके। यद्यपि, ये सहयोगी कंपनियां समय के भीतर इंड एएस में तैयार किए गए विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित वित्तीय विवरण प्रदान करने में असमर्थ रहे और इस प्रकार एनएससी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तथ्यों के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 से बोर्ड के अनुमोदन से दाखिल कर रहा है। प्रशासनिक मंत्रालय इस बात से अवगत है और मंत्रालय और कंपनी दोनों सहयोगी कंपनियों को लगातार 19% से अधिक के शेयरों को वापस खरीदने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वे लेखा खाते प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इस मामले को सुलझाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 6–12/2015–एसडी-I दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण विभाग के नाम पर इन 6 सहयोगी कंपनियों में एनएससी के 50% शेयरों के हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है।
(iv)	सचिवीय मानक 1 के अनुसार, बोर्ड या समिति की बैठक की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किए जाएगे। हालांकि टिप्पणियों के लिए कार्यवृत्त परिचालित नहीं किए गए।	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त बोर्ड बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर बोर्ड के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए भेजी जाती है। हस्ताक्षरित कार्यवृत्त को बोर्ड की आगामी बैठक में पुष्टि के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। हालांकि टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(v)	डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए तथा लेखा परीक्षा समिति के दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में 17.10.2020 से 31.03.2021 तक केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के साथ–साथ बोर्ड की समितियों में स्वतंत्र निदेशकों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व का 17.10.2020 तक अनुपालन किया जा रहा था। फिर भी एक स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति को नोट किया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 17.10.2020 तक बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध था। निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। इस प्रकार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

Sr.no.	Observations	Management's Reply
		During the F.Y 2020-21, letters dated 11.01.2021, 09.03.2021, 30.06.2021 and 14.07.2021 were written to the Associate companies seeking for their Audited and approved Financial Statements prepared in IndAS, so that after Audit consolidated Financial Statement can be submitted before the Shareholders in the Annual General Meeting. However these Associate companies are unable to provide the duly audited and approved Financial Statements prepared in IndAS, within time and thus NSC is filing its standalone Financial Statements with Registrar of Companies (ROC) with the Statement of facts informing the status of this non-compliance since F.Y. 2015-16 with the approval of the Board. Administrative Ministry is aware of this and both the Ministry and the Company are continuously insisting the Associate Companies to Buy Back the Shares in excess of 19% since they were not in a position to provide the Accounts. Hence to resolve the matter, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare has approved transfer of 50% shares held by NSC in these 6 Associate companies in the name of Department of Agriculture & Farmers Welfare vide letter no. 6-12/2015-SD-I dated 24.08.2021.
(iv)	As per Secretarial Standard 1, Within fifteen days from the date of the conclusion of the Meeting of the Board or the Committee, the draft Minutes thereof shall be circulated to all the members of the Board or the Committee, as on the date of the Meeting, for their comments, however, the minutes were not circulated for the comments.	The Minutes approved by the Chairman cum Managing Director are sent to all the Members of the Board within 30 days from date of Board Meeting seeking for their comments, if any. The signed Minutes are also placed before the Board in subsequent Board Meeting for confirmation. However the observations are noted with and compliance will be ensured.
(v)	As per the DPE Guidelines, at least one-third of the Board Members should be Independent Directors, two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors, however, there was only one independent Director on the Board of the Company w.e.f. 17.10.2020 till 31.03.2021.	The mandatory representation of the Independent Directors on the Board as well as Committees of the Board in accordance with the Corporate Governance Guidelines issued by Department of Public Enterprises was being complied upto 17.10.2020. Due to the end of tenure of one Independent Director is noted. However the power to appoint Director, only one was available w.e.f 17.10.2020 during the F.Y. 2020-21 on the Board is vested with the President of India. Thus request is submitted to the administrative Ministry for appointment of Independent Directors on the Board.

अनुबंध–IV

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

(कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 का नियम 08 के अनुपालन में)

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखाः** निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, समाज के उन वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से बाहर थे। इस उद्देश्य के लिए, एनएससी ने अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों को राष्ट्रीय प्रयास के अनुरूप, समाज के हाशिए पर रहे और वंचित वर्गों को सामाजिक, पर्यावरण और मानव विकास, सशक्तिकरण और उत्थान के लिए एकीकृत करने की कल्पना की गई है।

   एनएससी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और समय–समय पर संशोधित अधिनियम के अनुसूचित VII के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार तथा डीपीई, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई के लिए जारी सीएसआर दिशानिर्देश के अनुसार तैयार की गई है।

   अधिनियम के सीएसआर प्रावधान, अधिनियम की अनुसूची VII, या सीएसआर नियम प्रकृति में पूर्ण और अनिवार्य हैं। सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा तैयार सीएसआर पर दिशानिर्देश अधिनियम के किसी प्रावधान या अधिनियम या सीएसआर नियमों की अनुसूची VII को अधिक्रमण या अधिरोहण नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें पूरक करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम और दिशानिर्देशों के बीच किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति में, सभी परिस्थितियों में पूर्व प्रभावी होगा।

2. **प्रथम श्रेणी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति की संरचनाः**

क्र.सं	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	श्री वी.के. गौड़	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष	02	02
2.	श्री वी. मोहन	निदेशक (वित्त) / सदस्य	02	02
3.	श्री श्यामवीर सैनी	स्वतंत्र निदेशक / सदस्य	02	02

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट https://www.indiaseeds.com पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें। यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)। **लागू नहीं।**

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन हेतु उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई (रुपये में)
	---	शून्य	---
	कुल		

6. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः रुः 4634.93 लाख है।

7. (क) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः रुः 92.70 लाख।

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष– शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग): रुः 92.70 लाख

Annexure-IV.

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

(Pursuant to Rule 8 of the Companies (C.S.R. Policy) Rules, 2014)

1. **Brief outline on CSR Policy of the Company:** Under Corporate Social Responsibility, National Seeds Corporation Limited is committed to include those Sections of the Society in the growth process, which had hitherto remained excluded from the mainstream of development. For this purpose, Corporate Social Responsibility (CSR) activities of NSC are conceived with an idea for integrating social, environmental and human development, empowerment and upliftment of the marginalized and under- privileged Sections of the Society in line with the National endeavor.

   The Corporate Social Responsibility Policy of NSC is prepared in pursuant to mandatory provisions of Section 135 of Companies Act, 2013 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and Scheduled VII of the Act as amended from time to time, within the framework of CSR guidelines for CPSEs issued by DPE, GOI.

   The CSR provisions of the Act, Schedule VII of the Act, or the CSR rules are absolute and mandatory in nature. The Guidelines on CSR formulated by DPE for CPSEs do not supersede or override any provision of the Act, or Schedule VII of the Act or CSR Rules, but will supplement them. It is clarified that in case of any conflict between the Act and the Guidelines, the former shall prevail under all circumstances.

2. **Composition of 1st Tier Corporate Social Responsibility & Sustainability Committee:**

S.No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri V.K. Gaur	Chairman-cum-Managing Director/ Chairman	02	02
2.	Shri V. Mohan	Director (Finance)/ Member	02	02
3.	Shri Shyamvir Saini	Independent Director/ Member	02	02

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the company-https://www.indiaseeds.com/

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report). **Not applicable.**

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

S.No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
	---	NIL	---
	TOTAL		

6. Average net profit of the company as per section 135(5) for the F.Y. 2020-21: Rs. 4634.93 Lakhs

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) for the F.Y. 2020-21:Rs. 92.70 Lakhs.

   (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.- NIL

   (c) Amount required to be set off for the financial year, if any- NIL

   (d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c): Rs. 92.70 Lakhs

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
8464713	16,42,000 (पिछले वित्त वर्ष की 12,37,000 रुपये की अव्ययित राशि शामिल है)	07.04.2021	स्वच्छ गंगा कोष	5,00,000	28.09.2021
	4,00,287	07.09.2021	पीएम केयर्स फंड	7,10,600	28.09.2021

वित्त वर्ष 2020–21 की अप्रयुक्त सीएसआर राशि को संशोधित प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष की अव्ययित सीएसआर राशि नियत समय में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	
क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ/नही)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	सरकारी स्कूल में टेबल और कुर्सी के साथ 6 यूपीएस और 2 प्रिंटर	(ii)	हां	प. ब.	कालाहांडी	1 साल के भीतर	431400	431400	431400	क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता की देखरेख में पर्यवेक्षण।		
	कुल						**431400**	**431400**	**431400**			

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	
क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ/नही)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	रायचूर जिले के सीमांत किसानों को जैविक कीटनाशकों, उर्वरक आदि के साथ शाकाहारी बीज किट का वितरण।	(i)	हां	कर्नाटक	रायचूर	494000	हां, सीएसएफ रायचूर की निगरानी में वितरण किया गया	लागू नहीं	–
2.	हिसार जिले के तीन गांवों में वंचित वर्गों के बीच पोषाहार किट का वितरण।	(i)	हां	हरियाणा	हिसार	469297	हां, सीएसएफ हिसार की निगरानी में वितरण किया गया।	लागू नहीं	–

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer
8464713	16,42,000 (include unspent amount of Rs. 12,37,000 of previous F.Y.)	07.04.2021	Clean Ganga Fund	5,00,000	28.09.2021
	4,00,287	07.09.2021	PM CARES Fund	7,10,600	28.09.2021

The unspent CSR amount of F.Y. 2020-21 is transferred to the funds specified under schedule-VII of the Companies Act, 2013 in accordance with the amended provisions. The unspent CSR amount of previous F.Y. will be transferred in due course.

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Sl. No	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation- Direct (Yes/No).	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Regist ration number.
1	6 UPS and 2 Printers along with table and chair in Govt. School	(ii)	Yes	W.B.	Kalahandi	Within 1 year	431400	431400	431400	Direct under the supervision of Regional Office Kolkata.		
	Total						**431400**	**431400**	**431400**			

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	
Sl. No	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Amount spent in the current Financial Year (in Rs.).	Mode of Implementation- Direct (Yes/No).	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
				State.	District.			Name	CSR Registration number.
1.	Distribution of Veg. seed kits along with organic Pesticides, Fertilizer etc. to marginal farmers of Raichur District.	(i)	Yes	Karnataka	Raichur	494000	Yes, Distribution carried under the monitoring of CSF Raichur	NA	-
2.	Distribution of Nutrition kits among the under-privileged sections in three villages of Hisar district.	(i)	Yes	Haryana	Hisar	469297	Yes, Distribution carried under the monitoring of CSF Hisar	NA	-

3.	सरकारी स्कूलों में 145 बेंचों का वितरण।	(i) एवं (ii)	हां	बिहार	पिपराकोठी	470526	हां, सीएसआर गतिविधियां क्षे.का, पटना की देखरेख में की गई थीं।	लागू नहीं	–
4.	4 गांवों के बीपीएल परिवारों को सब्जी किट का वितरण।	(i)	हां	राजस्थान	श्री गंगानगर	338917	हां, सीएसएफ सूरतगढ़ की निगरानी में वितरण किया गया।	लागू नहीं	–
5.	नूनिया गोठड़ा ग्राम पंचायत समिति, झुंझुनू राजस्थान में 2 आरओ की स्थापना	(i)	हां	राजस्थान	झुनझुनु	497000	हां, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की देखरेख में कार्य किया गया।	लागू नहीं	–
6.	(i) वाक् एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के कल्याण केंद्र, हिसार में वाटर कूलर/आरओ प्लांट की स्थापना (ii) गुरदासपुर के सरकारी स्कूल में 3 लैपटॉप का वितरण। (iii) सरकारी स्कूल, भटिंडा को कंप्यूटर सेट और प्रिंटर वितरण। (iv) सरकारी मिडिल स्कूल, करनाल को 03 कंप्यूटर सेट का वितरण।	(i) – (ii)	हां	हरियाणा पंजाब पंजाब हरियाणा	हिसार जलान्धर भंटिडा करनाल	404552	हां, सीएसआर गतिविधियां क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की देखरेख में की गईं।	लागू नहीं	–
7.	छोटे सीमांत किसानों को सब्जी और चारा बीज किट का वितरण।	(i)	हां	उत्तरप्रदेश	देवरिया गोरखपुर एवं कुशीनगर	1500000	हां, वितरण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की निगरानी में किया गया।	लागू नहीं	–
8.	11 सरकारी स्कूलों में प्यूरीफायर के साथ 8 वाटर कूलर एवं 3 वाटर कूलर की स्थापना।	(i)	हां	मध्य प्रदेश	भोपाल, निवाडी, इंदोर एवं रायपुर	450200	हां, निविदा आमंत्रित करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा स्थापना की गई थी।	लागू नहीं	–
9.	सरकारी स्कूल में भंडारण टैंक के साथ 2 वाटर प्यूरीफायर और दो सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना	(i) – (ii)	हां	आंध्र प्रदेश	खाम्मा	506400	हां, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद की निगरानी में कार्य किया गया।	लागू नहीं	–
10	शासकीय विद्यालय में शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	(i)	हां	कर्नाटक	बागपल्ली	500000	हां, निविदा आमंत्रित करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारा गतिविधि की जाती है।	लागू नहीं	–
11.	गरीब किसानों को लघु बाजरा या दलहन और मिश्रित सब्जी बीज किट का वितरण।	(i)	हां	तमिलनाडू एवं केरला	रामनाथपुरम और वायनाड़	553101	हां, वितरण क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई की निगरानी में किया गया।	लागू नहीं	–
12.	सरकारी स्कूलों में बेंचों का वितरण।	(ii)	हां	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	1000000*	हां, क्षेत्रीय कार्यालय पुणे की देखरेख में गतिविधि की गई।	लागू नहीं	–
13.	गरीब किसानों को ओपी किस्मों के बीज किट का वितरण	(i)	हां	गुजरात	द्वारका	64944	हां, वितरण क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर की निगरानी में किया गया।	लागू नहीं	–
14.	सरकारी स्कूल में कक्षा का निर्माण।	(ii)	हां	राजस्थान	श्री गंगानगर	500000	हां, गतिविधि सीएसएफ सरदारगढ़ द्वारा की गई थी।	लागू नहीं	–
15.	सरकारी स्कूलों में आरओ के साथ वाटर कूलर लगाना।	(i)	हां	राजस्थान	श्री गंगानगर	215776	हां, सीएसएफ जेतसर की निगरानी में कार्य किया गया ।	लागू नहीं	–

3.	Distribution 145 Benches in 04 Govt. Schools.	(i) & (ii)	Yes	Bihar	Piprakothi	470526	Yes, the CSR activities were done under the supervision of RO Patna.	NA	-
4.	Distribution of vegetable kits to BPL families of 4 villages.	(i)	Yes	Rajasthan	Sri Ganganagar	338917	Yes, Distribution carried under the monitoring of CSF Suratgarh	NA	-
5.	2 RO Systems in Nunia Gothda village Panchayat Samiti, Jhunjhunu Rajasthan	(i)	Yes	Rajasthan	Jhunjhunu	497000	Yes, work done under the supervision of RO Jaipur	NA	-
6.	(i) Installation of Water Cooler/RO Plant at Welfare Centre for persons with Speech and hearing impairment, Hisar	(i) & (ii)	Yes	Haryana	Hisar	404552	Yes, the CSR activities were done under the supervision of RO Chandigarh	NA	-
	(ii) Provide 3 Laptops in Govt. School, Gurdaspur.			Punjab	Jalandhar				
	(iii) Provide Computer set and Printer to Govt. School, Bhatinda.			Punjab	Bhatinda				
	(iv) Provide 3 Computer sets to Govt. Middle School, Karnal.			Haryana	Karnal				
7.	Distribution of Vegetable & Fodder seed kits to small marginal Farmers.	(i)	Yes	U.P.	Deoria, Gorakhpur and Kushinagar	1500000	Yes, Distribution carried under the monitoring of RO Lucknow	NA	-
8.	Installation of 8 Water Coolers with purifiers and 3 Water Coolers in 11 Govt. Schools.	(i)	Yes	M.P.	Bhopal, Niwari, Indore & Raipur.	450200	Yes, Installations were done by RO Bhopal after inviting Tender.	-	-
9.	Installation of 2 Water purifiers with storage tank and two Solar Power System in Govt. School	(i) & (ii)	Yes	A.P.	Khammam	506400	Yes, the work done under the monitoring of RO Secunderabad	NA	-
10	Construction of toilet block in the Govt. School.	(i)	Yes	Karnataka	Bagepally	500000	Yes, the activity carries by RO Bangalore after inviting Tender	NA	-
11.	Distribution of Minor Millets or Pulses & assorted Vegetable seed kits to the poor farmers.	(i)	Yes	Tamilnadu & Kerala	Ramnathapuram & Waynad	553101	Yes, the distribution done under the monitoring of RO Chennai.	NA	-
12.	Distribution of benches in Govt. Schools.	(ii)	Yes	Maharashtra	Osmanabad	1000000*	Yes, the activity carried under the supervision of RO Pune	NA	-
13.	Distribution of seed kits of O.P. varieties to the poor farmers	(i)	Yes	Gujarat	Dwarka	64944	Yes, the distribution was done under the monitoring of RO Gandhinagar	NA	-
14.	Construction of Classroom in Govt. School.	(ii)	Yes	Rajasthan	Sri Ganganagar	500000	Yes, the activity was carried by CSF Sardargarh	NA	-
15.	Installation of Water cooler with RO in Government Schools.	(i)	Yes	Rajasthan	Sri Ganganagar	215776	Yes, the work done under the monitoring of CSF Jetsar.	NA	-

16.	सशस्त्र बलों के आश्रितों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड, एमओडी के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान।	(iv)	हां	नई दिल्ली	नई दिल्ली	500000	हां, राशि सीधे प्रेषित की गई।	लागू नहीं	–

* वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों के लिए रु. 10.00 लाख के साथ 5.00 लाख रुपये शामिल हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय विवरणों में बुक की गई राशि।

घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशिः राशि को उपरोक्त तालिका में शामिल किया गया है।

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): रुपयेः 84.65 लाख

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि (रू. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	92,70,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	84,64,713
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	––
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	––
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	––

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण*:

क्र.सं	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)।	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (रू. में)	स्थानातरंण की तारीख	
1.	2017-18	8413000	11407575	---	---	---	9879000
2.	2018-19	9879000	14852245	---	---	---	7322000
3.	2019-20	7322000	16487201	---	---	---	1237000

* अव्ययित छोड़ी गई राशि का उपयोग बाद के वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधि करने के लिए किया गया था। हालाँकि ऐसी राशि को अलग फंड में स्थानांतरित नहीं किया गया था क्योंकि उक्त प्रावधान वित्त वर्ष 2020–21 से लागू है।

16.	Contribution to Kendriya Sainik Board, MOD towards Armed Forces Flag Day Fund for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependants.	(iv)	Yes	New Delhi	New Delhi	500000	Yes, amount remitted directly.	NA	-

* Rs. 10.00 Lakhs includes Rs. 5.00 Lakhs for the CSR activities undertaken during the Financial Year 2019-20. However, the amount booked in the Financial Statements during the Financial Year 2020-21.

(d) Amount spent in Administrative Overheads: The amount is included in above table.

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Not applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs. 84.65 Lakhs

(g) Excess amount for set off, if any: NIL

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	92,70,000
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	84,64,713
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	--
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	--
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	--

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years*:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs).	Date of transfer.	
1.	2017-18	8413000	11407575	---	---	---	9879000
2.	2018-19	9879000	14852245	---	---	---	7322000
3.	2019-20	7322000	16487201	---	---	---	1237000

*The amount left unspent was utilized in subsequent Financial year for undertaking CSR activity. However such amount was not transferred to the separate fund as the said provisions are effective from the F.Y. 2020-21 onwards.

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)।	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)।	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी।
		--		--		--		
	कुल							

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति–वार विवरण) प्रस्तुत करें।

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथिः वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से अर्जित संपत्ति सीएसआर गतिविधि के लाभार्थी संगठन को सौंप दी जाती है।

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च किए गए सीएसआर की राशि रु. 42.58 लाख है जैसा कि वित्तीय विवरण 2020–21 नोट संख्या 56 में विस्तृत है।

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादिः विवरण ऊपर 8 (सी) में दी गई तालिका में दिया गया है।

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करेंः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया था जिसमें बेंचों का वितरण, आरओ प्लांट की स्थापना और स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम प्रदान करना शामिल था जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत संपत्ति का निर्माण हुआ। संपत्ति या तो जीईएम पोर्टल के माध्यम से या उचित प्रक्रिया का पालन करके निविदा आमंत्रित करने के बाद हासिल की जाती है। संपत्ति लाभार्थी संगठनों को सौंप दी जाती है।

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हैः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने अधिनियम और अनुसूची VII में निर्धारित सीएसआर गतिविधियों के लिए मंजूरी दी थी। हालाँकि COVID-19 प्रतिबंधों और लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2020–21 के लिए रु. 8,05,287 अव्ययित रह गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अव्ययित सीएसआर फंड को अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयोग की गई चालू परियोजना की राशि और शेष अव्ययित सीएसआर निधि को अधिनियम की अनुसूची VII के तहत उल्लिखित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ह0 / –
निदेशक (वित्त)
व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.11.2021

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Sl. No.	**Project ID.**	**Name of the Project.**	**Year in which the project was commenced**	**Project duration.**	**Total amount allocated for the project (in Rs.).**	**Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs).**	**Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)**	**Status of the project - Completed/ Ongoing.**
		--		--		--		
	TOTAL							

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s): The assets acquired through CSR spent during the Financial year are handed over to the beneficiary organization of the CSR activity.

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset- Rs. 42.58 Lakhs as detailed in Note no. 56 of the Financial Statements 2020-21.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.: Particulars as detailed in Table given at 8 (c) above.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset): During the F.Y. 2020-21 Company had undertaken CSR activities comprising of distribution of benches, installation of RO plant and providing computer systems in schools which resulted in creation of Capital Assets. The assets are acquired either through GeM portal or after inviting Tender by following due procedure. The Assets are handed over to the Beneficiary organizations.

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5): During the year under review, the Board of Directors had given approval to carry out the CSR activities as prescribed in the Act and Schedule VII. However due to COVID 19 restrictions and lockdown the amount of Rs. 8,05,287 left unspent for the F.Y. 2020-21. In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 the unspent CSR Fund was transferred to the Separate Bank account. The amount for ongoing project utilized in the F.Y. 2021-22 and the remaining unspent CSR fund is transferred to the funds mentioned under Schedule VII of the Act.

Sd/-
Director (Finance)
& Chairman-cum-Managing Director
(Addl. Charge)

Place: New Delhi
Dated: 08.11.2021

एन एससी
NSC

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

रिपोर्ट/2-80/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/Company/A/cs/NSC/2020-21/ 7427
दिनांक :- 20/01/2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली-110012

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी०ए०जी० संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष/Phone : 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail : pdaafwr@cag.gov.in

कार्यालय महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

रिपोर्ट/2-80/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/Company/A/cs/NSC/2020-21/ 7427

दिनांक :-20/01/2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली-110012

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी०ए०जी० संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष/Phone : 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail : pdaafwr@cag.gov.in

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियांः—

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निहित वित्तीय सूचना की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसरण में, स्वतंत्र रूप से की गई लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09.11.2021 के अनुसार यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा करवा ली है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को बिना देखे स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गई पूछताछ और कम्पनी के कुछ लेखा रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित रही है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मानकों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे मतानुसार वित्तीय आंकड़ों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं।

क. परिसंपत्ति

I. वर्तमान परिसंपत्ति

(क) सूची (नोट –13) : रु. 25,641 लाख

इन्वेंटरी के साथ–साथ वर्ष के लिए लाभ को निम्नलिखित के कारण रु. 55.37 लाख अधिक बताया गया हैः

(i) कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), बैंगलोर ने निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना किए बिना भारित औसत लागत का उपयोग किया। इसके अलावा, भारित औसत लागत की गणना में, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर ने मूंगफली फसलों के लिए प्राप्त उत्पादन सब्सिडी को समायोजित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'इन्वेंटरी' और 'वर्ष के लिए लाभ' को 32.04 लाख रुपये से अधिक बताया गया।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर के अंतर्गत प्रक्षेत्र कार्यालय, हावेरी में मक्के के बीज का 1000.27 क्विंटल स्टॉक के भंडारण का नुकसान देखा गया है। बट्टे खाते में डालने की मंजूरी 3 अप्रैल 2021 को मांगी गई थी। हालांकि, भंडारण हानि की मात्रा और मूल्य, इन्वेंटरी में जारी रही। इस प्रकार, इन्वेंटरी में 1000.27 क्विंटल मक्का के भंडारण नुकसान को शामिल करने से 'इन्वेंटरी' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रु. 23.76 लाख अधिक बताया गया है।

(iii) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xi) (ग) में कहा गया है कि वर्ष के दौरान नवीनतम नीलामी दर के आधार पर बेकार और अनुपयोगी बीज स्टॉक का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान, निपटारा नहीं किया जाता है, तो मूल्यांकन प्रचलित बाजार की स्थिति के अनुसार अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, 4900.60 क्विंटल मक्के की फसल के बीज के संबंध में क्षे.का, बैंगलोर द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति, लेखा नीति के साथ–साथ इंड एएस–10 के पैरा 8 और 9 (बी) (ii) के अनुरूप नहीं थी। इसने मई / जून 2021 में आयोजित नीलामी प्रक्रिया के अनुसार नवीनतम उपलब्ध बाजार दर के बजाय, यानी 27 अक्टूबर 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले, पिछले वर्ष की अनुमानित दर से 5 प्रतिशत की कमी पर मक्के की फसल के बीज का मूल्यांकन किया है। नवीनतम उपलब्ध बाजार दर के बजाय अनुपयोगी फसल के बीज का मूल्यांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप 'इन्वेंटरी' और 'वर्ष के लिए लाभ' को 31.56 लाख रुपये अधिक बताया गया है।

(iv) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xi) (च) में कहा गया है कि एक इकाई की जैविक संपत्ति से काटे गए कृषि उत्पाद को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है। हालांकि, सूरतगढ़ फार्म में कृषि उपज के मूल्यांकन के दौरान, इन्वेंट्री का मूल्याकंन शुद्ध वसूली योग्य

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021.

The preparation of financial statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This stated to have been done by them vide their Audit Report dated 9 November 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143 (6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out, independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better under standing of the financial statements and the related audit report.

A. Assets

I. Current Assets

(a) Inventories (Note-13): ₹25,641 lakh

Inventories as well as profit for the year are overstated by ₹ 55.37 lakh due to following :

(i) Regional Office (RO), Bangalore of the Company used weighted average cost without comparing it with net realizable value. Further, in calculation of weighted average cost, RO Bangalore did not adjust production subsidy receivedin respect of two groundnut crops. This resulted in overstatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by ₹ 32.04 lakh.

(ii) A storage loss of 1000.27 quintals stock of maize crop seeds was noted at Area Office Haveri under RO Bangalore. The approval to write off was sought on 3 April 2021. However, the quantity and value of storage loss continued in the inventory. Thus, inclusion of storage loss of 1000.27 quintals of maize in inventory has resulted in overstatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by ₹ 23.76 lakh.

(iii) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xi) (C) states that condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value on the basis of latest auction rate during the year. If not disposed of during the year, then the valuation will be done on the basis of estimated realizable value as per the prevailing market condition. However, the valuation method adopted by RO Bangalore in respect of 4900.60 quintals of maize crop seeds, was not in consonance with the Accounting Policy as well as Para 8 and 9(b)(ii) of Ind AS-10. It had valued the condemned maize crop seeds at 5 per cent reduction over last year estimated rate instead of latest available market rate as per auction process held in May/June 2021 i.e. before adoption of financial statements on 27 October 2021 by the Board of Directors of the Company. This resulted in overstatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by ₹ 31.56 lakh.

(iv) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xi) (f) states that agriculture produce harvested from an entity's biological assets are measured at net realizable value. However, during valuation of farm produce at Suratgarh farm,

मूल्य (1256.88 लाख रुपये) के बजाय लागत मूल्य (1224.89 लाख रुपये) पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'इन्वेंटरी' और 'वर्ष के लिए लाभ' को 31.99 लाख रुपये कम दिखाया गया है।

ख) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तिः (नोट–14)
खड़ी फसलः रु. 5,548.89 लाख

वर्ष के लिए चालू संपत्ति और लाभ निम्नलिखित के कारण 165.14 लाख रुपये अधिक हैः

(i) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xii) (क) में कहा गया है कि 'जैविक संपत्ति बढ़ते पौधों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर निर्धारित किया जाता है'। इसके अलावा, कंपनी की खरीद नीति के अनुसार, आयोजक या निजी बीज कंपनियों को रोपण सामग्री की बिक्री मूल्य की गणना कुल प्रत्यक्ष लागत प्लस ओवरहेड्स, प्लस प्रमाणित बीजों के लिए 5 प्रतिशत और आधार बीज के लिए 10 प्रतिशत पर की जाती है। हालांकि, कंपनी के दो फार्मों यानी सरदारगढ़ और जैतसर में, आधारीय बीज की दरें 10 प्रतिशत के बजाय लागत मूल्य के 20 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, 'जैविक संपत्ति–स्थायी फसल' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 39.14 लाख अधिक बताया गया है।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xii) (ख) (क) में कहा गया है कि 'रबी की खड़ी फसलों और नर्सरी की सूची का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य कम अलाउन्स पर किया जाता है, फसल/नर्सरी को विपणन योग्य बनाने के लिए अभी तक किए गए खर्च और कृषि कार्यों से जुड़े जोखिमों के लिए प्रदान किए जा रहे है। इस प्रयोजन के लिए पिछले पांच वर्षों के मौसमी औसत के आधार पर मात्रा/उपज का लगभग अनुमान लिया जाएगा। औसत वास्तविक उपज की अनुपलब्धता के मामले में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली मानकों के अनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी'। हालांकि, कंपनी के सरदारगढ़ फार्म ने बिना किसी आधार के पांच खड़ी फसलों के मूल्यांकन में 89 प्रतिशत बीज और 11 प्रतिशत गैर–बीज के रूप में अनुमानित किया था। इसके अलावा, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन साल के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए बीज की वास्तविक वसूली का औसत अलग था और खड़ी फसल के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई 89 प्रतिशत की तुलना में सभी पांच फसलों में कम था। इस प्रकार, 89 प्रतिशत पर बीज उत्पादन को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप 'जैविक संपत्ति–स्थायी फसल' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 78.63 लाख अधिक बताया गया है।

(iii) राजस्थान सरकार के वन विभाग, ने खड़े पेड़ों (शीशम, कीकर और सफेदा) के मूल्यांकन के लिए पेड़ों के मूल्य की गणना के प्रयोजन हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें पेड़ का कुल वजन दो भागों में विभाजित होता है अर्थात लकड़ी (60 प्रतिशत) और जलाऊ लकड़ी (40 प्रतिशत)। हालांकि, कंपनी के सरदारगढ़ फार्म ने निर्धारित मानदंडों के विचलन में, मूल्यांकन में अलग–अलग मानदंड अपनाए थे (लकड़ी –70 प्रतिशत और जलाऊ लकड़ी – 30 प्रतिशत)। इसके परिणामस्वरूप 'जैविक संपत्ति–वृक्ष' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 89.52 लाख अधिक बताया गया है।

(iv) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (Xii) (ग) में कहा गया है कि खड़े पेड़ों का उचित मूल्य घन मीटर में परिधि पर लागू वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर आधारित है। सूरतगढ़, राजस्थान के वन विभाग ने विभिन्न वृक्षों (शीशम, कीकर और सफेदा) के संबंध में मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के लिए नीलामी की निर्धारित दरें (अप्रैल 2021) में प्रदान की है। वन विभाग ने बाद में सूचित किया (जून 2021) कि जलाऊ लकड़ी की दरें 300 रुपये से 330 रुपये प्रति क्विंटल के बीच होनी चाहिए, जबकि पहले अप्रैल 2021 में 268 रुपये प्रति क्विंटल की सूचना दी गई थी। हालांकि, साल के अंत में जलाऊ लकड़ी के मूल्यांकन में, जैतसर फार्म ने 315 रुपये प्रति क्विंटल की संशोधित औसत दर के बजाय 268 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्व–संशोधित जलाऊ लकड़ी की दर ली थी। इसके परिणामस्वरूप 'जैविक संपत्ति–पेड़' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 42.15 लाख कम करके दिखाया गया है।

(ग) वित्तीय संपत्ति
(i) व्यापार प्राप्य (नोट –15)ः रु. 40,302.67 लाख

उपरोक्त में 183.15 लाख रुपये की राशि शामिल है, जो वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक बिहार राज्य सरकार से वसूली योग्य राशि है। कंपनी की लेखा नीति 2.2 (xxi) (च) में कहा गया है कि सरकारी विभागों/पार्टियों के खिलाफ व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और अन्य चालू संपत्ति के तहत बकाया राशि, आठ साल से कम या बराबर अवधि के लिए वसूली योग्य माना जाता है और अन्य मामलों में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने की जरूरत है। यद्यपि बिहार राज्य सरकार से प्राप्तियां आठ वर्षों से अधिक समय से देय थी, कंपनी ने अपनी लेखा नीति के अनुसरण में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू.183.15 लाख अधिक बताया गया है।

inventory was valued at cost price (₹ 1224.89 lakh) instead of net realizable value(₹ 1256.88 lakh). This resulted in understatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by ₹ 31.99 lakh.

b) Biological Assets other than bearer plants: (Note-14)
Standing crop: ₹ 5,548.89 lakh

Current Assets and profit for the year are overstated by ₹ 165.14lakh due to following :

(i) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xii)(A) states that 'Biological assets represent growing plants which are measured at the fair value less cost to sell at the end of each reporting period'. Further as per procurement policy of the Company, sale price of planting material to organizer or private seed companies is calculated on total direct cost plus overheads plus 5 per cent for certified seeds and 10 per cent for foundation seeds. However, at two farms i.e. Sardargarh & Jetsar of the Company, the rates of foundation seeds were fixed at 20 per cent of the cost price instead of 10 per cent. This has resulted in overstatement of 'Biological Assets- Standing Crops' and 'Profit for the year' by the ₹ 39.14 lakh.

(ii) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xii) (B) (a) states that 'Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at net realizable value less allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. For the purpose, near estimation of the quantity/yield will be taken on the basis of previous five years seasonal average. In case of unavailability of average actual yield, Scientific Valuation method as per National Agriculture Research System Standards will be adopted'. However, Sardargarh Farm of the Company had estimated 89 per cent as seed and 11 per cent as non-seed in valuation of five standing crops without any basis. Further, average of actual recovery of seeds was different for each crop based on three years data provided by the Company and was lower in all five crops than the adopted 89 per cent for valuation of standing crop. Thus, incorrect adoption of seed output at 89 per cent has resulted in overstatement of 'Biological Assets-StandingCrops'and 'Profit for the year' by ₹ 78.63lakh.

(iii) Forest Department, Government of Rajasthan has prescribed the norms for valuation of standing trees (Shisham, Kikar and Safeda) in which total weight of tree is bifurcated in two parts i.e. Log wood (60 per cent)and fire wood (40 per cent) for the purpose of computation of value of tree. However, the Sardargarh farm of the Company, in deviation to prescribed norms, had different norms in valuation (log wood-70 per cent and firewood-30 per cent). This has resulted in overstatement of 'Biological Assets-Trees' and 'Profit for the year' by ₹ 89.52lakh.

(iv) Significant Accounting Policy no. 2.2 (Xii) (C) states that the fair value for standing trees is based on rates fixed by the Forest Department applied on girth in cubic meters. Forest Department of Suratgarh, Rajasthan had provided (April 2021) auction determined rates for logwood and firewood for the quarter ended March 2021 in respect of different trees (Shisham, Kikar and Safeda). Forest Department subsequently informed (June 2021) that rates of firewood should be in the range of ₹ 300 to ₹ 330 per quintal as against ₹ 268 per quintal communicated earlier in April 2021. However, in valuation of firewood at year-end, Jetsar farm of the Company had taken pre-revised firewood rate of ₹268 per quintal instead of revised average rate of ₹315 per quintal. This has resulted in understatement of 'Biological Assets- Trees' and 'Profit for the year' by ₹42.15 lakh.

(c) Financial Assets
(i) Trade Receivable (Note-15): ₹ 40,302.67 lakh

The above includes an amount of ₹ 183.15 lakh being the amount recoverable from the State Govt. of Bihar pertaining to the years 2009-10 to 2012-13. Company's Accounting Policy 2.2 (xxi)(f) states that dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against the Government Departments/parties outstanding for the period equal or less than eight years are considered good and in other cases provision of doubtful debts needs to be created. Though the receivables from State Govt. of Bihar were due for more than eight years, Company had not made provision for doubtful debts in pursuance of its accounting policy. This has resulted in overstatement of 'Trade Receivable' and 'Profit for the year' by ₹ 183.15 lakh.

(ii) अन्य वित्तीय संपत्ति (नोट–18)

(क) राज्य सरकार से वसूली योग्यः रु 6,370.39 लाख

उपरोक्त में 264.46 लाख रुपये शामिल हैं जो 2012–13 से बिहार सरकार से बीज पर सब्सिडी के खिलाफ वसूली योग्य राशि है। कंपनी की लेखा नीति 2.2 (xxi) (च) में कहा गया है कि सरकारी विभागों/पार्टियों के खिलाफ व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत बकाया राशि, आठ वर्ष या उससे कम अवधि के लिए वसूली योग्य माना जाता है और अन्य मामलों में, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि बिहार राज्य सरकार से प्राप्तियां आठ वर्षों से अधिक समय से देय थी, कंपनी ने अपनी लेखा नीति के अनुसरण में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय संपत्तियां' और 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 264.46 लाख अधिक बताया गया है।

(ख) स्टाफ से वसूली योग्यः रु 55.24 लाख

पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान सितंबर, 2013 से सरकारी आवास का लाभ उठाया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, आईसीएआर– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा उन्हें आवास आवंटित किया गया था। आईसीएआर की स्थापना और प्रशासन नियमावली के तहत आवासों का आवंटन नियम बताता है कि एक बार आवंटन हो जाने के बाद, संबंधित व्यक्ति एचआरए का हकदार नहीं रह जाता है।

हालांकि, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास सितंबर 2013 से मार्च 2021 के दौरान आईसीएआर–आईएआरआई द्वारा आवंटित आवास का कब्जा था, कंपनी द्वारा रू. 36.02 लाख का एचआरए राशि का भुगतान किया गया, जो स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए रू. 0.72 लाख का अवैतनिक लाइसेंस शुल्क देय था, जिसे कर्मचारी से काटा जाना था और आईसीएआर–आईएआरआई को भुगतान किया जाना था। कर्मचारी से एचआरए और लाइसेंस शुल्क की कटौती न करने के परिणामस्वरूप (क) 'स्टाफ से वसूली योग्य' रू. 36.74 लाख, (ख) 'अन्य आय' रू. 36.02 लाख और (ग) 'अन्य वित्तीय देनदारियां' रू. 0.72 लाख कम दिखाई गई हैं।

(ग) अन्य प्राप्यः रु 734.60 लाख

उपरोक्त में रु. 69.43 लाख शामिल हैं, जो मेसर्स कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर और लिंगो इंपेक्स (पार्टी) से वसूली योग्य राशि है। यह राशि पार्टी से वर्ष 2020–21 के लिए भुगतान किए जाने वाले किराए के कारण वसूली योग्य थी। पार्टी द्वारा 2012 में एनएससी परिसर लीज पर लिया गया। हालांकि, अप्रैल 2020 से, पार्टी ने देय लीज रेंट पर विवाद शुरू कर दिया और लीज रेंट बिलों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में है। पार्टी के इनकार और चल रहे कानूनी मामले को देखते हुए, पार्टी से बकाया राशि की वसूली पर अनिश्चितता बनी हुई है। तथापि, कंपनी ने प्राप्य राशियों के प्रति संदिग्ध वसूली/प्रत्याशित ऋण हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य प्राप्य' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 69.43 लाख अधिक बताया गया है।

ख. देयताएं

I. वर्तमान देयताएं

व्यापार देय (नोट –29)ः रु 35,620.76 लाख

उपरोक्त में 21 जनवरी 2021 को किए गए समझौते के अनुसार मेसर्स एसोसिएटेड जूट इंडस्ट्रीज को देय रू. 21.10 लाख की राशि शामिल नहीं है। यह समझौता मैसर्स एसोसिएटेड जूट इंडस्ट्रीज द्वारा 2016 में आपूर्ति की गई सामग्री पर विवाद को हल करने के लिए किया गया था। कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि रू. 24.61 लाख थी, जिसके खिलाफ केवल रू. 3.5 लाख की देनदारी बही खातों में मौजूद है। निपटान के समझौते के अनुसरण में, दायित्व की गैर मान्यता के परिणामस्वरूप 'व्यापार देय' को कम करके और 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 21.10 लाख अधिक बताया गया है।

ग. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

आकस्मिक देयताएं (नोट–59)

(i) आकस्मिक देनदारियों में दो अदालती मामलों से संबंधित रू. 174.36 लाख की राशि शामिल है। चूंकि कंपनी इन मामलों में याचिकाकर्ता है; मामलों में शामिल राशि आकस्मिक देयता के बजाय कंपनी की आकस्मिक संपत्ति होगी। इसलिए, उसके गलत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता विवरण के रू. 174.36 लाख अधिक दिखाया गया है।

(ii) Other Financial Assets (Note-18)

(a) Recoverable from State Government: ₹ 6,370.39 lakh

The above includes ₹ 264.46 lakh being the amount recoverable from the Government of Bihar since 2012-13 against subsidy on seeds. Company's Accounting Policy 2.2(xxi) (f) states that dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against the Government Departments/parties outstanding for the period equal or less than eight years are considered goods and in other cases provision of doubtful debts needs to be created. Though the receivables from State Govt. of Bihar were due for more than eight years, Company had not made provision for doubtful debts in pursuance of its accounting policy. This has resulted in overstatement of 'Other Financial Assets' and 'Profit for the year' by ₹ 264.46 lakh.

(b) Recoverable from Staff: ₹ 55.24 lakh

The ex-CMD, during his tenure of service at the Company had availed Government accommodation since September, 2013. The accommodation was allotted to him by the ICAR- Indian Agricultural Research Institute (IARI), an autonomous body under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Allotment of Residences Rules under the Establishment and Administration Manual of ICAR stipulates that once the allotment is made, the person concerned is no longer entitled to HRA.

Though the ex-CMD was in possession of accommodation during September 2013 to March 2021allotted by ICAR-IARI, HRA amounted to ₹ 36.02 lakh was paid to him by the Company which was not admissible. Further, there was unpaid license fee of ₹ 0.72 lakh for the corresponding period which was to be deducted from the employee and was to be paid to ICAR-IARI. Non deduction of HRA and license fee from the employee has resulted in understatement of (a) 'Recoverable from Staff' by ₹ 36.74 lakh, (b) 'Other Income' by ₹ 36.02 lakh and (c) 'Other Financial Liabilities' by ₹ 0.72 lakh.

(c) Other Receivables: ₹ 734.60 lakh

The above includes ₹ 69.43 lakh being the amount recoverable from M/s Cost To Cost Computers and Lingo Impex (Party). The amount was recoverable on account of rent to be paid by the Party for the year 2020-21 in respect of premises taken on lease in 2012. However, from April 2020, the Party disputed the lease rent payable and refused to recognize the lease rent bills. The matter is under litigation. In view of refusal by the Party and ongoing legal case, uncertainty exists on realisation of dues from the Party. However, Company has not made any provision for doubtful recovery/expected credit loss against the receivables. This has resulted in overstatement of 'Other Receivables' and 'Profit for the year' by ₹ 69.43 lakh.

B. Liabilities

I. Current Liabilities

Trade Payable (Note-29): ₹ 35,620.76 lakh

The above does not include an amount of ₹ 21.10 lakh payable to M/s Associated Jute Industries in pursuance to agreement of settlement entered on21 January 2021. The agreement was entered to resolve a dispute on material supplied by M/s Associated Jute Industries in 2016 to the Company. The amount agreed to be paid by the Company was ₹ 24.61lakh against which only a liability of ₹ 3.5 lakh exists in the books. Non recognition of liability in pursuance of agreement of settlement has resulted in understatement of 'Trade Payables' and overstatement of 'Profit for the year' by ₹ 21.10lakh.

C. Comments on Disclosure

Notes to Financial Statements

Contingent Liabilities (Note-59)

(i) Contingent liabilities include an amount of ₹ 174.36 lakh pertaining to two court cases. Since the Company is petitioner in these cases; amount involved in the cases will be contingent assets of the Company instead of

(ii) कंपनी ने हरियाणा सरकार के सरकारी पशुधन फार्म (जीएलएफ) से हिसार में पट्टे पर भूमि ली थी। कंपनी ने जीएलएफ, हिसार को देय लीज रेंट की गणना करते हुए 2020–21 में आपूर्ति किए गए चारे/भूसे के लिए 92.10 लाख रुपये की राशि को समायोजित किया है। जीएलएफ ने इस समायोजन को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अनुबंध में चारा/भूसे की बिक्री या पट्टे में उसके समायोजन के संदर्भ में कोई खंड नहीं है। इस प्रकार पट्टा किराए में इस राशि का समायोजन संदिग्ध है। इसके परिणामस्वरूप खर्चों के लिए देयता में रू. 92.10 लाख की वृद्धि होगी जिसके लिए उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

इसके अलावा, जीएलएफ, हिसार ने मार्च 2019 तक आपूर्ति किए गए चारे/भूसे के लिए पट्टा किराया/समायोजन के बकाया के लिए रू. 432.39 लाख की राशि का दावा किया था, कंपनी ने रू. 182.63 लाख की सीमा तक अपनी देनदारी स्वीकार की थी जोकि 2020–21 में जीएलएफ, हिसार को जारी किया गया। इस प्रकार 249.76 लाख रुपये की एक विवादित देनदारी बनी रही जिसे कंपनी ने अपनी आकस्मिक देनदारियों के तहत पहचान नहीं की।

उपरोक्त विवादित देनदारियों/दावों की गैर–मान्यता के परिणामस्वरूप 'आकस्मिक देनदारियों' को रू. 341.86 लाख कम दिखाया गया है।

घ. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

(i) केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार (कंपनी की एक लेखा इकाई) के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 3 (जी) (8) में रिपोर्ट किया है कि सीएसएफ हिसार ने लीज रेंट बुक नहीं किया है और वर्ष 2020–2021 के दौरान धन्दूर प्रखंड क्षेत्र में 754 एकड़ भूमि एवं रु. 8.29 लाख की भूमि किराया देनदारी को बुक नहीं किया गया है। सीएसएफ, हिसार के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का पैरा 3(छ)(8) निम्नलिखित कारण से गलत था:

- हरियाणा सरकार ने सीएसएफ, हिसार को आवंटित भूमि 6693 एकड़ 6 कनाल और 1 मरला में से 854 एकड़ 6 कनाल 14 मरला भूमि वापस लेने की स्वीकृति (अक्टूबर 2010) दी थी। हालांकि, केराफा, हिसार के कई अनुरोधों के बावजूद, अक्टूबर 2019 तक हरियाणा सरकार द्वारा केवल 119 एकड़ जमीन वापस ली गई थी। इस प्रकार सीएसएफ, हिसार के कब्जे में 2020–21 के दौरान 754 एकड़ (पट्टा किराया देयता 8.09 लाख रुपये) के बजाय 735 एकड़ (पट्टा किराया देयता 8.29 लाख रुपये) थी, जैसा कि सीएसएफ, हिसार के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है।
- हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि 2010 से भूमि का लीज रेंट सीएसएफ, हिसार के पास है। हालांकि स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने वर्ष 2009–10 से 2020–21 तक लीज रेंट लायबिलिटी की बुकिंग न करने के बजाय केवल 2020–21 के लिए लीज रेंट लायबिलिटी की गैर–बुकिंग के बारे में बताया है जो रू. 110.31 लाख आता है।

(ii) केंद्रीय राज्य फार्म (सीएसएफ), हिसार के स्वतंत्र लेखा परीक्षक, कंपनी की एक लेखा इकाई, ने पैरा 3 (छ) 9 में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत रिपोर्ट किया है कि फार्म ने पट्टा किराया बुक किया था जो पिछले वर्ष के समझौते के अनुसार, जो 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गया और संबंधित प्राधिकरण के साथ नए समझौते की प्रक्रिया चल रही है। इसने इस तथ्य की सूचना नहीं दी कि गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म (जीएलएफ), हरियाणा सरकार ने लीज रेंट को रू. 1,100 प्रति एकड़/ प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रू. 2,973.75 प्रति एकड़/ प्रतिवर्ष करने का फैसला किया था, जिसे कंपनी ने सहमति नहीं दी है। इसलिए वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए बढ़ी हुई दरों पर, अंतर देयता रू. 216.98 लाख है। इस प्रकार, सीएसएफ, हिसार के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट काफी हद तक त्रुटिपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

ह0/–
(कीर्ति तिवारी)
महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.01.2022

contingent liability. Hence, incorrect exhibition of the same has resulted in overstatement of contingent liability by ₹174.36 lakh.

(ii) Company had taken land on lease at Hisar from Govt. Live Stock Farm (GLF), Haryana Government. Company adjusted an amount of ₹ 92.10 lakh for the fodder/straw supplied in 2020-21 while computing lease rent payable to GLF, Hisar. GLF did not accept this adjustment and stated that there was no clause in the agreement referencing sale of fodder/straw or adjustment there of in lease rent payable. Thus adjustment of this amount in lease rent is doubtful. This will result in increase of liability for expenses by ₹ 92.10lakh which needs proper disclosure.

Further GLF, Hisar had claimed an amount of ₹ 432.39 lakh for arrears of lease rent/adjustment for fodder/straw supplied upto March 2019, Company had acknowledged its liability to the extent of ₹ 182.63 lakh and was released to GLF, Hisar in 2020-21. Thus there remained a disputed liability of ₹ 249.76 lakh which the Company had not recognized under its contingent liabilities.

Non recognition of above disputed liabilities/claims has resulted in understatement of 'Contingent Liabilities' by ₹341.86 lakh.

D. Comments on Independent Auditor's Report

(i) Independent Auditor of Central State Farm, Hisar (an accounting unit of the Company), has reported in Para 3(g)(8) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' that the CSF Hisar has not booked lease rent of 754 acres land in Dhandoor Block Area and land rent liability amounting to ₹ 8.29 lakh has not been booked during the year 2020-2021. Para 3(g)(8) of Independent Auditor's report of CSF, Hisar was incorrect due to following:

- Haryana Government had conveyed approval (October 2010) for taking back 854 acres 6 kanal 14 marla land out of allotted land of 6693 acres 6 kanal and 1 marla to CSF, Hisar However, despite several requests by CSF, Hisar, only 119 acres were taken back by the Haryana Government till October 2019. Thus land in possession of CSF, Hisar was 735 acres (lease rent liability ₹ 8.09 lakh) during 2020-21insteadof 754 acres(leaserent liability ₹ 8.29 lakh)as stated in Independent Auditor's report of CSF, Hisar
- Haryana Government had claimed lease rent on land remained in possession of the CSF, Hisar since 2010. However Independent Auditor has reported about non-booking of lease rent liability for 2020-21 only instead of non-booking of lease rent liability from 2009-10 to 2020-21 which comes to ₹ 110.31 lakh.

(ii) Independent Auditor of Central State Farm (CSF), Hisar an accounting unit of the Company, has reported in Para 3(g)9) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' that the farm has booked lease rent as per previous year agreement which expired on 31 March 2019 and fresh agreement process with concerned Authority is under process. It did not report the fact that Govt. Live Stock Farm (GLF), Haryana Government had decided to enhance the lease rent from ₹ 1,100 per acre per annum to ₹ 2,973.75 per acre per annum which has not been agreed by the Company. The differential liability at enhanced rates comes to ₹ 216.98 lakh for the years 2019-20 and 2020-21. Thus, Independent Auditor's report of CSF, Hisar is deficient to the extent.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Keerti Tewari)
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)

Place : New Delhi
Date : 20.01.2022

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-II

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिपपणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं	भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
1.	**क. परिसंपत्ति** **I. वर्तमान परिसंपत्ति** **(क) सूची (नोट –13) : रू 25,641 लाख** इन्वेंटरी के साथ–साथ वर्ष के लिए लाभ निम्नलिखित के कारण 55.37 लाख रुपये अधिक हैः	
	(i) कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), बैंगलोर ने निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना किए बिना भारित औसत लागत का उपयोग किया। इसके अलावा, भारित औसत लागत की गणना में, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर ने मूंगफली फसलों के लिए प्राप्त उत्पादन सब्सिडी को समायोजित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'इन्वेंटरी' और 'वर्ष के लिए लाभ' को 32.04 लाख रुपये अधिक बताया गया है।	लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।
	(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर के अंतर्गत प्रक्षेत्र कार्यालय, हावेरी में मक्के के बीज का 1000.27 क्विंटल स्टॉक के भंडारण का नुकसान देखा गया है। बट्टे खाते में डालने की मंजूरी 3 अप्रैल 2021 को मांगी गई थी। हालांकि, भंडारण हानि की मात्रा और मूल्य, इन्वेंटरी में जारी रहा। इस प्रकार, इन्वेंटरी में 1000.27 क्विंटल मक्का के भंडारण नुकसान को शामिल करने से 'इन्वेंटरी' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' पर 23.76 लाख रुपये अधिक बताया गया है।	प्रस्ताव की समीक्षा प्रधान कार्यालय में विचाराधीन है। स्वीकृत हो जाने के इसे लेखांकिंत किया जाएगा।
	(iii) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xi) (ग) में कहा गया है कि वर्ष के दौरान नवीनतम नीलामी दर के आधार पर बेकार और अनुपयोगी बीज स्टॉक का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान, निपटारा नहीं किया जाता है, तो मूल्यांकन प्रचलित बाजार की स्थिति के अनुसार अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, 4900.60 क्विंटल मक्के की फसल के बीज के संबंध में क्षे.का, बैंगलोर द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति, लेखा नीति के साथ–साथ इंड एएस–10 के पैरा 8 और 9 (बी) (ii) के अनुरूप नहीं थी। इसने मई / जून 2021 में आयोजित नीलामी प्रक्रिया के अनुसार नवीनतम उपलब्ध बाजार दर के बजाय, यानी 27 अक्टूबर 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले, पिछले वर्ष की अनुमानित दर से 5 प्रतिशत की कमी पर मक्के की फसल के बीज का मूल्याकंन किया है। नवीनतम उपलब्ध बाजार दर के बजाय अनुपयोगी फसल के बीज का मूल्यांकन किया है। इसके परिणामस्वरूप 'इन्वेंटरी' और 'वर्ष के लिए लाभ' को 31.56 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।	लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।
	(iv) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xi) (च) में कहा गया है कि एक इकाई की जैविक संपत्ति से काटे गए कृषि उत्पाद को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है। हालांकि, सूरतगढ़ फार्म में कृषि उपज के मूल्यांकन के दौरान, इन्वेंट्री का मूल्याकंन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (1256.88 लाख रुपये) के बजाय लागत मूल्य (1224.89 लाख रुपये) पर	लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एक इकाई की जैविक संपत्ति से काटे गए कृषि उत्पाद के मूल्यांकन के लिए नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा।

ADDENDUM TO THE DIRECTOR REPORT-II

Management's Reply to the Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial statements of National Seeds Corporation Limited for the year ending 31st Match, 2021.

Sr. No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
1.	**A. Assets** **I. Current Assets** **(a) Inventories (Note-13): Rs.25,641 lakh** Inventories as well as profit for the year are overstated by Rs. 55.37 lakh due to following:	
	(i) Regional Office (RO), Bangalore of the Company used weighted average cost without comparing it with net realizable value. Further, in calculation of weighted average cost, RO Bangalore did not adjust production subsidy received in respect of two groundnut crops. This resulted in overstatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by Rs. 32.04 lakh.	The observation of audit has been noted and the same will be reviewed during FY 2021-22.
	ii) A storage loss of 1000.27 quintals stock of maize crop seeds was noted at Area Office Haveri under RO Bangalore. The approval to write off was sought on 3 April 2021. However, the quantity and value of storage loss continued in the inventory. Thus, inclusion of storage loss of 1000.27 quintals of maize in inventory has resulted in overstatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by Rs. 23.76 lakh.	The proposal is under review for consideration at head office. Once it is approved; the accounting treatment will be given in the books.
	iii) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xi) (C) states that condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value on the basis of latest auction rate during the year. If not disposed of during the year, then the valuation will be done on the basis of estimated realizable value as per the prevailing market condition. However, the valuation method adopted by RO Bangalore in respect of 4900.60 quintals of maize crop seeds, was not in consonance with the Accounting Policy as well as Para 8 and 9(b)ii) of Ind AS-10. It had valued the condemned maize crop seeds at 5 per cent reduction over last year estimated rate instead of latest available market rate as per auction process held in May/June 2021 i.e. before adoption of financial statements on 27 October 2021 by the Board of Directors of the Company. This resulted in overstatement of 'Inventories' and 'Profit for the year' by Rs 31.56 lakh.	The observation of audit has been noted and the same will be reviewed during FY 2021-22.
	iv) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xi) (f) states that agriculture produce harvested from an entity's biological assets are measured at net realizable value. However, during valuat on of farm produce at Suratgarh farm, inventory was valued at cost price (Rs. 1224.89 lakh) instead of net realizable	The observation of audit has been noted and the same will be reviewed during FY 2021-22. Accordingly policy for valuation of agriculture produce harvested from an entity's biological assets will be strictly followed during FY 2021-22.

क्र.सं	भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
	किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'इन्वेंटरी' और 'वर्ष के लिए लाभ' को 31.99 लाख रुपये कम करके दिखाया गया है।	
	ख) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तिः (नोट–14) **खड़ी फसलः रु. 5,548.89 लाख** वर्ष के लिए चालू संपत्ति और लाभ निम्नलिखित के कारण 165.14 लाख रुपये से अधिक हैः	
	(i) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xii)(क) में कहा गया है कि 'जैविक संपत्ति बढ़ते पौधों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर निर्धारित किया जाता है'। इसके अलावा, कंपनी की खरीद नीति के अनुसार, आयोजक या निजी बीज कंपनियों को रोपण सामग्री की बिक्री मूल्य की गणना कुल प्रत्यक्ष लागत प्लस ओवरहेड्स, प्लस प्रमाणित बीजों के लिए 5 प्रतिशत और आधार बीज के लिए 10 प्रतिशत पर की जाती है। हालांकि, कंपनी के दो फार्मों यानी सरदारगढ़ और जैतसर में, आधारीय बीज की दरें 10 प्रतिशत के बजाय लागत मूल्य के 20 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, 'जैविक संपत्ति–स्थायी फसल' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 39.14 लाख अधिक बताया गया है।	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एक इकाई की जैविक संपत्ति से काटे गए आधार बीज के मूल्यांकन के लिए नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा।
	(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (xii) (ख) (क) में कहा गया है कि 'रबी की खड़ी फसलों और नर्सरी की सूची का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य कम अलाउन्स पर किया जाता है, फसल/नर्सरी को विपणन योग्य बनाने के लिए अभी तक किए गए खर्च और कृषि कार्यों से जुड़े जोखिमों के लिए प्रदान किए जा रहे है। इस प्रयोजन के लिए पिछले पांच वर्षों के मौसमी औसत के आधार पर मात्रा/उपज का लगभग अनुमान लिया जाएगा। औसत वास्तविक उपज की अनुपलब्धता के मामले में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली मानकों के अनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी'। हालांकि, कंपनी के सरदारगढ़ फार्म ने बिना किसी आधार के पांच खड़ी फसलों के मूल्यांकन में 89 प्रतिशत बीज और 11 प्रतिशत गैर–बीज के रूप में अनुमानित किया था। इसके अलावा, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन साल के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए बीज की वास्तविक वसूली का औसत अलग था और खड़ी फसल के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई 89 प्रतिशत की तुलना में सभी पांच फसलों में कम था। इस प्रकार, 89 प्रतिशत पर बीज उत्पादन को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप 'जैविक संपत्ति–स्थायी फसल' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 78.63 लाख अधिक बताया गया है।	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी। खड़ी फसल के मूल्यांकन की नीति मात्रा/उपज के आकलन के आधार पर पिछले 5 वर्षों के मौसमी औसत के आधार पर ली जाएगी, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कड़ाई से पालन किया जाएगा।
	(iii) वन विभाग, राजस्थान सरकार ने खड़े पेड़ों (शीशम, कीकर और सफेदा) के मूल्यांकन के लिए पेड़ के मूल्य की गणना के प्रयोजन हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें पेड़ का कुल वजन दो भागों में विभाजित होता है अर्थात लकड़ी (60 प्रतिशत) और जलाऊ लकड़ी (40 प्रतिशत)। हालांकि, कंपनी के सरदारगढ़ फार्म ने निर्धारित मानदंडों के विचलन में, मूल्यांकन में अलग–अलग मानदंड अपनाए थे (लकड़ी–70 प्रतिशत और जलाऊ लकड़ी – 30 प्रतिशत)। इसके	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संबंधित राज्य के वन विभाग के परिपत्र के अनुसार दरों के आधार पर खड़े पेड़ों के मूल्यांकन की नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

Sr. No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
	value(Rs. 1256.88 lakh). This resulted in understatement of 'Inventories' and 'Profitfor the year' by Rs. 31.99 lakh. **b) Biological Assets other than bearer plants: (Note-14)** **Standing crop: Rs. 5,548.89 lakh** Current Assets and profit for the year are overstated by Rs. 165.14lakh due to following:	
	(i) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xii)(A) states that 'Biological assets represent growing plants which are measured at the fair value less cost to sell at the end of each reporting period'. Further as per procurement policy of the Company, sale price of planting material to organizer or private seed companies is calculated on total direct cost plus overheads plus 5 per cent for certified seeds and 10 per cent for foundation seeds. However, at two farms i.e. Sardargarh & Jetsar of the Company, the rates of foundation seeds were fixed at 20 per cent of the cost price instead of 10 per cent. This has resulted in overstatement of 'Biological Assets- Standing Crops' and 'Profit for the year' by the Rs. 39.14 lakh.	The same will be reviewed during FY 2021-22. Accordingly policy for valuation of foundation seeds harvested from an entity's biological assets will be strictly followed during FY 2021-22.
	(ii) Significant Accounting Policy no. 2.2 (xii) (B) (a) states that 'Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at net realizable value less allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. For the purpose, near estimation of the quantity/yield will be taken on the basis of previous five years seasonal average. In case of unavailability of average actual yield, Scientific Valuation method as per National Agriculture Research System Standards will be adopted'. However, Sardargarh Farm of the Company had estimated 89 per cent as seed and 11 per cent as non-seed in valuation of five standing crops without any basis. Further, average of actual recovery of seeds was different for each crop based on three years data provided by the Company and was lower in all five crops than the adopted89 per cent for valuation of standing crop. Thus, incorrect adoption of seed output at 89 per cent has resulted in overstatement of 'Biological Assets-StandingCrops'and 'Profit for the year' by Rs. 78.63lakh.	The same will be reviewed during FY 2021-22. Policy for valuation of standing crop based on the estimation of quantity/yield will be taken on the basis of previous 5 years seasonal average will be strictly followed during FY 2021-22.
	(iii) Government of Rajasthan has prescribed the norms for valuation of standing trees (Shisham, Kikar and Safeda) in which total weight of tree is bifurcated in two parts i.e. Log wood (60 per cent)and fire wood (40 per cent) for the purpose of computation of value of tree. However, the Sardargarh farm of the Company,in deviation to prescribed norms, had different norms in valuation (log wood-70 per cent and	The same will be reviewed during FY 2021-22. Policy for valuation of standing tree based on the rates as per circular of the forest department of the concerned State will be strictly followed during FY 2021-22.

क्र.सं	भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
	परिणामस्वरूप 'जैविक संपत्ति–वृक्ष' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 89.52 लाख अधिक बताया गया है।	
	(iv) महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.2 (Xii) (ग) में कहा गया है कि खड़े पेड़ों का उचित मूल्य घन मीटर में परिधि पर लागू वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर आधारित है। सूरतगढ़, राजस्थान के वन विभाग ने विभिन्न वृक्षों (शीशम, कीकर और सफेदा) के संबंध में मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के लिए नीलामी की निर्धारित दरें (अप्रैल 2021) में प्रदान की है। वन विभाग ने बाद में सूचित किया (जून 2021) कि जलाऊ लकड़ी की दरें 300 रुपये से 330 रुपये प्रति क्विंटल के बीच होनी चाहिए, जबकि पहले अप्रैल 2021 में 268 रुपये प्रति क्विंटल की सूचना दी गई थी। हालांकि, साल के अंत में जलाऊ लकड़ी के मूल्यांकन में, जैतसर फार्म ने 315 रुपये प्रति क्विंटल की संशोधित औसत दर के बजाय 268 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्व–संशोधित जलाऊ लकड़ी की दर ली थी। इसके परिणामस्वरूप 'जैविक संपत्ति–पेड़' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 42.15 लाख कम करके दिखाया गया है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया गया है। तदनुसार फार्मों को भविष्य में मूल्यांकन के लिए वन विभाग की नवीनतम दरों को संदर्भित करने का निर्देश दिया जाएगा, जिसका वित्त वर्ष 2021–22 से कड़ाई से पालन किया जाएगा।
	(ग) वित्तीय संपत्ति	
	(i) व्यापार प्राप्य (नोट –15): रु. 40,302.67 लाख	
	उपरोक्त में 183.15 लाख रुपये की राशि शामिल है, जो वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक बिहार राज्य सरकार से वसूली योग्य राशि है। कंपनी की लेखा नीति 2.2 (xxi)(च) में कहा गया है कि सरकारी विभागों/पार्टियों के खिलाफ व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और अन्य चालू संपत्ति के तहत बकाया राशि, आठ साल से कम या बराबर अवधि के लिए वसूली योग्य माना जाता है और अन्य मामलों में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने की जरूरत है। यद्यपि बिहार राज्य सरकार से प्राप्तियां आठ वर्षों से अधिक समय से देय थी, कंपनी ने अपनी लेखा नीति के अनुसरण में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू.183.15 लाख अधिक बताया गया है।	राज्य सरकार से लगातार अनुनय–विनय/अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भुगतान में विलम्ब कर रही है, जो कि राज्य सरकार का स्पष्ट दायित्व है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ऑडिट के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और सरकार से राशि की वसूली नहीं होने पर लेखा खातों में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
	(ii) अन्य वित्तीय संपत्ति (नोट–18)	
	(क) राज्य सरकार से वसूली योग्यः रु 6,370.39 लाख	
	उपरोक्त में 264.46 लाख रुपये शामिल हैं जो 2012–13 से बिहार सरकार से बीज पर सब्सिडी के खिलाफ वसूली योग्य राशि है। कंपनी की लेखा नीति 2.2(xxi)(च) में कहा गया है कि सरकारी विभागों/पार्टियों के खिलाफ व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत बकाया राशि, आठ वर्ष या उससे कम अवधि के लिए वसूली योग्य माना जाता है और अन्य मामलों में, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि बिहार राज्य सरकार से	सब्सिडी का दावा सरकारी योजनाओं के अनुसार है जोकि अंततः किसानों को दिया गया है। राज्य सरकार से लगातार अनुनय/अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद व भुगतान में देरी कर रही है, हालांकि, राशि की वसूली की जाएगी क्योंकि यह राज्य सरकार की पर स्पष्ट देयता है।

Sr. No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
	firewood-30 per cent). This has resulted in overstatement of 'Biological Assets-Trees' and 'Profit for the year' by Rs. 89.52lakh.	
	(iv) Accounting Policy no. 2.2 (Xii) (C) states that the fair value for standing trees is based on rates fixed by the Forest Department applied on girth in cubic meters. Forest Department of Suratgarh, Rajasthan had provided (April 2021) auction determined rates for logwood and firewood for the quarter ended March 2021 in respect of different trees (Shisham, Kikar and Safeda). Forest Department subsequently informed (June 2021) that rates of firewood should be in the range of Rs. 300 to Rs. 330 per quintal as against Rs. 268 per quintal communicated earlier in April 2021. However, in valuation of firewood at year-end, Jetsar farm of the Company had taken pre-revised firewood rate of Rs. 268 per quintal instead of revised average rate of Rs. 315 per quintal. This has resulted in understatement of 'Biological Assets- Trees' and 'Profit for the year' by Rs. 42.15 lakh.	The observation of audit has been noted for future guidance. The Farms will be instructed accordingly to refer the latest rates of the Forest Department for valuation in future, which will be strictly followed from FY 2021-22.
	(c) Financial Assets	
	(i) Trade Receivable (Note-15): Rs. 40,302.67 lakh	
	The above includes an amount of Rs. 183.15 lakh being the amount recoverable from the State Govt. of Bihar pertaining to the years 2009-10 to 2012-13. Company's Accounting Policy 2.2 (xxi)(f) states that dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against the Government Departments/parties outstanding for the period equal or less than eight years are considered good and in other cases provision of doubtful debts needs to be created. Though the receivables from State Govt. of Bihar were due for more than eight years, Company had not made provision for doubtful debts in pursuance of its accounting policy. This has resulted in overstatement of 'Trade Receivable' and 'Profit for the year' by Rs. 183.15 lakh.	The State Government is delaying the payments inspite of continuous persuasion / follow up which is a clear liability of the State Government. The observation of the audit will be reviewed during FY 2021-22 and necessary provision will be made in the books of accounts if the amount not recovered from the government.
	(ii) Other Financial Assets (Note-18)	
	(a) Recoverable from State Government: Rs. 6,370.39 lakh	
	The above includes Rs. 264.46 lakh being the amount recoverable from the Government of Bihar since 2012-13 against subsidy on seeds. Company's Accounting Policy 2.2(xxi) (f) states that dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against the Government Departments/parties outstanding for the period equal or less	The subsidy claim is as per the Government Schemes which has been ultimately passed on to the farmers. The State Government is delaying the payment inspite of continuous persuasion / follow up, however, the amount will be realized as it is a clear liability of the State Government.

क्र.सं	भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
	प्राप्तियां आठ वर्षों से अधिक समय से देय थी, कंपनी ने अपनी लेखा नीति के अनुसरण में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय संपत्तियां' और 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 264.46 लाख अधिक बताया गया है।	वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान ऑडिट के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और सरकार से राशि की वसूली नहीं होने पर लेखा खातों में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
	(ख) स्टाफ से वसूली योग्यः रु 55.24 लाख पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान सितंबर, 2013 से सरकारी आवास का लाभ उठाया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, आईसीएआर—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा उन्हें आवास आवंटित किया गया था। आईसीएआर की स्थापना और प्रशासन नियमावली के तहत आवासों का आवंटन नियम बताता है कि एक बार आवंटन हो जाने के बाद, संबंधित व्यक्ति एचआरए का हकदार नहीं रह जाता है। हालांकि, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास सितंबर 2013 से मार्च 2021 के दौरान आईसीएआर—आईएआरआई द्वारा आवंटित आवास का कब्जा था, कंपनी द्वारा रू. 36.02 लाख का एचआरए राशि का भुगतान किया गया, जो स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए रू. 0.72 लाख का अवैतनिक लाइसेंस शुल्क देय था, जिसे कर्मचारी से काटा जाना था और आईसीएआर—आईएआरआई को भुगतान किया जाना था। कर्मचारी से एचआरए और लाइसेंस शुल्क की कटौती न करने के परिणामस्वरूप (क) 'स्टाफ से वसूली योग्य' रू. 36.74 लाख, (ख) 'अन्य आय' रू. 36.02 लाख और (ग) 'अन्य वित्तीय देनदारियां' रू. 0.72 लाख कम दिखाई गई हैं।	एनएससी एक सीपीएसई है, जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के तहत एक अलग इकाई है। जबकि आईसीएआर—आईएआरआई कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के तहत एक अलग संस्थान है। आईसीएआर—आईएआरआई आवास उनके अधिकारियों के लिए हैं और एनएससी अधिकारी इसके आवास के लिए पात्र नहीं हैं। 30.09.2021 को उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, उन्होंने वह आवास खाली कर दिया है जिसके लिए आईसीएआर—आईएआरआई ने संदर्भ संख्या 21—24 / 75—एच / 3703 दिनांक 05.01.2022 के तहत "अदेयता प्रमाणपत्र" (एनडीसी) जारी किया है। ऑडिट के अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
	(ग) अन्य प्राप्यः रु 734.60 लाख उपरोक्त में रु. 69.43 लाख शामिल हैं, जो मेसर्स कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर और लिंगो इंपेक्स (पार्टी) से वसूली योग्य राशि है। यह राशि पार्टी से वर्ष 2020—21 के लिए भुगतान किए जाने वाले किराए के कारण वसूली योग्य थी। पार्टी द्वारा 2012 में एनएससी परिसर लीज पर लिया गया। हालांकि, अप्रैल 2020 से, पार्टी ने देय लीज रेंट पर विवाद शुरू कर दिया और लीज रेंट बिलों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में है। पार्टी के इनकार और चल रहे कानूनी मामले को देखते हुए, पार्टी से बकाया राशि की वसूली पर अनिश्चितता बनी हुई है। तथापि, कंपनी ने प्राप्य राशियों के प्रति संदिग्ध वसूली / प्रत्याशित ऋण हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य प्राप्य' एवं 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 69.43 लाख अधिक बताया गया है।	मामला वर्तमान में एलडी जिला न्यायधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), साकेत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और अगली तारीख 01.02.2022 के लिए सूचीबद्ध है। पार्टी ने कोविड अवधि के दौरान किराए के भुगतान से बचने के लिए (जिसे कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और साथ ही ऐसी कोई छूट भी नहीं दी गई थी), किराए के समझौते की अवधि के अंत में आवंटित क्षेत्र पर विवाद करके एक कपटपूर्ण तरीका अपनाया है, जिस पर 2012 से 9 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। पार्टी ने आज तक परिसर खाली नहीं किया है। चूंकि परिसर अभी भी "कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर" के कब्जे में है तथा लागू किराया "कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर" पर उसके कब्जे तक देय बनता है और तदनुसार आय के रूप में बुक किया गया है। नीति के अनुसार, संदिग्ध वसूली का प्रावधान करने के लिए अवधि परिपक्व नहीं हुई है। इसलिए कोई अतिकथन नहीं है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है।

Sr. No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
	than eight years are considered goods and in other cases provision of doubtful debts needs to be created. Though the receivables from State Govt. of Bihar were due for more than eight years, Company had not made provision for doubtful debts in pursuance of its accounting policy. This has resulted in overstatement of 'Other Financial Assets' and 'Profit for the year' by Rs. 264.46 lakh.	The observation of the audit will be reviewed during FY 2021-22 and necessary provision will be made in the books of accounts if the amount not recovered from the government.
	(b) Recoverable from Staff: Rs. 55.24 lakh	
	The ex-CMD, during his tenure of service at the Company had availed Government accommodation since September, 2013. The accommodation was allotted to him by the ICAR- Indian Agricultural Research Institute (IARI), an autonomous body under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Allotment of Residences Rules under the Establishment and Administration Manual of ICAR stipulates that once the allotment is made, the person concerned is no longer entitled to HRA. Though the ex-CMD was in possession of accommodation during September 2013 to March 2021allotted by ICAR-IARI, HRA amounted to Rs. 36.02 lakh was paid to him by the Company which was not admissible. Further, there was unpaid license fee of Rs. 0.72 lakh for the corresponding period which was to be deducted from the employee and was to be paid to ICAR-IARI. Non deduction of HRA and license fee from the employee has resulted in understatement of (a) 'Recoverable from Staff' by Rs.36.74 lakh, (b) 'Other Income' by Rs. 36.02 lakh and (c) 'Other Financial Liabilities' by Rs. 0.72 lakh.	NSC is a CPSE, which is a separate entity under the Department of Agriculture and Farmers Welfare(DA&FW). Whereas the ICAR – IARI is a separate institute under the Department of Agricultural Research and Education (DARE). ICAR-IARI accommodations are meant for their Officials and NSC Officials are not eligible for its accommodation. Consequent to his superannuation on 30.09.2021, he has vacated the accommodation for which ICAR-IARI has issued No Dues Certificate(NDC)vide reference No.21-24/75-H/3703 dt. 05.01.2022. The observation of audit will be reviewed and accordingly action will be taken
	(c) Other Receivables: Rs. 734.60 lakh The above includes Rs. 69.43 lakh being the amount recoverable from M/s Cost To Cost Computers and Lingo Impex (Party).The amountwas recoverable on account of rent to be paid by the Partyfor the year 2020-21 in respect of premisestaken on leasein 2012. However, from April 2020, the Party disputed the lease rent payable and refusedto recognize the lease rent bills. The matter is under litigation. In view of refusal by the Party and ongoing legal case, uncertainty exists on realisation of dues from the Party. However, Company has not made any provision for doubtful recovery/expected credit loss against the receivables. This has resulted inoverstatement of 'Other Receivables' and 'Profit for the year' by Rs.69.43 lakh.	The matter is currently sub-Judice before the Ld. District Judge (Commercial Court), Saket Court and is next listed for 01.02.2022. The party to avoid payment of rent during the covid period which was not accepted by the Company as well as no such exemption was also available, has adopted a fraudulent method by disputing the allotted area, at the fag end of the rent agreement period, which was signed for a period of 9 years from 2012. The party has not vacated till date. As the premises is still in the possession of Cost to Cost Computers, the applicable rent is due payable by Cost to Cost Computers till its occupation and accordingly booked as income.As per policy, the period has not matured to make provision for doubtful of recovery. Hence there are no overstatement as observed by the audit.

एनएससी
NSC

क्र.सं	भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
2.	**ख. देयताएं** **I. वर्तमान देयताएं** **व्यापार देय (नोट –29): रु 35,620.76 लाख** उपरोक्त में 21 जनवरी 2021 को किए गए समझौते के अनुसार मेसर्स एसोसिएटेड जूट इंडस्ट्रीज को देय रू. 21.10 लाख की राशि शामिल नहीं है। यह समझौता मैसर्स एसोसिएटेड जूट इंडस्ट्रीज द्वारा 2016 में आपूर्ति की गई सामग्री पर विवाद को हल करने के लिए किया गया था। कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि रू. 24.61 लाख थी, जिसके खिलाफ केवल रू. 3.5 लाख की देनदारी बही खातों में मौजूद है। निपटान के समझौते के अनुसरण में, दायित्व की गैर मान्यता के परिणामस्वरूप 'व्यापार देय' को कम करके और 'वर्ष के लिए लाभ' को रू. 21.10 लाख अधिक बताया गया है।	इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुधारात्मक उपाय वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लेखा खातों में पहले ही कर लिया गया हैं। चूंकि अंतिम निर्णय वित्त वर्ष 2021–22 में लिया गया था। इसलिए कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं है, जैसा कि ऑडिट द्वारा देखा गया है।
3.	**ग. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स** **आकस्मिक देयताएं (नोट–59)** (i) आकस्मिक देनदारियों में दो अदालती मामलों से संबंधित रू. 174.36 लाख की राशि शामिल है। चूंकि कंपनी इन मामलों में याचिकाकर्ता हैय मामलों में शामिल राशि आकस्मिक देयता के बजाय कंपनी की आकस्मिक संपत्ति होगी। इसलिए, उसके गलत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता का विवरण से रू. 174.36 लाख अधिक दिखाया गया है।	अवलोकन को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट कर लिया गया है। तदनुसार वित्त वर्ष 2021–22 में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
	(ii) कंपनी ने हरियाणा सरकार के सरकारी पशुधन फार्म (जीएलएफ) से हिसार में पट्टे पर भूमि ली थी। कंपनी ने जीएलएफ, हिसार को देय लीज रेंट की गणना करते हुए 2020–21 में आपूर्ति किए गए चारे/भूसे के लिए 92.10 लाख रुपये की राशि को समायोजित किया। जीएलएफ ने इस समायोजन को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अनुबंध में चारा/भूसे की बिक्री या पट्टे में उसके समायोजन के संदर्भ में कोई खंड नहीं है। इस प्रकार पट्टा किराए में इस राशि का समायोजन संदिग्ध है। इसके परिणामस्वरूप खर्चों के लिए देयता में रू. 92.10 लाख की वृद्धि होगी जिसके लिए उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा, जीएलएफ, हिसार ने मार्च 2019 तक आपूर्ति किए गए चारे/भूसे के लिए पट्टा किराया/समायोजन के बकाया के लिए रू. 432.39 लाख की राशि का दावा किया था, कंपनी ने रू. 182.63 लाख की सीमा तक अपनी देनदारी स्वीकार की थी जोकि 2020–21 में जीएलएफ, हिसार को जारी किया गया था। इस प्रकार 249.76 लाख रुपये की एक विवादित देनदारी बनी रही जिसे कंपनी ने अपनी आकस्मिक देनदारियों के तहत पहचान नहीं की। उपरोक्त विवादित देनदारियों/दावों की गैर–मान्यता के परिणामस्वरूप 'आकस्मिक देनदारियों' को रू. 341.86 लाख कम दिखाया गया है।	एनएससी द्वारा जीएलएफ को देय लीज राशि में से रू. 92,10,326/– की राशि काट ली गई है। पट्टा समझौते के अनुसार, ऐसा कोई खंड नहीं है कि सीएसएफ, हिसार द्वारा चारा/भूसे की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी और तदनुसार, एनएससी ने चारे के लिए बिल प्रस्तुत किया और जीएलएफ को देय पट्टा किराए मे समायोजित किया गया है। तथापि, 01.4.2019 से 1100/– रुपये प्रति एकड़/प्रति वर्ष की दर से पट्टे के विस्तार के मामले में लगातार जोर दिया जा रहा है और मामला संबंधित विभाग के साथ प्रक्रियाधीन है। दोनों पक्षों के बीच पट्टे को अंतिम रूप देते ही सटीक राशि का खुलासा किया जाएगा।

Sr. No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
2.	**B. Liabilities** **I. Current Liabilities** **Trade Payable (Note-29): Rs. 35,620.76 lakh** The above does not include an amount of Rs.21.10 lakh payable to M/s Associated Jute Industries in pursuance to agreement of settlement entered on21January 2021. The agreement was entered to resolve a dispute on material supplied by M/s Associated Jute Industries in 2016 to the Company. The amount agreed to be paid by the Company was Rs. 24.61lakh against which only a liability of Rs.3.5 lakh exists in the books. Non recognition of liability in pursuance of agreement of settlement has resulted in understatement of 'Trade Payables' and overstatement of 'Profit for the year' by Rs. 21.10lakh.	The corrective measure in this regard already taken in the books of accounts during FY 2021-22 as per the approval of the competent authority. Since the final decision was taken in FY 2021-22, there are no understatements observed by the audit.
3.	**C. Comments on Disclosure** **Notes to Financial Statements** **Contingent Liabilities (Note-59)** (i) Contingent liabilities include an amount of Rs. 174.36 lakh pertaining to two court cases. Since the Company is petitioner in these cases; amount involved in the cases will be contingent assets of the Company instead of contingent liability. Hence, incorrect exhibition of the same has resulted in overstatement of contingent liability by Rs. 174.36lakh.	The observation has been noted for future guidance. Corrective action will be taken accordingly in the FY 2021-22.
	(ii) Company had taken land on lease at Hisar from Govt. Live Stock Farm (GLF), Haryana Government. Company adjusted an amount of Rs. 92.10 lakh for the fodder/straw supplied in 2020-21 while computing lease rent payable to GLF, Hisar. GLF did not accept this adjustment and stated that there was no clause in the agreement referencing sale of fodder/straw or adjustment there of in lease rent payable. Thus adjustment of this amount in lease rent is doubtful. This will result in increase of liability for expenses by Rs. 92.10 lakh which needs proper disclosure. Further GLF, Hisar had claimed an amount of Rs. 432.39 lakh for arrears of lease rent/adjustment for fodder/straw supplied upto March 2019, Company had acknowledged its liability to the extent of 182.63 lakh and was released to GLF, Hisar in 2020-21. Thus there remained a disputed liability of Rs. 249.76 lakh which the Company had not recognized under its contingent liabilities. Non recognition of above disputed liabilities/claims has resulted in understatement of 'Contingent Liabilities' by Rs. 341.86lakh.	An amount of Rs 92,10,326/- was deducted from the lease amount payable to GLF by NSC. As per lease agreement there is no such clause that fodder/straw will be supplied free of cost by CSF, Hisar and accordingly NSC raised the bill for fodder and adjusted from the lease rent payable to GLF, which is in order. However, matter regarding extension of lease w.e.f 01.4.2019 @ Rs 1100/- per acre per annum, is being continuously insisted and is under process with the concerned department and hence the exact amount will be disclosed accordingly as soon as the lease matter is finalized between both the parties.

क्र.सं	भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
4.	**घ. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ**	
	(i) केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार (कंपनी की एक लेखा इकाई) के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 3 (जी) (8) में रिपोर्ट किया है कि सीएसएफ हिसार ने लीज रेंट बुक नहीं किया है और वर्ष 2020–2021 के दौरान धन्दूर प्रखंड क्षेत्र में 754 एकड़ भूमि एवं रु. 8.29 लाख की भूमि किराया देनदारी को बुक नहीं किया गया। सीएसएफ, हिसार के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का पैरा 3(छ)(8) निम्नलिखित कारण से गलत थाः • हरियाणा सरकार ने सीएसएफ, हिसार को आवंटित भूमि 6693 एकड़ 6 कनाल और 1 मरला में से 854 एकड़ 6 कनाल 14 मरला भूमि वापस लेने की स्वीकृति (अक्टूबर 2010) दी थी। हालांकि, केराफा, हिसार के कई अनुरोधों के बावजूद, अक्टूबर 2019 तक हरियाणा सरकार द्वारा केवल 119 एकड़ जमीन वापस ली गई थी। इस प्रकार सीएसएफ, हिसार के कब्जे में भूमि 2020–21 के दौरान 754 एकड़ (पट्टा किराया देयता 8.09 लाख रुपये) के बजाय 735 एकड़ (पट्टा किराया देयता 8.29 लाख रुपये) थी, जैसा कि सीएसएफ, हिसार के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है। • हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि 2010 से भूमि का लीज रेंट सीएसएफ, हिसार के पास है। हालांकि स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने वर्ष 2009–10 से 2020–21 तक लीज रेंट लायबिलिटी की बुकिंग न करने के बजाय केवल 2020–21 के लिए लीज रेंट लायबिलिटी की गैर–बुकिंग के बारे में बताया है जो रू. 110.31 लाख आता है।	यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने पत्र संख्या 1638 एएच 5 2010/13550 दिनांक 07.10.2010 के माध्यम से धांदूर की 854 एकड़ 6 कनाल 14 मरला भूमि को वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी थी, और सीएसएफ, हिसार नियमित रूप से संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए कंपनी की कोई देनदारी नहीं है क्योंकि यह राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो इसे वापस लेने में देरी कर रहे हैं। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस भूमि भाग पर दायित्व का सृजन नहीं किया जा रहा है। हालांकि ऑडिटर ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में लीज रेंट 829400.00 रुपये की विवादित देनदारी का खुलासा किया है। इस प्रकार दायित्व का सृजन उत्पन्न नहीं होता है।
	(ii) केंद्रीय राज्य फार्म (सीएसएफ), हिसार के स्वतंत्र लेखा परीक्षक, कंपनी की एक लेखा इकाई, ने पैरा 3 (छ) 9 में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत रिपोर्ट की है कि फार्म ने पट्टा किराया बुक किया था जो पिछले वर्ष के समझौते के अनुसार, जो 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गया और संबंधित प्राधिकरण के साथ नए समझौते की प्रक्रिया चल रही है। इसने इस तथ्य की सूचना नहीं दी कि गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म (जीएलएफ), हरियाणा सरकार ने लीज रेंट को रू. 1,100 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रू. 2,973.75 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष करने का फैसला किया था, जिसे कंपनी ने सहमति नहीं दी है। इसलिए वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए बढ़ी हुई दरों पर, अंतर देयता रू. 216.98 लाख है। इस प्रकार, सीएसएफ, हिसार के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट काफी हद तक त्रुटिपूर्ण है।	इस तथ्य का पहले ही वार्षिक लेखों के नोट 68बी में खुलासा किया जा चुका है और यदि इस संबंध में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई और विकास हुआ है, तो उसे तद्नुसार प्रकटीकरण में शामिल किया जाएगा।

Sr. No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
4.	**D. Comments on Independent Auditor's Report**	
	(i) Independent Auditor of Central State Farm, Hisar (an accounting unit of the Company), has reported in Para 3(g)(8) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' that the CSF Hisar has not booked lease rent of 754 acres land in Dhandoor Block Area and land rent liability amounting to Rs. 8.29 lakh has not been booked during the year 2020-2021. Para 3(g)(8) of Independent Auditor's report of CSF, Hisar was incorrect due to following: • Haryana Government had conveyed approval (October 2010) for taking back 854 acres 6 kanal 14 marla land out of allotted land of 6693 acres 6 kanal and 1 marla to CSF, Hisar However, despite several requests by CSF, Hisar, only 119 acres were taken back by the Haryana Government till October 2019. Thus land in possession of CSF, Hisar was 735 acres (lease rent liability Rs. 8.09 lakh) during 2020-21insteadof 754 acres(leaserent liability Rs. 8.29 lakh)as stated in Independent Auditor's report of CSF, Hisar • Haryana Government had claimed lease rent on land remained in possession of the CSF, Hisar since 2010. However Independent Auditor has reported about non-booking of lease rent liability for 2020-21 only instead of non-booking of lease rent liability from 2009-10 to 2020-21 which comes to Rs. 110.31 lakh.	It is stated that Govt of Haryana vide letter No 1638 AH 5 2010/13550 dated 07.10.2010 had conveyed approval for taking back 854 Acre 6 kanal 14 marla Land of Dhandoor and CSF, Hisar has been regularly pursuing the matter with the concerned State Authorities. Hence Company has no liability towards this as it is State authorities responsibility who are delaying to take it back. Keeping in view the position, liability is not being created on this land portion. However, the auditor has disclosed the disputed liability of lease rent Rs 829400.00 in the financial year 2020-21. Thus the creation of liability does not arise.
	(ii) Independent Auditor of Central State Farm (CSF), Hisar an accounting unit of the Company, has reported in Para 3(g)9) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' that the farm has booked lease rent as per previous year agreement which expired on 31 March 2019 and fresh agreement process with concerned Authority is under process. It did not report the fact that Govt. Live Stock Farm (GLF), Haryana Government had decided to enhance the lease rent from Rs. 1,100 per acre per annum to Rs. 2,973.75 per acre per annum which has not been agreed by the Company. The differential liability at enhanced rates comes to Rs. 216.98 lakh for the years 2019-20 and 2020-21. Thus, Independent Auditor's report of CSF, Hisar is deficient to the extent.	The fact has already been disclosed in Note 68b in the annual accounts and if there is any further development in this regard happened during FY 2021-22,the same will be covered accordingly in the disclosure.

अरोड़ा एंड चौधरी ऐसोसियेटस
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रतिकूल राय

हमने **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** (''निगम'') के स्टैन्डएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन पत्र, लाभ–हानि विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित) तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियॉं जिसमें उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। इन इंडएएस वित्तीय विवरणों में मुख्यालय के लेखों की लेखा परीक्षा हमने की है तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों चंडीगढ़, जयपुर, गांधीनगर, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, पटना, लखनऊ एवं भोपाल तथा 05 फार्मों सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर, हिसार एवं रायचूर की लेखों की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों (क्षेत्रीय कार्यालय लेखा परीक्षक) द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट पर हमने अपनी राय बनाने में भरोसा किया है जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय में चर्चा की गई मामलों के सामूहिक महत्व के कारण संलग्न वित्तीय विवरणियां सही नहीं बताते है। 31 मार्च, 2021 तक निगम के मामलों की स्थिति और इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए जानकारी भारत में आम तौर पर मान्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुरूप निश्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

प्रतिकूल राय का आधार

1) निगम ने सरकार से वसूली योग्य बकाया के संबंध में अपनी लेखा नीति 2.2(xxi) (एफ) को आंशिक रूप से बदल दिया है जिससे प्रावधान अवधि को 06 वर्षों से बढ़ाकर 08 वर्ष कर दिया गया है। हम इस परिवर्तन की तर्कसंगतता के बारे में उपर्युक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे, क्योंकि निगम से हमें कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, जो कि लेखाकंन नीति में इस परिवर्तन को प्रमाणित कर सके। इसके परिणामस्वरूप रू. 3086.86 लाख रूपये का वित्तीय प्रभाव पड़ा है (नोट संख्या 77 (ii) देखें), प्रावधानों को कम करके और कर पूर्व लाभ तथा व्यापार प्राप्तियों को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है। निगम की व्यापार प्राप्य प्रावधान नीति, इंड एएस – 109 ''वित्तीय लिखत'' में निर्धारित अपेक्षित क्रेडिट हानि पद्धति के अनुरूप नहीं हे, जिसके लिए संभावित परिणामों की निष्पक्ष, लाभप्रदता–भारित मूल्याकंन सीमा, पैसे का मूल्य और समर्थन योग्य जानकारी समय को प्रतिबिंबित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि को निर्धारण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सरकारी विभागों / पार्टियों के लिए 06 वर्ष और निजी पार्टियों के लिए 03 वर्ष की मूल नीति तब पेश की गई थी जब इन्ड एएस अस्तित्व में नहीं था। इस प्रकार संशोधन और साथ ही इस लेखा नीति की निरंतरता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित इंड एएस के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर कुल संचित प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

2) नोट 22 – अन्य इक्विटी के तहत अव्ययित सीएसआर रिजर्व के रूप में रू. 277.27 लाख (वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित 08.05 लाख रूपये, वित्तीय वर्ष 2014 से 2020 तक रू. 12.37 लाख और पिछले वर्षों के रू. 256.85 लाख) की निरंतरता (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 22.01.2021 निगमित मामालें के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14 / 2021 दिनांक 25.08.2021 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीए) द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिनांक 10.05.2021 के अनुरूप नहीं है। निगम ने 31 मार्च, 2021 तक अलग बैंक खाते में रू. 256.85 लाख स्थानातंरित किए है और शेष राशि को तुलनपत्र की तारीख के बाद स्थानांतरण किया गया है। हालांकि, वित्तीय विवरण में निर्धारित बैंक खाते के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया

ARORA & CHOUDHARY ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of National Seeds Corporation Limited

Report on the Audit of Standalone Financial Statements

Adverse Opinion

We have audited the standalone financial statements of **National Seeds Corporation Limited** ("The Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, and the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), and Statement of Cash Flows and the Statement of change in Equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these IndAs Financial Statement are the accounts of the Head Office audited by us and other Regional Offices at Chandigarh, Jaipur, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Kolkata, Bhopal, Lucknow, Gandhinagar and Patna and five Farms at Suratgarh, Sardargarh, Jetsar, Hisar and Raichur audited by the other firms of Chartered Accountants ("Regional Office Auditors") appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013 whose reports have been relied upon by us in forming our opinion as mentioned in this report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, because of the collective significance of the matters discussed in the Basis for Adverse Opinion section of our report, the accompanying standalone financial statements do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2021, of its profit, position of changes in equity and the cash flows for the year then ended.

Basis for Adverse Opinion

1. The corporation has partly changed its accounting policy 2.2(xxi) (f) in respect of outstanding recoverable from Government whereby provisioning period has been increased from 6 years to 8 years. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about rationality of this change as the corporation has not provided us any satisfactory evidence which may substantiate this change in accounting policy. This has resulted in a financial impact of Rs. 3086.86 lakh (refer Note No. 77(ii)) by understating provisions and overstating profits before tax and trade receivables to that extent. The trade receivables provisioning policy of the corporation is not compliant with Expected Credit Loss Method as prescribed in IND AS 109 "Financial Instruments" which requires to measure expected credit loss in a way to reflect unbiased, profitability- weighted evaluating range of probable outcomes, time value of money and supportable information. Further, the original policy of 6 years for government departments/parties and 3 years for private parties was introduced when IND AS were not in existence.As such the modification as well as the continuation of this accounting policy is not in accordance with the provisions of IND AS notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The consequential total accumulated impact on the financial statements is unascertainable.
2. Continuation of Rs. 277.27 lakh (Rs. 8.05 lakh pertaining to current financial year, Rs. 12.37 lakh relating to financial years 2014 to 2020 and Rs. 256.85 lakh that of earlier years) as Unspent CSR Reserve under Note 22 – Other Equity, is not as per the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 dated 22.01.2021 read with FAQs on Corporate Social Responsibility issued by Ministry of Corporate Affairs vide circular no. 14/2021 dated 25.08.2021 and FAQs issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) dated 10.05.2021. The Corporation has transferred Rs. 256.85 lakh to separate bank account as on March 31, 2021 and rest of the amount

है। सीएसआर खर्चों के प्रावधान के बजाय भंडार के विनियोग के परिणामस्वरूप, कर पूर्व लाभ को रू. 08.05 लाख से अधिक बताया गया है और जबकि निर्धारित बैंक शेष का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप, अचिन्हित बैंक शेष को रू. 269.22 लाख से अधिक बताया गया है।

3) निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दो चिकित्सा लाभ योजनाएं हैं। एक उन कर्मचारियों के लिए हैं जो 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरा उनके लिए हे जो 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं जिसमें निगम कर पूर्व लाभ का क्रमशः 1.5% और मूल वेतन और डीए का 3% की गणना के आधार पर राशि का योगदान देता है जबकि पूर्व योजना से संबंधित राशि रिजर्व में जारी है, बाद की योजना से संबंधित राशि प्रावधानों के तहत परिलक्षित हो रही है। हालांकि रिजर्व के माध्यम से पूर्व योजना के योगदान की प्रथा इंडएएस –19 "कर्मचारी लाभ" के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, चूंकि दोनों योजनाएं परिभाषित अंशदायी योजनाएं हें, योगदान की राशि को एक अलग कोष में रखा जाना चाहिए था, जोकि उपर्युक्त इंडएएस के प्रावधानों को भी उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और आरक्षित राशि को रू.119.76 लाख अधिक दिखाया गया है और प्रावधान को कम करके दिखाया गया है।

4) निगम ने परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई विशेष निर्धारण नहीं किया है जैसा कि इंड 36 के तहत आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसंपत्तियां उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। लाभ पर परिणामी प्रभाव अनिश्चित है। (नोट संख्या 60)

5) निगम को राज्य/केंद्र सरकार द्वारा खेती के उपयोग के लिए कृषि भूमि दी गई है। हालांकि निगम के पास इस तरह के उपयोग के अधिकार के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, निगम ने उस अवधि का मूल्याकंन करने के लिए न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किया है जिसके लिए निगम को दी गई भूमि का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है और न ही इसने इंडएएस 20 के पैरा 23 और इसकी प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसलिए वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है। (नोट संख्या 68)

6) क) निगम के वित्तीय विवरणों में प्राप्त विभिन्न अनुदानों से संबंधित क्रेडिट शेष शामिल हैं, जिनमें से रू. 32.45 लाख की राशि का मिलान नहीं किया गया है। इसे सत्यापित करने के लिए निगम के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका

ख) इसके अलावा, पूर्व के वर्षों में प्राप्त के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों से सर्वाधित रू. 3606.97 लाख की क्रेडिट शेष है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। हम इन शेष राशि और संबंधित अनुदान शर्तों के बारे में पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि निगम के पास इनके दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका विवरण हमारी रिपोर्ट के अनुबंध–ख के बिन्दु III के तहत बताया गया है। इकसा परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

7) लाभ और हानि के विवरण के अनुसार राजस्व रू. 101,517,83 लाख है। (नोट संख्या 34) जबकि जीएसटी रिटर्न के अनुसार यह रू. 85,747.63 लाख है। दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इसका अंतर प्रमाणित नहीं किया गया है इसलिए इसके परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

8) व्यापार प्राप्य की शेष राशियों, प्राप्य सब्सिडी, ऋण एवं अग्रिम, सुरक्षा जमा, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देनदारियाँ पुष्टि/समाधान के लिए लंबित हैं (नोट संख्या 55.1)। वित्तीय विवरणों पर इस प्रकार की पुष्टि/समाधान का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

9) निगम 20 वर्षों से भी अधिक अवधि से भूमि विकास व्यय का परिशोधन कर रहा है जो इसके स्वामित्व मे नहीं है। हालांकि, किसी भी सहायक साक्ष्य के अभाव में, इस व्यय का लाभ किसी अवधि तक प्राप्त होने की संभावना है, हम उक्त नीति की पर्याप्तता और लाभ एवं हानि पर इसके परिणामी प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते है।

10) जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा बताया गया है, निगम ने एमएसएमई को अतिदेय की पहचान नहीं की है और परिणामस्वरूप एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार उस पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। तद्नुसार, निगम के लाभ पर ब्याज के लिए प्रावधान न करने के कारण, इसके परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने के लिए हमें उपर्युक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गए। (नोट संख्या 80)

11) जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2018–19 के दौरान रू. 126.25 लाख की बिक्री की गई थी, जिसे पहले देयता के रूप में दिखाया गया था इसे सही किया है जिसे चालू वित्तीय वर्ष के लेखा खातों में परिचालन से

has been transferred post balance sheet date. However, the fact of earmarked bank account has not been disclosed in the financial statement. The appropriation of reserves instead of provisioning of CSR expenses has resulted as overstatement of profits before tax by Rs. 8.05 lakh and while non-disclosure of earmarked bank balance has resulted in overstatement of unearmarked bank balances by Rs. 269.22 lakh.

3. The Corporation has two medical benefit schemes for retired employees. One is for those employees who retired prior to 01.01.2007 and other is for those who retired after 01.01.2007, wherein the corporation contributes an amount computed and provided at 1.5% of profit before tax and 3% of basic pay and DA respectively. While amount relating to former scheme is continuing into Reserves, the amount relating to later scheme is being reflected under the Provisions. However, the practice of contribution of former scheme through Reserves is not in accordance with the provisions of IND AS 19 "Employees Benefits". Further, since both the schemes are Defined Contributory Plans, the amount of contribution should have been placed into a separate fund, which is also violative of the provisions of aforementioned IND AS and has resulted into overstatement of profits and reserves by Rs. 119.76 lakh and understatement of provisions to that extent.

4. The Corporation has not made any specific assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The consequential impact on the profit is unascertainable. (Note No. 60).

5. The Corporation has been given farm lands on right to use basis for cultivation by State/Central Government. However no documents for such right to use are available with the Corporation. Further, the corporation has neither provided any documentary evidences to evaluate the period for which the right of using lands given to the corporation nor had it complied with para 23 of IND AS 20 and its disclosure requirements. Therefore, consequential impact on the financial statement is not ascertained. (Note No 68).

6. a) The Financial Statements of the Corporation contain credit balances related to various grants received out of which a sum of Rs. 32.45 lakh is not reconciled for the reported reason that there is no document available with the corporation to verify the same. Consequential impact of the same is not ascertainable.

   b) Further a credit balance amounting Rs. 3606.97 lakh related to various grants received in earlier years remained unutilized. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about these balances and respective grant conditions for the reported reason that the documents are not available with the corporation, details of the same are as stated under point III of Annexure – B of our report. Consequential impact of the same is not ascertainable.

7. The revenue as per Statement of profit & loss is Rs. 101,517.83 lakh (Note No. 34) whereas as per GST Returns it amounts to Rs. 85,747.63 lakh. Difference of the same has not been substantiated with the documentary evidences and as such consequential impact can't be commented upon.

8. Balances of trade receivables, subsidies receivable, loans and advances, security deposits, trade payables and other current liabilities are pending for confirmation/reconciliation (Note no. 55.1). The consequential effect of such confirmation/reconciliation, if any, on the financial statements is not ascertainable.

9. The Corporation amortises the Land Development Expenditure, in respect of farms not owned by it, over a period of 20 years. However, in absence of any supporting evidence as to the period up to which the benefit of this expenditure is likely to be derived, we are unable to comment on the adequacy of said policy and its consequent impact on the profit and loss account.

10. As reported by other auditors of ROs, the corporation has not identified overdues to the MSME and consequentially provision of interest/ penal interest thereon as per MSMED Act 2006. Accordingly, we could not find appropriate evidences to comment upon the consequential impact on profit of the Corporation due to such non provisioning of interest. (Note No. 80).

11. As reported by Patna RO's auditor, a sale amounting Rs. 126.25 lakh was made during the year2018-19 which was earlier booked as liability, has been corrected and booked Revenue from Operation in the books of accounts of

राजस्व में दर्ज किया गया है। हालांकि, निगम ने आईएएस 8 के पैरा 42 के अनुसार पिछले वर्ष का तुलनपत्र और लाभ एवं हानि का विवरण बहाल नहीं किया है, परिणामस्वरूप चालू वर्ष के राजस्व को अधिक बताया गया है तथा प्रारंभिक इक्विटी को कम बताया गया है। (नोट संख्या 74)

12) जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लेखापरीक्षक द्वारा बताया गया है कि समझौता ज्ञापन भागीदारों के माध्यम से बीज की खरीद से संबंधित परिसंपत्तियों की पहचान के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है, क्योंकि देनदारों की पहचान, जिनसे भुगतान एकत्र किया जाना है के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है और जो Mou भागीदारो को देय होना चाहिए। वित्तीय विवरणों पर ऐसी पुष्टि/समाधान का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

13) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादकों की रु. 546.68 लाख की उत्पादन सब्सिडी का मिलान नहीं हो रहा है। इसके मिलान के लिए निगम द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए देयता एवं आय पर इसका परिणामी प्रभाव का पता नहीं लग पाया।

14) जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है, निगम अपने केंद्रीय राज्य फार्म (सीएसएफ) से प्राप्त माल पर सामग्री हस्तातंरण नोट(एमटी नोट)के माध्यम से राजस्व का अभिज्ञात प्रक्रिया का पालन कर रहा है, जिसे इन्वेंटरी शीट में आवक मात्रा में शामिल किया गया है लेकिन संबंधित खरीद दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद, निगम ने जेवी माध्यम से सीएसएफ खाते को क्रेडिट किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व को कम बताया गया है। हालांकि, इस तरह के समायोजन के परिणामी प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसका पता नहीं चल सका।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमने अपने वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया है। हम भारत के सनदी लेखाकारों को संस्थान द्वारा नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी की गई आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, जोकि कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और इसके अलावा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिकूल राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) कोविड–19 महामारी के कारण लोगो के स्वास्थ्य पर, हमारे समाज पर तथा इसके साथ–साथ विभिन्न संगठनों के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अनिश्चितता के कारण परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही है। कंपनी भी इस अनिश्चितता का सामना कर रही है। टिप्पणी संख्या 81 में इंड एएस वित्तीय परिणामों के साथ–साथ उसके मूल्यांकन का भी खुलासा किया गया है। हम इन खुलासों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

ख) किसानों के साथ किए गए मानक समझौते के संदर्भ में, जिन बीजों को प्रत्याशित पैदावार के लिए बाय बैक एग्रीमेंट के साथ बेचा जाता है, निगम के पास इस संबंध में प्रत्येक समझौते के उल्लंघन में राशियों की गणना के लिए न तो कोई व्यवस्था है और न ही वसूली/छूट के लिए कार्यवाही की गई है। कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है, इस बात पर प्रबंधन ने ध्यान दिए बिना, कहा/उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बीज की अनुपलब्धतता के कारणों का विश्लेषण किया है और रिकार्ड करने के लिए कोई वसूली नहीं है। वित्तीय विवरणों में कोई छूट/वसूली योग्य प्रभाव नहीं है। हमने इस तरह के वर्णन पर विश्वास किया है और तद्नुसार इस मामले पर हमारी रिपोर्ट नियमानुकूल नहीं है।

ग) उत्पादन सब्सिडी को वार्षिक कार्य योजना (पहले के वर्षों में पालन) के बजाय वास्तविक खरीद के आधार पर मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ और व्यापार प्राप्तियों में रू. 8160.77 लाख की कमी आई है। इसके अलावा, चालू वर्ष से संबंधित रू. 5127.68 लाख की राशि, जिसका पहले से ही पिछले वित्तीय वर्ष में हिसाब किया जा चुका हैं, जो अन्यथा वास्तविक खरीद के आधार पर चालू वर्ष का हिस्सा होता (नोट संख्या 46 देखें)। लेखाकंन अनुमानों में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन के संभावित रूप से किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में इसका निपटान किया गया है। तद्नुसार, पिछले वर्ष के आंकड़े वर्तमान आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है।

इन मामलों के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

current financial year. However, the corporation hasn't reinstated the previous year Balance Sheet and Statement of Profit & Loss in accordance with para 42 of IAS 8 which has resulted into overstatement of current year's revenue and understatement of opening equity to that extent. (Note No. 74).

12. As reported by Bhopal RO's auditor, there is no proper system to identify the asset with the corresponding liability in respect of purchase of seeds through MOU partners since there is no effective system to identify the debtors from whom the payment is to be collected and which should be payable to MOU partner. The consequential effect of such confirmation/ reconciliation, if any, on the financial statements is not ascertainable.

13. As reported by Bhopal RO's auditor, the grower's production subsidy of Rs. 546.68 lakhs is not reconciled for the reported reason that the relevant documents were not made available by the corporation to verify the same. However, the consequential impact on liabilities and income, is therefore unascertainable.

14. As further reported by Bhopal RO's auditor, the corporation is following the procedure of recognising the revenue on the goods received from its central/ state farm land (CSF) through Material Transfer Note (MTN) which is incorporated in Inward Quantity in Inventory Sheet but the corresponding purchases were not recorded. The corporation, thereafter, credited the CSF account through JV resulted into understatement of revenues. However, the consequential impact of such adjustment can't be quantified and is unascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our adverse opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter:

We draw attention to the following matters in the notes to the Financial Statements:

a) The developments surrounding the Covid-19 pandemic have a profound impact on people's health and on our society as a whole, as well as on the operational and financial performance of organizations. The situation changes on a daily basis giving rise to inherent uncertainty. The Corporation is confronted with this uncertainty as well, which has been disclosed in Note No. 81 to the IND AS financial results, together with its evaluation thereof. We draw attention to these disclosures. Our opinion is not modified in respect of this matter.

b) Further, in terms of the standard agreement entered into with the farmers to whom seeds are sold with a buy back agreement for the anticipated yields, the Corporation neither has a system for computation of the amounts in the breach of each agreement in this regard nor has it taken, on records, action for recovery/waiver. The management, notwithstanding that there was no laid down system, has contended/represented that the regional managers have analyzed the causes of non-receipt of the seed and there is no recovery to be recorded and that there is no waiver/recoverable effect in the Financial Statements. We have placed reliance on such representation and accordingly do not qualify our report on this matter.

c) The production subsidy has been recognized on the basis of actual procurement instead of annual action plan (followed in earlier years). It resulted into decrease in profit before tax and trade receivables by Rs. 8160.77 lakh. Further, an amount of Rs. 5127.68lakhpertaining to current year which has already been accounted for in the preceding financial year, which would have otherwise been a part of current year on actual procurement basis(Refer Note No. 46).The change being a change of accounting estimates has been made prospectively and dealt with in financial statements of the current financial year. Accordingly, the previous year figures are not comparable with that of current figures.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

अन्य मामले

हमने निगम के वित्तीय आंकड़ों में शामिल 16 शाखाएं, जिनके वित्तीय आंकड़े 31.03.2021 तक कुल परिसंपत्तियां रू. 101,585.97 लाख और उस तारीख तक समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रू. 103,378.42 लाख दर्शाते हैं, के वित्तीय आंकड़ो की लेखा परीक्षा नहीं की है जैसा कि माना गया इन शाखाओं की वित्तीय आंकड़ों की लेखा परीक्षा, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की जा चुकी है और हमारी राय, इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इसके अलावा, निगम ने अपने 06 सहयोगियों के वित्तीय विवरणों को समेकित नहीं किया है। इसका विवरण नोट संख्या 66 में दिया गया है। तद्नुसार, हमने केवल स्टैंडालोन वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

स्टेन्डालोन वित्तीय विवरणों के संबंध मे हमारी राय को इन मामलों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट और अनुबंध शामिल हैं, (किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं) इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशकों की रिपोर्ट हमें उपलबध करवाए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम आश्वासन के किसी भी रूप को निष्कर्ष के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होती है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि उसमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो आवश्यकता पड़ने पर हमें प्रशासन और उचित कार्रवाई करने वालों को मामला प्रस्तुत करना चाहिए।

स्टैंडालोन वित्तीय आंकड़ों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के तहत इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निगम के निदेशक मंडल की है, जिसमें निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन इक्विटी में बदलाव एवं नकदी प्रवाह विवरण विनिर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकंन सिद्धातों के अनुसार, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 भी शामिल है। इस जिम्मेवारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख तैयार करना, कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाना एवं पता लगाना उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करना, अनुमान लगाना और निर्णय करना जोकि उचित एवं विवेकपूर्ण हो और डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा अभिलेखों का उचित रखरखाव, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रासंगिकता शामिल हैं जिसमें लेखा अभिलेखों की पूर्णतः और शुद्धता सुनिश्चित है तथा जो सच्चा एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है और जो तात्विक गलत विवरणों से युक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आंकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखाकंन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्ताविक विकल्प नहीं है।

यानी निदेशक मंडल निगम की वित्तीय रिपोटिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय आंकड़ों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय आंकड़े पूर्णरूपेन भौतिक त्रुटि, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, से मुक्त है और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आवश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसरण में की गई लेखा परीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण त्रुटि जब भी हो, का हमेशा पता लगा लेगा। त्रुटियां किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से

Other Matter

We did not audit the financial statements/ information of 16 branches included in the financial statements of the corporation whose financial statements reflect total assets of Rs.101,585.97 lakh as at 31st March 2021 and the total income of Rs.103,378.42 lakh for the year ended on that date, as considered in the financial statements of these branches and have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Further, the corporation has not consolidated the financial statements of its 6 associates. The detail of the same is provided in Note No. 66. Accordingly, we have issued our report on standalone financial statements only.

Our opinion is not modified in respect of these matters in respect of standalone financial statements.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report and annexure thereto, (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). The Directors' Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and appropriate action, if required.

Responsibility of Management for Standalone Financial Statements

The Corporation's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, change in equity and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

That Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

या सकल रूप में, यह किसी कारणवश आशातीत हो कि यह, प्रयोगकर्ता द्वारा इस वित्तीय आंकड़ों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान हम पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः–

- वित्तीय आंकड़ों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचाने और उनका आंकलन करें, चाहे वे धोखधड़ी या त्रुटि के कारण से हो, उन जोखिमों की पहचान और आंकलन, उन जोखिमों के प्रतिसंवेदी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाईन और निष्पादित करना और हमारी राय को एक आधार उपलब्ध करने हेतु लेखा परीक्षण सबूत प्राप्त करना जो उपयुक्त और पर्याप्त हों। धोखाधड़ी के कारण होनी वाली भौतिक त्रुटि का पता नहीं लगाने का जोखिम गलती से होने वाली त्रुटि से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या निरूपण या धोखाधड़ी आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाईन करने हेतु लेखा परीक्षा की परिस्थितियों में उपयुक्त प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकंन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्याकंन करना।
- लेखाकंन को चालू समुत्थान आधार का प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, भौतिक अनिश्चितता उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित है जिससे एक बढ़ती हुई फर्म के रूप में निगम की क्षमता पर विशेष संदेह किया जा सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने या, यदि इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त है तो आवश्यकता होने पर हमारी राय को संशोधित करना। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम के चालू समुत्थान में रूकावट हो सकती हैं।
- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्याकंन करना तथा क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिनमें निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और लेखा परीक्षा के दौरान निष्कर्षों के बारे में हम प्रशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है और जहां लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में सोचा जा सकता है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडालोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1) हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उपधारा (11) के अनुसार, भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) में अपेक्षित और अन्य वित्तीय आंकड़ों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और शाखाओं की अन्य वित्तीय सूचना को ध्यान में लेकर, जैसे कि "अन्य मामलें" पैरा में इंगित किया गया है, हम "अनुबंध–क" में आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट किए गए मामलों पर एक विवरण जारी करते हैं।

2) निगम के खातों और रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर, जिन्हें हमने उपर्युक्त समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उपनिर्देशों के "अनुबंध–ख" में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) की शर्तानुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of the branches, as noted in the 'Other Matter' paragraph we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2 We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate and according to the information and explanations given

3) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम का अनुच्छेद 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तद्नुसार, अधिनियम के अनुच्छेद 197(16) के प्रावधानों के अनुसरण में रिपोटिंग निगम पर लागू नहीं है।

4) अनुबंध क में हमारे टिप्पणी पर और आगे, जैसा कि अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी सूचना और जानकारियां मांगी और प्राप्त की हैं जो हमारे जानकारी और विश्वास से हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।

ख) हमारी राय में, निगम द्वारा खातों की समुचित पुस्तकें जैसा कि कानूनन आवश्यक है, रखी गई है, जोकि अब तक उन पुस्तकों के हमारे निरीक्षण से प्रतीत होता है और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरण जो हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु आवश्यक हैं, प्राप्त किए गए हैं।

ग) निगम के शाखा कार्यालयों, जिन्हें अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया था, के आंकड़ों की रिपोर्ट हमें भेजी जा चुकी हैं और हमारे द्वारा, यह रिपोर्ट बनाए जाने के दौरान, अच्छी तरह से जांच कर ली गई है।

घ) तुलनपत्र, लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) के विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में बदलाव का विवरण, जो इस रिपोर्ट द्वारा प्रकट किए गए, लेखा बहियों के साथ और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणों के साथ अनुबंध में हैं।

ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तिय आंकडें कंपनी(लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षक मानकों का अनुपालन करते हैं, सिवाय हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय में वर्णित मामलों को छोड़कर।

च) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) की अनुसूची में एक सरकारी कंपनी होने से अधिनियम के अनुच्छेद 164 की उपधारा (2) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

छ) निगम की वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी पृथक रिपोर्ट में अनुबंध–ग को देखें।

ज) कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षकों), 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसारः–

(i) निगम ने अपने वित्तीय आंकड़ों में लंबित मुकदमों का अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलास किया है– वित्तीय आंकड़ों पर नोट संख्या 59 देखें।

(ii) निगम के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य नुकसान हों,और

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तातंरित किया जाना था।

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन003870एन

ह0/–
(विजय कुमार चौधरी)
साझेदार
सदस्यता सं: 081843
यूडीआईएन : 21081843AAAAGZ8746

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 09 नवंबर, 2021

to us, in the "Annexure B" on the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Corporation.

4. Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;

   (c) The reports on the accounts of the branch offices of the Corporation audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

   (d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), the statement of Cash Flows and statement of change in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

   (e) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except for the matter described in the Basis for Adverse Opinion section of our report;

   (f) Being a Government Company pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Act, are not applicable to the Corporation.

   (g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".

   (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements (refer Note no 59) to the financial statements;

      ii. the Corporation did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

      iii. there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation.

For Arora & Choudhary Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003870N

Sd/-
(Vijay K Choudhary)
Partner
M. No: 081843
UDIN: 21081843AAAAGZ8746

Place: New Delhi
Date: 09-11-2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुबंध–क

(राष्ट्रीय बीज निगम के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और इस तरह की जांचों के आधार पर भी जैसा कि हमने उचित समझा, हम कहते है कि:

(i) (क) निगम ने पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और इसकी अचल संपत्तियों की स्थिति सिवाय क्षेत्रीय कार्यालय, पटना एवं क्षेत्रीय कार्यालय, रायचूर को छोड़कर शामिल है। हालांकि मुख्यालय के साथ–साथ कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे "एक्सेल फाईल" में रखा जाता है, जिसे बिना प्राधिकरण के संशोधित या बदला जा सकता है। इसके अलावा परिसंपत्तियों की स्थिति का विवरण उसमें वर्णित नहीं है।

(ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, चंडीगढ एवं मुख्यालय को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया है हालांकि नियमित रूप से भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाता हैं जोकि हमारी राय में उचित है यदि सख्ती से पालन किया जाए जो कि निगम के आकार एवं प्रकृति में उचित है। वर्ष के दौरान संपप्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कोई विशेष विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार हम रिपोर्ट करते है कि तुलनपत्र की तारीख पर सभी भूमि, भवनों एवं अचल संपत्तियों की लीज डीड निम्नलिखित को छोड़कर, निगम के नाम पर हैं सिवाय मिदनापुर (कोलकाता), पटना (शेखपुरा), पूर्णिया (बिहार), नन्दयाल (आ.प्र), गूंटी (आंध्र प्रदेश), हेमपुर (उत्तराखंड), गोरखपुर, रायचूर एवं सूरतगढ़।

(ii) निगम की माल सूची को वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया है, सिवाय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं मुख्यालय को छोड़कर। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है, यदि सख्ती से पालन किया जाए। जैसा कि हमें बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना एवं रायचूर को छोड़कर निगम के परिचालन के सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थी।

(iii) निगम ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में, किसी भी कंपनी, फर्म अथवा पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण नहीं दिया है।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के तहत प्रावधानों का पालन किया है। निगम ने कोई ऋण अथवा गांरटी अथवा निवेश/प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है।

(v) हमारी राय में, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 73 से 76 के तहत वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3(v) लागू नहीं है।

(vi) निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए अधिनियम की धारा 148(1)के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख–रखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (vi) के तहत रिपोटिंग लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें उपलब्ध कराई गई लेखा बहियों एवं रिकॉर्ड के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, निगम नियमित रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवाकर (जीएसटी), उपकर सहित निर्विवादित सांवधिक देय राशि जमा कर रहा है। 31 मार्च, 2021 तक देय तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त सांवधिक कोई भी निर्विवाद बकाया राशि देय नहीं थी, सिवाय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के मामले में प्रासंगिक अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर स्रोत पर कर की देर से कटौती और क्षेत्रीय कार्यालय रायचूर के मामले में 01.04.2020 को विभिन्न जीएसटी खातों (अर्थात एसजीएसटी रु. 2.69 लाख, सीजीएसटी रु. 2.64 लाख, आईजीएसटी रु.0.16 लाख एसजीएसटी टीडीएस 0.37 लाख, सीजीएसटी टीडीएस 0.41 लाख रुपये और आईजीएसटी टीडीएस 0.02 लाख रुपये) में प्रारंभिक शेष राशि है। कुल मिलाकर रु. 6.30 लाख और वर्ष के अंत तक अप्रदत्त/अस्थिर बने रहेंगे।

Annexure A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 1 of our report of even date on the standalone IndAS financial statements for the financial year ended March 31, 2021 of National Seeds Corporation Limited)

In terms of the information and explanations given to us and also on the basis of such checks as we considered appropriate, we state that:

(i) (a) The Corporation has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of its fixed assets, except RO Patna, RO Raichur. However, in the Head office as well as in few regions, the same is maintained in excel files which can be amended or changed without authorization. Further, the details of the location of the assets are not mentioned therein.

(b) All the fixed assets have been physically verified by the management during the year except RO Bhopal, RO Chandigarh and HO Delhi. However, there is regular program of physical verification, which in our opinion is reasonable if followed rigorously, having regard to the size of the Corporation and the nature of fixed assets. No material discrepancies have been noticed in respect of the assets physically verified during the year.

(c) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings, are held in the name of the Corporation as at the balance sheet date, except for lands at Midnapore (Kolkata), Patna, Purnea (Bihar), Nandyal (Andhra Pradesh), Gooty (Andhra Pradesh), Hempur, district Udham Singh Nagar, Gorakhpur, Raichur and CSF Suratgarh.

(ii) All the inventories of the Corporation have been physically verified by the management at the end of the financial year except RO Bhopal and HO Delhi. In our opinion, however, the frequency of verification is otherwise reasonable if followed rigorously. As explained to us, the discrepancies noticed on verification were not material in relation to the operations of the Corporation, except in case of Patna RO and RO Raichur.

(iii) The Corporation has not granted any loan, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties listed in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 (the Act).

(iv) The Corporation has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Act in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities, as applicable.

(v) In our opinion, the Corporation has not accepted any deposit during the year within the meaning of Section 73 to Section 76 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules framed there under. Hence, paragraph 3(v) of the Order is not applicable.

(vi) Having regard to the nature of the Corporation's business / activities, the maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Act. Accordingly reporting under clause (vi) of paragraph 3 of the Order is not applicable.

(vii) (a) According to the books and records produced and examined by us, the Corporation is generally regular in depositing undisputed Statutory dues including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, , Goods and Services Tax (GST), cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities and no undisputed amount payable in respect of aforesaid statutory dues were outstanding as at March 31, 2021 for a period of more than six months from the date they become payable, except in case of RO Bhopal on account of non/ late deduction of tax at source within prescribed time limit as per the relevant act and in case of RO Raichur there are opening balances as on 01.04.2020 in various GST account (viz SGST Rs. 2.69 lakhs, CGST Rs. 2.64 lakhs, IGST Rs. 0.16 lakhs, SGST TDS Rs. 0.37 lakhs, CGST TDS Rs. 0.41 lakhs and IGST TDS Rs. 0.02 lakhs) aggregating to the tune of Rs. 6.30 lakhs & remain unpaid/ unsettled till the year end.

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर के बकाए देय विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं।

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय की प्रकृति	राशि रु. लाख में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जहां विवाद लम्बित पड़ा है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	0.18	1987–88	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	0.39	1988–89	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	0.36	1989–90	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
4	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	0.79	1989–90	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
5	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	0.36	1993–94	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
6	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.28	1998–99	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
7	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.30	1999–2000	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	4.03	2000–01	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
9	उत्तरांचल	अतिरिक्त बिक्री कर	3.48	2000–01	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	0.56	2000–01	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
11	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.40	2001–02	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
12	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.41	2002–03	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
13	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.02	2003–04	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
14	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	0.76	2004–05	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
15	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.76	2005–06	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
16	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.86	2006–07	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ

(b) According to the information and explanations given to us, dues outstanding of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess which have not been deposited on account of any dispute

Sr. No.	Nature of Statue	Nature of dues	Amount in lakhs	Period for which Amount Relate	Forum where the dispute is pending
1	Central Sales Tax Act, 1956	Additional sales tax	0.18	1987-88	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
2	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	0.39	1988-89	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
3	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	0.36	1989-90	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
4	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	0.79	1989-90	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
5	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	0.36	1993-94	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
6	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.28	1998-99	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
7	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.30	1999-00	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
8	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	4.03	2000-01	Trade Tax Tribunal-Lucknow
9	Uttaranchal	-do-	3.48	2000-01	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
10	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	0.56	2000-01	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
11	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.40	2001-02	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
12	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.41	2002-03	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
13	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.02	2003-04	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
14	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	0.76	2004-05	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
15	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.76	2005-06	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
16	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.86	2006-07	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow

17	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1.62	01.04.2007–31.12.2007	मूल्याकंन अधिकारी व्यापार कर – लखनऊ
18	वाणिज्यक कर पटना	पटना उच्च न्यायलय	14.03	2015–16	एनएससी बनाम जेसी सेंट्रल डिविजन
19	बिक्री कर, बिहार	बीएसटी आंकलन	1.35	2004–05	अपलीय ट्रिब्यूनल (कर, अपील आयोग के संयुक्त आयुक्त) (बिहार)
20	बिक्री कर, बिहार	सीएसटी आंकलन	0.003	2004–05	अपलीय ट्रिब्यूनल (कर, अपील आयोग के संयुक्त आयुक्त) (बिहार)
21	बिक्री कर, बिहार	बिक्री कर मांग	7.60	–	टिप्पणी 59 – क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
22	आसाम सामान्य बिक्री कर एवं सीएसटी	बिक्री कर	6.43	2003–04 से 2005–06	असम बिक्री कर ट्रिब्यूनल
23	आयकर विभाग	आयकर	9.50	2012–13	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
24	आयकर विभाग	आयकर	582.39	2013–14	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
25	आयकर विभाग	आयकर	438.73	2014–15	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
26	आयकर विभाग	आयकर	185.50	2015–16	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
27	आयकर विभाग	आयकर	101.39	2010–11	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
28	आयकर विभाग	आयकर	0.50	2017–18	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
29	आयकर विभाग	आयकर	1.16	2017–18	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
30	आयकर विभाग	आयकर	43.15	2019–20	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित

17	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1.62	1.4.07 to 31.12.07	Assessing Officer Trade Tax-Lucknow
18	Commercial Tax Patna	Patna High Court	14.03	2015-16	NSC vs JC Cent. Div.
19	Sales Tax Bihar	BST Assessment	1.35	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
20	Sales Tax Bihar	CST Assessment	0.003	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
21	Sales Tax Bihar	Sales Tax Demand	7.60	-	Note 59 – RO Patna
22	Assam General Sales Tax & CST	Sales Tax	6.43	2003-04 to 2005-06	Sales Tax Tribunal Assam
23	Income Tax Department	Income Tax	9.50	2012-13	Pending in office of Commissioner of Income Tax
24	Income Tax Department	Income Tax	582.39	2013-14	Pending in office of Commissioner of Income Tax
25	Income Tax Department	Income Tax	438.73	2014-15	Pending in office of Commissioner of Income Tax
26	Income Tax Department	Income Tax	185.50	2015-16	Pending in office of Commissioner of Income Tax
27	Income Tax Department	Income Tax	101.39	2010-11	Pending in office of Commissioner of Income Tax
28	Income Tax Department	Income Tax	0.50	2017-18	Pending in office of A. Commissioner of Income Tax
29	Income Tax Department	Income Tax	1.16	2017-18	Pending in office of A. Commissioner of Income Tax
30	Income Tax Department	Income Tax	43.15	2019-20	Pending in Office of A. Commissioner of Income Tax

(viii) इलाहाबाद बैंक से रू. 225.74 लाख के सावधि ऋण के संबंध में, निगम ने 17.08.2016 से भुगतान नहीं करने के कारण रू. 93.42 लाख के पुनः भुगतान में चूक की है।

(ix) निगम ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण के साधन सहित) या टर्मलोन के माध्यम से कोई राशि एकत्र नहीं की है।

(x) प्रस्तुत लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा या निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान नहीं देखा गया है।

(xi) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तद्नुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

(xii) निगम 'निधि कंपनी' नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 3(xii) आदेश लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और इस तरह के लेन–देन का विवरण इंड एएस वित्तीय विवरण में लागू लेखाकंन मानकों के अनुसार प्रकट किया गया है।

(xiv) निगम ने वर्ष के दौरान शेयरों के अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। इसलिए पैरा 3(xiv) आदेश लागू नहीं होता है।

(xv) हमारी राय में, निगम ने किसी भी निदेशक के साथ अथवा उनसे जुड़ें किसी अन्य व्यक्ति के साथ गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है। इसलिए पैरा 3(xv) आदेश लागू नहीं होता है।

(xvi) हमारी राय में निगम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन003870एन

ह0/–
(विजय कुमार चौधरी)
साझेदार
सदस्यता सं: 081843
यूडीआईएन : 21081843AAAAGZ8746

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 09 नवंबर, 2021

(viii) In respect of a term loan of Rs.225.74 Lakh from Allahabad Bank, the Corporation has defaulted in repayment of Rs.93.42 lakh including interest for the reason no payment has been made since 17/08/2016.

(ix) The Corporation has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loan during the year.

(x) Based on the audit procedures performed and according to the information and explanations given to us, no material fraud by the Corporation or on the Corporation by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(xi) As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to the Corporation.

(xii) The Corporation is not a "Nidhi Company"; hence paragraph 3(xii) the Order is not applicable.

(xiii) In our opinion, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Act where applicable and the details of such transactions have been disclosed in theInd AS Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) The Corporation has not made preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Hence, paragraph 3(xiv) the Order is not applicable.

(xv) In our opinion, the Corporation has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence, paragraph 3(xv) the Order is not applicable.

(xvi) In our opinion, the Corporation is not required to be registered under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Arora & Choudhary Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003870N

Sd/-
(Vijay Kumar Choudhary)
Partner
M. No: 081843
UDIN: 21081843AAAAGZ8746

Place: New Delhi
Date: 09-11-2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध–'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

I. क्या कंपनी के पास सूचना तकनीक के माध्यम से सभी लेखाकंन लेन–देन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हॉ, तो आई टी प्रणाली के बाहर लेखाकंन लेन–देन की प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई, बताए जाए।

लेखा परीक्षकों का अवलोकन

i) निगम के पास एक लेखाकंन सॉफ्टवेयर "बीज प्रबंधन" है। हालांकि बीजों की माल सूची मैन्युअल रूप में भी रखा जाता है और लेखाकंन सॉफ्टवेयर "बीज प्रबंधन" और मैनुअल रिकार्ड के अनुसार, इन्वेट्री मेल नहीं खाते है। वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्री को मैनुअल रिकार्ड के अनुसार लिया जाता है।

ii) मूल्यह्रास इत्यादि के कार्यों सहित अचल संपत्तियों का विवरण मुख्यालय के साथ–साथ कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों पर "एक्सेल फाईल" में रखा जाता है। ये विवरण उचित प्राधिकरण और ऑडिट ट्रायल के बिना परिवर्तन/संशोधन के लिए खुले है।

II. क्या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी वर्तमान ऋण की कोई पुनर्संरचना अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के बट्टाखाता के मामलें हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाएं।

लेखा परीक्षकों के अवलोकन

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ऋण के लिए पुनर्संरचना अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के लिए छूट/बट्टाखाता के मामलें नहीं है।

III. क्या केंद्रीय/राज्य एंजेसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त योग्य निधियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार ठीक से लेखाकिंत/उपयोग किया गया? अंतराल के मामलों की सूची दें।

लेखा परीक्षकों का अवलोकन

भारत सरकार द्वारा निगम को दिए गए निम्नलिखित निधियों के मामले में, निगम ने निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा, सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार इस राशि को एक अलग बैंक खाते में नहीं रखा गया है।

Annexure 'B' to the Independent Auditors' Report

Directions under section 143(5) of Companies Act 2013

I. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Auditors' observations:

i) The Corporation has accounting software "Beej Prabandhan". However, the inventories of seeds maintained manually also and the inventories as per the accounting software Beej Prabandhan and the manual records do not match. The Inventories in the Financial Statements is taken as per the manual records.

ii) The Fixed Assets details including the working of the depreciation etc. are maintained in "Excel files" at the head office as well as in few regions. These records are thus open to alteration/change without proper authorization and audit trail.

II. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

Auditors' Observations:

There are no cases of restructuring of loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. during the current financial year.

III. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Auditors' Observations:

In case of the following Funds given by the Government of India to the Corporation, the corporation has not utilized the amounts received within the stipulated time period. Further as per the terms and conditions of the Government, the funds have not been kept in a separate bank account:

क्र. सं.	योजना का नाम, जिसके लिए धनराशि निगम को उपलब्ध करवाई गई थी।	31.03.2021 पर शेष राशि (रू. लाख में)	टिप्पणी
1	डीआरजीटी के तहत बीज उत्पादन के लिए पूंजीगत अनुदान	300.00	वर्ष 1995 में रू.1,50,00,000/– की राशि प्राप्त हुई थी तथा शेष राशि एकीकरण के समय एसएफसीआई से स्थानातंरित हुई थी जिसका उपयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा स्वीकृति पत्र के अनुसार एक पृथक बैंक खाता होना चाहिए था जिससे उत्पाद और बिक्री आय के लिए उपयोग किया जाना था।
2	बीज बैंक का ईएसटी, एमटीसीईं के लिए पूंजीगत अनुदान	543.18	केवल 31.03.2018 पर एक स्थानातंरण प्रविष्टि को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2015–16 से कोई उपयोग नहीं है। निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार इस राशि को एक अलग बैंक खाता नहीं रखा गया है।
3	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	207.00	वर्ष 2000–01 के दौरान रू.1.47 करोड़ प्राप्त हुए। शेष राशि रू.0.60 करोड़ एकीकरण के समय एसएफसीआई से स्थानातंरित हुई। इन निधियों का कोई उपयोग नहीं किया गया है।
4	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	26.75	वर्ष 1995 और 2001 में राशि प्राप्त हुई। कोई उपयोग नहीं। निर्धारित शर्तानुसार इन निधियों के लिए कोई अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया।
5	आस्थगित सरकारी अनुदान (केंद्रीय राज्य फार्म बहराईच)	85.61	जैसा कि सूचित किया गया हैकि पिछले कई वर्षों से अनुपयोगी है तथा जांच के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिए गए।
6	कुलीन बीज परिक्षण प्रयोगशाला के लिए अनुदान	1.26	स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके आधार पर हम अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारी को इसे वापस करने के संबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।
7	कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान	15.34	04.01.2019 से प्रारंभिक शेष राशि, ईआरपी सिस्टम की स्थापना हेतु पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में पड़ी शेष राशि के बराबर है। स्वीकृति पत्र की आवश्यकता है।
8	बीज अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान	776.45	वर्ष के दौरान रू.16,53,47,190/– रूपये की कई अनुदानों की प्रारंभिक शेष, राशि रू.98,25,000/- की अतिरिक्त राशि की प्राप्ति, 9,65,95,899/- रूपये की उपयोग की गई राशि और सरकार को रू. 14,02,050/– की वापसी शामिल है। हालांकि, वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को छोड़कर, सहायक दस्तावेज, उपरोक्त आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।
9	प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अनुदान	2.97	वर्ष 2018 में 02 वर्षीय अनुसंधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रू. 23,48,000/– का अनुदान प्राप्त हुआ है। अनुदान का उपयोग रू. 20,50,952/– तक किया गया और जबकि 02 वर्ष की अवधि 03.31.2020 को समाप्त हो गई थी। वर्ष के दौरान कोई उपयोग नहीं हुआ। इसलिए स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार इसे वापस कर दिया जाना चाहिए था।
10	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए बीज ग्राम कार्यक्रम हेतु अनुदान।	839.15	31.03.2020 को प्रारंभिक शेष रू. 9,95,98,437/– था, 18.03.2021 को प्राप्त निधि रू. 5,11,22,000/– थी और वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि रू. 6,68,05,665/– है।

Sr. No.	Name of the scheme for which the funds were made available to the Corporation	Amount of balance as on 31.3.2021 (Rs. in lakhs)	Remarks
1.	Capital Grant Seed Production under DRGT	300.00	The amount of Rs.1,50,00,000/- was received in the year 1995 and the balance amount transferred from SFCI on merger. There is no utilization. Further as per the terms of the sanction letter a separate bank account was to be maintained and utilized for production and sale proceeds of the product to be credited in the account.
2.	Capital grant for EST, MTCE of Seed Bank	543.18	No utilization since the Financial Year 2015-16 except for one transfer entry as on 31.3.2018. No separate bank account maintained as per the stipulated terms and conditions.
3.	Capital Grant for Crash Prog Rev. Fund	207.00	Rs. 1.47 crores received during the years 2000-01. Balance Rs. 0.60 crores transferred from SFCI on merger. No utilization of these funds.
4.	Capital Grant for Crash Prog Rev. Fund	26.75	Amount received in the year 1995 and 2001. No utilization. No separate bank as per stipulated conditions has been maintained for these funds.
5.	Deferred Govt Grant (CSF-Bahraich)	85.61	As informed, the amount remains unutilized for last many years and also no documents were made available for examination.
6.	Grant for Elite Seed Testing Lab	1.26	The sanction letter was not made available basis on which we are unable to verify the terms and conditions as stipulated in respect of returning back it to the Grant Issuing Authority.
7.	Grant for Computerization	15.34	Opening balance since 01.04.2019 with equivalent balance lying as Capital Work in Progress for installation of ERP System. Sanction letter required.
8.	Grant for Creation of Seed Infrastructure Facilities	776.45	Comprises of opening balance of several grants of Rs.16,53,47,190, receipt of additional amt of Rs.98,25,000/-, utilized amount of Rs.9,65,95,899/- and refund to Govt. of Rs.14,02,050/- during the year. However, supporting documents don't match with above figures except for the amount received during the year.
9.	Grant for conducting training	2.97	Grant received for Rs. 23,48,000 for implementation of 2 years Research Project in the year 2018. Grant utilized up to Rs.20,50,952 and period of 2 years ends at 31/03/2020. No utilization during the year. Hence, it should have been returned back as per the conditions of sanction letter.
10.	Grant for Seed Village Prog for SC/ST Farmers	839.15	Opening balance as on 31.03.2020 was Rs. 9,95,98,437, funds received on 18.03.2021 was Rs. 5,11,22,000 and amount utilized during the year amounts Rs. 6,68,05,665.

11	बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन के अंतर्गत अनुदान	583.50	वर्ष के दौरान 11.01.2021 को प्राप्त हुआ। हमें दिया गया स्वीकृति पत्र अधूरा है।
12	किसान मेला के लिए अनुदान	3.04	31.01.2020 को रू.12,00,000 और वर्ष के दौरान उपयोग किए गए रू. 488,480 और पिछले वर्ष रू. 4,07,914 का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान के नियम एवं शर्तों की जांच के लिए हमें दिए गए स्वीकृति पत्रों की प्रतियां पढ़ने योग्य नहीं है।
13	आईसीएमआर–आईआईएमआर बाजरा बीज योजना के लिए अनुदान	37.50	वर्ष के दौरान 31.07.2020 को अनुदान प्राप्त हुआ है। हमें स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है।
14	चारा बीज की आपूर्ति के लिए अनुदान	185.23	रू. 25,64,77,350/– का उपयोग किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। सभी पत्र दिनांक 16.03.2021 स्वीकृतियों के अनुसार, कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2020–21 में लागू किया जाना था।

इसके अलावा, लेखा परीखक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा के साथ सौंपे गए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किसी भी अतिरिक्त कंपनी/सेक्टर विशिष्ट निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

जैसा कि निगम द्वारा सूचित किया गया है संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सौंपे गए कंपनी के अनुपूरक लेखा–परीक्षा के साथ कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (5) के तहत कोई अतिरिक्त कंपनी/सेक्टर विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए।

11.	Grant under Sub Mission on Seeds & Planting Materials	583.50	Received during the year on 11.01.2021. The sanction letter given to us is incomplete.
12.	Grant for Kisan Mela	3.04	Grant received on 31.01.2020 for Rs. 12,00,000 and Rs. 488,480 utilized during the year and Rs. 4,07,914 last year. The copy of sanction letter given is not legible for checking other terms and conditions for grant.
13.	Grant for ICMR-IIMR Millet Seed Scheme	37.50	Grant was received during the year on 31.07.2020. Sanction letter is not provided to us.
14.	Grant for Supply of Fodder Seeds	185.23	Rs.25,64,77,350/- Utilized. Utilization certificate required. As per sanctions all dated 16.03.2021, the program was to be implemented in FY 2020-21.

In addition the auditor is required to comply with any additional Company / Sector specific directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Field office entrusted with the supplementary audit of the Company.

As informed by the Corporation, no such additional Company/Sector specific directions had been issued under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 by the concerned Field Office entrusted with the supplementary audit of the Company.

स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग"

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों पर हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैरा–4 (छ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** (''कंपनी'') के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय आंकडों तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए हमने लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में शामिल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत की सनदी लेखाकारों को संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए जारी दिशा–निर्देश में इंगित है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाईन, कार्यान्वयन रखरखाव बनाए रखना शामिल हैं, जोकि अपने व्यवसाय के कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनियों की नीतियों का अनुपालन, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं शुद्धता तथा वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (''दिशा–निर्देश'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के अनुसार तथा सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत लेखा परीक्षा की जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं दिशा–निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हमने नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के अनुरूप पालन किया है और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा था और इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे, के अनुसार हमने लेखा परीक्षा का निष्पादन किया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनके प्रभावी प्रचालन शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में एक समझ प्राप्त करना, जोखिम के आंकलन कि सामग्री की वर्तमान कमजोरी का आंकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन एवं प्रचालन प्रभावशीलता भी शामिल है। जोखिमों की मूल्याकंन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमारे अंकेक्षण राय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य उचित एवं पर्याप्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएँ (1) अभिलेखों का रखरखाव से संबंधित उचित विवरण, सटीकता एवं शुद्धता तथा कंपनी के सम्पत्तियों का लेनदेन एवं स्वभाव को काफी हद तक दर्शाना शामिल है (2) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किया जा रहा है और (3) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम अथवा उपयोग अथवा अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना, कंपनी की परिसंपत्तियाँ, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता हैं।

Annexure ' C' to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 4 (g) of our report of even date on the financial statements for the financial year ended March 31, 2021 of **National Seeds Corporation Limited)**

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of **National Seeds Corporation Limited** ("the Corporation") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमायें

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण तैयार हो जाना और जिनका पता नहीं लग सकना भी शामिल है। इसके अलावा भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है। शर्तों में बदलाव के कारण अथवा नीतियों या प्रतिक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ सकता है।

उपयुक्त राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और मुख्यालय में हमारे ऑडिट और 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्टों के आधार पर, 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण त्रुटियों की पहचान की गई है:

i) व्यापार प्राप्य, सब्सिडी प्राप्य, ऋण और अग्रिम, सुरक्षा जमा, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देनदारियों आदि के विभिन्न बकाया राशियों की पुष्टि और समाधान में सुधार की आवश्यकता है।

ii) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वित्तीय विवरणों के संबंध में, मुख्यालय में उनकी जांच और निगरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

iii) अचल संपत्तियों और माल सूची का भौतिक सत्यापन अनियमित पाया गया है और इसे समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

iv) विभिन्न रिपोर्ट/रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से तैयार किए जाते हैं जिसके कारण हम इनकी सटीकता और प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हो जाते हैं।

v) निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को लेखापरीक्षा कवरेज, कार्यक्षेत्र और आवधिकता के क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

vi) निगम को अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को मजबूत करने और नियमित आवधिकता पर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में इनकी परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित त्रुटियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और ऐसे आंतरिक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जैसा कि आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के संदर्भ में कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया था।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में लागू किए गए लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई त्रुटियों पर विचार किया है, और ये त्रुटियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) के तहत हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के ''प्रतिकूल राय के आधार'' खंड में बताया गया है।

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन003870एन

ह0/–
(विजय कुमार चौधरी)
साझेदार
सदस्यता सं: 081843
यूडीआईएन : 21081843AAAAGZ8746

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 09 नवंबर, 2021

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit at Head Office and independent reports of 18 Regional Offices' Auditors, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2021:

i) Confirmation and reconciliation of various balances of trace receivables, subsidies receivable, loans and advances, security deposits, trade payables and other current liabilities etc needs to be improved.

ii) In respect of financial statements received from Regional offices, the scrutiny and monitoring thereof at Head Office needs to be strengthened.

iii) Physical verification of fixed assets and inventories are found to be irregular and needs to be conducted on timely basis.

iv) Preparation of various reports/ records is done manually which makes us unable to comment on the accuracy and effectiveness of the same.

v) The Internal Audit System of the corporation requires further strengthening in areas of audit coverage, scope and periodicity.

vi) The corporation needs to strengthen its Internal Financial Controls and get its operating effectiveness tested at head office and regional offices at regular periodicity.

In our opinion, except for the possible effects of the weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the company has maintained, in all the material respects, adequate internal financial controls with reference to the financial statements and such internal financial controls with reference to the financial statements were operating effectively as of March 31, 2021, based on the internal control with reference to the financial statements criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2021 standalone financial statements of the Company, and these weaknesses do not effect our opinion on the financial statements of the Company as reported in paragraph "Basis for Adverse Opinion" section of our Audit Report under section 143(3) of the Companies Act, 2013.

For Arora & Choudhary Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003870N

Sd/-
(Vijay Kumar Choudhary)
Partner
M. No: 081843
UDIN: 21081843AAAAGZ8746

Place: New Delhi
Date: 09-11-2021

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट –I

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर।

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
1	निगम ने सरकार से वसूली योग्य बकाया के संबंध में अपनी लेखा नीति 2.2(xxi) (एफ) को आंशिक रूप से बदल दिया है जिनमें प्रावधान अवधि को 06 वर्षों से बढ़ाकर 08 वर्ष कर दिया गया है। हम इस परिवर्तन की तर्कसंगतता के बारे में उपर्युक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे, क्योंकि निगम द्वारा हमें कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया, जो कि लेखाकंन नीति के इस परिवर्तन को प्रमाणित कर सके। इसके परिणामस्वरूप रू. 3086.86 लाख रूपये का वित्तीय प्रभाव पड़ा है (नोट संख्या 77 (i) देखें), प्रावधानों को कम करके और कर पूर्व लाभ तथा व्यापार प्राप्तियों को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है। निगम की व्यापार प्राप्य प्रावधान नीति, इंड एएस – 109 वित्तीय साधनों में निर्धारित अपेक्षित क्रेडिट हानि पद्धति के अनुरूप नहीं हे, जिसमें संभावित परिणामों की निष्पक्ष, लाभप्रदता–भारित मूल्याकंन सीमा पैसे का मूल्य और समर्थन योग्य जानकारी समय को प्रतिबिंबित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि को निर्धारण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सरकारी विभागों/पार्टियों के लिए 06 वर्ष और निजी पार्टियों के लिए 03 वर्ष की मूल नीति तब पेश की गई थी जब आईएनडीएएस अस्तित्व में नहीं थी। इस प्रकार का संशोधन और साथ ही इस लेखा नीति की निरंतरता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित इंड एएस के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर कुल संचित प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।	इंड एएस–109 के पैरा 5.5.15 के अनुसार, देनदारों पर प्रावधान को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर किया जाएगा। जीवनपर्यन्त अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कंपनी अपनी प्रांरभिक पहचान से ही आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि अलाउन्स की पहचान करती है। इंड एएस–109 के पैरा 5.5.17 के अनुसार, एक इकाई, एक वित्तीय साधन की अपेक्षित क्रेडिट हानियों को इस तरह से निर्धारित करेगी जो दर्शाता है कि: (क) एक निष्पक्ष और संभाव्यता–भारित राशि जो परिणामों की एक श्रृंखला का मूल्यांकन करके निर्धारित की जाती है। (ख) धन का सामयिक मूल्य; तथा (ग) उचित और समर्थन योग्य जानकारी, जो पिछली घटनाओं, वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के पूर्वानुमानों के बारे में रिपोर्टिंग तारीख पर बिना किसी लागत या प्रयास के उपलब्ध हो। इसके अलावा, इंड एएस–109 के पैरा 5.5.18 के अनुसार, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को निर्धारित करते समय, एक इकाई को हर संभावित परिदृश्य की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, यह जोखिम या संभावना पर विचार करेगा कि क्रेडिट हानि होने की संभावना है और संभावित हानि को इंगित किया जाए चाहे क्रेडिट हानि होने की संभावना बहुत कम हो। कंपनी ईसीएल का निर्धारण करते समय धन का सामयिक मूल्य पर विचार करेगी, परिणामों की सीमा का मूल्यांकन करेगी तथा पिछली घटनाओं, वर्तमान घटनाओं एवं भविष्य के पूर्वानुमानों के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध कराएगी। ऊपर दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर, कंपनी ने पिछले रुझानों के डेटा का विश्लेषण किया है, हालांकि देनदारों द्वारा चुकौती में हमेशा देरी होती थी, लेकिन देनदारों पर खराब ऋण की मात्रा बहुत कम थी। कंपनी के अधिकतम देनदार सरकारी पार्टियां हैं, जिनसे भुगतान प्राप्त करने में देरी हो रही है, हालांकि अशोध्य ऋण बहुत कम हैं। इसके अलावा कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और यह देखा गया है कि अधिकतम अशोध्य ऋण तब होते हैं जब बकाया राशि 3/8 वर्ष से अधिक बकाया होती है। इंड एएस–109 के पैरा 5.5.17 के अनुसार, कंपनी को अपेक्षित क्रेडिट हानि को निर्धारित करते समय भविष्य की आर्थिक स्थितियों का पूर्वानुमान देखने की भी आवश्यकता होती है। कंपनी के पास भविष्य की आर्थिक स्थितियों से संबंधित जानकारी नहीं हैय हालाँकि डेटा के पिछले विश्लेषण के अनुसार यह देखा गया है कि चूक का जोखिम तब होता है जब देनदार 3/8 वर्ष से अधिक बकाया होते हैं।

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT -I

Management's Reply to the observations made by the Statutory Auditors on the financial statements of National Seeds Corporation of India Limited for the year ending 31/03/2021.

Sr. No.	Statutory Auditor's Comments	Reply of Management
1	The corporation has partly changed its accounting policy 2.2(xxi)(f) in respect of outstanding recoverable from Government whereby provisioning period has been increased from 6 years to 8 years. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about rationality of this change as the corporation has not provided us any satisfactory evidence which may substantiate this change in accounting policy. This has resulted in a financial impact of Rs. 3086.86 lakh (refer Note No. 77(ii)) by understating provisions and overstating profits before tax and trade receivables to that extent. The trade receivables provisioning policy of the corporation is not compliant with Expected Credit Loss Method as prescribed in IND AS 109 "Financial Instruments" which requires to measure expected credit loss in a way to reflect unbiased, profitability- weighted evaluating range of probable outcomes, time value of money and supportable information. Further, the original policy of 6 years for government departments/parties and 3 years for private parties was introduced when IND AS were not in existence. As such the modification as well as the continuation of this accounting policy is not in accordance with the provisions of IND AS notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The consequential total accumulated impact on the financial statement is unascertainable.	As per the Para 5.5.15 of the Ind AS-109 the Provision on the Debtors will be made based on the lifetime expected credit loss model. Under the Lifetime Expected Credit Loss Model the Company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. As per the para 5.5.17 of the Ind AS-109 an entity shall measure expected credit losses of a financial instrument in a way that reflects: (a) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of outcomes. (b) the time value of money; and (c) Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions. Further as per the para 5.5.18 of the Ind AS-109, when measuring expected credit losses, an entity need not necessarily identify every possible scenario. However, it shall consider the risk or probability that a credit loss occurs by reflecting the possibility that a credit loss occurs and the possibility that no credit loss occurs, even if the possibility of a credit loss occurring is very low. Company shall consider the time value of money, evaluate the range of the outcomes and also all the information available about the past events, current events and forecasts of the future while determining the ECL. Based on the guidance given above, Company has done the data analysis of past trends, though there was always delay in repayment from debtors, but there were very low amount of the bad debts on the Debtors. Company is having maximum debtors from the Government parties from which there is delay in receiving the payments, however the bad debts are very low. Further company has analysed the data of the doubtful debts and it has been observed that the maximum bad debts are occurred when the dues are outstanding more than 3/8 years. As per the para 5.5.17 of the Ind AS-109. Company is also requiring seeing the forecasts of the future economic conditions, while measuring the Expected Credit Loss. Company is not having information related to the future economic conditions; however as per the past analysis of the data it is observed the risk of the default occurs when the debtors are outstanding more than 3/8years.

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
		इसलिए, कंपनी एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के रूप में, उन ऋणों के लिए 100% प्रावधान कर रही है, जो 3/8 वर्षों से अधिक समय से अतिदेय हैं और उन्हें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की श्रेणी में मानते हैं। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रू 44412.40 लाख के कुल व्यापार प्राप्तियों में से रु. 4109.47 लाख का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है , जो 9.26% है और रु. 29564.23 लाख के दावे, ऋणों और अग्रिमों में से रू. 6235.15 लाख का पहले ही प्रावधान किया जा चुका है , जो 21.09% है।
2	नोट 22 – अन्य इक्विटी के तहत अव्ययित सीएसआर रिजर्व के रूप में रू. 277.27 लाख की निरंतरता (वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित 08.05 लाख रूपये, वित्तीय वर्ष 2014 से 2020 तक रू. 12.37 लाख और पिछले वर्षों के रू. 256.85 लाख) (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 22.01.2021 निगमित मामालें के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25.08.2021 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीए) द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिनांक 10.05.2021 के अनुरूप नहीं है। निगम ने 31 मार्च, 2021 तक अलग बैंक खाते में रू. 256.85 स्थानातंरित किए है और शेष राशि को तुलनपत्र की तारीख के बाद स्थानातंरित किया गया है। हालांकि, वित्तीय विवरण में निर्धारित बैंक खाते के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है। सीएसआर खर्चों के प्रावधान के बजाय भंडार के विनियोग के परिणामस्वरूप, कर पूर्व लाभ को रू. 08.05 लाख से अधिक बताया गया है और जबकि निर्धारित बैंक शेष का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप, अचिनहित बैंक शेष रू. 269.22 लाख अधिक है।	रु.256.85 लाख अव्ययित सीएसआर राशि 31.03.2014 तक पिछले वर्षों की है, जिसमें डीपीई के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया तत्कालीन एसएफसीआई भी शामिल है, जिस पर कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 22.01.2021 लागू नहीं है। हालांकि निगम ने 31.03.2021 तक संपूर्ण रुपये 256.85 लाख अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके अलावा रू. 20.42 लाख (8.05 लाख. 12.37 लाख) में से, निगम पहले ही 2021–22 के दौरान 16.42 लाख रुपये खर्च कर चुका है और शेष 4.00 लाख रुपये भी निगम द्वारा खर्च किए जाएंगे।
3	निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दो चिकित्सा लाभ योजनाएं हैं। एक उन कर्मचारियों के लिए हैं जो 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरा उनके लिए हे जो 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं जिसमें निगम क्रमशः कर पूर्व लाभ का क्रमशः 1.5% और मूल वेतन और डीए का 3% की गणना के आधार पर राशि का योगदान देता है जबकि पूर्व योजना से संबंधित राशि रिजर्व में जारी है, बाद की योजना से संबंधित राशि प्रावधानों के तहत परिलक्षित हो रही है। हालांकि रिजर्व के माध्यम से पूर्व योजना के योगदान की प्रथा इंडएएस –19 "कर्मचारी लाभ" के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, दोनों	बोर्ड द्वारा 10 जून, 2020 को हुई 289वीं बैठक में यह निर्णय और अनुमोदन किया कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी का रू. 119.76 का 1.5% रखते हुए प्रारंभिक वर्ष के नई योजना तैयार और अनुमोदित की गई है जिसे रिजर्व के तहत रखा जाएगा और योजना को अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाएगा। अनुमोदन प्राप्त होने पर, योजना को भावी प्रभाव से ही लागू किया जाएगा और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए कोष बनाया जाएगा जिनके लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा थी। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान उक्त 119.76 लाख रुपए प्रदान किए गए। आगे की राशि प्रशासनिक मंत्रालय से योजना की मंजूरी मिलने के बाद ही बनाई जाएगी। कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए हैं।

Sr. No.	Statutory Auditor's Comments	Reply of Management
		Therefore, Company as a conservative approach, making 100% provision for those loans which are overdue for more than 3/8 years and considering them in the category of the significant increase in credit risk. As on 31.03.2021, out of the total Trade Receivables of Rs. 44412.40 Lakhs, already provision has been made for Rs. 4109.47 Lakhs, which is 9.26% and out of total Claims, Loans and Advances of Rs. 29564.23 Lakhs, already provision has been made for Rs. 6235.15 Lakhs, which is 21.09%.
2	Continuation of Rs. 277.27 lakh (Rs. 8.05 lakh pertaining to current financial year, Rs. 12.37 lakh relating to financial years 2014 to 2020 and Rs. 256.85 lakh that of earlier years) as Unspent CSR Reserve under Note 22 – Other Equity, is not as per the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 dated 22.01.2021 read with FAQs on Corporate Social Responsibility issued by Ministry of Corporate Affairs vide circular no. 14/2021 dated 25.08.2021 and FAQs issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) dated 10.05.2021. The Corporation has transferred Rs. 256.85 to separate bank account as on March 31, 2021 and rest of the amount has been transferred post balance sheet date. However, the fact of earmarked bank account has not been disclosed in the financial statement. The appropriation of reserves instead of provisioning of CSR expenses has resulted as over statement of profits before tax by Rs. 8.05 lakh and while non-disclosure of earmarked bank balance has resulted in overstatement of unearmarked bank balances by Rs. 269.22 lakh.	Rs.256.85 lakhs unspent CSR amount is of earlier years upto 31.03.2014, including erstwhile SFCI created as per the DPE's Corporate Social Responsibility guidelines on which Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 dated 22.01.2021 is not applicable. However the Corporation has transferred entire Rs.256.85 lakhs to separate bank account as on 31.03.2021. Further out of Rs.20.42 lakhs (8.05 lakhs + 12.37 lakhs), Corporation has already spent Rs.16.42 lakhs during 2021-22 and balance of Rs.4.00 lakhs will also be spent by the Corporation.
3	The Corporation has two medical benefit schemes for retired employees. One is for those employees who retired prior to 01.01.2007 and other is for those who retired after 01.01.2007, wherein the corporation contributes an amount computed and provided at 1.5% of profit before tax and 3% of basic pay and DA respectively. While amount relating to former scheme is continuing into Reserves, the amount relating to later scheme is being reflected under the Provisions. However, the practice of contribution of former scheme through Reserves is not in accordance with the provisions of IND AS 19 "Employees Benefits". Further, since both the	It has been decided and approved by the Board in its 289th meeting held on 10th June 2020 that new scheme has been framed and approved for those employees retired before 01.01.2007 by keeping 1.5% of PBT of the initial year amounting to Rs.119.76 lakhs which will be kept under Reserve and the scheme will be sent to the administrative Ministry for approval. On receipt of approval, the scheme will be implemented from prospective effect only and the corpus will be created for those employees retired before 01.01.2007 for which approval was awaited from Administrative Ministry. The above said Rs.119.76 lakhs was provided during the F.Y.2010-11. Further corpus will be created only after getting approval of the scheme from the

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	योजनाएं परिभाषित अंशदायी योजनाएं हें, योगदान की राशि को एक अलग कोष में रखा जाना चाहिए था, जोकि उपर्युक्त इंडएएस के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और आरक्षित राशि को रू.119.76 लाख अधिक दिखाया गया है और प्रावधान को कम करके दिखाया गया है।	01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के लिए कोई विशिष्ट डीपीई दिशानिर्देश नहीं है जैसे कि 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए है। 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त और योजना में शामिल होने वालों के लिए हर साल बीमा पॉलिसी ली जा रही है। सभी के लिए योजना में शामिल होना अनिवार्य नहीं है और प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए अपना विकल्प देना होता है। इसलिए योगदान का पता नहीं लगाया जा सकता है। अंशदान बीमा प्रीमियम के लिए है जो वार्षिक पॉलिसी पर हर साल बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाता है। नीति के अनुसार कम से कम अंशदान सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा दिया जाता है और अंशदान का बड़ा हिस्सा कंपनी द्वारा वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है, जिसके लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है। इसलिए अलग कोष की आवश्यकता नहीं है। इस पर स्पष्टीकरण वित्त वर्ष 2019–20 में पहले ही दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लाभ, भंडार और प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसा कि लेखा परीक्षक द्वारा देखा गया है।
4	निगम ने परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई मूल्याकंन नहीं किया गया है जैसा कि इंड 36 के तहत आवश्यक है कि परिसंपत्तियों की हानि से निपटने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि परिसंपत्तियां उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। लाभ पर प्रभाव अप्राप्य है। (नोट संख्या 60)	प्रबंधन ने माना है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास लागू करने के बाद निगम की पुस्तकों में दिखाई देने वाली परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम है। इसलिए वर्ष के दौरान पुरानी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई और तदनुसार इंड एएस 36 के तहत संपत्तियों की हानि के लिए कोई खुलासा नहीं किया गया। हालांकि, प्रक्रिया के अनुसार, निगम की सभी इकाइयाँ का लगातार संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही हैं और अप्रचलित/बेकार के रूप में पहचानी गई संपत्तियां निगम की प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से निपटान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रु.284.94 लाख की संपत्ति को अप्रचलित/बेकार संपत्ति के रूप में निपटाया गया है। ऐसी संपत्तियों की बिक्री से रू. 65.93 लाख का लाभ था।
5	निगम को राज्य/केंद्र सरकार द्वारा खेती के लिए उपयोग के अधिकार पर कृषि भूमि दी गई है। हालांकि निगम के पास इस तरह के उपयोग के अधिकारी के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, निगम ने उस अवधि का मूल्याकंन करने के लिए न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया है जिसके लिए निगम को दी गई भूमि का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था और न ही इसने इंडएएस 20 के पैरा 23 प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार इसका अनुपालन किया है। इसलिए वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है। (नोट संख्या 68)	केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर और रायचूर के स्वामित्व से संबंधित मूल दस्तावेज भारत सरकार के पास हैं क्योंकि इन फार्मों की भूमि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है। वार्षिक खातों के नोट संख्या 68 (ए) में उचित प्रकटीकरण दिया गया है। राजस्थान फार्म के विलेख की प्रतियां निगम के पास हैं।

Sr. No.	Statutory Auditor's Comments	Reply of Management
	schemes are Defined Contributory Plans, the amount of contribution should have been placed into a separate fund, which is also violative of the provisions of aforementioned IND AS and resulted into overstatement of profits and reserves by Rs. 119.76 lakh and understatement of provisions to that extent.	administrative Ministry. Company has made provisions as per the DPE guidelines. For those retired after 01.01.2007, there is no specific DPE guidelines like for those retired before 01.01.2007. Insurance policy is being taken every year for those retired after 01.01.2007 and joins the scheme. It is not mandatory for all to join the scheme and each year the retired employee has to give his / her option to join the scheme. Hence the contribution cannot be ascertained. The contribution is towards the insurance premium which is remitted to the Insurance Company every year on annual policy. As per policy a minimum part is contributed by the retired employees and major part is paid by the Company annually, for which provision has been created in books as per the DPE guidelines. Hence need for separate fund doesn't arise. Clarifications given in F.Y. 2019-20 itself. During F.Y. 2020-21, no provisions made in books, as per the DPE guidelines. Thus there is no impact in accounts on profits, reserves and provisions of F.Y.2020-21as observed by the audit.
4	The Corporation has not made any specific assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The consequential impact on the profit is unascertainable. (Note No. 60)	The Management perceived that the carrying amount of assets as appearing in the books of the Corporation after applying depreciation as per Companies Act is less than its recoverable amount. Hence, the need for revaluing old assets during the year was not felt and accordingly no disclosures were made under Ind AS 36, i.e. Impairment of Assets. However, as per procedure, all the Units of the Corporation are continuously assessing the assets and those assets identified as obsolete / condemned are disposed regularly as per Corporation procedure. During the F.Y. 2020-21, assets worth Rs.284.94 Lakhs have been disposed as obsolete / condemned assets. A profit on sale of such assets accounted was Rs .65.93 lakhs.
5	The Corporation has been given farm lands on right to use basis for cultivation by State/Central Government. However no documents for such right to use are available with the Corporation. Further, the corporation has neither provided any documentary evidences to evaluate the period for which the right of using lands given to the corporation nor had it complied with para 23 of IND AS 20 and its disclosure requirements. Therefore, consequential impact on the financial statement is not ascertainable. (Note No. 68)	Original documents regarding the ownership of Land at CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Raichur are with the Government of India as the land at these Farms are in the name of the President of India. Proper disclosure given in the note no. 68(a) of annual accounts. Copies of the deed of Rajasthan Farms are with the Corporation.

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
6	क) निगम के वित्तीय विवरणों में प्राप्त विभिन्न अनुदानों से संबंधित क्रेडिट शेष शामिल हैं, जिनमें से रू. 32.45 लाख की राशि का मिलान नहीं किया गया है। इसे सत्यापित करने के लिए निगम के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका ख) इसके अलावा, पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त बहुत से अनुदानों से सर्वाधिक क्रेडिट शेष रू. 3606.97 लाख है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। हम इन शेष राशि और संबंधित अनुदान शर्तों के बारे में पर्याप्त लेखा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि निगम के पास इनके दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसका विवरण हमारी रिपोर्ट के अनुबंध–ख के बिन्दु III के तहत बताया गया है। इसका परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	क) संदर्भित अनुदान बहुत पुराने हैं और पूर्ववर्ती एसएफसीआई से संबंधित हैं। 2021–22 के दौरान 32.45 लाख रुपये के आवश्यक समायोजन के विवरण का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अव्ययित पूंजी (अवसंरचना निर्माण और राजस्व के लिए) के क्रेडिट बैलेंस को अप्रयुक्त रखा गया था और विभिन्न विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना था जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत अनुदान से संबंधित सभी दस्तावेज लेखा परीक्षा दल को पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं, सिवाय 1162.54 रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र पता लगाने के बाद ही प्रदान किया जाएगा, जैसा कि वार्षिक खातों के नोट संख्या 24 के तहत पहले ही उल्लेख किया गया है। उपरोक्त अनुदान मंत्रालय को वापसी योग्य नहीं हैं।
7	लाभ और हानि के विवरण के अनुसार राजस्व रू. 101,518,12 लाख है। जबकि जीएसटी रिटर्न के अनुसार यह रू. 85,747.63 लाख है। दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इसका अंतर प्रमाणित नहीं किया गया है इसलिए इसके परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।	लाभ और हानि के विवरण में परिचालन से होने वाले राजस्व में बीज की बिक्री, उत्पादन सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी, रिजर्व स्टॉक संचालन सब्सिडी आदि जैसे विभिन्न सब्सिडी की प्रतिपूर्ति शामिल है, हालांकि, जीएसटी पोर्टल में, बिक्री चालान की राशि सिर्फ दिखाई गई है, इसलिए हमेशा एक अंतर होगा, जिसे लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों को दिखाया और समझाया गया है।
8	व्यापार प्राप्य राशियों, प्राप्य सब्सिडी, ऋण और अग्रिम, सुरक्षा जमा, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देनदारियों की शेष राशि पुष्टि/समाधान के लिए लंबित हैं (नोट संख्या 34)। वित्तीय विवरणों पर इस प्रकार की पुष्टि/समाधान का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	शेष राशि की पुष्टि के लिए सभी देनदारों और लेनदारों को लिखा जाता है और उत्तरों के अभाव में, शेष राशि का समाधान किया जाता है। (नोट संख्याः 55.1 के तहत तथ्य का खुलासा किया गया है।) हालाँकि पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यदि नियत तारीख के भीतर पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो शेष राशि की पुष्टि की जाएगी।
9	निगम 20 वर्षों से भी अधिक अवधि से ऐसे स्वामित्व वाले फार्मों में भूमि विकास व्यय का परिशोधन कर रहा है। हालांकि, किसी भी सहायक साक्ष्य के अभाव में जिस अवधि तक इस व्यय का लाभ प्राप्त होने की संभावना है, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। उक्त नीति की पर्याप्तता और लाभ एवं हानि पर इसके परिणामी प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते है।	इंड एएस 116 इस विशेष मुद्दे पर विशिष्ट नहीं है। कंपनी अपने पिछले अभ्यास के अनुसार, लगातार 20 वर्षों में भूमि विकास व्यय का परिशोधन करना जारी रखे हुए है।

Sr. No.	Statutory Auditor's Comments	Reply of Management
6	a) The Financial Statements of the Corporation contain credit balances related to various grants received out of which a sum of Rs. 32.45 lakh is not reconciled for the reported reason that there is no document available with the corporation to verify the same. Consequential impact on the financial statement is not ascertainable. b) Further a credit balance amounting Rs. 3565.26 lakh related to various grants received in earlier years remained unutilized. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about these balances and respective grant conditions for the reported reason that the documents are not available with the corporation, detail of thr same are as stated under point III of Annexure-B of our report. Consequential impact on the financial statement is not ascertainable.	a) The referred grants are very old and pertains to erstwhile SFCI. Continuous efforts are on to trace the details for necessary adjustments of Rs.32.45 lakhs during 2021-22. Credit balance of unspent capital (for infrastructure creation and revenues) were kept unutilised and to be utilised for various specific purposes for which grants were sanctioned. All documents related to grant sanctioned already provided to audit team except for Rs.1162.54, utilisation certificates for which will be provided once traced as already mentioned under note no.24 of annual accounts. The above grants are not refundable to Ministry.
7	The revenue as per Statement of profit & loss is Rs. 101,518.12 lakh whereas as per GST Returns it amounts to Rs. 85,747.63 lakh. Difference of the same has not been substantiated with the documentary evidences and as such Consequential impact can't be commented upon.	The Revenue from operation in the statement of profit and loss includes sale of seeds, reimbursement of various subsidies like Production subsidy, Transport subsidy, Reserve stock operations subsidy etc., However, in GST portal, amount for the sales invoice generated is only shown. Hence there will always be a difference, which has been shown and explained to the auditors during audit.
8	Balances of trade receivables, subsidies receivable, loans and advances, security deposits, trade payables and other current liabilities are pending for confirmation/ reconciliation(Note No.34).The Consequential effect of such confirmation/ reconciliation, if any, on the financial statement is not ascertainable.	Letter for confirming balances are written to all debtors and creditors and in absence of replies, balances are subject to reconciliation. The fact stands disclosed under Note No: 55.1. However it is mentioned in the letter that if confirmation is not received within the due date, balance will be deemed to be confirmed.
9	The Corporation amortises the Land Development Expenditure, in respect of farms not owned by it, over a period of 20 years. However, in absence of any supporting evidence as to the period up to which the benefit of this expenditure is likely to be derived, we are unable to comment on the adequacy of said policy and its consequent impact on the profit and loss account.	Ind AS 116 is not specific on this particular issue. The Company continues to amortize land development expenditure over 20 years as per its past practice, consistently in the books.

एनएससी
NSC

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
10	जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा बताया गया है, निगम ने एमएसएमई को अतिदेय की पहचान नहीं की है और परिणामस्वरूप एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार उस पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। तद्नुसार, निगम के लाभ पर ब्याज के लिए प्रावधान न करने के कारण इसके परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने के लिए हमें उपर्युक्त साक्ष्य नहीं मिले। (नोट संख्या 80)	क्षेत्रीय कार्यालय, फार्म और मुख्यालय की समेकित तुलनपत्र के अनुसार 31 मार्च 2021 तक एमएसएमई को कुल बकाया रु. 1149.22 लाख था। इसमें से रु. 255.63 लाख क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ से संबंधित हैं, जो ग्राहकों (सरकार) को आगे की आपूर्ति के लिए एमएसएमई से बीज की खरीद के लिए है। इन बीजों की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे ग्राहकों को की गई थी। ग्राहकों से स्वीकृति और भुगतान प्राप्त होने के बाद तुरंत भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, रु. 4.33 लाख केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में जनशक्ति एजेंसी को भुगतान से संबंधित हैं, जहां भुगतान सत्यापन पूरा होने के बाद किया जाएगा और एमएसएमई से बीज की खरीद के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से संबंधित रू. 6.81 लाख सत्यापन के लिए लंबित हैं। एमएसएमई विक्रेताओं से कुछ खरीद के लिए, भुगतान शर्तों को निविदा शर्तों के अनुसार परिभाषित किया जाता है और पीओ तदनुसार जारी किए जाते हैं, जिन्हें विक्रेताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपूर्ति के नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन, विक्रेताओं को भुगतान जारी किया जाता है, जिसके लिए ब्याज देयता मौजूद नहीं होती है। शेष सभी भुगतान प्राप्त माल की स्वीकृति से 45 दिनों के भीतर सख्ती से किए गए थे। अतः बही खातों में एमएसएमई के अतिदेय भुगतान के लिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया।
11	जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018–19 के दौरान रूय 126.25 लाख की बिक्री की गई थी, जिसे पहले देयता के रूप में दिखाया गया था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के खातों में परिचालन से राजस्व दर्ज किया गया है। हालांकि, निगम ने आईएएस 8 के पैरा 42 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलनपत्र और लाभ एवं हानि का विवरण फिर से स्थापित नहीं किया है, परिणामस्वरूप चालू वर्ष के राजस्व को अधिक दिखाया गया है तथा प्रारंभिक इक्विटी को कम दिखाया गया है। (नोट संख्या 74)	पहले से की गई प्रस्तावित जे वी सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को हस्तांतरित करके 2020–21 के दौरान 126.25 लाख रुपये की बिक्री में सुधार किया गया है। सार की परिभाषा के अनुसार, जैसा कि इंड एएस–1 के तहत परिभाषित किया गया है; महत्वपूर्ण गलत कथनों को महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा परिभाषा के अनुसार, यह आसपास की परिस्थितियों में मिथ्या कथन के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के रू 126.25 लाख सहित रू. 574.13 लाख की कुल पूर्व अवधि के मदें – वर्ष के दौरान कुल राजस्व के 1% से कम होने के कारण वर्तमान अवधि में बुक किया गया है, उसका आकार सारहीन है और उनकी प्रकृति आर्थिक निर्णय को प्रभावित नहीं करती है। यह इंड एएस –8 के अनुरूप है, जहां पूर्व अवधि में त्रुटि हुई है, केवल पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक करने का प्रावधान है। इसका खुलासा नोट संख्या 74 में किया गया है

Sr. No.	Statutory Auditor's Comments	Reply of Management
10	As reported by other auditors of ROs, the corporation has not identified overdues to the MSME and consequentially provision of interest/ penal interest thereon as per MSMED Act 2006. Accordingly , we could not find appropriate evidence to comment upon the Consequential impact on profitof the Corporation due to such non provisioning of intrest. (Note No.80)	Total dues to MSMEs as at 31st March 2021 was Rs. 1149.22 lakhs as per consolidated balance sheet of ROs, Farms and HO. Out of this, Rs. 255.63 lakhs pertains to RO Chandigarh towards procurement of seeds from MSMEs for further supplies to customers (Govt.). These seeds were directly supplied by the supplier to the customers and will be paid immediately once acceptance and payment from the customers is received. Further Rs. 4.33 lakhs pertains to payment to manpower agency at CSF Suratgarh where the payment will be done once the verification is completed and Rs. 6.81 lakhs pertaining to RO Lucknow pending for verification. For certain procurement from MSME vendors, payment terms are defined as per the tender terms and POs are issued accordingly which are accepted by the Vendors. Subject to fulfilling the terms and conditions of supply, payments are released to the vendors for which interest liability doesn't exist. Rest all payments were made strictly within 45 days from acceptance of goods received. Hence provision for interest for overdue payment of MSME's was not made in the books.
11	As reported by Patna RO's auditor, a sale amounting Rs. 126.25 lakh was made during the year2018-19 which was earlier booked as liability has been corrected and booked as Revenue from Operation in the books of accounts of current financial year. However, the corporation hasn't reinstated the previous year Balance Sheet and Statement of Profit & Loss in accordance with para42 of IAS -8 which has resulted into overstatement of current year's revenue and understatement of opening equity to that extent. (Note No. 74).	The sale of Rs.126.25 lakhs has been rectified during 2020-21 by transferring the same by RO Patna to CSF Jetsar through proposed JV corrective action already taken. As per the definition of materiality as defined under Ind AS-1; Material misstatements are considered to be material if they individually or collectively influence the economic decisions. Further as per the definition, materiality depends on the size and nature of misstatement judged in the surrounding circumstances. Accordingly, the total prior period items of ` 574.13 lakhs including Rs.126.25 Lakh of RO Patna - recognised during the year being less than 1% of the total revenue has been booked in the current period, their size being immaterial and their nature does not influence the economic decisions. This is in line with Ind AS-8 where there is a provision to correct only material prior period errors retrospectively by restating the prior period in which the error has occurred. The same has been disclosed in Note No.74

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
12	जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लेखापरीक्षक द्वारा बताया गया है कि समझौता ज्ञापन भागीदारों के माध्यम से बीज की खरीद से संबंधित परिसंपत्तियों की पहचान के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है, यहां देनदारों की पहचान, जिनसे भुगतान एकत्र किया जाना है और जिन्हें एमओयू भागीदारों को देय हैं के लिए कोई उचित प्रभावी प्रणाली नहीं है। वित्तीय विवरणों पर ऐसी पुष्टि/समाधान का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	यह पहचानने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है कि देनदारों/सरकारी पार्टी से कौन सा भुगतान एकत्र किया जाना है, क्योंकि सभी बिक्री, बिक्री वाउचर के माध्यम से बुक की जाती हैं। इसी तरह सभी खरीद, जीआर नोट के माध्यम से बुक की जाती हैं। इसलिए संबंधित देयता के साथ परिसंपत्ति की पहचान करना हमेशा संभव होता है। इसके अलावा, यह भंडार में रखे गए रजिस्टर से भी पता लगाया जा सकता है, जिसे फसलवार रखा जाता है और संबंधित जीआर/बिल की जानकारी के साथ बीजों की आवाजाही की प्रविष्टियां होती हैं। चूंकि नए लेखा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय में पदास्थापित हैं, वह लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों के समक्ष ठीक से व्याख्या नहीं कर सके। भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों से बचने के लिए मुख्यालय द्वारा ध्यान रखा जाएगा।
13	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादकों की 5.47 करोड़ रूपये की उत्पादन सब्सिडी का मिलान नहीं हो रहा है। इसके उपाय के लिए निगम द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए देयता एवं आय पर इसका परिणामी प्रभाव का पता नहीं लग पाया।	यह राशि वर्ष 2010–11 (पूर्व–एसएफसीआई) द्वारा व्यक्तिगत उत्पादकों का पता नहीं लगाने के कारण, किसानों को देय लंबित उत्पादन सब्सिडी से संबंधित है। इस राशि को एनएससी की देय राशि के प्रति समायोजित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी मामला उठाया गया है।
14	जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है, निगम अपने केंद्रीय राज्य फार्म (सीएसएफ) से प्राप्त माल पर राजस्व को सामग्री हस्तातंरण नोट (एमटी नोट) के माध्यम से अभिज्ञात प्रक्रिया का पालन कर रहा है, जिसे इन्वेंटरी शीट में आवक मात्रा में शामिल किया गया है लेकिन संबंधित खरीद दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद, निगम ने जेवी माध्यम से सीएसएफ खाते को क्रेडिट किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व को कम बताया गया है। हालांकि, इस तरह के समायोजन के परिणामी प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसका पता नहीं चल सका।	मूल्य के साथ एक उचित स्टॉक और बिक्री विवरण तैयार किया जाता है, और लेखा खातों में मिलान किया जाता है। फार्म से क्षेत्रीय कार्यालय में अंतर इकाई स्थानांतरण प्रविष्टि, संबंधित फार्म की लेखा पुस्तकों में की गई वास्तविक बिक्री की दर से ली जाती है। फार्म से क्षेत्रीय कार्यालय पर अंतर इकाई स्थानातंरण को क्रमशः बाहरी और आवक सामग्री के रूप में दिखाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय के मामले में खरीदारी को केवल बीजों की आवाजाही दिखाई जाती है। अतः फार्म से प्राप्त बीज के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर तदनुरूपी खरीद की आवश्यकता नहीं है। चूंकि नए लेखा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय में पदास्थापित हैं, वह लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों के समक्ष ठीक से व्याख्या नहीं कर सके। भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों से बचने के लिए मुख्यालय द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

उपरोक्त प्रबंधन के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 31 मार्च 2021 को तैयार किया गया वित्तीय विवरण निगम के मामलों की स्थिति के लिए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अपने लाभ, इक्विटी में परिवर्तन की स्थिति और नकदी प्रवाह लेखा सिद्धांत के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

सीएआरओ, 2016 द्वारा अपेक्षित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध।

पैरे तथ्यों की अभिव्यक्ति है, इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

ह0/–
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

Sr. No.	Statutory Auditor's Comments	Reply of Management
12	As reported by Bhopal RO's auditor, there is no proper system to identify the asset with the corresponding liability in respect of purchase of seeds through MOU partners since there is no effective system to identify that from which debtors' the payment is to be collected and which are payable to MOU partner. The Consequential effect of such confirmation/reconciliation, if any, on the financial statement is not ascertainable.	There is an effective system to identify which payment is to be collected from the debtor/Govt Party as all sales are booked via sale voucher. Similarly all purchases are booked via GR note. Hence it is always possible to identify the asset with the corresponding liability. Further it is also ascertainable from the register maintained in the Stores which is maintained crop wise and having entries of movement of seeds with the information of concerned GR/Bill. Since new Accounts Officers is posted in the RO, he couldn't properly explain to the auditors during audit. It will be taken care from HO in future to avoid such observations.
13	As reported by Bhopal RO's auditor, the grower's production subsidy of Rs. 5.47 lakh is not reconciled for the reported reason that the relevant documents were not made available with the corporation to verify the same. However, the consequential impact on liabilities and income, is therefore unascertainable.	This amount is related to the production subsidy pending payable to farmers for the year 2010-11(ex-SFCI) due to non traceability of individual growers. The matter is pursued with the administrative Ministry also to adjust this amount against the payable amount of NSC.
14	As further reported by Bhopal RO's auditor, the corporation is following the procedure of recognising the revenue on the goods received from its central/ state farm land (CSF) through Material Transfer Note (MTN) which is incorporated in Inward Quantity in Inventory Sheet but the corresponding purchases were not recorded. The corporation, thereafter, credited the CSF account through JV resulted into understatement of revenues. However, consequential effect of such adjustment can't be quantified and is unascertainable.	There is proper system in NSC for reconciliation of purchases, sales, inventory and every year a proper stock and sales statement with quantity and value are prepared and reconciled with books of accounts. The inter unit transfer entry from Farm to Regional Office are taken in the books of respective farm at the rate of actual sale made. Inter Unit Transfer from Farm to RO is shown as material outward and inward respectively. The Purchases are made in case of RO to RO movement of seeds only. Hence corresponding purchase at Regional Office level for seed received from Farm is not required. Since new Accounts Officer is posted in the RO, he couldn't properly explain to the auditors during audit. It will be taken care from HO in future to avoid such observations.

In view of the above management reply to the observation made by the Auditor, it may be noted that the Financial Statement prepared gives a true and fair view in conformity with the Accounting Principle of the state of affairs of the Corporation at 31 March 2021, of its profit, position of change in equity and the cash flows for the year ended 31.03.2021.

ANNEXURE A REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS REQUIRED BY CARO, 2016.

Paras being statement of facts, needs no reply.

Sd/-
(Kaushik Rakshit)
Sr. General Manager (F&A)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र						(रु. लाख में)
	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
I.	परिसम्पत्तियां					
1	**गैर चालू परिसम्पत्तियां**					
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	14,763.23		14,708.24	
	(ख) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	4	234.49		250.56	
	(ग) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	6	761.70		707.89	
	(घ) अन्य अगोचर संपत्तियां	5	5.80		6.12	
	(ङ) विकासशील के तहत अमूर्त संपत्तियां	7	15.34		15.34	
	(च) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	14	4,688.05		4,247.80	
	(छ) निवेश संपत्ति	8	1.50		1.53	
	(ज) वित्तीय संपत्तियां					
	(i) निवेश	9.1	3,708.83		3,849.98	
	(ii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	10	299.20		235.46	
	(झ) अस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	12	2,980.23		3,167.58	
	(ञ) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां	11	97.75	27,556.12	97.75	27,288.25
2	**चालू परिसम्पत्तियां**					
	(क) माल	13	25,641.00		25,201.86	
	(ख) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	14	5,657.68		6,521.33	
	(ग) वित्तीय संपत्तियां					
	(i) निवेश	9.2	-		-	
	(ii) व्यापार प्राप्तियां	15	40,302.67		41,041.27	
	(iii) नकदी एवं नकदी समकक्ष	16	10,254.48		3,548.56	
	(iv) उक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	17	250.98		434.94	
	(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	18	16,376.33		27,983.38	
	(घ) गैर चालू परिसम्पत्तियां (निवल)	19	1,549.84		1,872.79	
	(ड) अन्य चालू संपत्तियां	20	5,402.91	105,435.89	4,834.45	111,438.58
	कुल परिसम्पत्तियां			**132,992.01**		**138,726.83**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	21	5,731.99		5,731.99	
	(ख) अन्य इक्विटी	22	60,258.15	65,990	61,451.17	67,183
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) पूंजीगत अनुदान	23	10,665.05		10,860.08	
	(ख) वित्तीय देयताएं					
	(i) उधार	24	93.42		85.86	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	2,250.77		3,471.14	
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	26	1,761.58		1,758.50	
	(घ) प्रावधान	27	2,308.23	17,079.05	2,717.61	18,893.19
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं					
	(i) उधार	28	858.37		7,713.69	
	(ii) व्यापार प्रदेय	29				
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		1,149.22		2,127.42	
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		34,471.54		28,992.41	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	30	9,371.72		9,509.79	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	31	2,567.87		1,342.70	
	(ग) प्रावधान	32	1,504.10		1,914.47	
	(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	33	-	49,922.82	1,050.00	52,650.48
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**132,992.01**		**138,726.83**
III.	**देखें, संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1–80**					

ह0/-
आयुषी कनोडिया
कंपनी सचिव

ह0/-
कौशिक रक्षित
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/-
राकेश सिंह नयाल
सरकारी निदेशक
उप. सचिव (बीज)
डिन : 09300428

ह0/-
वि. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)
डिन- 07296539

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870
ह0/-
साझेदार – विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं:– 81843

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **27 अक्टूबर, 2021**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Balance Sheet as at 31st March 2021

(₹ in lakhs)

	Particulars	Note No.	As at 31st March 2021		As at 31st March 2020	
I.	**ASSETS**					
1	**Non-current assets**					
	(a) Property, Plant and equipment	3	14,763.23		14,708.24	
	(b) Right-of-use Assets	4	234.49		250.56	
	(c) Capital work-in-progress	6	761.70		707.89	
	(d) Other Intangible assets	5	5.80		6.12	
	(e) Intangible Assets under Development	7	15.34		15.34	
	(f) Biological Assets other than bearer plants	14	4,688.05		4,247.80	
	(g) Investment Property	8	1.50		1.53	
	(h) Financial Assets					
	(i) Investment	9.1	3,708.83		3,849.98	
	(ii) Other financial assets	10	299.20		235.46	
	(i) Deferred Tax Assets (Net)	12	2,980.23		3,167.58	
	(j) Other non-current assets	11	97.75	27,556.12	97.75	27,288.25
2	**Current assets**					
	(a) Inventories	13	25,641.00		25,201.86	
	(b) Biological Assets other than bearer plants	14	5,657.68		6,521.33	
	(c) Financial Assets					
	(i) Investment	9.2	-		-	
	(ii) Trade Receivables	15	40,302.67		41,041.27	
	(iii) Cash and cash equivalents	16	10,254.48		3,548.56	
	(iv) Bank Balances other than (iii) above	17	250.98		434.94	
	(v) Other financial assets	18	16,376.33		27,983.38	
	(d) Current Tax Assets (Net)	19	1,549.84		1,872.79	
	(e) Other current assets	20	5,402.91	105,435.89	4,834.45	111,438.58
	Total Assets			**132,992.01**		**138,726.83**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**					
1	**Equity**					
	(a) Equity Share Capital	21	5,731.99		5,731.99	
	(b) Other Equity	22	60,258.15	65,990.14	61,451.17	67,183.16
2	**Liabilities**					
(i)	**Non-current liabilities**					
	(a) Capital Grant	23	10,665.05		10,860.08	
	(b) Financial Liabilities					
	(i) Borrowings	24	93.42		85.86	
	(ii) Other financial liabilities	25	2,250.77		3,471.14	
	(c) Other Non-Current Liabilities	26	1,761.58		1,758.50	
	(d) Provisions	27	2,308.23	17,079.05	2,717.61	18,893.19
(ii)	**Current liabilities**					
	(a) Financial Liabilities					
	(i) Borrowings	28	858.37		7,713.69	
	(ii) Trade payables	29				
	Total outstanding dues of Micro and Small Enterprises		1,149.22		2,127.42	
	Total outstanding dues of creditors other than Micro and Small Enterprises		34,471.54		28,992.41	
	(iii) Other financial liabilities	30	9,371.72		9,509.79	
	(b) Other Current Liabilities	31	2,567.87		1,342.70	
	(c) Provisions	32	1,504.10		1,914.47	
	(d) Current tax liabilities (Net)	33	-	49,922.82	1,050.00	52,650.48
	Total Equity and Liabilities			**132,992.01**		**138,726.83**
III.	**See accompanying notes to the financial statements 1 to 80**					

Sd/-
Aayushi Kanodia
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Senior General Manager(F&A)

Sd/-
Rakesh Singh Nayal
Govt. Director
Deputy Secretary (Seeds)
DIN -09300428

Sd/-
V. Mohan
Chairman-cum-Managing Director (Addl. charge)
& Director (Finance)
DIN- 07296539

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870
Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

Place : New Delhi
Dated : 27th October 2021

एनएससी NSC

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31–03–2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31–03–2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
	राजस्व			
I.	परिचालन से राजस्व (संदर्भ टिप्पणी संख्या 46)	34	101,517.83	105,996.66
II.	अन्य आय	35	3,288.21	2,547.15
III.	**कुल राजस्व (I + II)**		**104,806.04**	**108,543.81**
IV.	**व्यय**			
	उपयोग की गई सामग्रियों की लागत	36	2,777.81	2,619.33
	व्यापरगत माल की खरीद	37	74,063.07	74,420.41
	जैविक सम्पत्तियां एवं तैयार माल, व्यापारगत माल एवं कार्य प्रगति में परिवर्तन	38	30.02	(1,263.22)
	कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय	39	12,377.29	12,963.90
	वित्त लागत	40	419.87	780.93
	मूल्याह्रास एवं परिशोधन व्यय	41	1,756.19	1,830.34
	अन्य व्यय	42	12,999.49	11,527.56
	कुल व्यय (IV)		**104,423.74**	**102,879.25**
V.	**विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ / हानि (III-IV) (संदर्भ टिप्पणी संख्या 46)**		**382.30**	**5,664.56**
VI.	**विशिष्ट मदें (आय / व्यय)**	43	78.64	423.31
VII.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V+VI) (संदर्भ टिप्पणी संख्या 46)**		**460.94**	**6,087.87**
VIII.	**कर व्यय**			
	(1) वर्तमान कर			
	- वर्ष के दौरान		-	1,050.00
	- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		(11.27)	886.43
	(2) अस्थगित कर (निवल)		228.53	1,159.49
	कुल कर व्यय (VIII)		**217.26**	**3,095.92**
IX.	**निरंतर परिचालन अवधि हेतु लाभ / (हानि) (VII - VIII) (संदर्भ टिप्पणी संख्या 46)**		**243.68**	**2,991.95**
X.	बंद परिचालन से लाभ / (हानि)		-	-
XI.	बंद परिचालन से कर व्यय		-	-
XII.	**बंद परिचालन से लाभ / (हानि) (कर पश्चात)** (X-XI)		-	-
XIII.	**अवधि के लिए लाभ / (हानि) (IX+XII)**		**243.68**	**2,991.95**
XIV.	**<u>अन्य व्यापक आय</u>**			
	क. मदें जो लाभ / हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे	44		
	- परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन हानियां		(474.74)	(330.47)
	आयकर प्रभाव		119.49	43.25
	- इक्विटी साधन में पुनः आकलन निवेश		391.55	160.31
	आयकर प्रभाव		(78.31)	(32.06)
	ख. मदें जो लाभ / हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		-	-
	आयकर प्रभाव			
			(42.01)	(158.97)
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)		**201.67**	**2,832.98**
XV.	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (जारी प्रचालन से) (संदर्भ टिप्पणी संख्या 46)			
	(1) बेसिक (अंकित मूल्य रू.1000 / –)	45	42.51	521.97
	(2) डिल्यूटिड (अंकित मूल्य रू.1000 / –)		42.51	521.97
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (बंद प्रचालन से)			
	(1) बेसिक (रू.)		-	-
	(2) डिल्यूटिड (रू.)		-	-
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (जारी एवं बंद परिचालन से)			
	(1) बेसिक (अंकित मूल्य रू.1000 / –)	45	42.51	521.97
	(2) डिल्यूटिड (अंकित मूल्य रू.1000 / –)		42.51	521.97
	देखें, संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां संख्या 1–80			

ह0/-
आयुषी कनोडिया
कंपनी सचिव

ह0/-
कौशिक रक्षित
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/-
राकेश सिंह नयाल
सरकारी निदेशक
उप. सचिव (बीज)
डिन : 09300428

ह0/-
वि. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)
डिन- 07296539

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870
ह0/-
साझेदार – विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं:– 81843

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Statement of Profit and Loss for year ended 31st March 2021

(₹ in lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
	Revenue:			
I.	Revenue from operations (Refer Note no - 46)	34	101,517.83	105,996.66
II.	Other income	35	3,288.21	2,547.15
III.	**Total Income (I + II)**		**104,806.04**	**108,543.81**
IV.	**Expenses:**			
	Cost of materials consumed	36	2,777.81	2,619.33
	Purchases of Stock -In-Trade	37	74,063.07	74,420.41
	Changes in biological assets and inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress	38	30.02	(1,263.22)
	Employee benefits expense	39	12,377.29	12,963.90
	Finance Costs	40	419.87	780.93
	Depreciation and amortization expenses	41	1,756.19	1,830.34
	Other Expenses	42	12,999.49	11,527.56
	Total Expenses (IV)		**104,423.74**	**102,879.25**
V.	**Profit/loss Before exceptional items and Tax (III-IV) (Refer Note no - 46)**		**382.30**	**5,664.56**
VI.	Exceptional items {Income/(Expense)}	43	78.64	423.31
VII.	**Profit/(Loss) before tax (V+VI) (Refer Note no - 46)**		**460.94**	**6,087.87**
VIII.	**Tax expense:**			
	(1) Current tax			
	- For the year		-	1,050.00
	- For earlier years (net)		(11.27)	886.43
	(2) Deferred tax (net)		228.53	1,159.49
	Total Tax Expense (VIII)		**217.26**	**3,095.92**
IX.	**Profit/(loss) for the period from continuing operation (VII - VIII) (Refer Note no - 46)**		**243.68**	**2,991.95**
X.	Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
XI.	Tax Expense of discontinued operations		-	-
XII.	Profit/(loss) from discontinued operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII.	**Profit/(loss) for the period (IX+XII)**		**243.68**	**2,991.95**
XIV.	**Other Comprehensive Income**			
	A. Items that will not be reclassified to profit and loss	44		
	- Re-measurement losses on defined benefit plans		(474.74)	(330.47)
	Income Tax effect		119.49	43.25
	- Re-measurement investment in equity instruments		391.55	160.31
	Income Tax effect		(78.31)	(32.06)
	B. Items that will be reclassified to profit and loss		-	-
	Income Tax effect			
			(42.01)	(158.97)
	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)		**201.67**	**2,832.98**
XV.	Earnings Per Equity Share: (For continuing Operation) (Refer Note no - 46)			
	(1) Basic (Face Value Rs. 1000)(in ₹)	45	42.51	521.97
	(2) Diluted (Face Value Rs. 1000) (in ₹)		42.51	521.97
XVI.	Earnings Per Equity Share: (For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹)		-	-
	(2) Diluted (in ₹)		-	-
XVII.	Earnings Per Equity Share:(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (Face Value Rs. 1000)(in ₹)	45	42.51	521.97
	(2) Diluted (Face Value Rs. 1000) (in ₹)		42.51	521.97
	See accompanying notes to the financial statements 1 to 80			

Sd/-
Aayushi Kanodia
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Senior General Manager(F&A)

Sd/-
Rakesh Singh Nayal
Govt. Director
Deputy Secretary (Seeds)
DIN -09300428

Sd/-
V. Mohan
Chairman-cum-Managing Director (Addl. charge)
& Director (Finance)
DIN- 07296539

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870
Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

Place : New Delhi
Dated : 27th October 2021

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

विवरण		31–03–2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31–03–2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
वर्ष के लिए लाभ		243.68	2,991.95
के लिए समायोजन :-			
मूल्यह्रास		1,756.19	1,830.34
ब्याज आय		(112.94)	(28.87)
लाभांश आय		(31.34)	(57.13)
आयकर व्यय		217.26	3,095.92
पूंजीगत अनुदान के लिए समायोजन		(195.03)	1,274.61
भूमि विकास व्यय एवं रोपण फसल बट्टा खाता		35.58	36.76
सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान		-	24.72
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		(65.93)	(62.36)
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय		4.44	5.99
वित्त लागत		415.43	774.94
म्यूचल निधि में शुद्ध लाभ		(16.64)	(7.43)
परिचालन परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	**(1)**	**2,250.70**	**9,879.44**
के लिए समायोजन :-			
जैविक सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		423.40	562.58
माल में कमी/(वृद्धि)		(439.14)	(2,028.25)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		12,281.91	(9,685.77)
अन्य सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(537.17)	589.25
व्यापार प्रदेय एवं अन्य प्रदेय में (कमी)/वृद्धि		3,182.13	3,597.80
प्रावधान में (कमी)/वृद्धि		(819.75)	(590.36)
परिभाषित लाभ योजना के पुनः मूल्याकंन का प्रभाव–ओसीआई		(474.74)	(330.47)
अन्य देयताओं में (कमी)/वृद्धि		1,228.25	(1,450.77)
	(2)	**14,844.89**	**(9,336.03)**
परिचालन से अर्जित नकदी	**(1+2)**	**17,095.59**	**543.41**
सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रीमियम प्रदत्त		-	(76.26)
आयकर का भुगतान		(715.78)	(1,588.17)
परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी		**16,379.81**	**(1,121.02)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की बिक्री/निपटान		165.41	61.18
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की खरीद		(1,883.93)	(1,674.03)
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		(53.81)	(179.22)
ब्याज प्राप्य		112.94	28.87
लाभांश आय		31.34	57.13
निवश के मूल्य में परिवर्तन		141.15	7.43
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल नकदी		**(1,486.90)**	**(1,698.64)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		(897.59)	(1,494.44)
वित्त लागत		(415.43)	(774.94)
लीज देयताओं का भुगतान		(26.22)	(25.04)
उधार/ऋण की (वापसी)		7.57	7.63
वित्तपोषण गतिविधियों से उपार्जित निवल नकदी		**(1,331.67)**	**(2,286.79)**
नकदी एवं नकदीतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		13,561.24	(5,106.45)
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदीतुल्य		(4,165.13)	941.32
वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदीतुल्य		**9,396.11**	**(4,165.13)**
नकदी एवं नकदीतुल्य का मिलान :			
हाथ में नकदी एवं नकदीतुल्य		0.66	14.12
बैंकों में शेषः			
– चालू खाते में		10,245.85	3,532.41
– हाथ में चौक, डिमांड ड्राफ्ट एवं स्टैम्प		7.97	2.03
– 3 माह से कम के मूल परिपक्वता जमा		-	-
– प्रत्याभूत नकद क्रेडिट/एसटीएल		(858.37)	(7,713.69)
तुलन पत्र के अनुसार नकद एवं शेष नकदी		**9,396.11**	**(4,165.13)**

टिप्पणी :

1. आईसीएआई द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर जारी लेखा मानक 7 में निर्धारत अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है ।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनर्मूल्यांगन किया गया है और वर्तमान वर्ष के साथ तुलनीय बनाया गया है।

ह0/-
आयुषी कनोडिया
कंपनी सचिव

ह0/-
कौशिक रक्षित
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/-
राकेश सिंह नयाल
सरकारी निदेशक
उप. सचिव (बीज)
डिन : 09300428

ह0/-
वि. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)
डिन- 07296539

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870
ह0/-
साझेदार – विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं:– 81843

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March 2021

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
A. Cash Flow from Operating Activities			
Profit for the year		243.68	2,991.95
Adjustments for :-			
Depreciation		1,756.19	1,830.34
Interest income		(112.94)	(28.87)
Dividend income		(31.34)	(57.13)
Income Tax expense		217.26	3,095.92
Adjustments to Capital Grant		(195.03)	1,274.61
Land Development Expenses and Plantation crop written off		35.58	36.76
Subcription received from retired employees		-	24.72
Profit on Sale of Fixed Assets		(65.93)	(62.36)
Interest exp on lease liabilities		4.44	5.99
Finance Cost		415.43	774.94
Net Gain in Mutual Fund		(16.64)	(7.43)
Operating Profit before changes in operating assets & liabilities	**(1)**	**2,250.70**	**9,879.44**
Adjustments for :-			
Decrease / (Increase) in Biological Assets		423.40	562.58
Decrease / (Increase) in Inventories		(439.14)	(2,028.25)
Decrease/ (Increase) in Trade & Other Receivables		12,281.91	(9,685.77)
Decrease/ (Increase) in Other assets		(537.17)	589.25
(Decrease) / Increase in trade payables & Other payables		3,182.13	3,597.80
(Decrease) / Increase in provisions		(819.75)	(590.36)
Effect of Remeasurement of Defined benefits Plan - OCI		(474.74)	(330.47)
(Decrease) / Increase in Other liablities		1,228.25	(1,450.77)
	(2)	**14,844.89**	**(9,336.03)**
Cash generated from operation	**(1+2)**	**17,095.59**	**543.41**
Retired medical premium paid		-	(76.26)
Income Tax Paid		(715.78)	(1,588.17)
Total Cash generated from Operating Activities		**16,379.81**	**(1,121.02)**
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, plant and equipment's & Other intangible assets		165.41	61.18
Purchase of Property, plant and equipment's & Other intangible assets		(1,883.93)	(1,674.03)
Capital Work-in-progress		(53.81)	(179.22)
Interest Receivable		112.94	28.87
Dividend income		31.34	57.13
Changes in Value of Investments		141.15	7.43
Net Cash used in Investing Activities		**(1,486.90)**	**(1,698.64)**
C. Cash Flow From Financing Activities			
Dividend Paid (including Tax on Dividend)		(897.59)	(1,494.44)
Finance Cost		(415.43)	(774.94)
Payment of Lease Liablities		(26.22)	(25.04)
Borrowings/(Repayment) of Loans		7.57	7.63
Net Cash generated from Financing Activities		**(1,331.67)**	**(2,286.79)**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		13,561.24	(5,106.45)
Opening Cash & Cash Equivalents		(4,165.13)	941.32
Closing Cash & Cash Equivalents		**9,396.11**	**(4,165.13)**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash and Cash Equivalent Comprises of Cash on hand		0.66	14.12
Balances with banks:			
– On current accounts		10,245.85	3,532.41
– Cheques, drafts and stamps on hand		7.97	2.03
– Deposits with original maturity of less than three months		-	-
– Secured, Cash Credit/STL		(858.37)	(7,713.69)
Cash and Cash Balances as per Balance Sheet		**9,396.11**	**(4,165.13)**

Notes:-

1. The Statement of Cash Flow has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

Sd/-
Aayushi Kanodia
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Senior General Manager(F&A)

Sd/-
Rakesh Singh Nayal
Govt. Director
Deputy Secretary (Seeds)
DIN -09300428

Sd/-
V. Mohan
Chairman-cum-Managing Director (Addl. charge)
& Director (Finance)
DIN- 07296539

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870
Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

Place : New Delhi
Dated : 27th October 2021

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (रु. लाख में)

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2019 को शेष	**573,199**	**5,731.99**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**573,199**	**5,731.99**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**573,199**	**5,731.99**

ख. अन्य इक्विटी (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
	खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	भूमि विकास आरक्षित	प्रतिधारित कमाई				
31 मार्च, 2019 को शेष	330.07	91.77	392.26	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.87
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में पुनः वर्णित शेष राशि	**330.07**	**91.77**	**392.26**	**56,815.59**	**-**	**2,418.18**	**-**	**60,047.87**
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2,991.96	-	-	-	2,991.96
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	(1,494.44)	-	-	-	(1,494.44)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(287.22)	-	128.25	-	(158.97)
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	(60.85)	-	-	60.85	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)(निवल)	-	(51.54)	36.76	-	-	-	-	(14.78)
प्रावधान से स्थानातंरित	-	79.53	-	-	-	-	-	79.53
31 मार्च, 2020 को शेष	**269.22**	**119.76**	**429.02**	**58,086.74**	**-**	**2,546.43**	**-**	**61,451.17**
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को पुनः वर्णित शेष	**269.22**	**119.76**	**429.02**	**58,086.74**	**-**	**2,546.43**	**-**	**61,451.17**
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	243.68	-	-	-	243.68
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	(897.59)	-	-	-	(897.59)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(355.25)	-	313.24	-	(42.01)
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	8.05	-	-	(8.05)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)(निवल)	-	-	35.58	-	-	(532.68)	-	(497.10)
जोड़ : प्रावधानों से स्थानातंरित	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**277.27**	**119.76**	**464.60**	**57,069.53**	**-**	**2,326.99**	**-**	**60,258.15**

ह0/-
आयुषी कनोडिया
कंपनी सचिव

ह0/-
कौशिक रक्षित
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/-
राकेश सिंह नयाल
सरकारी निदेशक
उप. सचिव (बीज)
डिन : 09300428

ह0/-
वि. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)
डिन- 07296539

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870
ह0/-
साझेदार – विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं:– 81843

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Statement of changes in equity for the period ended 31st March 2021

A. Equity share capital (₹ in lakhs)

	No. of Shares	Amount
Balance at 1st April 2019	**573,199**	**5,731.99**
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2020	**573,199**	**5,731.99**
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2021	**573,199**	**5,731.99**

B. Other Equity (₹ in lakhs)

Particulars	Reserve & Surplus				Debt instruments through other comprehensive income	Equity Instruments through other comprehensive Income	Other items of Other comprehensive Income (specify nature)	Total
	Unspent CSR Reserve	Retired Employees Welfare Reserve	Land Development Reserve	Retained Earnings				
Balance as at 31st March 2019	330.07	91.77	392.26	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.87
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of 1st April 2019	**330.07**	**91.77**	**392.26**	**56,815.59**	**-**	**2,418.18**	**-**	**60,047.87**
Bonus Shares Issued	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	2,991.96	-	-	-	2,991.96
Dividends and Dividend Distribution Tax	-	-	-	(1,494.44)	-	-	-	(1,494.44)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	(287.22)	-	128.25	-	(158.97)
Transfer to/from retained earning	(60.85)	-	-	60.85	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	(51.54)	36.76	-	-	-	-	(14.78)
Add: Transferred from Provisions	-	79.53	-	-	-	-	-	79.53
Balance as on 31st March 2020	**269.22**	**119.76**	**429.02**	**58,086.74**	**-**	**2,546.43**	**-**	**61,451.17**
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of 1st April 2020	**269.22**	**119.76**	**429.02**	**58,086.74**	**-**	**2,546.43**	**-**	**61,451.17**
Bonus Shares Issued	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	243.68	-	-	-	243.68
Dividends and Divided Distribution Tax	-	-	-	(897.59)	-	-	-	(897.59)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	(355.25)	-	313.24	-	(42.01)
Transfer to/from retained earning	8.05	-	-	(8.05)	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	-	35.58	-	-	(532.68)	-	(497.10)
Add: Transferred from Provisions	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on 31st March 2021	**277.27**	**119.76**	**464.60**	**57,069.53**	**-**	**2,326.99**	**-**	**60,258.15**

Sd/-
Aayushi Kanodia
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Senior General Manager(F&A)

Sd/-
Rakesh Singh Nayal
Govt. Director
Deputy Secretary (Seeds)
DIN -09300428

Sd/-
V. Mohan
Chairman-cum-Managing Director (Addl. charge)
& Director (Finance)
DIN- 07296539

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870
Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

Place : New Delhi
Dated : 27th October 2021

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित परिचय

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) की स्थापना आधारीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 19 मार्च, 1963 में स्थापित, भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह अनुसूची 'बी'–मिनीरत्न, श्रेणी–I कंपनी है।

वर्ष 1974 में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) के शुभारंभ के साथ ही, देश में बीज उद्योग के समुचित विकास में मुख्य भूमिका निभाने की जिम्मेदारी एनएससी को सौंपी गई थी। यह अपने फार्मों और अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कार्य करता है। पूरे देश में 08 फार्मस एवं 12500 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन करते हैं।

देश भर में विविध कृषि परिस्थितिक परिस्थितियों में मांगों को पूरा करने के लिए एन.एस.सी. के पास 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 48 प्रक्षेत्र कार्यालय, 107 विपणन केन्द्र, 30 उत्पादन केंद्र, 68 बीज विधायन संयंत्र, 07 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं, 166 बीज गोदाम, 2 सब्जी पैकिंग केन्द्र, 04 बीज परीक्षण प्रयोगशालायें और 01 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला है। एन.एस.सी. गुणवत्ता बीजों के उत्पादन व वितरण के अलावा केले आदि के टिशू कलचर पौधों के उत्पादन से भी जुड़ा है। यह अपने फार्मों के बगीचों से फलों की फसलों की रोपाई / पौधे की आपूर्ति भी करता है। बीज विपणन का कार्य पांच चैनलों जैसे है कि डीलरों / वितरकों, सरकार (राज्य / केन्द्र), राज्य बीज निगमों, कृषि मेलों/प्रदर्शनियों और स्वयं के बीज बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। निगम के पास लगभग 2958 डीलर हैं जिनका बिक्री कारोबार में 50% से भी अधिक का योगदान है।

एन.एस.सी. भारत सरकार की विभिन्न योजनाए जैसे, राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेन्सियों के बीज उत्पादन में कार्यरत कार्मिकों को बीज प्रशिक्षण प्रदान करके, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। एन.एस.सी., विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र के प्रसंस्करण संयंत्रों एवं भंडारण गोदामों की स्थापना के लिए अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी है। निगम, भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 के तहत पंजीकृत है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 लेखांकन का आधार

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) एव उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधित नियमों के अनुसार तैयार किए गए है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की प्रांसगिक प्रस्तुति आवश्यकता का अनुपालन करते हैं। अधिनियम की अनुसूची–III में निर्धारित निर्देशानुसार, जहां भी लागू है, सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत सिद्धान्त के तहत व उपार्जन के आधार पर तैयार किया गया है, (सिवाय टिप्पणी संख्या 69 में उल्लिखित मदों को छोड़ कर)।

ग) अनुमान व मूल्यांकन की उपयोगिता

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

1- Corporate Information

National Seeds Corporation Limited (NSC) is a public limited company domiciled and incorporated in India on 19th March 1963 to undertake production of foundation and certified seeds. It is wholly owned by Government of India under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I Company.

With the launching of the National Seed Project (NSP) in 1974, NSC was assigned the lead role to develop the seed industry in the country on sound lines. It undertakes production of certified seeds of nearly 621 varieties of 80 crops through its own farms and registered seed growers. There are 8 Farms and about 12,500 registered seed growers all over the country who are undertaking the seed production programmes in different agro-climatic conditions.

NSC has 11 Regional Offices, 48 Area Offices, 107 Marketing Centres, 30 Production Centres ,68 Seed processing plants, 7 Air-conditioned seed storage facilities, 166 Seed storage facilities,2 Vegetable seed packing centres, 4 seed testing labs and one DNA finger printing lab to meet the demands of diverse agro ecological situations across the country. Besides production and distribution of quality seeds, NSC is also involved in the production of Tissue Culture Plants like banana. It also undertakes supply of seedlings/saplings of fruits crops from Elite proprietary orchards being maintained at farms. Seed marketing is carried out through five channels namely sale through dealers/distributors, Government (State/Central), state seed corporation, kisan melas/exhibitions and through its own sales counters. There are about 2958 dealers of the Corporation who account for more than 50% of the sales turnover.

NSC plays a key role in the implementation of various schemes of the Government of India like, "National Food Security Mission (NFSM)" and "Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)". It also provides technical support to the seed producing agencies including State Seed Corporations by imparting training of personnel engaged in the production of seeds in that organization. NSC is the nodal agency for the implementation of the Central Sector Scheme to create infrastructure facilities for establishment of processing plants and storage godowns in different states in the private sector. The company was registered under the Indian Companies Act, 1956 and the registered office of the company is located at Beej Bhavan, Pusa Complex, New Delhi 110012.

2- Significant Accounting policy

2.1 Basis of Preparation

a) Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter. The financial statements adhere to the relevant presentational requirement of the Companies Act, 2013. All assets and liabilities are classified as current or non-current, wherever applicable as per the guidance as set out in schedule III to the Act.

b) Basis of Measurement

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the items. (Refer note 69)

c) Use of estimates and judgment

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments,

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों और आय एवं व्यय की रिपोर्ट की राशि पर संपतति, देनदारियों,, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों का खुलासे की सूचना दी जाती है। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन संपततियों के उपयोग का अधिकार कर्मचारी लाभ खर्च, प्रावधान, जैविक संपत्तियों का मूल्यांकन आदि के तहत भविष्य के दायित्वों में शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। समय–समय पर अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की जाती है। इन परिणामों में परिवर्तन ओर वास्तविक परिणाम के बीच अंतर के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और अनुमान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात / कार्यान्वित होते हैं।

घ) सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रूपयों में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में गिना जाता हैं, सिवाय जहां अन्यथा कहा गया है।

2.2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश :

(i) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है जिससे गैर–नकदी प्रकृति के लेनेदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतान के किसी अस्थगित या अभिवृद्धि के प्रभावों के लिए कर से पूर्व लाभ / हानि को समायोजित किया जाता है। निगम की परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है। नकदी प्रवाह के विवरणों के प्रयोजनों हेतु, नकद और हस्तगत रोकड़ सहित नकद समतुल्य, बैंकों में नकद और बैंकों में डिमांड डिपोजिट्स (DD), मांग पर चुकौती के निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्टस, कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।

इंडएएस–7 में संशोधन

कंपनी ने इंड एएस–7 के संशोधन को अपनाया है जिसके लिए संस्थाओं को खुलासा करने की आवश्यकता होती है। जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है जिसमें नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तन, प्रकटीकरण की आवशकयता को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के बीच मिलान करने का सुझाव दिया गया है। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

(ii) कार्यात्मक और प्रजेंटेशन मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रू0 (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक के साथ–साथ प्रस्तुती मुद्रा भी है।

क) विदेशी मुद्रा में लेनदेन प्रभावित होने पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात (recognized) किया जाता है।

ख) विदेशी मुद्रा में अंकित मदों को पुनः वर्णित किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर उपयोग करके भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है और परिणामी विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण किसी भी संचित मूल्हास और हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाएगा।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के लागत में शामिल हैः

क) व्यापार छूट में कटौती के बाद आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य खरीद कर सहित इसका खरीद मूल्य शामिल है।

estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates includes future obligations under employee retirement benefit plans and estimated useful life of property, plant and equipment, right of use assets, Employee benefit expenses, provisions, valuation of biological assets etc. actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs except where otherwise stated.

2.2 Summary of Significant Accounting Policies

(i) Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Corporation are segregated based on the available information. For the purposes of the Statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Amendment to Ind-AS 7:

The company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

(ii) Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Indian Rupee (INR), which is functional as well as presentation currency of company.

a) Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss.

b) Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(iii) Property, plant and equipment

1. Property, Plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

2. The cost of an item of property, plant and equipment comprises:

(a) Its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.

ख) प्रबंधन द्वारा लक्षित तरीके से परिचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्ति को आवश्यक स्थान एवं स्थिति में लाने के लिए सीधे ही जिम्मेदार कोई भी लागत।

ग) लागत का प्रारंभिक अनुमान मद को हटाने और स्थान को बहाल करने के लिए जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए एक या तो उस समय वहन करता है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या उस अवधि के दौरान माल का उत्पादन करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप होता है।

3. पट्टादार भूमि के अधिग्रहण पर प्रीमियम के भुगतान को लागत माना जाता है।

4. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य लागत पर किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय तथा उधार लेने पर ब्याज शामिल है।

5. परियोजना के निर्माण/कार्यान्वयन के दौरान किए गए सभी व्यय, जैसे कि शीर्ष परियोजना के तहत दिखाया गया है और परियोजनाओं के चालू होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों की लागत के अनुपात के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

6. प्रतिस्थापन्न की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत और दीर्घाकालीन निर्माण परियोजना के लिए उधार की लागत को पूंजीकृत किया जाता है यदि अभिज्ञान मानदंड पूरे हैं।

7. संपत्ति, संयंत्रों और उपकरण के मद की पहचान समाप्त करने से होने वाले लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खातें में शामिल किया जाएगा। (जब तक कि इंड एएस 116 लीज की बिक्री या लीजबैक पर अन्यथा आवश्यक नहीं है)

(iv) अमूर्त संपत्ति

किसी अमूर्त संपत्ति को अभिज्ञात किया जाता है, जहॉं पर संभव हो कि संपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वासपूर्वक आंका जा सकता है। अमूर्त संपत्तियां परंपरागत लागत, न्यून संचित परिशोधन और क्षति, यदि कोई, पर वर्णित की गई है।

(v) निवेश संपत्तिः–

(क) निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणधीन संपत्ति और वित्तीय पट्टे के तहत धारित संपत्ति शामिल है जिसे व्यापार के सामान्य कोर्स में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के लिए किराये पर या पूँजी बढ़ोत्तरी या दोनों के लिए की जाती हैं।

(ख) निवेश संपत्ति का लागत, संचित मूल्याह्रास और संचित हानि, यदि कोई को घटाकर बताया गया है।

(ग) कंपनी निवेश संपत्ति के निर्माण घटकों का अवमूल्यन, मूल खरीद की तारीख से 60 वर्ष से अधिक पर करता है।

(घ) निवेश संपत्ति की तब पहचान की जाती है, जब इनका निपटान किया जाता है या जब इन्हें उपयोग से पूर्णतया वापस लिया जाता है ओर भविष्य में इनके निपटान से कोई वित्तीय लाभ की उम्मीद न हो। शुद्ध निपटान प्रकिया और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर को मान्यता रद्द होने की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

(vi) प्रावधानः

देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को अभिज्ञात किया जाता है जिनका निर्धारण केवल एक पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके किया जाता है, जबः

1. एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप निगम की वर्तमान देनदारी है।

2. आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह का दायित्व तय करने की आवश्यकता होगी, तथा

3. दायित्व की मात्रा का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

(b) Any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

(c) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

3. Premium paid on acquisition of leasehold land, is treated as cost.

4. Capital work-in-progress is carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and interest on borrowing to the extent attributed to them.

5. All expenditure incurred during construction/ implementation stage of the project as shown under the head Project and Pre-operative expenditure has been capitalized on pro-rata basis to the cost of various property, plant and equipments on commissioning of the Project.

6. Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalized if the recognition criteria are met.

7. The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless Ind AS 116- Leases requires otherwise on a sale and leaseback).

(iv) Intangible Assets

An intangible Asset is recognized where it is probable that the future economic benefits attributable to the assets will flow to the company and cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

(v) Investment properties

a) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.

b) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

c) The company depreciates building component of investment property over 60 years from the date of original purchase.

d) Investment properties are derecognized either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of de-recognition.

(vi) Provisions

Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

1) The Company has a present obligation as a result of a past event.

2) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

3) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

<u>प्रावधानों की छूटः</u>

जिन प्रावधानों का 12 महीने से अधिक समय में निपटान संभावित है उन्हें पूर्व छूट दर जो दायित्व के विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है, का उपयोग कर वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को ब्याज व्यय में दिखाया जाता है।

(vii) राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

(क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब अभिज्ञात किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

(ख) राजस्व की मान्यता को अंतिम संग्रह की अनिश्चितताओं के प्रभाव के कारण स्थागित किया जाता है और इन अनिश्चितताओं के समाप्त होने पर राजस्व को मान्य किया जाता है।

<u>अन्य राजस्व मान्यताः</u>

(क) ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, सम अनुपात आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ख) लाभांश तब मान्य होगा जब इकाईयों को भुगतान का अधिकार स्थापित हो, आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होगा और राशि का पूरी तरह निर्धारण किया जा सकता है।

(viii) पट्टेः

(i) एक पट्टे के रूप में

क) कंपनी एक परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देयता को पट्टा प्रारंभ तारीख पर मान्य करती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार शुरूआती लागत पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो किसी भी लीज भुगतान के लिए या उससे पूर्व किए गए भुगतान के लिए समायोजित की जाती है। इसके साथ–साथ कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जो खर्च हुई है और एक बुनियादी संपत्ति को हटाने या विघटित करने या बुनियादी संपत्ति को उसी स्थान जहां यह स्थित है पर पुर्नस्थापित करने पर आई लागत में से कोई भी प्राप्त लीज राशि (इन्सेटिव) घटाकर एक अनुमानित शामिल है।

ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार उपयोगी जीवन के अंत या लीज अवधि के अंत से पहले की तारीख से सीधी लाईन पद्धति का उपयोग करके अनुवर्ती मूल्यह्रास किया जाता है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसा कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का होता है। इसके साथ–साथ संपत्ति के उपयोग का अधिकार, नुकसान, यदि कोई, के द्वारा आवधिक रूप से घट जाती है और लीज देयता के कुछ भुगतानों के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) पट्टा देयता को प्रारंभ में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका कि भुगतान प्रारंभ तारीख पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निर्धारित ब्याज दर या अगर यह दर आसानी से निर्धारित न हो सके तो कंपनी की वृद्धि शील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

घ) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यह तब हटा दिया जाता है जब सूचकांक या दर में बदलाव से भविष्य के पट्टा भुगतान में बदलाव होता है। जब इस तरह से लीज देयता का पुर्ननिर्धारण किया जाता है तो परिसंपत्ति के उपयोग की वहन राशि के लिए समतुल्य समायोजन किया जाता है, या इसे लाभ और हानि खाते में दर्ज कर लिया जाता है यदि परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि शून्य हो जाती है।

ड) कंपनी उन संपत्ति के उपयोग के अधिकार जो ''संपत्ति के उपयोग के अधिकार'' में निवेश की संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करते, उनको अलग से तुलन–पत्र के सम्मुख और लीज देयताओं को तुलनपत्र में ''अन्य वित्तीय देयताओं'' में प्रस्तुत करती है।

Discounting of Provisions

Provision which expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pretax discount rate that reflects the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

(vii) Revenue

Revenue from Contracts with Customers

a) Revenue from contract with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.

b) Recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties of ultimate collection, and revenue is recognized in the period when such uncertainties cease to exist.

Other Revenue Recognition

a) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest rate Method.

b) Dividend will be recognized when the entities right to receive payment is established, economic benefit will flow to the entity and amount can be measured reliably.

(viii) Leases

i) As a lessee

a) The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

b) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use-asset or the end of the lease term. The estimated useful life of the right-of-use asset is determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

c) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate.

d) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

e) The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Right of use Assets" seperately on the face of the Balance Sheet and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

च) अल्पावधि पट्टा और अल्प मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टेः– कंपनी ने अल्प अवधि लीजों जिनकी लीज अवधि 12 महीने या इससे कम है और अल्प मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और लीज देयताओं को मान्य नहीं करना निश्चित किया है। कंपनी इन लीजों/पट्टों से संबंधित भुगतानों को लीज अवधि के ऊपर सीधी रेखा में एक खर्च के रूप में मान्य करती है।

(ii) एक पट्टेदार के रूप में

जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो कंपनी लीज की शुरूआत पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक लीज एक वित्तीय लीज है या एक परिचालन लीज है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा सभी आकस्मिक जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से बुनियादी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर स्थानांतरित करता है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए है या नहीं। कंपनी परिचालन पट्टों के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को ''अन्य आय'' के हिस्से के रूप में सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में पहचान करती है।

(ix) मूल्यह्रास और परिशोधनः

<u>संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण</u>

क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन हेतु लिखित मूल्य विधि (डब्ल्यूडीवी) पर उपलब्ध कराया गया है।

ख) वर्ष के दौरान खरीदी गई/बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 के दिखाया जाता है।

ग) सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जिनका उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है और वहन राशि नई लागत के 5 प्रतिशत से कम है, को लागत राशि पर कैरी किया गया है। अन्य सभी संपत्तियों के मामले में अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5 प्रतिशत पर रखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति की अनुमानित उपयोग अवधि जीवन निम्नानुसार है

विवरण	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	10–15 वर्ष
कार्यालय भवन विद्युत फिटिंग सहित	60 वर्ष
बिलडिंग गोदाम विद्युत फिटिंग सहित	30 वर्ष
कम्प्यूटर	3–6 वर्ष
कार्यालय उपकरण	10–15 वर्ष
जेनरेटर	15 वर्ष
विद्युत स्थापना	10 वर्ष
नलकूप	5 वर्ष
टैंक एवं रिजर्ववायर	15 वर्ष
केन्द्रीय धूरी सिंचाई	15 वर्ष
तार–बाड़	5 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

घ) लीज होल्ड सुधारों को अनुसूची 2 के तहत गणना के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन के निचले स्तर पर परिशोधित किया जाता है और लीज अवधि को उस वर्ष से जब ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया गया है।

ङ) मूल्यह्रास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

f) Short term Lease and Leases of low value assets:-The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

ii) As a Lessor

When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset.

The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

(ix) Depreciation & Amortization

<u>Property, Plant and Equipment</u>

(a) Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on Written down value method (WDV) over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Depreciation on assets purchased/ sold during the year is charged on pro rate basis as per Companies Act, 2013.

(c) The residual value of all assets, whose useful life has been exhausted as on 31.3.2014 following scheduled-II of the Companies Act, 2013 and the carrying amount is below 5% of the new cost, has been carried at carrying amount. In case of all other assets, the residual life is kept at 5% of the original cost of assets.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are generally as follows:

Particulars	Useful Life
Plant and Machinery	10-15 years
Office Building inclusive of electrical fittings	60 years
Building Godowns inclusive of electrical fittings	30 years
Computers	3-6 years
Office Equipment's	10-15 years
Generators	15 years
Electric Installations	10 years
Tubewells	5 years
Tanks and Reserviors	15 years
Pivot Irrigation	15 years
Fencing	5 years
Furniture and fixtures	10 years
Vehicles	10 years

(d) Leasehold improvements are amortized over the lower of estimated useful life as computed under schedule-II and lease term from the year in which such improvement are capitalized.

(e) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

च) लीज होल्ड भूमि, जो सतत पट्टे पर है, से अतिरिक्त प्रीमियम को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तिः

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन तथा उपयोग हेतु उपलब्धता की तारीख से स्ट्रेट लाईन आधार पर परिशोधित किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैः

	प्राप्त अमूर्त संपत्ति	उपयोगी जीवन	स्व या आंतरिक रूप से उत्पन्न
छ)	सॉफ्टवेयर	1–5 वर्ष	अधिग्रहित

ज) प्रत्येक रिपोटिंग तारीख पर परिशोधन के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

(x) गैर वित्तीय संपत्तियों की हानिः

क) इन्ड एएस 36 संपत्तियों की हानि के अनुसार कंपनी की संपत्तियो की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर की जाती है ताकि हानि के किसी भी संकेत में पहचान हो सकें।

ख) किसी परिसंपत्ति को खराब माना जाता है जब संपत्ति की वहन लागत, इसकी वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और उसे वर्ष के लाभ एवं हानि के विवरण से दिखाया जाता है।

ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कंपनी आकसमिक नुकसान की अनुमानित राशि का मूल्यांकन करती है। पूर्व लेखा अवधियों में पहचाने गए आकस्मिक नुकसान को उत्क्रम किया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव है और ऐसे नुकसान या तो अब हैं नहीं या कम हो चुके हैं। आकसमिक नुकसान का उत्क्रम लाभ एवं हानि खातों में दिखाया जाता है।

xi) मालसूचीः

क) माल का मूल्याकंन न्यूनतक लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। माल के संबंध में लागत निर्धारण का आधार बीज के लिए भारित औसत लागत है।

ख) प्रमाणीकरण, पैकिंग और उपचार सामग्री सहित स्टोर, पुर्जो और उपभोग्य सामग्रियों के लिए भारित औसत लागत है।

ग) वर्ष के दौरान नवीनतम नीलामी दर के आधार पर अनुपयोगी एवं गैर–परिवर्तनीय बीज स्टॉक का अनुमानित मूल्याकंन किया गया है। यदि वर्ष के दौरान निपटान नहीं किया गया है तो प्रचलित बाजार की स्थिति के अनुसार अनुमानित भरोसेमंद मूल्य के आधार पर किया गया है।

घ) इस्तेमाल हो चुके बोरियों का मूल्य की खरीद लागत का 50 प्रतिशत है।

ङ) उपयोग की गई फैबरीकेटेड सामग्री को प्रत्यक्ष लागत में लेखांकन किया जाता है।

च) एक इकाई की जैविक संपत्ति से प्राप्त कृषि उपज को शुद्ध वसूली मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

छ) खरीद माल सूची के स्थगित भुगतान में ब्याज अंश भी शामिल है जिसे वित्त लागत में अलग से अभिज्ञात किया गया है और इस माल सूची में लागत शामिल नहीं है।

xii) जैविक संपत्तियॉः

1) जैविक संपत्तियॉ बढ़ते हुए पौधों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका मापन उचित दाम रहित लागत पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बेचने के लिए किया जाता हे। निगम, माल की लागत के अंतर्गत जैविक संपत्तियों के लिए उचित दाम की तुलना में जैविक संपत्तियों की पुर्नगणना से लाभ एवं हानि का वर्गीकरण करता हैं।

(f) Premium on leasehold land, other than on perpetual lease, is amortized over the period of the lease.

Intangible Assets

Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight- line basis from the date that they are available for use.

The estimated useful life of intangibles are as follows:

	Intangible Assets	Useful Life	Internally generated or self-generated
(g)	Software	(1 - 5 years)	Acquired

(h) Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

(x) Impairment of non-financial assets

a) In accordance with Ind AS-36 Impairment of Assets, the carrying amounts of Company's assets are reviewed at each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment

b) An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value and impairment loss is charged to the Statement of Profit & Loss in the year in which an asset is identified as impaired.

c) At each reporting date company assesses the estimate amount of impairment loss. The impairment loss recognized in prior accounting period(s) is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount and such losses either no longer exists or has decreased. Reversal of impaired loss is recognized in the Statement of Profit & Loss.

(xi) Inventory

a. Inventories are valued at lower of cost and net realizable value. The basis of cost determination in respect of inventories carried is the Weighted Average cost for seeds.

b. Weighted average cost for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment materials.

c. Condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value on the basis of latest auction rate during the year. If not disposed off during the year then on the basis of estimated relizable value as per the prevailing market condition.

d. The used gunny bags are valued at 50% of the procurement cost.

e. The fabricated material consumed is accounted for at direct cost plus related overheads.

f. Agriculture produce harvested from an entity's biological assets are measured at Net Realizable Value.

g. Deferred payment of inventory purchased includes the interest element which is recognized separately in finance cost, and that does not includes in the cost of inventory.

(xii) Biological Assets

1) Biological assets represent growing plants which are measured at the fair value less cost to sell at the end of each reporting period. Company classifies gain and losses from re-measuring biological assets to fair value for biological assets within cost of goods.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

2) (क) रबी की खड़ी फसलों और पौध शाला का मूल्यांकन शुद्ध मूल्य पर किया जाता है, फसल/पौधशाला को विपणन योग्य बनाने हेतु होने वाले खर्च के लिए एलाउन्स करने के बाद ओर कृषि कार्यों से जुड़े जोखिमों के लिए प्रावधान करने के बाद किया जाता है। प्रयोजन के लिए, मात्रा / उपज का अनुमान पिछले 5 वर्षों के मौसमी औसत के आधार पर लिया जाएगा।

औसत वास्तविक उपज की अनुपलब्धता के मामले में; राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली मानकों के अनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकन विधि अपनाई जाएगी।

(ख) पूर्व–खरीफ का मूल्याकंन लागत पर किया जाएगा, जब यह अपने उचित मूल्य के बराबार होता है और जैविक संपत्ति के तहत अभिज्ञात किया जाता है।

3) बंजर भूमि/सीमाओं या अन्यथा कहीं उगाए गए वाणिज्यिक पेड़ों जिनके लिए या तो उपर्युक्त प्राधिकरण से इनके निपटान हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है या जहॉ यह आवश्यक है, वहॉ निपटान हेतु ऐसी अनुमति पहले ही हासिल की जा चुकी है, का मूल्य निर्धारण खड़े पेड़ों के उचित मूल्य पर जैविक संपत्ति मद के तहत किया जाता है। खड़े पेड़ों के लिए उचित कीमत का आधार वन विभाग द्वारा घन सेंटीमीटर में पेड़ के घेरे पर निर्धारित दर हैं।

(xiii) उधार लागतः

1. उधार लागत को चुनी गई संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण हुई है को ऐसी संपत्तियों की कीमत के एक हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक चुनी गई संपत्ति/योग्यता संपत्ति वो हैं जो अपने ऐच्छिक उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है।

2. अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय हुए, उन्हें व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

(xiv) सरकारी अनुदानः

क) प्रमोटर के योगदान की प्रकृति की सहायता में अनुदानों को इक्विटीधारकों के योगदान के रूप में माना जाता है।

ख) मूल्याह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत जो "सहायता अनुदान" से अधिग्रहित की गई है, को "उपयोगित पूंजीगत अनुदान", जिसकी प्रकृति एक रिजर्व की तरह है, ऐसी संपत्तियों पर मूल्यह्रास को इस रिजर्व में से घटाया जाता है और लाभ एवं हानि खातों में इसे "आय" के रूप में रखा जाता है।

ग) अनुदान की अप्रयुक्त/बिना खर्ची राशि का खुलासा पूंजी अनुदानों के तहत किया जाता है।

घ) गैर मौद्रिक संपत्ति के रूप सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में इस अनुदान को आस्थगित आय के रूप में दिखाया जाता है।

(xv) रोजगार उपरांत लाभ और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएँः

<u>उपदानः</u>

इंड एएस–19 के अनुपालन में पात्र कर्मचारियों (दैनिक रेटिड कामगारों सहित) को कवर कर रही ग्रेच्यूटी के लिए अपनी देयता को पूरा करने हेतु निगम ने एक ग्रेच्यूटी ट्रस्ट का गठन किया है और ट्रस्ट के फंड का प्रबंधन एलआईसी एवं केनरा, एचएसबीसी, ओबीसी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। निगम बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित प्रीमियम का भुगतान एलआईसी को फंड की आवश्यकता/ उपलब्धता के अनुसार इस उद्देश्य हेतु प्रोजेक्ट युनिट क्रेडिट विधि लगाकर करता है।

<u>अवकाश नकदीकरण</u>

इंड एएस–19 के अनुसरण में, अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश के प्रति निगम के दायित्व को बीमाकिंत आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया जाता है।

<u>भविष्य निधिः</u>

निगम, कर्मचारी भविष्य निधियों और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार एक सांविधिक भविष्य निधि में योगदान देता है।

2) (a) Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at Net Relizable Value less allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. For the purpose, near estimation of the quantity/yield will be taken on the basis of previous 5 years seasonal average.

In case of unavailability of average actual yield; Scientific Valuation Method as per National Agriculture Research System Standards will be adopted.

(b) The pre-kharif would be valued at cost when it approximates its fair value and recognized under the head biological asset.

3) The commercial trees grown on waste land/boundaries or otherwise including out lived plantation trees for which either the permission of appropriate authority for its disposal is not required or where it is required, such permission has been obtained for disposal, are valued on fair value of standing trees under the head Biological Assets. The Fair value for standing trees is based on rates fixed by forest department applied on girth in cubic meters.

(xiii) Borrowing Cost

1. Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

2. All other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which they are incurred.

(xiv) Government Grants

a) Grants in aid of the nature of promoter's contribution are treated as contribution from equity holders.

b) Cost of depreciable property, plant and equipments acquired out of and having nexus to grant-in-aid, is credited to "Utilized Capital Grant" which is in the nature of a reserve. Depreciation on such assets is reduced from this reserve and is recognized as 'Income' in the Statement of Profit and Loss.

c) Unutilised/unspent amount of the grants are disclosed under Capital Grants.

d) Government grant in the form of non-monetary asset is recognized at fair value and presented in balance sheet by setting up the grant as deferred income.

(xv) Post-employment benefits and other long term benefits plans:

<u>Gratuity</u>

To meet its liability towards gratuity covering eligible employees (including daily rated workers), in compliance of Ind AS 19 – Employee Benefits, the Corporation has created a Gratuity Trust and funds of the trust are managed by LIC, Canara Bank and Oriental Bank of Commerce. Corporation pays premium based on actuarial valuation applying the Project Unit Credit Method for this purpose to LIC as per requirement/availability of the funds.

<u>Leave Encashment</u>

The Company's obligation towards earned leave and half pay leave, are actuarially determined and provided for, as per Ind AS – 19.

<u>Provident Fund</u>

The Corporation makes contributions to a statutory provident fund in accordance with the Employees Provident

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को एक निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है चूँकि निगम को ब्याज और अन्य कमियों यदि कोई को पूरा करना होता है। तद्नुसार, देय या किए जा चुके भुगतान और व्यय, यदि कोई, को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

सभी परिभाषित लाभ दायित्वों से संबंधित बीमाकिंत लाभ एवं हानि, उस अवधि जिसमें वे होते हैं, को ओ.सी.आई के माध्यम से पूरी तरह मान्य किया जाता है।

अन्य दीर्घ अवधि लाभ योजनाएँ:

<u>सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना:</u>

(i) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, वर्ष 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए, प्रारंभिक वित्तीय वर्ष 2010–11 के कर पूर्व लाभ के निर्धारित 1.5% पर राशि की गणना की गई तथा ''सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण रिजर्व'' में रू. 119.75 लाख की राशि प्रदान की गई। निगम से सेवानिवृत्त कार्मिकों (01.01.2007 से पूर्व) के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना हेतु कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के उपरांत कॉर्पस बनाया जाना है। आगामी वर्षों में कार्पस में योगदान, आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा, यदि आवश्यक होगी और पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ का 1.5% से अधिक नहीं होगा।

(ii) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लाभ के लिए ''प्रावधानों'' के तहत ''सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण के हेतु'' वर्ष 2019–20 के मूल वेतन+डीए का 3%, राशि स्वरूप रू. 190.08 लाख की राशि प्रदान की गई है। आगामी वर्षों में प्रावधानीकरण, आवश्यकता आधार पर निर्भर करता है, यदि आवश्यक हो तथा कुल सेवानिवृत्ति लाभों की सीमा मूल वेतन+डीए से 30% अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) उपर्युक्त दोनों योजनाओं की समीक्षा हर वर्ष की जाएगी तथा योजना जारी रखने का निर्णय उपलब्धतता और स्थिरता पर निर्भर रहेगा।

<u>पेंशन निधि:</u>

निगम, मूलवेतन का 10%+डीए के बराबर या अन्य ऐसे प्रतिशत जो नियोक्ता समय–समय पर निर्णय करता है, के बराबर योगदान देता है और ऐसे योगदान का भुगतान तब तक होगा जब तक भुगतान के प्रसंग होंगे। निगम ने एक ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है।

निर्धारित दर पर ट्रस्ट, बीमा कंपनी और सभी सदस्यों को तीन महीने का नोटिस देकर ऐसे योगदान को आगामी वर्ष में रोका जा सकता है यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का कर उपरांत लाभ 20 करोड़ से नीचे रहता है। हालांकि रोके गए योगदान को चरणबद्ध तरीके से ट्रस्ट को, सभी संचित हानि को पूरा किया जा चुकने और कर उपरांत लाभ 20 करोड़ से अधिक लाभ होने पर अगले वर्ष से मासिक योगदान के ऐसे बकाए को बिना ब्याज पर जारी किया जाएगा।

<u>स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना:</u>

कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अलगाव के विकल्प का प्रस्ताव कर रही लागू योजना के तहत अर्जित मुआवजे को कर्मचारी द्वारा ऐसी योजना के तहत विकल्प चुनने के वर्ष में लाभ एवं हानि खातों में दिखाया जाता है।

<u>अल्पावधि कर्मचारी लाभ:</u>

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान व्यय के रूप में माना जाता है।

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The provident fund trust set up by the Company is treated as a defined benefit plan since the Company has to meet the interest and other shortfalls, if any. Accordingly, the contribution paid or payable and expenses, if any are recognized as an expense in the period in which services are rendered by the employee.

Actuarial gains and losses related to all defined benefit obligations are recognized in full through OCI for the period in which they occur.

Other Long term benefit plans:

Medical Benefit Scheme for retired employees

(i) In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount computed and provided at 1.5% being the prescribed percentage of the Profit Before Tax of the Initial Financial Year 2010-11 amounting to ₹119.76 lakhs to be retained as "Retired Employees Welfare Reserve" for the benefit of employees retired before 01.01.2007. Corpus to be created after approval of the Post Retirement Contributory Medical Scheme for retired employees (before 01.01.2007) of the Corporation, by The Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Contribution to the Corpus in the subsequent years, depending upon the need, if required, and not exceed 1.5% of PBT of the previous year.

(ii) In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount of ₹190.08 lakhs, being 3% of Basic Pay + DA of 2019-20, to be retained as "For Retired Employees Welfare" under "Provisions" for the benefit of emloyees retired after 01.01.2007. Further provisioning in the subsequent years, depending upon the need , if required, and not to exceed overall ceiling of 30% of Basic Pay + DA covering the total Superannuation benefits.

(iii) Both the above schemes to be reviewed every year and depending on the affordability and sustainability, continuance of the scheme to be decided.

Pension Fund:-

The Corporation makes Contributions equal to 10% of Basic Pay plus DA or such other percentage as the employer may decide from time to time and such contribution shall be payable until the happening of payment events. The company has created a Trust and the funds of the Trust is managed by LIC.

Such contribution at the prescribed rate shall be withheld in subsequent year if in a particular financial year profit after tax of the Corporation dips below ₹20 Crore, after giving three months' notice to the Trust, the Insurer and all the Member. However, the withheld contribution shall be released in a phased manner to the Trust from the financial year subsequent to the year when all the previous accumulated losses are wiped out and the profit after tax becomes more than ₹20 Crore, without any interest on such arrears of monthly contributions.

Voluntary Retirement Scheme

Compensation accruing under a scheme for the time being in force, offering option for voluntary retirement/ separation to employees is charged to the statement of profit and loss, in the year when the employees exercise option under such scheme.

Short Term Employee Benefits

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees, is recognized as an expense during the period when the employees rendered those services.

(xvi) करः

वर्तमान आयकरः

i. वर्ष के लिए कर खर्च में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर शामिल हैं।

ii. वर्तमान कर का आकंलन, लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर किया जाता है।

iii. कर योग्य राशि की गणना हेतु इस्तेमाल कर दरें और कर कानून वो हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख पर उन देशों में जहां निगम संचालित है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है, वहॉ अधिनियमित हैं या पर्याप्त रूप से लागू हैं।

iv. अन्य व्यापक मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में दिखाया जाता है।

आस्थगित करः

भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आयकर"

i. आस्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियों को अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है जिनकी गणना कर दरों और कर कानून का उपयोग करके की जाती है, जो रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू है।

ii. आस्थगित आयकर संपत्तियों को उस हद तक मान्य किया जाता है जहां तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उत्पन्न होगा, जिसके तहत छूट अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और आगे बढ़ाऐं गए अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सके।

iii. आस्थगित आयकर की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उस हद तक कम की जाती है जहॉ कि यह संभावना नहीं है कि आस्थगित आयकर संपत्ति का हिस्सा या पूर्णरूप से इस्तेमाल करने पर पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में दिखाया जाता है।

(xvii) प्रतिशेयर उपार्जनः

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने और शेयर विभाजन के मामलें में समायोजित किया जाता है।

2. प्रति शेयर डिलुटेड आय की गणना के उद्देश्य हेतु इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि एवं अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डिलुटिव पोटेंशनल इक्विटी शेयरों के इफैक्ट के लिए समायोजित किया जाता है।

(xviii) आकस्मिक देयताएॅं और आकसमिक संपतिः

(क) आकस्मिक देयताओं का निम्नलिखित में से किसी भी मामलें में खुलासा किया जाता हैः

i. किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब यह संभावित नहीं है कि देयता को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हों, या

ii. वर्तमान देयता का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके, या

iii. एक संभावित देयता, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना बहुत ही कम है।

(ख) आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना पर किया जाता है।

(ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है।

(xvi) Taxes

Current income tax

i. Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.

ii. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax rates.

iii. The tax rates and tax laws used to compute the taxable amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.

iv. Current tax related to OCI Items is recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

Deferred tax

In accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS 12) "Income Taxes" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

i. Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

ii. Deferred income tax asset are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.

iii. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.

iv. Deferred tax related to OCI item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

(xvii) Earnings Per Share

1. Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue and share split.

2. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

(xviii) Contingent Liabilities and contingent Assets

(a) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

(b) Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

(c) Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.

(घ) आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बर्हिवाह को ध्यान में रखकर अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

(xix) उचित मूल्य निर्धारणः

(क) निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कुछ वित्तीय साधनों का उचित मूल्य पर आंकलन करता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे निर्धारण की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक संपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या एक देयता को हस्तातंरण करने पर भुगतान की जाएगी। निष्पक्ष मूल्य निर्धारण इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता हस्तातंरित करने पर लेनदेन या तो :

- परिसंपत्ति या देयता के लिए सैद्धातिक बाजार में या
- प्रमुख बाजार की अनुपलब्धता में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में होता है।

(ख) निगम के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो बाजार सहभागी परिसंपत्ति या देयता के मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेगें कि बाजार प्रतिभागियों ने अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य किया है। निगम उन मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो परिस्थितियों में उपर्युक्त है और जिसके लिए उचित कीमत निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रांसगिक तथा अवलोकनात्मक इनपुट का उपयोग अधिकतम है और अप्रभावी इनपुट का प्रयोग कम है।

(xx) इक्विटीधारकों के लिए लाभांशः

भुगतान किए जा चुके / किए जाने वाले लाभांश को उस वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित लाभांशों को शेयरधारकों या निदेशक मंडल, जो भी उचित हो, द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(xxi) वित्तीय लिखतः–

<u>प्रारंभिक पहचानः</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब निगम, साधन के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण से हुई हैं, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रांरभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

<u>आगामी आकलनः</u>

<u>वित्तीय संपत्तियॉः</u>

वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

(क) <u>परिशोधित लागत परः</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद मं परिशोधित लागत पर निर्धारण किया गया है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बाजार में होल्ड किया जाता है जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को, संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने हेतु होल्ड करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करता है।

(ख) <u>अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य :</u>

* वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारण किया गया है। यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियॉ एवं ऐसे व्यापार के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रह करना है और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाह, जो केवल मूलधन या बकाया मूलधन और ब्याज के भुगतान है, को वृद्धि देती हैं।

(d) Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

(xix) Fair Value Measurement

a) Company measures certain financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

b) The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

(xx) Dividend to equity holders

Dividend paid/payable is recognized in the year in which the related dividends are approved by shareholders or board of directors as appropriate.

(xxi) Financial instruments:-

Initial Recognition:

Financial Assets and Liabilities are recognized when the company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

a. At Amortised Cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

b. Fair Value through Other Comprehensive Income

* Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

* निगम ने अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जो बाद में इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है।

ग. <u>लाभ और हान के माध्यम से उचित मूल्य :</u>

वित्तीय आस्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि यह प्रांरभिक पहचान पर परिशोधित कीमत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से ही मापा जाता है। लेनदेन जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से अधिग्रहित किया गया है, को तुरंत लाभ या हानि में मान्य किया जाता है

घ. <u>एसोसियटस में निवेशः</u>

एसोसियटस में निवेश को भारतीय लेखा मानक – 27 वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर निर्धारण किया जाता है।

<u>वित्तीय देनदारियॉः</u>

वित्तीय देनदारियॉ निम्नानुसार वर्गीकृत हैंः

क) परिशोधित लागत परः

व्यापार और अन्य देय, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण पैसा आदि द्वारा प्रतिनिधित्व की गई परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग कर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां :

निगम ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देनदारी को नामित नहीं किया है।

ङ. <u>डी–रिकोनाइजेंशन</u>

<u>वित्तीय परिसंपत्ति</u>

एक वित्तीय परिसपंत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को केवल तब अमान्य की जाती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वित्तीय अनुबंधों और संपत्ति के अधिकतर सभी जोखिमों और स्वामित्व के अधिकार स्थानातंरित हो जाते हैं।

<u>वित्तीय देयताः</u>

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब अमान्य होती है जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाता है या निरस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से दूसरी द्वारा पूरी तरह अलग शर्तों पर बदल दिया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को पूरी तरह संशोधित कर दिया जाता है, इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की रद्दता और नई देयता की मान्यता के रूप में समझा जा सकता है और संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ और हानि के विवरणों में मान्य किया जाता है।

05 वर्ष से अधिक समय से गैर ऑपरेटिव पार्टियों के सुरक्षा डिपोजिट और धरोहर राशि सहित खातों में पड़े शेष बकाया क्रेडिट को वापस लिखा जाता है।

च. <u>वित्तीय संपत्तियों की हानिः</u>

– कंपनी हानि के निर्धारण एवं अभिज्ञात के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। व्यापार प्राप्य पर हानि की पहचान के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि की पहचान करता है।

* The company has made an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of equity investments not held for trading.

c. At Fair Value through Profit and Loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.

d. Investment in Associates

Investment in Associates are measured at cost as per IndAS-27- Separate Financial Statements.

Financial Liabilities

Financial Liabilities are classified as follow:

a) Financial liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retention money etc. are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

b) Financial liabilities at FVTPL

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

e. De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

Credit balances lying in the accounts including security and EMD for non-operative parties for more than 5 years is written back.

f. Impairment of financial assets:

- Company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss. The Company follows' simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on trade receivable. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

– कंपनी परिशोधित लागत एवं एफवीटीओसीआई ऋण पर ली गई संपत्तियों से जुड़ें अपेक्षित क्रेडिट नुकसान का आंकलन आगे के आधार पर करती है। हानि पद्धति तब लागू होता है जब क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो।

– अवधि के दौरान ईसीएल हानि (या उल्टा) लाभ एवं हानि के विवरण में आय एवं व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

– सरकारी विभागों/पार्टियों के विरूद्ध व्यापार प्राप्य, ऋण, अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत आठ साल या उससे कम की अवधि के लिए तथा निजी पार्टियों पर तीन साल या उससे कम की अवधि के लिए बकाए राशि को वसूली वाले माना जाता है और तदनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया।

छ. मानक/संशोधन जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

एमसीए ने भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2021 की अधिसूचना दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2021 के अनुसार निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं: –

1. भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना (इंड एएस–101)
2. शेयर आधारित भुगतान (इंड एएस–102)
3. व्यापार संयोजन (इंड एएस–103)
4. बीमा अनुबंध1 (इंड एएस–104)
5. बिक्री एवं गैर चालू परिचालन के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (इंड एएस–105)
6. खनिज संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन (इंड एएस–106)
7. वित्तीय लिखतः प्रकटीकरण (इंड एएस–107)
8. वित्तीय लिखत (इंड एएस–109)
9. संयुक्त व्यवस्था (इंड एएस–111)
10. विनियामक आस्थगित खाते (इंड एएस–114)
11. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (इंड एएस–115)
12. पट्टे (इंड एएस–116)
13. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति (इंड एएस–1)
14. लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ (इंड एएस–8)
15. आयकर (इंड एएस–12)
16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस–16)
17. समेकित और पृथक वित्तीय विवरण (इंड एएस–27)
18. एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश (इंड एएस–28)
19. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस–34)
20. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां (इंड एएस–37)
21. अमूर्त संपत्ति (इंड एएस –38)
22. निवेश संपत्ति (इंडिया एएस–40)''

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

- Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortised cost and FVTOCI debt instruments. The impairment methodology applies on whether there has been significant increase in credit risk.
- ECL impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period is recognised as income/expense in the statement of profit and loss.
- Dues under trade receivables, loans and advances and other Current Assets against the Government Departments/parties outstanding for a period equal to or less than eight years and private parties for a period of equal to or less than three years are considered good and accordingly provision is made for doubtful debt.

g. Standard/Amendments issued but not yet effective

MCA had issued the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2021 vide notification dated 18th June 2021.In the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2021, amendments has been made in following standards:-

1. First-time Adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS-101)
2. Share-based Payment (Ind AS-102)
3. Business Combinations (Ind AS-103)
4. Insurance Contracts1 (Ind AS-104)
5. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Ind As-105)
6. Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Ind AS-106)
7. Financial Instruments: Disclosures (Ind AS-107)
8. Financial Instruments (Ind AS-109)
9. Joint Arrangements (Ind AS-111)
10. Regulatory Deferral Accounts (Ind AS-114)
11. Revenue from Contracts with Customers (Ind AS-115)
12. Leases (Ind AS-116)
13. Presentation of Financial Statements (Ind AS-1)
14. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Ind AS-8)
15. Income Taxes (Ind AS-12)
16. Property, Plant and Equipment (Ind AS-16)
17. Consolidated and Separate Financial Statements (Ind AS-27)
18. Investments in Associates and Joint Ventures (Ind AS-28)
19. Interim Financial Reporting (Ind AS-34)
20. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Ind AS-37)
21. Intangible Assets (Ind AS-38)
22. Investment Property (Ind As-40)

The effective date of these amendments is annual periods beginning on or after 1st April 2021. The Company is currently evaluating the impact of the amendments and has not yet determined the impact on the financial statements.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–3
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

विवरण	फ्री होल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	भूमि विकास फार्म	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	पौध रोपण एवं बागवानी	सिंचाई	फर्नीचर/ फिक्सर	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर	रू. 5000/- से कम राशि की परिसंपत्तियां	किताबें	वाहन	तिरपाल एवं धूनी आवरण	सड़कें	कुल
<u>लागत अथवा मान्य लागत</u>																
1 अप्रैल, 2019 को	479.05	252.12	988.76	10,196.57	7,907.43	233.01	8,083.22	646.32	472.48	454.13	50.38	5.61	241.96	56.24	136.91	30,204.19
इंड–116 के अपनाने से पुनः वर्गीकरण	-	252.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.12
वृद्धि	4.61	-	163.18	565.19	447.73	7.67	445.94	24.93	4.14	4.88	0.69	-	-	5.04	-	1,674.00
आरई में स्थानातंरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	3.74	174.55	0.15	(13.38)	(15.23)	15.31	3.43	5.65	-	48.45	-	-	222.67
31 मार्च, 2020 को	**483.66**	**-**	**1,151.94**	**10,758.02**	**8,180.61**	**240.53**	**8,542.54**	**686.48**	**461.31**	**455.58**	**45.42**	**5.61**	**193.51**	**61.28**	**136.91**	**31,403.40**
वृद्धि	-	-	-	621.45	405.82	9.24	738.75	67.58	9.73	26.23	0.04	-	-	5.06	-	1,883.90
आरई में स्थानातंरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	2.61	-	-	(25.89)	248.67	-	62.88	43.50	26.69	-	-	-	25.93	-	-	384.39
31 मार्च, 2021 को	**481.05**	**-**	**1,151.94**	**11,405.36**	**8,337.76**	**249.77**	**9,218.41**	**710.56**	**444.35**	**481.81**	**45.46**	**5.61**	**167.58**	**66.34**	**136.91**	**32,902.91**
<u>संचित मूल्यह्रास एवं हानि</u>																
1 अप्रैल, 2019 को	-	41.51	-	4,074.72	5,261.32	118.41	3,878.15	517.81	416.76	411.88	49.94	5.51	228.97	53.16	106.33	15,164.47
इंड–116 के अपनाने से पुनः वर्गीकरण	-	41.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.51
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	-	558.25	527.95	7.78	622.97	35.48	15.05	16.15	0.87	0.01	1.88	3.18	6.67	1,796.24
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरई में स्थानातंरण से मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	(0.32)	170.04	-	0.16	(11.91)	15.31	3.43	5.65	-	41.68	-	-	224.04
31 मार्च, 2020 को	**-**	**-**	**-**	**4,633.29**	**5,619.23**	**126.19**	**4,500.96**	**565.20**	**416.50**	**424.60**	**45.16**	**5.52**	**189.17**	**56.34**	**113.00**	**16,695.16**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	-	544.45	492.72	6.08	616.46	43.29	8.91	9.57	0.09	0.01	0.65	2.36	4.84	1,729.43
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरई में स्थानातंरण से मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	(21.28)	210.96	-	15.66	27.16	22.04	-	-	-	30.37	-	-	284.91
31 मार्च, 2021 को	**-**	**-**	**-**	**5,199.02**	**5,900.99**	**132.27**	**5,101.76**	**581.33**	**403.37**	**434.17**	**45.25**	**5.53**	**159.45**	**58.70**	**117.84**	**18,139.68**
<u>निवल वहन मूल्य</u>																
31 मार्च, 2021 को	**481.05**	**-**	**1,151.94**	**6,206.34**	**2,436.77**	**117.50**	**4,116.65**	**129.23**	**40.98**	**47.64**	**0.21**	**0.08**	**8.13**	**7.64**	**19.07**	**14,763.23**
31 मार्च, 2020 को	**483.66**	**-**	**1,151.94**	**6,124.73**	**2,561.38**	**114.34**	**4,041.58**	**121.28**	**44.81**	**30.98**	**0.26**	**0.09**	**4.34**	**4.94**	**23.91**	**14,708.24**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note: - 3
Property, Plant and equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Freehold Land	Leasehold Land	Land Development Farm	Building	Plant and Machinery	Plantation & Horticulture	Irrigation	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Computers	Assets Less than Rs. 5000/-	Books	Vehicles	Tarpaulins and Fumigation cover	Roads	Total
Cost or deemed cost																
At 01 April 2019	479.05	252.12	988.76	10,196.57	7,907.43	233.01	8,083.22	646.32	472.48	454.13	50.38	5.61	241.96	56.24	136.91	30,204.19
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	-	252.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.12
Additions	4.61	-	163.18	565.19	447.73	7.67	445.94	24.93	4.14	4.88	0.69	-	-	5.04	-	1,674.00
transfered to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/ Adjustments	-	-	-	3.74	174.55	0.15	(13.38)	(15.23)	15.31	3.43	5.65	-	48.45	-	-	222.67
At 31 March 2020	**483.66**	**-**	**1,151.94**	**10,758.02**	**8,180.61**	**240.53**	**8,542.54**	**686.48**	**461.31**	**455.58**	**45.42**	**5.61**	**193.51**	**61.28**	**136.91**	**31,403.40**
Additions	-	-	-	621.45	405.82	9.24	738.75	67.58	9.73	26.23	0.04	-	-	5.06	-	1,883.90
transfered to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/ Adjustments	2.61	-	-	(25.89)	248.67	-	62.88	43.50	26.69	-	-	-	25.93	-	-	384.39
At 31 March 2021	**481.05**	**-**	**1,151.94**	**11,405.36**	**8,337.76**	**249.77**	**9,218.41**	**710.56**	**444.35**	**481.81**	**45.46**	**5.61**	**167.58**	**66.34**	**136.91**	**32,902.91**
Accumulated Depreciation and impairment																
At 01 April 2019	-	41.51	-	4,074.72	5,261.32	118.41	3,878.15	517.81	416.76	411.88	49.94	5.51	228.97	53.16	106.33	15,164.47
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	-	41.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.51
Depreciation charge for the year	-	-	-	558.25	527.95	7.78	622.97	35.48	15.05	16.15	0.87	0.01	1.88	3.18	6.67	1,796.24
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation on Tfrd to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/ Adjustments	-	-	-	(0.32)	170.04	-	0.16	(11.91)	15.31	3.43	5.65	-	41.68	-	-	224.04
At 31 March 2020	**-**	**-**	**-**	**4,633.29**	**5,619.23**	**126.19**	**4,500.96**	**565.20**	**416.50**	**424.60**	**45.16**	**5.52**	**189.17**	**56.34**	**113.00**	**16,695.16**
Depreciation charge for the year	-	-	-	544.45	492.72	6.08	616.46	43.29	8.91	9.57	0.09	0.01	0.65	2.36	4.84	1,729.43
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation on Tfrd to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/ Adjustments	-	-	-	(21.28)	210.96	-	15.66	27.16	22.04	-	-	-	30.37	-	-	284.91
At 31 March 2021	**-**	**-**	**-**	**5,199.02**	**5,900.99**	**132.27**	**5,101.76**	**581.33**	**403.37**	**434.17**	**45.25**	**5.53**	**159.45**	**58.70**	**117.84**	**18,139.68**
Net carrying value																
At 31 March 2021	**481.05**	**-**	**1,151.94**	**6,206.34**	**2,436.77**	**117.50**	**4,116.65**	**129.23**	**40.98**	**47.64**	**0.21**	**0.08**	**8.13**	**7.64**	**19.07**	**14,763.23**
At 31 March 2020	**483.66**	**-**	**1,151.94**	**6,124.73**	**2,561.38**	**114.34**	**4,041.58**	**121.28**	**44.81**	**30.98**	**0.26**	**0.09**	**4.34**	**4.94**	**23.91**	**14,708.24**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–4 : संपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष	-	-	-
इंड एएस–116 को अपनाने के कारण पुनः वर्गीकरण	252.12	-	252.12
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.21	70.27	73.48
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	0.03	-	0.03
31 मार्च, 2020 को शेष	**255.30**	**70.27**	**325.57**
वर्ष के दौरान वृद्धि	10.34	-	10.34
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**265.64**	**70.27**	**335.91**
मूल्यह्रास एवं हानि			
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष			
इंड एएस–116 को अपनाने के कारण पुनः वर्गीकरण	41.51	-	41.51
वर्ष के दौरान वृद्धि	11.64	21.86	33.50
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**53.15**	**21.86**	**75.01**
वर्ष के दौरान वृद्धि	7.13	19.28	26.41
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**60.28**	**41.14**	**101.42**
निवल मूल्य			
31 मार्च, 2021	**205.36**	**29.13**	**234.49**
1 अप्रैल, 2020	**202.15**	**48.41**	**250.56**

टिप्पणी–5 : अन्य अगोचर परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	साफ्वेयर	कुल
लागत अथवा मान्य लागत		
1 अप्रैल, 2019 को	**89.07**	**89.07**
वृद्धि	-	-
निपटान/समायोजन	0.16	0.16
31 मार्च, 2020 को	**88.91**	**88.91**
वृद्धि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2021 को	**88.91**	**88.91**
संचित परिशोधन एवं हानि		
1 अप्रैल, 2019 को	82.23	82.23
वर्ष के लिए परिशोधन	0.56	0.56
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2020 को	**82.79**	**82.79**
वर्ष के लिए परिशोधन	0.32	0.32
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2021 को	**83.11**	**83.11**
निवल वहन मूल्य		
31 मार्च, 2021 को	**5.80**	**5.80**
31 मार्च, 2020 को	**6.12**	**6.12**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note:- 4 Right-of-use Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
Gross Block			
Opening balance at 1 April 2019	**-**	**-**	**-**
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	252.12	-	252.12
Addition during the year	3.21	70.27	73.48
Disposals/ adjustment during the year	0.03	-	0.03
Closing balance at 31 March 2020	**255.30**	**70.27**	**325.57**
Addition during the year	10.34	-	10.34
Disposals/ adjustment during the year	-	-	-
Closing balance at 31 March 2021	**265.64**	**70.27**	**335.91**
Depreciation and Impairment			
Opening balance at 1 April 2019			
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	41.51	-	41.51
Addition during the year	11.64	21.86	33.50
Disposals/ adjustment during the year	-	-	-
Closing balance at 31 March 2020	**53.15**	**21.86**	**75.01**
Addition during the year	7.13	19.28	26.41
Disposals/ adjustment during the year	-	-	-
Closing balance At 31 March 2021	**60.28**	**41.14**	**101.42**
Net Book Value			
At 31 March 2021	**205.36**	**29.13**	**234.49**
At 1 April 2020	**202.15**	**48.41**	**250.56**

Note:- 5 Other intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Software	Total
At Cost or Deemed Cost		
At 1st April 2019	**89.07**	**89.07**
Additions	-	-
Disposals/ Adjustments	0.16	0.16
At 31 March 2020	**88.91**	**88.91**
Additions	-	-
Disposals/ Adjustments	-	-
At 31 March 2021	**88.91**	**88.91**
Accumulated Amortisation and impairment		
At 1st April 2019	82.23	82.23
Amortisation for the year	0.56	0.56
Impairment	-	-
Disposals/ Adjustments	-	-
At 31 March 2020	**82.79**	**82.79**
Amortisation for the year	0.32	0.32
Impairment	-	-
Disposals/ Adjustments	-	-
At 31 March 2021	**83.11**	**83.11**
Net carrying value		
At 31 March 2021	**5.80**	**5.80**
At 31 March 2020	**6.12**	**6.12**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–6 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रारंभिक शेष	707.89	528.67
वर्ष के दौरान वृद्धि	832.35	671.35
स्थाई परिसंपत्तियों में स्थानातंरण	(778.54)	(492.13)
कुल	**761.70**	**707.89**

टिप्पणी–7 : विकासशील अमूर्त संपत्तियां (ईआरपी सॉफ्टवेयर)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
विकासशील अमूर्त संपत्तियां	15.34	15.34
कुल	**15.34**	**15.34**

टिप्पणी–8 : निवेश परिसंपत्ति

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
सकल वहन राशि/मान्य लागत			
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष	**-**	**28.24**	**28.24**
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	1.76	1.76
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**-**	**30.00**	**30.00**
पुनः वर्गीकरण समायोजन	**-**	**-**	**-**
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**30.00**	**30.00**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि			
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष	-	26.71	26.71
पुनः वर्गीकरण समायोजन	-	1.73	1.73
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	-	0.03	0.03
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**-**	**28.47**	**28.47**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	-	0.03	0.03
निपटान / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**28.50**	**28.50**
निवल वहन राशि			
31 मार्च, 2021 को	**-**	**1.50**	**1.50**
31 मार्च, 2020 को	**-**	**1.53**	**1.53**

Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note: - 6 Capital work-in-progress

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20
Opening Balance	707.89	528.67
Addition during the year	832.35	671.35
Transferred to fixed assets	(778.54)	(492.13)
Total	**761.70**	**707.89**

Note: - 7 Intangible Assets under Development (ERP Software)

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20
Intangible Assets under Development	15.34	15.34
Total	**15.34**	**15.34**

Note: - 8 Investment property

(₹ in lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
Gross carrying amount/Deemed cost			
Opening balance at 1 April 2019	**-**	**28.24**	**28.24**
Additions (subsequent expenditure)	-	1.76	1.76
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2020	**-**	**30.00**	**30.00**
Reclassification Adjustments	**-**	**-**	**-**
Additions (subsequent expenditure)	-	-	-
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2021	**-**	**30.00**	**30.00**
Accumulated Depreciation and impairment			
Opening balance at 1 April 2019	-	26.71	26.71
Reclassification Adjustments	-	1.73	1.73
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals	-	-	-
Closing balance 31 March 2020	**-**	**28.47**	**28.47**
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals/ Adjustments	-	-	-
Closing balance 31 March 2021	**-**	**28.50**	**28.50**
Net Carrying Amount			
at 31 March 2021	**-**	**1.50**	**1.50**
at 31 March 2020	**-**	**1.53**	**1.53**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निवेश परिसंपत्तियों की आय एवं व्यय से संबंधित सूचना

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	7.49	7.46
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) उत्पन्न किराया आय	-	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) जिससे किराया आय उत्पन्न नहीं हुआ	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसम्पत्तियों से उत्पन्न लाभ	7.49	7.46
घटाएं : मूल्यह्रास	0.03	0.03
निवेश परिसम्पत्तियों से उत्पन्न लाभ	**7.46**	**7.43**

उचित मूल्य का पुनः मिलान (स्तर–3 में आवर्ती मूल्यांकन, यदि आवश्यक हो)

(रु. लाख में)

	भूमि	भवन	कुल
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष	-	395.74	395.74
उचित मूल्य अंतर	-	(3.70)	(3.70)
खरीद	-	74.40	74.40
31 मार्च, 2020 के अन्त में शेष	**-**	**466.44**	**466.44**
उचित मूल्य अंतर	-	27.90	27.90
खरीद	-	-	-
31 मार्च, 2021 के अन्त में शेष	**-**	**494.34**	**494.34**
टिप्पणी :			
निवेश सम्पत्ति अधिग्रहित	-	-	-
निवेश सम्पत्ति स्वनिर्मित	-	-	-
	-	-	-

टिप्पणी :

निवेश सम्पत्ति की खरीद, निर्माण अथवा विकास अथवा इसके मरम्मत/रखरखाव या वृद्धि के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता शून्य है।

<u>उचित मूल्य का आकंलनः</u>

कम्पनी ने अपने निवेश सम्पत्तियों के लिए वार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है। उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण इसी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमत है।

निवेश पर सम्पत्तियों का उचित मूल्य पूरे देश में स्वतंत्र मूल्यांकनों द्वारा निर्धारित किया गया है। उपयोग की गई मुख्य इनपुट सम्पत्ति की सरकारी दरें हैं। सभी परिणामस्वरूप निवेश सम्पत्तियों के लिए उचित मूल्य स्तर–3 में शामिल है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Information regarding income and expenditure of Investment property

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20
Rental income derived from investment properties	7.49	7.46
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) generating rental income	-	-
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) that did not generate rental income	-	-
Profit arising from investment properties before depreciation	7.49	7.46
Less: Depreciation	0.03	0.03
Profit arising from investment properties	**7.46**	**7.43**

Reconciliation of fair value (Required if recurring valuation within level-3)

(₹ in lakhs)

	Land	Building	Total
Opening balance as at 01-04-2019	-	395.74	395.74
Fair value difference	-	(3.70)	(3.70)
Purchases	-	74.40	74.40
Closing balance as at 31-03-2020	**-**	**466.44**	**466.44**
Fair value difference	-	27.90	27.90
Purchases	-	-	-
Closing balance as at 31-03-2021	**-**	**494.34**	**494.34**
Note:-			
Investment Property acquired	-	-	-
Investment Property self constructed	-	-	-
	-	-	-

Note:

Contractual commitment for purchase, construction or development of investment property or for its repair maintenance or enhancement are Nil.

Estimation of Fair Value

The company obtains independent valuation for its investment properties at least annually. The best evidence of fair value is current prices in active market for similar properties.

The fair value of investment properties have been determined by Independent valuers throughout the country. The main inputs used are Government rates of Property. All resulting fair value for investment properties are included in level 3.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–9 : निवेश

टिप्पणी–9.1 : गैर चालू निवेश

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020
(क) इक्विटी में निवेश				
(i) एसोशियटेस – लागत पर				
आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 90,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020 : (90,000)		90.00		90.00
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,312 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 1,13,312)		113.31		113.31
उत्तराचंल बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 84,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 84,000)		84.00		84.00
महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,48,330 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 1,48,330)		148.33		148.33
पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 96,151 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 96,151)*		96.15		628.83
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 63,829 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 63,829)	63.83		63.83	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(63.83)	-	(63.83)	-
<u>**शेयर आवेदन प्रदत्त राशि :****</u>				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 3,226 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 3,226)	3.23		3.23	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(3.23)	-	(3.23)	-
कुल (क) का (i)		**531.79**		**1,064.47**
(ii) अन्य व्यापक आय से अन्य उचित मूल्य				
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 25,039 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 25,039)		745.66		456.96
कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 62,230 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020 पिछले वर्ष 62,230)		576.87		556.96
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में प्रत्येक 10000 रु. के पूर्णत प्रदत्त 482 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 482)		77.26		68.39
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,930 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 1,13,930)		1,757.94		1,683.89
सरस्वती किसान सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बहराइच में प्रत्येक 200 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2500 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 2500)		5.00		5.00
को–ऑपरेटिव औद्योगिक वसाहत लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 05 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 05)		0.01		0.01
कुल (क) का (ii)		**3,162.74**		**2,771.21**
कुल (क) {(i) + (ii)}		**3,694.53**		**3,835.68**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note:- 9: Investment

Note 9.1: Non Current Investment

(₹ in lakhs)

Particulars		31 March 2021		31 March 2020
a) Investment in equity instruments				
(i) Associates at cost				
90,000 [31-March-20 : 90,000] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd.		90.00		90.00
1,13,312 [31-March-20 : 1,13,312] Equity Shares of Rs.100 each fully paid-up of Haryana Seeds Development Corporation Ltd.		113.31		113.31
84,000 [31-March-20 : 84,000] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.		84.00		84.00
1,48,330 [31-March-20 : 1,48,330] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.		148.33		148.33
96,151 [31-March-20 : 96,151] Equity Shares of Rs.100 each fully paid-up of Punjab State Seeds Corporation Ltd.*		96.15		628.83
63,829 [31-March-20 : 63,829] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	63.83		63.83	
Less: Provision for diminution in value of shares	(63.83)	-	(63.83)	-
Share application money paid:**				
3,226 [31-March-20 : 3,226] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	3.23		3.23	
Less: Provision for diminution in value of shares	(3.23)	-	(3.23)	-
Total a) (i)		**531.79**		**1,064.47**
(ii) Others at Fair Value through Other Comprehensive Income				
25,039 [31-March-20 : 25,039] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.		745.66		456.96
62,230 [31-March-20 : 62,230] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Karnataka State Seeds Corporation Ltd.		576.87		556.96
482 [31-March-20 : 482] Equity Shares of Rs. 10000 each fully paid-up of Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam		77.26		68.39
1,13,930 [31-March-20 : 1,13,930] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.		1,757.94		1,683.89
2,500 [31-March-20 : 2,500] Equity Shares of Rs. 200 each fully paid-up in Sharavasti Kissan Sehkari Sugar Mills Ltd. Nanpura, Janpad Bahraich(U.P)		5.00		5.00
5 [31-March-20 : 5] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Cooperative Audhyogik Vasahat Ltd.		0.01		0.01
Total a) (ii)		**3,162.74**		**2,771.21**
Total a) {(i) + (ii)}		**3,694.53**		**3,835.68**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
ख. अधिमानी शेयरो में निवेश				
(i) एसोशियटेस – लागत पर				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 37,021 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2020: 37,021)	37.02		37.02	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(37.02)	-	(37.02)	-
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि**				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2,304 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2020: 2,304)	2.30		2.30	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(2.30)	-	(2.30)	-
कुल (ख) का (i)		-		-

* एनएससी ने पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयर में 24.96% का निवेश किया है और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक इस निवेश को गैर एसोसिएअ कंपनी के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था जिसे वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सही किया गया है और जिसका प्रभाव लेखा पुस्तकों में दिया गया है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(ii) अन्य परिशोधित लागत पर		
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 14,301 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 14,301)	14.30	14.30
कुल (ख) (ii)	**14.30**	**14.30**
कुल (ख) {(i)+(ii)}	**14.30**	**14.30**
कुल गैर चालू निवेश (क+ख)	**3,708.83**	**3,849.98**

टिप्पणी–9.2 : चालू निवेश

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क) मैचुअल फंड में लाभ हानि निवेश के माध्यम से		
उचित मूल्य पर निवेश	-	-
कुल चालू निवेश	**-**	**-**
उद्धृत निवेश एवं उसका बाजार मूल्य की कुल राशि	-	-
अउद्धृत निवेश की कुल राशि	3,708.83	3,849.98
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	106.38	106.38

**बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा शेयरो के आबंटन को उनके निदेशक मंडल ने दिनांक 31.1.1998 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है, अभी भी शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने है, निवेश को प्रदत्त शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है।

टिप्पणी :

टिप्पणी 9.1. (ख)(i) : बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिमानी शेयर में निवेश को परिशोधित लागत पर लिया गया है, यद्यपि लाभांश के प्रभाव को लेखा बहियों में नहीं लिया जाता है क्योंकि निगम ने पिछले कई वर्षों से इस कम्पनी से कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

संदर्भ टिप्पणी संख्या 66

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
b) Investment in Preference Shares :				
(i) Associates at Cost				
37,021 [31-March-20 : 37,021] Preference Shares of Rs.100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	37.02		37.02	
Less: Provision for diminution in value of shares	(37.02)	-	(37.02)	-
<u>**Share application money paid: ****</u>				
2,304 [31-March-20 : 2,304] Preference Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	2.30		2.30	
Less: Provision for diminution in value of shares	(2.30)	-	(2.30)	-
Total b) (i)		**-**		**-**

* NSC has invested 24.96% in equity share of Punjab State Seeds Corporation Ltd. and from FY 2016-17 upto FY 2019-20 this investment was wrongly categorized under Non-Associate Company which has been corrected during FY 2020-21 and effect of which has been given in the books of accounts.

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
(ii) Others at Amortised Cost		
14,301 [31-March-20 : 14,301] Preference Shares of Rs.100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.	14.30	14.30
Total b) (ii)	**14.30**	**14.30**
Total b) {(i)+(ii)}	**14.30**	**14.30**
Total of Non-Current Investment (a+b)	**3,708.83**	**3,849.98**

Note:- 9.2 Current Investments

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
a) Investment at Fair Value Through Profit and Loss		
Investment in Mutual Funds	-	-
Total of Current Investment	**-**	**-**
Aggregate amount of quoted investment and market value there of	-	-
Aggregate amount of unquoted investment	3,708.83	3,849.98
Aggregate amount of impairment in value of investment	106.38	106.38

** The allotment of shares by Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. have been approved by their Board of Directors in its meeting held on 3.1.1998. Since the share certificates are yet to be issued, the investments are shown as Share Application Money paid.

Notes:

Note 9.1(b)(i) : Investment in preference shares of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd are carried at Amortised cost, however impact of cumulation of dividend is not taken in books, since company has not recieved dividend since past serveral years.

Refer Note No. 66

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020
धरोहर राशि				
वसूली वाले	299.20		235.46	
संदिग्ध वसूली वाले	38.26		38.26	
	337.46		273.72	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(38.26)	**299.20**	(38.26)	**235.46**
कुल		**299.20**		**235.46**

टिप्पणी–11 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
पूंजीगत अग्रिम*		
अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट	97.75	97.75
कुल	**97.75**	**97.75**

***संदर्भ टिप्पणी सं0 69(vii)**

टिप्पणी–12 : अस्थगित कर परिसंपत्तियां

शेष में अस्थायी अंतर शामिल है

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अस्थगित कर परिसंपत्तियां		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत डिसअलाउन्सज	1,019.14	1,431.56
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2,605.12	2,195.30
अन्य	291.57	382.09
कुल	**3,915.83**	**4,008.95**
अस्थगित कर देयताएं		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित	354.24	338.32
निवेश का पुर्नमूल्यांकन	581.36	503.05
कुल	**935.60**	**841.37**
अस्थगित कर परिसंपत्तियां (अस्थगित कर देयताओं का निवल)	**2,980.23**	**3,167.58**

Note:- 10: Other financial assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
Security Deposit				
Considered Good	299.20		235.46	
Considered Doubtful	38.26		38.26	
	337.46		273.72	
Less: Allowances for Doubtful Loans & Advances	(38.26)	**299.20**	(38.26)	**235.46**
Total		**299.20**		**235.46**

Note: - 11: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Capital Advances*		
Unsecured, considered good unless otherwise specified	97.75	97.75
Total	**97.75**	**97.75**

***Note: Refer note no. 69(vii)**

Note: - 12 : Deferred Tax Assets

The balance comprises temporary differences attributable to:

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Deferred Tax Assets		
Disallowances under section 43B of Income Tax Act, 1961	1,019.14	1,431.56
Provision for doubtful debts & advances	2,605.12	2,195.30
Others	291.57	382.09
Total	**3,915.83**	**4,008.95**
Deferred Tax Liability		
Related to Property plant and equipment	354.24	338.32
Revaluation of Investment	581.36	503.05
Total	**935.60**	**841.37**
Deferred Tax Asset (Net of deferred tax liability)	**2,980.23**	**3,167.58**

एनएससी NSC

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 12.1 : अस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं में गतिविधि

(रु. लाख में)

विवरण	पीपीई एवं अगोचर संपत्तियां	प्रावधान	निवेश	43बी	अन्य	कुल
1 अप्रैल, 2019 को	**(393.60)**	**2,472.52**	**(470.99)**	**2,146.69**	**561.26**	**4,315.88**
प्रभार / (जमा)	-	-	-	-	-	-
लाभ हानि के लिए	55.28	(277.22)	-	(758.38)	(179.17)	(1,159.49)
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	(32.06)	43.25	-	11.19
31 मार्च, 2020	**(338.32)**	**2,195.30**	**(503.05)**	**1,431.56**	**382.09**	**3,167.58**
प्रभार / (जमा)						
लाभ हानि के लिए	(15.91)	409.82	-	(531.91)	(90.53)	(228.53)
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	(78.31)	119.49	-	41.18
31 मार्च, 2021	**(354.24)**	**2,605.12**	**(581.36)**	**1,019.14**	**291.57**	**2,980.23**

आयकर एवं अस्थगित कर

क) आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	-	1,050.00
पिछले वर्ष के चालू आयकर से संबंधित समायोजन	(11.27)	886.43
कुल चालू कर व्यय	**(11.27)**	**1,936.43**

ख) अस्थगित कर

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अस्थगित कर पहचान	228.53	1,159.49
कुल अस्थगित कर व्यय (लाभ)	**228.53**	**1,159.49**
जारी परिचालन के लिए आयकर व्यय के कारण	**217.26**	**3,095.92**

टिप्पणी संख्या 12.2 : वर्ष के दौरान ओसीआई में अभिज्ञात मदों से संबंधित कर

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
निवेश का उचित मूल्यांकन	(78.31)	(32.06)
परिभाषित लाभ का पुनः निर्धारण	119.49	43.25
ओसीआई के लिए चार्ज की गई आयकर	**41.18**	**11.19**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note 12.1 :Movement in deferred Tax assets/liabilities:

(₹ in lakhs)

Particulars	PPE and Intangible assets	Provisions	Investment	43B	Other	Total
At 1 April 2019	**(393.60)**	**2,472.52**	**(470.99)**	**2,146.69**	**561.26**	**4,315.88**
Charged/(credited)	-	-	-	-	-	-
To Profit & Loss	55.28	(277.22)	-	(758.38)	(179.17)	(1,159.49)
To other comprehensive income	-	-	(32.06)	43.25	-	11.19
At 31 March 2020	**(338.32)**	**2,195.30**	**(503.05)**	**1,431.56**	**382.09**	**3,167.58**
Charged/(credited)						
To Profit & Loss	(15.91)	409.82	-	(531.91)	(90.53)	(228.53)
To other comprehensive income	-	-	(78.31)	119.49	-	41.18
At 31 March 2021	**(354.24)**	**2,605.12**	**(581.36)**	**1,019.14**	**291.57**	**2,980.23**

Income Tax & Deferred Tax
a) Income Tax Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
Current Tax on profits for the years	-	1,050.00
Adjustments in respect of current income tax of previous year	(11.27)	886.43
Total Current tax Expenses	**(11.27)**	**1,936.43**

b) Deferred tax

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
Deferred tax recognition	228.53	1,159.49
Total Deferred Tax Expenses (Benefits)	**228.53**	**1,159.49**
Income tax expense attributable to continuing operations	**217.26**	**3,095.92**

Note 12.2 Tax related to items recognised in OCI during the year:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
Fair valuation of Investment	(78.31)	(32.06)
Re-measurment of defined benefits	119.49	43.25
Income tax charged to OCI	**41.18**	**11.19**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 12.3 : 31 मार्च, 2021 एवं 31 मार्च, 2020 के लिए भारत की घरेलू कर की दर से गुणात्मक कर व्यय एवं लेखांकन लाभ का मिलान :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
जारी परिचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	500.39	6,087.88
गैर चालू परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	**500.39**	**6,087.88**
25.17% – भारत के सांविधिक आयकर दर – (31 मार्च, 2020 –25.17%)*	125.95	1,532.32
आयकर पर ब्याज	41.08	6.29
गैर कर योग्य आय/अन्य कटौती योग्य खर्चों के कारण कर प्रभाव		
कृषि आय (व्यय का निवल)	(81.00)	(646.54)
लाभांश आय (व्यय का निवल)	(6.64)	(13.12)
घरेलू संपत्ति आय	(38.72)	(36.94)
स्वीकार्य व्यय	-	-
गैर कटौती योग्य व्यय के कारण कर प्रभाव	**-**	**-**
निगमित सामाजिक उत्तदायित्व	21.30	41.49
सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण	(2.64)	(90.84)
पूर्णांक (Rounding off) कर प्रावधान सहित अन्य मदें	(4.19)	930.85
दर एवं अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	132.21	453.88
	187.35	**2,177.39**
प्रभावी आयकर दर	37.44%	35.77%

टिप्पणी संख्या 12.4 : लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाई गई वर्तमान वर्ष के लिए कर खर्चें :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	-	1,050.00
अस्थगित कर	228.53	1,159.49
वर्तमान वर्ष में कुल कर व्यय लाभ एवं हानि	**228.53**	**2,209.49**

टिप्पणी–13 : माल का स्टॉक

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
तैयार माल	14,485.64	13,609.23
प्रमाणित पैकिंग एवं उपचार सामग्रियाँ	2,299.68	2,240.64
अनुपयोगी बीज	812.33	623.55
फार्म स्टॉक	7,871.57	8,543.38
अन्य (भंडार एवं कलपुर्जें, पीओएल, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, दवाईयाँ)	171.78	185.06
कुल	**25,641.00**	**25,201.86**

टिप्पणी :
मूल्यांकन विधि पैरा (xi) टिप्पणी 2.2 में दी गई है – उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार

Note 12.3 Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for 31st March 2021 and 31st March 2020:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
Accounting profit before tax from continuing operations	500.39	6,087.88
Profit/(loss) before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting profit before income tax	**500.39**	**6,087.88**
At India's statutory income tax rate of 25.17%(31st March 2020: 25.17%)*	125.95	1,532.32
Interest on Income Tax	41.08	6.29
Tax Effect due to Non taxable Income/ Other Deductiable Expenses		
Agriculture income (Net of Expenses)	(81.00)	(646.54)
Dividend Income (Net of Expenses)	(6.64)	(13.12)
House property Income	(38.72)	(36.94)
Expenses Allowable	-	-
Tax Effect due to non Deductible Expenses	**-**	**-**
Corporate Social Responsibility	21.30	41.49
Retired Employee Welfare	(2.64)	(90.84)
Other Items including rounding off of tax provision	(4.19)	930.85
Impact of Change in rate and other Items	132.21	453.88
	187.35	**2,177.39**
At effective Income tax rate	37.44%	35.77%

Note 12.4 Tax expense for current year reported in Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
Current Tax on profit for the year	-	1,050.00
Deferrred Tax	228.53	1,159.49
Total tax expense for current year charged to statement of profit and loss	**228.53**	**2,209.49**

Note 13 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Finished Goods	14,485.64	13,609.23
Certification, Packing and Treatment Materials	2,299.68	2,240.64
Unserviceable Seeds	812.33	623.55
Farm Stock	7,871.57	8,543.38
Others (Stores & Spares, POL, Printing & Stationary, Medicines)	171.78	185.06
Total	**25,641.00**	**25,201.86**

Note:
Valuation method is given in para(xi) note-2.2 Summary of Significant Accounting Policies.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–14 : वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक परिसम्पत्ति

(रु. लाख में)

विवरण	गैर चालू	चालू		
	पेड़	खड़ी फसल	पौध	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष	**4,014.27**	**7,238.77**	**78.67**	**7,317.44**
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	201.89	6,422.14	25.25	6,447.39
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	78.64	-	1.66	1.66
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	(47.00)	(7,238.77)	(6.39)	(7,245.16)
31 मार्च, 2020 को शेष	**4,247.80**	**6,422.14**	**99.19**	**6,521.33**
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	368.76	5,548.89	14.04	5,562.93
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	105.62	-	-	-
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	(34.13)	(6,422.14)	(4.44)	(6,426.58)
31 मार्च, 2021 को शेष	**4,688.05**	**5,548.89**	**108.79**	**5,657.68**

टिप्पणी :

(i) जैविक सम्पत्ति में खड़ी फसल तथा खड़े पेड़ शामिल हैं जोकि कम्पनी द्वारा अपने फार्मो पर उत्पादित किए जा रहे हैं।

(ii) कम्पनी को अपने बीज व्यवसाय में कीटनाशकों और फसल पर मौसम के प्रभाव का जोखिम का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों को पौधों के निरंतर पोषण से कम किया जाता है।

(iii) अन्य इकाई की जैविक सम्पत्ति के उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर की गई है। इन्हें निष्पक्ष मूल्य पदानुक्रम में स्तर–3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) 31 मार्च, 2021 को निगम के पास 2,69, 271 पेड़ थे (31 मार्च, 2020 को 2,93, 279 पेड़ थे)।

(v) 31 मार्च, 2021 को निगम के पास 21,707.30 है0 खेती थी (31 मार्च, 2020 को 22,048.50 है0 थी) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 14,53,877.03 क्विं0 (31 मार्च, 2020 को 15,85,299.59 क्विं0) प्रमाणित बीजों की बिक्री की।

टिप्पणी–15 : व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
संबंधित पार्टियों से प्राप्य		-		-
अन्यों से प्राप्य				
वसूली वाले अप्रत्याभूत	40,302.67		41,041.27	
उधार जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	4,109.47	44,412.14	3,150.28	44,191.55
घटाएं : अमान्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउन्स		(4,109.47)		(3,150.28)
कुल व्यापार प्राप्य योग्य		**40,302.67**		**41,041.27**

Note: - 14: Biological Asset other than bearer plants

(₹ in lakhs)

Particulars	Non Current	Current		
	Trees	Standing Crops	Nursery	Total
Balance at 1 April 2019	**4,014.27**	**7,238.77**	**78.67**	**7,317.44**
Increase due to purchases	-	-	-	-
Changes in fair value due to biological transformation	201.89	6,422.14	25.25	6,447.39
Changes in fair value due to price changes	78.64	-	1.66	1.66
Transfer of harvested assets to inventory	(47.00)	(7,238.77)	(6.39)	(7,245.16)
Balance At 31 March 2020	**4,247.80**	**6,422.14**	**99.19**	**6,521.33**
Increase due to purchases	-	-	-	-
Changes in fair value due to biological transformation	368.76	5,548.89	14.04	5,562.93
Changes in fair value due to price changes	105.62	-	-	-
Transfer of harvested assets to inventory	(34.13)	(6,422.14)	(4.44)	(6,426.58)
Balance At 31 March 2021	**4,688.05**	**5,548.89**	**108.79**	**5,657.68**

Note:
(i) Biological Assets comprises of the standing crops and standing trees which is being produced by the company in its own farms.
(ii) The Company's seeds business is exposed to risks from pests and the effect of the weather on crops. These risks are mitigated by continuous nurturing of plants.
(iii) The fair value of biological assets of other entity, denotes farm share outsourced to outside party, was calculated based on quoted price in active market that the entity can access at the measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.
(iv) As at 31st March 2021, there were 2,69,271 No. of trees plantation (31st March 2020: 2,93,279)
(v) As at 31st March 2021, there were 21,707.30 hectare of cultivation. (31st March 2020: 22,048.50 hectare of cultivation). During the year, the company sold 14,53,877.03 quintals of certified seeds(31st March 2020: 15,85,299.59 quintals of certified seeds).

Note:- 15: Trade Receivables

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
Receivables from related parties		-		-
Receivables from Others				
Unsecured, Considered good	40,302.67		41,041.27	
Significant increase in Credit Risk	4,109.47	44,412.14	3,150.28	44,191.55
Less: Allowances for bad and doubtful debts		(4,109.47)		(3,150.28)
Total Trade Receivables		**40,302.67**		**41,041.27**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–16 : नकदी एवं नकद समतुल्य

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020
(क) बैंकों के पास शेष (नकद एवं नकदीतुल्य)				
वसूली वाले	10,245.85		3,532.41	
संदिग्ध वसूली वाले	-		4.86	
	10,245.85		3,537.27	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिम के लिए अलाउन्स		10,245.85	(4.86)	3,532.41
(ख) हाथ में चौक, डिमांड ड्राफ्ट एवं टिकट		7.97		2.03
(ग) हाथ में नकद		0.66		14.12
(ग) अन्य तीन माह से कम के मूल परिपक्वता जमा		-		-
कुल		**10,254.48**		**3,548.56**

टिप्पणी–17 : नकदी एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क) बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन हेतु सहायता के लिए बैंक में शेष	10.71	-
ख) बैंक गांरटी के विरूद्ध सीमांत राशि / प्रत्याभूत के रूप में सांविधि जमा	240.27	434.94
कुल	**250.98**	**434.94**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note: - 16: Cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars		31 March 2021		31 March 2020
(a) Balances with banks(of the nature of cash and cash equivalents)				
Considered Good	10,245.85		3,532.41	
Considered Doubtful	-		4.86	
	10,245.85		3,537.27	
Less: Allowances for Doubtful Loans & Advances		10,245.85	(4.86)	3,532.41
(b) Cheques, drafts and stamps on hand		7.97		2.03
(c) Cash on hand		0.66		14.12
(d) Others (Deposits with original maturity of less than three months)		-		-
Total		**10,254.48**		**3,548.56**

Note: - 17: Bank Balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
(a) Earmarked balances with banks:		
Balance with bank for assistance for boosting seeds production in Pvt. Sector	10.71	-
(b) Fixed deposit held as margin money/security against bank borrowings/guarantee	240.27	434.94
Total	**250.98**	**434.94**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–18 : अन्य वित्तीय सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
क) उपार्जन				
जमा पर ब्याज उपार्जित		23.57		21.43
ख) अन्य प्राप्य				
- वसूली वाले	734.60		607.59	
- संदिग्ध वसूली वाले	518.89		71.43	
	1,253.49		679.02	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(518.89)	734.60	(71.43)	607.59
ग) वसूली योग्य दावे :				
- वसूली वाले	0.48		0.88	
- संदिग्ध वसूली वाले	69.51		69.51	
	69.99		70.39	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(69.51)	0.48	(69.51)	0.88
घ) बीज /उत्पादन–आर्थिक सहायता/मिनिकिटस * के विरूद्ध भारत सरकार से वसूली योग्य :				
- वसूली वाले	9,192.05		20,716.51	
- संदिग्ध वसूली वाले	4,014.52		4,014.52	
	13,206.57		24,731.03	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	(4,014.52)	9,192.05	(4,014.52)	20,716.51
ड) बिक्री/उत्पादन आर्थिक सहायता * के विरूद्ध राज्य सरकारो से वसूली योग्य :				
- वसूली वाले	6,370.39		6,583.95	
- संदिग्ध वसूली वाले	1,392.45		1,170.18	
	7,762.84		7,754.13	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	(1,392.45)	6,370.39	(1,170.18)	6,583.95
च) स्टाफ से वसूली योग्य :				
अप्रत्याभूत वसूली वाले	55.24		53.02	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	3.27		4.38	
	58.51		57.40	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(3.27)	55.24	(4.38)	53.02
कुल		**16,376.33**		**27,983.38**

*केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार से प्राप्य खर्चों की आर्थिक सहायता/ अनुदान/ प्रतिपूर्ति के लिए क्रेडिट संबंधित प्राधिकारी से दावा योग्य राशि के आधार पर लिया गया है, समायोजन के अधीन, यदि कोई हो, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इसके अंतिम निपटान/ स्वीकृति के समय किया जाता है।

टिप्पणी–19 : चालू कर सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अग्रिम एवं स्रोत पर कर कर कटौती (निवल)	1,549.84	1,872.79
कुल	**1,549.84**	**1,872.79**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note:- 18: Other financial assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
a) Accrued				
Interest accrued on deposit		23.57		21.43
b) Other Receivables				
- Considered good	734.60		607.59	
- Considered Doubtful	518.89		71.43	
	1,253.49		679.02	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(518.89)	734.60	(71.43)	607.59
c) Claims Receivables				
- Considered good	0.48		0.88	
- Considered Doubtful	69.51		69.51	
	69.99		70.39	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(69.51)	0.48	(69.51)	0.88
d) Recoverable from Govt. of India against * sales/production-subsidy/Minikits:				
- Considered Good	9,192.05		20,716.51	
- Considered Doubtful	4,014.52		4,014.52	
	13,206.57		24,731.03	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(4,014.52)	9,192.05	(4,014.52)	20,716.51
e) Recoverable from state government against: * sales/production subsidy:				
- Considered Good	6,370.39		6,583.95	
- Considered Doubtful	1,392.45		1,170.18	
	7,762.84		7,754.13	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(1,392.45)	6,370.39	(1,170.18)	6,583.95
f) Recoverable from staff				
Unsecured, Considered Good	55.24		53.02	
Unsecured Considered Doubtful	3.27		4.38	
	58.51		57.40	
Less: Allowance for Doubtful claims	(3.27)	55.24	(4.38)	53.02
TOTAL		**16,376.33**		**27,983.38**

*Credit for subsidies/grants-in-aid/reimbursement of expenses receivable from Central/State Government have been taken on the basis of amount claimable from respective authority subject to adjustment, if any, being made at the time of final settlement/acceptance of the same by the respective authority.

Note 19 : Current Tax Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Advance Tax & Tax Deducted at Source (Net)	1,549.84	1,872.79
Total	**1,549.84**	**1,872.79**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–20 : अन्य चालू सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020
क) अन्य अग्रिम				
उत्पादकों को अग्रिम				
अप्रत्याभूत वसूली वाले	5,044.87		4,423.04	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	152.67		153.57	
	5,197.54		4,576.61	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(152.67)	5,044.87	(153.57)	4,423.04
अन्यों का अग्रिम				
अप्रत्याभूत वसूली वाले	236.86		315.75	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	3.34		2.67	
	240.20		318.42	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(3.34)	236.86	(2.67)	315.75
ख) अन्य				
पूर्व प्रदत्त व्यय		72.75		41.72
ग) दावें				
वसूली योग्य दावें	4.40		5.00	
संदिग्ध वसूली वाले*	80.50		80.50	
	84.90		85.50	
घटाएं : संदिग्ध दावें के लिए अलाउन्स	(80.50)	4.40	(80.50)	5.00
घ) स्टाफ को अग्रिम				
अप्रत्याभूत वसूली वाले	24.39		30.75	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	-		-	
	24.39		30.75	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	-	24.39	-	30.75
प्राप्य योग्य जीएसटी इनपुट कर		19.64		18.19
कुल	**5,402.91**		**4,834.45**	

*वर्ष 2017–18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से स्टॉक की चोरी के लिए पार्टी से रू. 80.50 लाख वसूली योग्य है। पार्टी के विरूद्ध परक्रामय अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया हुआ है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note 20: Other current assets

(₹ in lakhs)

Particulars		31 March 2021		31 March 2020
a) Other Advances				
Advance to Growers				
Secured, Considered Good	5,044.87		4,423.04	
Unsecured, Considered Doubtful	152.67		153.57	
	5,197.54		4,576.61	
Less: Allowance for Doubtful Advances	(152.67)	5,044.87	(153.57)	4,423.04
Advance to Others				
Secured, Considered Good	236.86		315.75	
Unsecured, Considered Doubtful	3.34		2.67	
	240.20		318.42	
Less: Allowance for Doubtful Advances	(3.34)	236.86	(2.67)	315.75
b) Others				
Prepaid Expenses		72.75		41.72
c) Claims				
Claims recoverable	4.40		5.00	
Considered Doubtful*	80.50		80.50	
	84.90		85.50	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(80.50)	4.40	(80.50)	5.00
d) Advance to staff				
Unsecured, Considered Good	24.39		30.75	
Unsecured Considered Doubtful	-		-	
	24.39		30.75	
Less: Allowance for Doubtful claims	-	24.39	-	30.75
GST Input Tax Receivable		19.64		18.19
TOTAL		**5,402.91**		**4,834.45**

*Claims recoverable of ₹80.50 lakhs from party for theft of stock during 2017-18, under RO Bhopal. Case has been filed against party under negotiable instrument act.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–21 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक 1000 रू. के 17,36,100 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 17,36,100)	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	**17,361.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता		
प्रत्येक 1000 रू. के पूर्णतः प्रदत्त 5,73,199 (पिछले वर्ष 5,73,199)	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	**5,731.99**

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शेयर	573,199	5,731.99	573,199	5,731.99
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक जारी/अभिदत्त एवं लंबित प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	**573,199**	**5,731.99**	**573,199**	**5,731.99**

(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास रु 1000 के सम मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। निदेंशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, सिवाय अंतरिम लाभांश के आगामी शेयर धारकों की बैठक के अनुमोदन के अधीन होता है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानी राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार है।

(iii) कंपनी में 5 % से अधिक शेयर धारक का विवरण

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	शेयरों की संख्या	% धारक	शेयरों की संख्या	% धारक
भारत सरकार	573,199	100%	573,199	100%
कुल	**573,199**	**100%**	**573,199**	**100%**

(iv) (क) एनएससी ने प्रत्येक पूर्णतः चुकता रु. 1000 के अंकित मूल्य के साथ ही इक्विटी शेयर जारी किए हैं।
(ख) एनएससी ने कोई अधिमानी शेयर जारी नहीं किए।
(ग) एनएससी के द्वारा जीडीपी के विरुद्ध गैर परिवर्तनीय डिवेंचर, बाण्ड, परिवर्तनीय अवधि ऋण, शेयरवांरट जारी नहीं किए गए।
(घ) एनएससी के द्वारा शेयरों की जब्ती नहीं की गई और इसके परिणामस्वरुप जब्त शेयरों में कोई पुनः र्निगम नहीं हुआ।
(ड) एनएससी ने अब तक अपने शेयरों की वापसी खरीद नहीं की।
(च) शेयरों को विनिवेश – संदर्भ संख्या 74

(v) वर्ष के दौरान नकद, जारी किए गए बोनस शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या :–

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
नकदी के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में पूर्ण रूप से प्रदत्त जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-

Note: - 21: Equity Share capital

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Authorised share capital		
17,36,100 (previous Year 17,36,100) Equity Shares of Rs 1000 each	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	**17,361.00**
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
5,73,199 (previous Year 5,73,199) Equity Shares of Rs 1000 each	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	**5,731.99**

(i) Reconciliation of the number of equity shares and share capital Outstanding

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31 March 2021		As at 31 March 2020	
	No of shares	Amount	No of shares	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	573,199	5,731.99	573,199	5,731.99
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**573,199**	**5,731.99**	**573,199**	**5,731.99**

(ii) Terms/Rights attached to Equity Shares

The Company has one class of equity shares having a par value of ₹1,000 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed/ to be proposed by the Board of Directors is subject to approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

(iii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the company

Name of the shareholder	As at 31 March 2021		As at 31 March 2020	
	No of shares	% holding in the class	No of shares	% holding in the class
Government of India	573,199	100%	573,199	100%
Total	**573,199**	**100%**	**573,199**	**100%**

(iv) a. NSC has issued only equity shares with face value of Rs.1000/- each fully paid up.

b. No preference shares have been issued by NSC.

c. No convertible debentures, bonds, convertible term loan, share warrants against GDF has been issued by NSC.

d. No forfeiture of shares have been done by NSC and consequently there is no reissue of forfeited shares.

e. NSC did not buy back its own shares so far.

f. Refer Note No- 74 regarding Disinvestment of Shares.

(v) Aggregate number of equity shares issued for consideration other than cash, bonus shares issued and shares bought back during the Year :-

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Equity Shares issued for consideration other than cash	-	-	-	-	-
Equity Shares issued as fully paid up bonus shares	-	-	-	-	-
Equity Shares bought back	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–22 : अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) प्रतिधारित उपार्जन	57,069.53	58,086.74
(ख) अन्य आरक्षित		
(i) खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	277.27	269.22
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	119.76	119.76
(iii) भूमि विकास आरक्षित	464.60	429.02
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश	2,326.99	2,546.43
कुल	**60,258.15**	**61,451.17**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
(क) प्रतिधारित उपार्जन				
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	58,086.74		56,815.59	
घटाएं : जारी किए गए बोनस शेयर	-		-	
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	243.68		2,991.96	
जोड़े : परिभाषित लाभ योजना के पुन निर्धारण के लिए अन्य व्यापक आय से लाभ/(हानि) (कर प्रभाव का निवल)	(355.25)		(287.22)	
	-		-	
	57,975.17		59,520.33	
घटाएं				
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, मूल्यह्रास गणना में बदलाव के कारण प्रतिधारित आय का समायोजन				
लाभांश प्रदत्त	(897.59)		(1,239.58)	
लाभांश वितरण कर	-		(254.86)	
खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरण	(8.05)		60.85	
वर्ष के अंत में शेष	(905.64)	**57,069.53**	(1,433.59)	**58,086.74**
(ख) अन्य आरक्षित				
(i) खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	269.22		330.07	
जोड़े : लाभ हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	8.05		(60.85)	
वर्ष के अंत में शेष		**277.27**		**269.22**
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	119.76		91.77	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	-		24.72	
जोड़: प्रावधान से स्थानातंरित	-		79.53	
घटाएं	-		-	
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-		(76.26)	
वर्ष के अंत में शेष		**119.76**		**119.76**
(iii) भूमि विकास आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	429.02		392.26	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	35.58		36.76	
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	-		-	
वर्ष के अंत में शेष		**464.60**		**429.02**
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,546.43		2,418.18	
एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	(141.13)		160.31	
अस्थगित कर	(78.31)	**2,326.99**	(32.06)	**2,546.43**
		60,258.15		**61,451.17**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note: - 22: Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
(a) Retained Earnings	57,069.53	58,086.74
(b) Other Reserves		
(i) Unspent CSR Reserve	277.27	269.22
(ii) Retired Employees Welfare Reserve	119.76	119.76
(iii) Land Development Reserve	464.60	429.02
(iv) FVTOCI Equity Investment	2,326.99	2,546.43
Total	**60,258.15**	**61,451.17**

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
(a) Retained Earnings				
Surplus in Statement of Profit and Loss:				
Balance as at the beginning of the year	58,086.74		56,815.59	
Less: Bonus shares issued	-		-	
Add: Profit for the year	243.68		2,991.96	
Add : Profit/(Loss) from Other comprehensive Income for				
Re-measurement of defined benefits plans (net of tax effect)	(355.25)		(287.22)	
	-		-	
	57,975.17		59,520.33	
Less:				
Adjustment of Retained Earnings due to change in				
Depreciation calculations as per new companies Act, 2013				
Dividend Paid	(897.59)		(1,239.58)	
Dividend Distribution Tax	-		(254.86)	
Transferred to Unspent CSR Reserve	(8.05)		60.85	
Balance as at the end of the year	(905.64)	**57,069.53**	(1,433.59)	**58,086.74**
(b) Other Reserves				
(i) Unspent CSR Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	269.22		330.07	
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit & Loss	8.05		(60.85)	
Balance as at the end of the year		**277.27**		**269.22**
(ii) Retired Employees Welfare Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	119.76		91.77	
Add: Subscription received during the year	-		24.72	
Add: Transfered from Provisions	-		79.53	
Less:	-		-	
Amount utilised during the year	-		(76.26)	
Balance as at the end of the year		**119.76**		**119.76**
(iii) Land Development Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	429.02		392.26	
Add: Addition during the year	35.58		36.76	
Less:Utilised during the year	-		-	
Balance as at the end of the year		**464.60**		**429.02**
(iv) FVTOCI Equity Investment				
Opening Balance	2,546.43		2,418.18	
Change in fair value of FVTOCI equity instrument	(141.13)		160.31	
Deferred Taxes	(78.31)	**2,326.99**	(32.06)	**2,546.43**
		60,258.15		**61,451.17**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

आरक्षितों की प्रकृति एवं उद्देश्य

एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश

निगम ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से एसोशिएटस के अलावा इक्विटी में निवेश किए उचित मूल्यों में परिवर्तनों को अभिज्ञात किया है। इक्विटी में इन परिवर्तनों को एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के तहत जमा किया गया है। कम्पनी इस आरक्षित से प्रतिधारित उपार्जन में तब राशि स्थानांतरण करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित

खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित को दो बैंक खातों में क्रमशः रू 256.86 लाख और रू. 16.42 लाख की राशि के एक अलग–अलग बैंक खाते में रखा गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ को निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि को लाभ/हानि विवरण एवं आरक्षित शीर्षक ''सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित'' पर दिखाया गया है।

भूमि विकास आरक्षित

भूमि विकास व्यय फार्मों के विकास पर किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ष 1985–86 से स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है। मूल्यह्रास के बजाए, प्रति वर्ष डब्लू डी वी पर 5% की दर से भूमि विकास आरक्षित बनाया जा रहा है।

वितरित एवं प्रस्तावित

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
इक्विटी शेयर पर घोषित एवं प्रदत्त नकद लाभांश		
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश : (रू. 156.59 प्रति शेयर)	897.59	1,239.58
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	254.86
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश*		
31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश : (रू. 2.75 प्रति शेयर)	73.10	897.59
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	184.54

*भारत सरकार के दिनांक 17–05–16 के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में नहीं है क्योंकि निगम के लिए 3226 लाख रुपये (निवल मूल्य का 5%) का भुगतान करना संभव नहीं था क्योंकि वर्ष के दौरान पीएटी 29.92 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, नकदी प्रवाह की स्थिति भी अत्यधिक अनिश्चित है क्योंकि निगम 7500 लाख रुपये की सीसी सीमा पर संपन्न है। इसके अलावा, आंतरिक संसाधनों की एक बड़ी मात्रा को अपनी सिंचाई प्रणाली में सुधार सहित अपनी स्वयं की चल रही पूंजीकरण प्रक्रिया को वित्त के लिए वापस लाना चाहता है। जारी किए गए दिशा–निर्देशों से निगम को छूट देने के लिए पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Nature and purpose of Reserves

FVTOCI Equity Investment

The NSC has elected to recognize changes in fair value of investment in equity instruments other than Associates through other comprehensive income. These changes are accumulated within the FVTOCI equity investments within equity. The company transfers amounts from this reserve to retained earnings when the relevant equity securities are de-recognized.

Unspent CSR Reserve:

The unspent CSR Reserve has been parked in a separate bank account amounting to ₹256.86 lakhs and ₹16.42 lakhs in two bank accounts.

Retired Employees Welfare Reserve:

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the profit before tax of the previous year is charged to the statement of profit and loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

Land Development Reserve:

The land development expenditure represents expenditure incurred on development of farm lands and has been treated as fixed assets from 1985-86. Instead of depreciation, land development Reserve is being created at the rate of 5% on W.D.V every year.

Distribution made and proposed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Cash dividend on equity shares declared and paid		
Final Dividend for the year ended 31st March 2020 (₹156.59 per share)	897.59	1,239.58
Dividend distribution Tax on Final dividend	-	254.86
Proposed Dividend on Equity shares*		
Proposed Dividend for the year ended 31.03.2021 (₹12.75 per share)	73.10	897.59
Dividend distribution Tax on Proposed Dividend	-	184.54

*Not in compliance of GOI OM dated 17-05-16 since it was not feasible for the corporation to pay ₹3183.16 lakhs (being 5% of the Net Worth) as PAT during the year is ₹2.44 Crores. Moreover the Cash Flow position is also highly precarious with the corporation thriving on a CC limit of ₹7500 lakhs. Further, a large amount of internal resources is to be ploughed back to Finance its own on-going capitalisation process including improvement of its irrigation system. Exemption request already submitted through the administrative ministry, to exempt the Corporation from the guidelines issued.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–23 : पूंजीगत अनुदान

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020
क) उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,036.61		8,196.14	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया	973.07		709.03	
	9,009.68		8,905.17	
घटाएंः वर्ष के दौरान समायोजित अनुदान	(0.02)		-	
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती (मूल्यह्रास)	(984.22)		(868.56)	
वर्ष के अंत में शेष		**8,025.44**		**8,036.61**
(ख) खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान				
i) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं जीओटी फार्मर्स के उपकरणों की खरीद				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	57.10		61.60	
मुख्यालय / फार्म से /को स्थानातंरित	-		-	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	79.00		80.00	
	136.10		141.60	
घटाएं : उपयोग की गई राशि–पूंजीगत व्यय	(6.76)		(84.50)	
घटाएं : उपयोग की गई राशि– राजस्व व्यय	(0.51)		-	
घटाएं : उपयोगित राशि कृ.एवं कि.क. को वापस की गई	(18.00)		-	
वर्ष के अंत में शेष		**110.83**		**57.10**
ii) एसएमएसपी के तहत बुनियादी सुविधाओं का निर्माण				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,653.48		1,072.32	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	98.25		773.05	
जोड़े : वर्ष के दौरान स्थानातंरित	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	(962.28)		(191.89)	
घटाएं : कृ.एवं कि.क. को स्थानातंरित	(12.99)	**776.46**	-	**1,653.48**
iii) आरकेवीवाय के तहत सीड कोटिंग तकनीक अपनाने हेतु				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5.07		137.92	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
जोड़े : वर्ष के दौरान स्थानातंरित	-		-	
घटाएं : उपयोग की गई – पूंजीगत व्यय	(4.04)		(132.63)	
घटाएं : उपयोग की गई – राजस्व व्यय	-		(0.22)	
घटाएं : कृ.एवं कि.क. को स्थानातंरित	(1.03)	**-**	-	**5.07**
iv) कम्प्यूटरीकरण के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	15.34		15.34	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
जोड़े : मुख्यालय / फार्म से /को स्थानातंरित	-		-	
घटाएं : उपयोग की गई राशि – पूंजीगत व्यय	-		-	
घटाएं : उपयोग की गई राशि – राजस्व व्यय	-	15.34	-	15.34
v) प्रशिक्षण आयोजन के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2.97		16.56	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	2.97	(13.59)	2.97

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note : 23: Capital Grant

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
a) Utilised capital grant:				
Balance as at the beginning of the year	8,036.61		8,196.14	
Add: Utilised during the year	973.07		709.03	
	9,009.68		8,905.17	
Less: Grant adjusted during the year	(0.02)		-	
Less: Deductions during the year (Depreciation)	(984.22)		(868.56)	
Balance as at the end of the year		**8,025.44**		**8,036.61**
(b) Unspent Capital Grant				
i) For Procurement of equipment of Seed Testing Labs & For G.O.T. Farms				
Balance as at the beginning of the year	57.10		61.60	
Transferred from /to HO/Farms	-		-	
Add: Addition during the year	79.00		80.00	
	136.10		141.60	
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	(6.76)		(84.50)	
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	(0.51)		-	
Less: Unutilised amount refunded to MOA	(18.00)		-	
Balance as at the end of the year		**110.83**		**57.10**
ii) For creation of Infrastructure Facilities under SMSP				
Balance as at the beginning of the year	1,653.48		1,072.32	
Add: Received during the year	98.25		773.05	
Add: Transferred during the year	-		-	
Less: Utilised during the year	(962.28)		(191.89)	
Less: Refunded to MOA	(12.99)	**776.46**	-	**1,653.48**
iii) For adoption of seed coating technology under RKVY.				
Balance as at the beginning of the year	5.07		137.92	
Add: Received during the year	-		-	
Add: Transferred during the year	-		-	
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	(4.04)		(132.63)	
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	-		(0.22)	
Less: Refunded to MOA	(1.03)	**-**	-	**5.07**
iv) For Computerisation				
Balance as at the beginning of the year	15.34		15.34	
Add: Received during the year	-		-	
Transferred from /to HO/Farms	-		-	
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	-		-	
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	-	15.34	-	15.34
v) For conduction training				
Balance as at the beginning of the year	2.97		16.56	
Add: Received during the year	-		-	
Less: Amount utilised	-	2.97	(13.59)	2.97

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
vi) अस्थगित सरकारी अनुदान (सीएसएफ बहराइच)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	85.61		85.61	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	-		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	**85.61**	-	**85.61**
vii) बीज गांव योजना के लिए पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	995.98		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	511.22		1,321.65	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(668.06)	**839.14**	(325.67)	**995.98**
viii) कृषि यांत्रिकी के सबमिशन हेतु (एसएमएएम)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	583.50		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	**583.50**	-	**-**
ix) चारा बीज आपूर्ति हेतु				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,750.00		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(2,564.77)	**185.23**	-	-
x) एनएफएसएम के तहत फार्मों पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		300.00	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	**-**	(300.00)	**-**
xi) किसान मेला के लिए सहायता				
वर्ष के दौरान वृद्धि	7.92		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		12.00	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(4.89)	**3.03**	(4.08)	**7.92**
xii) आईसीएआर–आईआईएमआर मिलेट बीज हब योजना हेतु				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	37.50		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	**37.50**	-	**-**
कुल (ख)		**2,639.61**		**2,823.47**
कुल (क)+(ख)		**10,665.05**		**10,860.08**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
vi) Deferred Govt. Grant (CSF Bahraich)				
Balance as at the beginning of the year	85.61		85.61	
Add: Received during the year	-		-	
Less: Amount utilised	-	**85.61**	-	**85.61**
vii) Capital Grant for Seed Village Programme				
Balance as at the beginning of the year	995.98		-	
Additions during the year	511.22		1,321.65	
Less: Amount utilised	(668.06)	**839.14**	(325.67)	**995.98**
viii) For Sub Mission on Agriculture Mechanization (SMAM)				
Balance as at the beginning of the year	-		-	
Addition during the year	583.50		-	
Less: Amount utilised	-	**583.50**	-	**-**
ix) For Supply of Fodder Seeds				
Balance as at the beginning of the year	-		-	
Addition during the year	2,750.00		-	
Less: Amount utilised	(2,564.77)	**185.23**	-	-
x) For Installation of Micro Irrigation System at Farms under NFSM				
Balance as at the beginning of the year	-		-	
Addition during the year	-		300.00	
Less: Amount utilised	-	**-**	(300.00)	**-**
xi) Grant for Kisan Mela				
Balance as at the beginning of the year	7.92		-	
Addition during the year	-		12.00	
Less: Amount utilised	(4.89)	**3.03**	(4.08)	**7.92**
xii) For ICAR-IIMR Millet Seed Hub Scheme.				
Balance as at the beginning of the year	-		-	
Addition during the year	37.50		-	
Less: Amount utilised	-	**37.50**	-	**-**
Total (b)		**2,639.61**		**2,823.47**
Total (a)+(b)		**10,665.05**		**10,860.08**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–24 : उधार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रत्याभूत अवधि ऋण		
बैंक से	93.42	85.86
कुल	**93.42**	**85.86**
संदर्भ सं0 :46(viii) बैंकों से ऋण के लिए		

टिप्पणी–25 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
धरोहर एवं अन्य जमा	936.38	969.25
उपदान (संदर्भ सं0 :75) *	1,294.74	2,472.66
लीज देयताएं	19.65	29.23
कुल	**2,250.77**	**3,471.14**

* कम्पनी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रदान करती है। 5 वर्ष की निरंतर सेवा करने पर कर्मचारी, ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारियों के अंतिम वेतन (बेसिक + डी.ए.) को सेवाकाल के वर्ष की संख्या पर प्रति वर्ष 15 दिन के वेतन की दर से गुणन करके अनुपातिक गणना की जाती है। ग्रेच्युटी योजना वित्त पोषित योजना है और कम्पनी भारत में मान्यता प्राप्त निधि में योगदान करती है।

टिप्पणी–26 : अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
क) अग्रिम				
ग्राहकों से अग्रिम		-		-
अग्रिम अनुबंध प्राप्तियां		-		-
अग्रिम किराया/प्राप्त प्रीमियम		659.29		654.46
परिक्रामी निधी के लिए				
सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन*	150.00		150.00	
सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन–एसएफसीआई	150.00		150.00	
बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख–रखाव **	379.55		379.55	
- बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख–रखाव – पूर्ववर्ती एसएफसीआई	163.63	843.18	163.63	843.18
- क्रैश प्रोग्राम (तिलहन)***	147.00		147.00	
- क्रैश प्रोग्राम (तिलहन) – पूर्ववर्ती एसएफसीआई	60.00		60.00	
- क्रैश प्रोग्राम (दलहन)***	26.75		26.75	
- क्रैश प्रोग्राम (दलहन) – पूर्ववर्ती एसएफसीआई	-	233.75	-	233.75
उचित मूल्य समायोजन		25.36		27.11
कुल		**1,761.58**		**1,758.50**

* सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में अनुदान राशि प्रदान की है। यह निधि अलग खाते में रखी गई थी और इसे कार्यशील पूंजी के रुप में प्रयोग किया जाना था। यह भी बताया गया है कि उपयोग की गई राशि वापस होनी चाहिए थी ताकि इस खाते से कोई कमी न हो। पुराना मामला होने के कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने पर ही समायोजन हो सकता है।

** बीज बैंक योजनाओं की स्थापना एवं रखरखाव– परिक्रामी निधि– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज बैंक की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सहायता उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग किया जाना था तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को कार्यान्वयन योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। पुराना मामला होने के कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने पर ही समायोजन हो सकता है।

*** तिलहन एवं दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी क्रैश प्रोग्राम लागू करने के लिए परिक्रामी निधि :– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान की है। दलहनों के उत्पादन के लिए क्रैश प्रोग्राम की आयोजन हेतु निधि का प्रयोग किया जाना था। पुराना मामला होने के कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने पर ही समायोजन हो सकता है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note: - 24 Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Secured Term Loan		
From Bank	93.42	85.86
Total	**93.42**	**85.86**

Refer note 69(viii) for term loan from bank

Note:- 25: Other financial Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Security and other Deposit	936.38	969.25
Gratuity (Refer Note:75) *	1,294.74	2,472.66
Lease Liabilities	19.65	29.23
Total	**2,250.77**	**3,471.14**

* Company provides for gratuity for employees in India as per the payment of Gratuity Act, 1972. Employees who are in continuous service for a period of 5 years are eligible for gratuity. The amount of gratuity payable on retirement/termination is the employees last drawn salary (Basic + D.A) per month computed proportionately for 15 days salary per year multiplied for the number of years service. The gratuity plan is funded plan and company makes a contribution to the recognized fund in India.

Note: - 26: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
a) Advances				
Advance from clients		-		-
Advance contract receipts		-		-
Advance Rent/Premium		659.29		654.46
Revolving Fund For:				
Seed Production under Drought Prone Area*	150.00		150.00	
Seed Production under Drought Prone Area-SFCI	150.00		150.00	
For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme **	379.55		379.55	
- For Establishment and Maintenance of	163.63	843.18	163.63	843.18
Seed Bank Scheme - erstwhile SFCI				
- Crash Programme (Oil Seeds)***	147.00		147.00	
- Crash Programme (Oil Seeds)- SFCI	60.00		60.00	
- Crash Programme (Pulses)***	26.75		26.75	
- Crash Programme (Pulses)- SFCI	-	233.75	-	233.75
Fair Value Adjustment		25.36		27.11
Total		**1,761.58**		**1,758.50**

* Revolving fund for seed production under drought prone area:-The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of fund for seed production under drought prone areas. This fund was to be kept in a separate account and to be used as working capital. It was also stated that the funds utilized were to be deposited back so that there should be no depletion from this account. Being old cases can only be adjusted once the utilization certificate is received/traced.

** Revolving fund for establishment and maintenance of Seed Bank Scheme :- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval for release of funds for creation of revolving fund for the purpose of establishment and maintenance of seed bank. This assistance was to be used as per the guidelines and utilization certificate and progress of implementation scheme was to be submitted to DAC & FW. Being old cases can only be adjusted once the utilization certificate is received/traced.

*** Revolving fund for implementation of Crash Programme for Quality Seed Production of Oilseeds and Pulses:- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of revolving fund for the purpose of implementation of quality seed production of Oilseeds and Pulses. The funds were to be used for organizing crash programs for production of Oilseeds and Pulses. Being old cases can only be adjusted once the utilization certificate is received/traced.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–27 : प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020
कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान				
क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ*				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	2,527.53		2,828.04	
वर्ष के दौरान वृद्धि	788.18		394.85	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(1,187.06)		(695.36)	
वर्ष के अंत में शेष		**2,128.65**		**2,527.53**
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	190.08		630.56	
वर्ष के दौरान वृद्धि	(10.50)		-	
घटाएं : आरक्षित में स्थानातंरित	-		(79.53)	
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी	-		(360.95)	
वर्ष के अंत में शेष		**179.58**		**190.08**
टीटीए के लिए				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	-		-	
वर्ष के अंत में शेष		-		-
		2,308.23		**2,717.61**

* संदर्भ नोट संख्या 75

टिप्पणी–28 : उधार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रत्याभूत, बैंक से मांग पर पुनः देय ऋण		
प्रत्याभूत (नकद उधार)*	858.32	171.04
अप्रत्याभूत	0.05	7,542.65
कुल	**858.37**	**7,713.69**

* कंपनी की सभी वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों, संयंत्र एवं मशीनरी पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रांरभिक प्रतिभूति एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 परिसंपत्तियों पर साम्यिक बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूति।

टिप्पणी–29 : व्यापार प्रदेय

(₹ in lakhs)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय*	1,149.22	2,127.42
- अन्य	34,471.54	28,992.41
- संबंधित पार्टियों को देय		
	35,620.76	**31,119.83**

*संदर्भ नोट संख्या 53

Note: - 27: Provisions

(₹ in lakhs)

Particulars		31 March 2021		31 March 2020
Provision for Employees benefits				
For compensated Absences*				
Balance as at the beginning of the year	2,527.53		2,828.04	
Additions during the year	788.18		394.85	
Amounts utilised during the year	(1,187.06)		(695.36)	
Balance as at the end of the year		**2,128.65**		**2,527.53**
For Retired Employees welfare				
Balance as at the beginning of the year	190.08		630.56	
Additions during the year	(10.50)		-	
Less: Transferred to Reserve	-		(79.53)	
Less: Written Back during the year	-		(360.95)	
Balance as at the end of the year		**179.58**		**190.08**
For TTA				
Balance as at the beginning of the year	-		-	
Additions during the year	-		-	
Less: Adjusted during the year	-		-	
Balance as at the end of the year		-		-
		2,308.23		**2,717.61**

* Refer Note No. 75

Note: - 28: Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Secured, Loan repayable on demand from bank		
Secured, Cash Credit*	858.32	171.04
Unsecured	0.05	7,542.65
Total	**858.37**	**7,713.69**

* Primarily secured by first charge on all present and future current assets,plant and machinery of the company and collaterally secured by equitable mortgage on 26 properties located at different parts of the country.

Note:- 29: Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
- Due to MSME*	1,149.22	2,127.42
- Others	34,471.54	28,992.41
- Payable to related parties		
	35,620.76	**31,119.83**

*Refer note no. 53

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–30 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
निरीक्षण शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि	32.19	34.76
सुरक्षित जमा	2,574.87	2,760.63
स्थाई परिसंपत्तियों को देय	478.25	196.08
अन्य	6,273.42	6,493.12
लीज देयताएं	12.99	25.20
कुल	**9,371.72**	**9,509.79**

टिप्पणी–31 : अन्य वर्तमान देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
सांविधिक देय		592.77		679.33
के लिए अग्रिम :				
आर्थिक सहायता/अनुदान	171.97		171.97	
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन के लिए सहायता	10.71	182.68	52.19	224.16
एन.एफ.एस.एम. की परियोजना मिशन के लिए अंग्रिम		1,716.40		363.55
<u>अन्य वर्तमान देयताएं</u>				
अग्रिम किराया/प्राप्त प्रीमियम		59.15		59.15
उचित मूल्य समायोजन		16.87		16.51
कुल		**2,567.87**		**1,342.70**

टिप्पणी–32 : प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
<u>क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए*</u>				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	666.02		788.02	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(61.20)		(122.00)	
दीर्घावधि प्रावधान में स्थानातंरण	-		-	
वर्ष के अंत में शेष		604.82		666.02
<u>पैंशन</u>				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	32.77		34.83	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	-		(2.06)	
वर्ष के अंत में शेष		32.77		32.77
<u>निष्पादन संबंधी वेतन</u>				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,215.68		940.99	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		274.69	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(349.17)		-	
वर्ष के अंत में शेष		866.51		1,215.68
		1,504.10		**1,914.47**

* संदर्भ नोट संख्या 75

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note:- 30: Other financial liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Inspection fee, Registration fee etc.	32.19	34.76
Security Deposit	2,574.87	2,760.63
Payable for fixed asset	478.25	196.08
Others	6,273.42	6,493.12
Lease Liabilities	12.99	25.20
Total	**9,371.72**	**9,509.79**

Note: - 31: Other current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
Statutory dues		592.77		679.33
Advances For :				
Grant in Aid/Subsidy	171.97		171.97	
Assistance for boosting seeds production in private Sector	10.71	182.68	52.19	224.16
Advance for National Food Security Mission/ Project Mission/ Other Projects, etc.		1,716.40		363.55
<u>Other current liabilities</u>				
Advance Rent/Premium Received		59.15		59.15
Fair value adjustment		16.87		16.51
Total		**2,567.87**		**1,342.70**

Note: - 32: Provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
<u>For Compensated Absences:*</u>				
Balance as at the beginning of the year	666.02		788.02	
Additions during the year	-		-	
Amounts utilised during the year	(61.20)		(122.00)	
Transfer to Long-term Provision	-		-	
Balance as at the end of the year		604.82		666.02
<u>Pension</u>				
Balance as at the beginning of the year	32.77		34.83	
Additions during the year	-		-	
Amounts utilised during the year	-		(2.06)	
Balance as at the end of the year		32.77		32.77
<u>Performance Related Pay</u>				
Balance as at the beginning of the year	1,215.68		940.99	
Additions during the year	-		274.69	
Amounts utilised during the year	(349.17)		-	
Balance as at the end of the year		866.51		1,215.68
		1,504.10		**1,914.47**

* Refer Note No. 75

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–33 : वर्तमान कर देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,050.00		2,050.00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		1,050.00	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(1,050.00)	-	(2,050.00)	1,050.00
कुल	**-**		**1,050.00**	

टिप्पणी–34 : परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे	
<u>प्रचालनों से राजस्व</u>				
प्रमाणित – गृह बाजार	92,800.35		89,674.88	
प्रमाणित – निर्यात	-		-	
बीज बिक्री पर मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	5,204.40		4,394.83	
घटाएं : व्यापार छूट	(3,883.10)	94,121.65	(3,974.69)	90,095.02
मूल बीज	2,530.12		3,226.93	
प्रजनक बीज	283.44		376.83	
पौध सामग्री	40.00		-	
अनुपयोगी बीज	1,553.25		1,656.49	
विविध बिक्री	1,502.64	5,909.45	1,305.03	6,565.28
सेवाओं की बिक्री	42.71		47.64	
अन्य प्रचालन राजस्व	1,444.02		9,288.72	
कुल		**101,517.83**		**105,996.66**

टिप्पणी–35 : अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे	
ब्याज आय				
टीडीएस रू. 1.59 लाख (पिछले वर्ष रू. 1.42 लाख)		112.94		28.87
म्यूचल फंड मे निवेश से शुद्ध लाभ		16.64		7.43
<u>लाभांश आय</u>				
एसोसिएट से लाभांश		31.34		57.13
<u>अन्य गैर प्रचालन आय</u>				
विविध प्राप्तियाँ*	442.24		357.24	
दावे	6.27		0.07	
किराया विद्युत प्रभार सहित	575.91		580.04	
वसूल किया गया निर्णीत हर्जाना	70.71	1,095.13	64.69	1,002.04
<u>अलाउन्स/प्रावधान एवं देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं रही :</u>				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	22.52		27.67	
संदिग्ध अंग्रिम एवं जमा	199.71		42.83	
बोनस	2.11		0.11	
वेतन एवं भत्ते	120.49		146.04	
आर्थिक सहायता	-	344.83	-	216.65
<u>के लिए देयताएं</u>				
सेवाएं	193.56		108.15	
माल	509.55	703.11	258.32	366.47
आर्थिक अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्याह्रास		984.22		868.56
कुल		**3,288.21**		**2,547.15**

* 31 मार्च, 2021 तक जब्त किए गए धरोहर राशि एवं अन्य जमा रू. 17.42 लाख (31 मार्च, 2020 को : रू. 12.07 लाख) शामिल है।

Note: 33:- Current tax liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021		31 March 2020	
Balance as at the beginning of the year	1,050.00		2,050.00	
Additions for the year	-		1,050.00	
Amounts utilised during the year	(1,050.00)	-	(2,050.00)	1,050.00
Total		**-**		**1,050.00**

Note 34 : Revenue from Operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021		For the year ended 31st March 2020	
<u>Revenue from operations</u>				
Certified - Home Market	92,800.35		89,674.88	
Certified - Export	-		-	
Reimbursement of Price Differential on sale of seed	5,204.40		4,394.83	
Less: Trade Discount	(3,883.10)	94,121.65	(3,974.69)	90,095.02
Foundation Seeds	2,530.12		3,226.93	
Breeder Seeds	283.44		376.83	
Sapling	40.00		-	
Condemned Seeds	1,553.25		1,656.49	
Miscellaneous sales	1,502.64	5,909.45	1,305.03	6,565.28
Sale of Services		42.71		47.64
Other Operating Revenues		1,444.02		9,288.72
Total		**101,517.83**		**105,996.66**

Note 35 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021		For the year ended 31st March 2020	
Interest Income [TDS ₹1.59 lakhs (previous year: ₹1.42 lakhs)]		112.94		28.87
Net Gain in Investment in Mutual Fund		16.64		7.43
<u>Dividend Income</u>				
Dividend from Associates		31.34		57.13
<u>Other Non-Operating Income:</u>				
Miscellaneous Receipts*	442.24		357.24	
Claims	6.27		0.07	
Rent including electricity charges	575.91		580.04	
Liquidated damages recovered	70.71	1,095.13	64.69	1,002.04
<u>Allowances/Provisions & Liabilities no longer required:</u>				
<u>Allowances/Provisions for :</u>				
Bad & Doubtful Debts	22.52		27.67	
Doubtful Advances & Deposits	199.71		42.83	
Bonus	2.11		0.11	
Salary and Allowances	120.49		146.04	
Subsidy	-	344.83	-	216.65
<u>Liabilities for :</u>				
Services	193.56		108.15	
Goods	509.55	703.11	258.32	366.47
Depreciation on assets purchased out of Grant- in- aid		984.22		868.56
Total		**3,288.21**		**2,547.15**

* Includes ₹ 17.42 lakhs for 31 March 2021 (31 March 2020 ₹ 12.07 lakhs) towards Security and Other Deposits Forfeited.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–36 : उपयोग की गई सामग्री की लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे	
प्रारंभिक स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,729.02		1,508.41	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	511.62	2,240.64	571.91	2,080.32
जोड़े : क्रय				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,914.47		1,950.62	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	922.38	2,836.85	829.03	2,779.65
घटाएं: अंतिम स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,811.10		1,729.02	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	488.58	2,299.68	511.62	2,240.64
कुल		**2,777.81**		**2,619.33**

टिप्पणी–37 : व्यापारगत स्टॉक की खरीद

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
प्रमाणित बीज	71,233.93	71,057.60
मूल बीज	2,256.99	2,584.84
प्रजनक बीज	529.02	762.52
पौध सामग्री	43.13	15.45
कुल	**74,063.07**	**74,420.41**

टिप्पणी–38 : तैयार माल में परिवर्तन तथा जैविक सम्पत्तियां, स्टॉक– इन –ट्रेड एवं प्रगतिशील कार्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
बीज का प्रारंभिक स्टॉक	14,232.78	14,149.13
फार्म का स्टॉक	8,543.38	6,801.23
जोड़े :		
जैविक सम्पत्तियों से स्थानातंरण –फार्म स्टॉक	6,460.71	7,292.17
घटाएं : जैविक सम्पत्तियों के उचित मूल्य में अंतर	(6,037.31)	(6,729.59)
घटाएं :		
बीजों का अंतिम स्टॉक	15,297.97	14,232.78
फार्म स्टॉक	7,871.57	8,543.38
कुल	**30.02**	**(1,263.22)**

टिप्पणी–39 : कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
वेतन, मजदूरी, भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं बोनस	10,953.62	11,452.67
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,177.07	1,290.18
स्टॉफ कल्याण व्यय	246.60	221.05
कुल	**12,377.29**	**12,963.90**

Note 36 : Cost of materials consumed

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2021		For the year ended 31st March 2020
Opening Stock				
Certification & Packing Materials	1,729.02		1,508.41	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	511.62	2,240.64	571.91	2,080.32
Add: Purchases				
Certification & Packing Materials	1,914.47		1,950.62	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	922.38	2,836.85	829.03	2,779.65
Less: Closing stock				
Certification & Packing Materials	1,811.10		1,729.02	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	488.58	2,299.68	511.62	2,240.64
Total		**2,777.81**		**2,619.33**

Note 37 : Purchases of stock in trade

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Certified seeds	71,233.93	71,057.60
Foundation seeds	2,256.99	2,584.84
Breeder seeds	529.02	762.52
Saplings	43.13	15.45
Total	**74,063.07**	**74,420.41**

Note 38 : Changes in biological assets and inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Opening Stock of Seeds	14,232.78	14,149.13
Farm Stock	8,543.38	6,801.23
Add:		
Transfer From Biological Assets - Farm Stock	6,460.71	7,292.17
Less : Difference in Fair Value of Biological Assets	(6,037.31)	(6,729.59)
Less :		
Closing Stock of Seeds	15,297.97	14,232.78
Farm Stock	7,871.57	8,543.38
Total	**30.02**	**(1,263.22)**

Note 39 : Employee Benefits Expense

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Salary, Wages, Allowances, Other benefits and Bonus	10,953.62	11,452.67
Contribution to provident fund and other funds	1,177.07	1,290.18
Staff welfare expenses	246.60	221.05
Total	**12,377.29**	**12,963.90**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–40 : वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
ब्याज व्यय		
बैंक से प्रतिभूति ऋण (नकद ऋण)/अल्पावधि अप्रत्याभूत ऋण	380.02	739.87
अन्य उधार लागत		
ऋण संसाधन शुल्क	15.21	12.63
छूट (Unwinding of discount)	20.20	22.44
लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय	4.44	5.99
कुल	**419.87**	**780.93**

टिप्पणी–41 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास	1,729.46	1,796.28
संपतति उपयोग पर मूल्यह्रास	26.41	33.50
परिशोधन	0.32	0.56
कुल	**1,756.19**	**1,830.34**

टिप्पणी–42 : अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे	
क. परिचालन व्यय				
मरम्मत व रख रखाव :				
गोदाम व संसाधन संयंत्र भवन	28.11		21.56	
संयंत्र व मशीनरी	56.79	84.90	54.25	75.81
आवक माल भाड़ा जिसमें माल एवं अचल संपत्तियों की अतंर इकाई सचंलन भाड़ा भी शामिल है।	2,186.13		2,037.53	
घटाएंः परिवहन सहायता	(243.99)	1,942.14	(251.55)	1,785.98
भंडारण व संसाधन संयंत्रों का किराया		769.36		679.15
संसाधन, निरीक्षण व बीज परीक्षण प्रभार		2,182.05		1,645.97
उपयोग में आए भंडार, कल पुर्जे इत्यादि (स्वदेशी सहित)		251.94		216.39
बिजली व ईंधन		1,223.64		1,039.26
सिंचाईं प्रभार		24.88		19.00
प्रयोगशाला खर्च		7.51		2.96
कृषि परिचालन व्यय		745.97		461.75
अन्य विविध खर्चे		136.19		103.81
कुल (क)		**7,368.58**		**6,030.08**
ख. प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत एवं रखरखाव :				
कार्यालय व आवासीय भवन	40.50		37.79	
अन्य	104.57	145.07	84.06	121.85
किरायाः कार्यालय एवं आवासीय भवन		326.46		256.62
यात्रा एवं स्थानीय वाहन *		164.97		239.62
टेलीफोन व ट्रंक काल		30.81		35.09

Note 40: Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Interest Expense:		
On Secured loans(Cash Credit)/Short term Unsecured from Bank	380.02	739.87
Other Borrowing Costs:		
Loan Processing Fees	15.21	12.63
Unwinding of discount	20.20	22.44
Interest exp on lease liabilities	4.44	5.99
Total	**419.87**	**780.93**

Note 41: Depreciation and Amortization expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Depreciation on Property, Plant and Equipment	1,729.46	1,796.28
Depreciation on right of use assets	26.41	33.50
Amortisation	0.32	0.56
Total	**1,756.19**	**1,830.34**

Note 42 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021		For the year ended 31st March 2020	
A- Operational Expenses:				
Repair and Maintenance:				
Godown and Processing Plant Building	28.11		21.56	
Plant and Machinery	56.79	84.90	54.25	75.81
Carriage Inwards including freight on Inter Unit movement of goods and fixed assets	2,186.13		2,037.53	
Less: Transport Subsidy	(243.99)	1,942.14	(251.55)	1,785.98
Rent for Storage and Processing Plants		769.36		679.15
Processing, Inspection and Seed Testing charges		2,182.05		1,645.97
Stores, Spares etc. Consumed (all indigenous)		251.94		216.39
Power and Fuel		1,223.64		1,039.26
Irrigation charges		24.88		19.00
Laboratory Expenses		7.51		2.96
Agriculture Operational Expenses		745.97		461.75
Other Miscellaneous Expenses		136.19		103.81
Total (A)		**7,368.58**		**6,030.08**
B- Administrative Expenses				
Repair and Maintenance:				
Office and Residential Buildings	40.50		37.79	
Others	104.57	145.07	84.06	121.85
Rent: Office and Residential Buildings		326.46		256.62
Travelling and Conveyance *		164.97		239.62
Telephone and Trunk Calls		30.81		35.09

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

विवरण		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
डाक टिकट, तार व टेलेक्स		14.22		17.49
मुद्रण व लेखन सामग्री		69.29		63.78
बिजली व पानी प्रभार		365.05		304.16
फर्नीचर, जुड़नार, वाहन आदि का किराया भाड़ा		76.80		80.88
मुकद्दमा व्यय (कानूनी खर्च)		43.30		71.48
दर व कर		63.33		58.62
कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान, समूह बीमा इत्यादि का प्रशासनिक प्रभार		12.49		13.20
बीमा		79.61		61.73
मनोरंजन व्यय		17.06		32.55
विज्ञापन (साधारण)		31.51		31.70
लेखा परीक्षकों को मानदेय (सेवा कर सहित)				
- लेखा परीक्षकों को	11.06		11.59	
- कराधान मामले	3.58		2.18	
- अन्य सेवाएं	1.67		2.93	
- खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.86	17.17	3.64	20.34
निदेशक बैठक शुल्क		2.35		1.60
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस एवं खर्चों की प्रतिपूर्ति		26.29		26.09
बैंक प्रभार		21.35		23.67
भूमि विकास व्यय बट्टे खाते		35.58		36.76
पौध रोपण फसल बट्टे खाते		1.25		2.25
विविध		165.73		119.82
कुल (ख)		**1,709.69**		**1,619.30**
ग. बिक्री व्यय				
जावक भाड़ा		1,943.09		1,858.69
प्रचार व विज्ञापन		160.37		68.79
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-		-
जीएसटी कर		61.62		24.86
बिक्री कर		4.43		2.52
धन वापसी गांरटी के अंतर्गत मुआवजा		-		6.11
डायरी खर्च (निवल)		-		12.46
विदेशी व्यापार पर हानि		-		0.07
अन्य बिक्री व्यय		19.73		7.55
कुल (ग)		**2,189.24**		**1,981.05**
घ. अलाउन्स व बट्टे खाते				
अशोध्य व संदिग्ध के लिए अलाउन्स				
व्यापार प्राप्य		670.80		245.44
अग्रिम और दावे		974.84		1,486.10
बट्टे खाते		-		-
व्यापार प्राप्य		1.69		-
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्य के प्रावधान के विरूद्ध वसूली योग्य		-		-
बिक्री/उत्पादन सहायता के विरूद्ध भारत सरकार से प्राप्य		-		0.72
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों, दावों इत्यादि के प्रावधान के वसूली योग्य		-		-
कुल (घ)		**1,647.33**		**1,732.26**
ड. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय :		84.65		164.87
कुल (क+ख+ग+घ+ड.)		**12,999.49**		**11,527.56**

* इसमें क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को चुकाया गया यात्रा व्यय रू. 2.22 लाख एवं निदेशको का रू. 0.49 लाख (पिछले वर्ष : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रू. 11.41 लाख एवं निदेशको का रू.3.00 लाख) शामिल है।

Particulars		For the year ended 31st March 2021		For the year ended 31st March 2020
Postage, Telegrams and Telex		14.22		17.49
Printing and Stationery		69.29		63.78
Electricity and Water Charges		365.05		304.16
Hire Charges of Furniture, Fixtures, Vehicles etc.		76.80		80.88
Legal Expenses		43.30		71.48
Rates and Taxes		63.33		58.62
Admn. charges of EPF, Gratuity, Group Insurance etc.		12.49		13.20
Insurance		79.61		61.73
Entertainment Expenses		17.06		32.55
Advertisement (General)		31.51		31.70
Remuneration to Auditors (including tax):				
- As auditor	11.06		11.59	
- For taxation matters	3.58		2.18	
- For other services	1.67		2.93	
- For reimbursement of expenses	0.86	17.17	3.64	20.34
Directors sitting fee		2.35		1.60
Internal Audit Fees and reimbursement of expenses		26.29		26.09
Bank Charges		21.35		23.67
Land development expenses written off		35.58		36.76
Plantation crop written off		1.25		2.25
Miscellaneous		165.73		119.82
Total (B)		**1,709.69**		**1,619.30**
C- Selling Expenses:				
Freight Outward		1,943.09		1,858.69
Publicity and Advertisement		160.37		68.79
Research and Development Expenses		-		-
Goods and Service Tax		61.62		24.86
Sales Tax		4.43		2.52
Compensation paid under money back guarantee,		-		6.11
Diary Expenses (net)		-		12.46
Loss on Foreign Translation		-		0.07
Other selling expenses		19.73		7.55
Total (C)		**2,189.24**		**1,981.05**
D- Allowances and write offs				
Allowance for bad and doubtful:				
Trade Receivables		670.80		245.44
Advances and claims		974.84		1,486.10
Write-offs:		-		-
Trade Receivables		1.69		-
Less: Charged against Provision for Doubtful Trade Receivables		-		-
Recoverable from Government of India against sales/production subsidy		-		0.72
Less: Charged against Provision for Doubtful Advances, Claims etc.		-		-
Total (D)		**1,647.33**		**1,732.26**
E- Expenses on Corporate Social Responsibility		84.65		164.87
Total (A+B+C+D+E)		**12,999.49**		**11,527.56**

* Includes travelling expenditure of CMD : ₹2.22 lakhs and Directors ₹0.49 lakhs respectively (Previous year : CMD ₹11.41 lakhs and Directors ₹3.00 lakhs respectively)

टिप्पणी–43 : विशिष्ट मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
पेंशन का प्रावधान	-	-
सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना का प्रावधान	12.71	360.95
सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	65.93	62.36
	78.64	**423.31**

टिप्पणी–44 : अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे	
<u>मदें जो लाभ एवं हानि पर पुनः वर्गीकृत नहीं होंगी</u>				
परिभाषित लाभ योजना का पुनः निर्धारण (उपदान)	(474.74)		(330.47)	
परिभाषित लाभ योजना पर आयकर का प्रभाव	119.49	(355.25)	43.25	(287.22)
निवेश का उचित मूल्यांकन	391.55		160.31	
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निवेश पर आयकर का प्रभाव	(78.31)	313.24	(32.06)	128.25
कुल		**(42.01)**		**(158.97)**

टिप्पणी–45 : प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

प्रति शेयर उपार्जन निर्धारण करने में, कंपनी कर पश्चात निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या है। अमिश्रित उपार्जन प्रति शेयर की गणना तब की जाती है यदि वर्ष के दौरान संभावित इक्विटी शेयर शामिल होते हैं।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
मूल प्रति शेयर उपार्जन *	42.51	521.97
डिल्यूटिड प्रति शेयर उपार्जन *	42.51	521.97

*** संदर्भ टिप्पणी संख्या – 46**

मूल प्रति शेयर उपार्जन की गणना में आय तथा प्रयोग किए गए शेयर डाटा को दर्शाया गया है :–

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
मूल इक्विटी शेयर धारकों के लिए लाभ		
जारी परिचालन	243.68	2,991.95
बंद परिचालन	-	-
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए इक्विटी धारकों के लिए लाभ	**243.68**	**2,991.95**
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयरों पर ब्याज	-	-
कमजोर प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी धारकों के लिए लाभ	**243.68**	**2,991.95**

निम्नलिखित भारित औसत शेयरों की संख्या जोकि मूल ईपीएस की संगणना में प्रयोग की गई है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकडे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकडे
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	573,199	573,199
<u>डिल्यूशन का प्रभाव</u>		
शेयर विकल्प	-	-
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयर	-	-
डिल्यूशन के प्रभाव के लिए समायोजित भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	**573,199**	**573,199**

Note 43 : Exceptional Items

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Provision of Pension written back	-	-
Provision of post retirement contributory medical benefit scheme written back	12.71	360.95
Profit on sale of asset	65.93	62.36
	78.64	**423.31**

Note: - 44 Components of Other Comprehensive Income (OCI)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021		For the year ended 31st March 2020	
Items that will not be reclassified to profit and loss				
Remeasurement of Defined benefit plans (Gratuity)	(474.74)		(330.47)	
Income tax effect related to defined benefit plans	119.49	(355.25)	43.25	(287.22)
Fair Valuation of Investment	391.55		160.31	
Income tax effect related to Investment Through Other Comprehensive Income	(78.31)	313.24	(32.06)	128.25
Total		**(42.01)**		**(158.97)**

Note: - 45 Earnings per share (EPS)

In determining earning per share, the company considers the net profit after tax. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The dilutive earning per share is computed in case there is potential equity share involved during the year.

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Basic EPS (in ₹) *	42.51	521.97
Diluted EPS (in ₹) *	42.51	521.97

*** Refer Note no - 46**

The following reflects the income and share data used in the basic EPS computations:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Profit attributable to equity holders of the parent:		
Continuing operations	243.68	2,991.95
Discontinued operation	-	-
Profit attributable to equity holders for Basic Earning Per Share	**243.68**	**2,991.95**
Interest on convertible preference shares	-	-
Profit attributable to equity holders adjusted for the effect of dilution	**243.68**	**2,991.95**

The following reflects the weighted average No of shares used in the basic EPS Computations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Weighted average number of Equity shares for basic EPS	573,199	573,199
Effect of dilution:		
Share Options	-	-
Convertible preference shares	-	-
Weighted average number of Equity shares adjusted for the effect of dilution	**573,199**	**573,199**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–46 उत्पादन सब्सिडी

वित्तीय वर्ष 2013–14 तक, वित्तीय वर्ष के भीतर की गई खरीद के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का दावा किया गया था। बाद में तत्कालीन संयुक्त सचिव (फसल) के निर्देशानुसार 2014–15 से 2019–20 तक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का दावा किया गया। वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) उन मौसमों पर आधारित होती है जो वित्तीय वर्ष के साथ आंशिक रूप से ओवरलैप होते हैं। उदाहरण के लिए, 2019–20 की वार्षिक कार्य योजना में, खरीफ 2019, रबी 2019–20 एवं ग्रीष्मकालीन 2020 शामिल होती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएजी ने उपरोक्त लेखांकन व्यवहार पर अपनी आपत्ति उठाई है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने वास्तविक खरीद के बजाय एएपी के अनुसार अनुमानित आधार पर अपनी उत्पादन सब्सिडी का हिसाब लगाया है, हालांकि यह 2019–20 के एएपी के अनुसार लागू उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार था, जिस तरह के सेक्टर में एनएससी है उसके अनुरूप है। वर्ष 2020–21 के दौरान, सीएजी की टिप्पणियों के अनुरूप, कंपनी ने वर्ष के दौरान वास्तविक खरीद के आधार पर ₹12.49 करोड़ की अपनी उत्पादन सब्सिडी को दिखाया है। यदि पिछले वर्ष के अनुसार पालन किया जाता, तो सब्सिडी का दावा रू. 94.09 करोड़ होता। इसलिए सीएजी द्वारा उठाई गई आपत्ति को प्रभावी बनाने के लिए, 2020–21 के दौरान कंपनी के पीबीटी और कुल राजस्व में रू. 81.61 करोड़ की कमी आई है, जो कि खरीफ–2020, रबी 2020–21 और ग्रीष्मकालीन 2021 की उत्पादन सब्सिडी है, को अगले साल तक के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।

2020–21 के दौरान वास्तविक खरीद के आधार पर दिखाए गए रू. 12.49 करोड़ की उत्पादन सब्सिडी, खरीफ 2020 के दौरान केवल 31.03.2021 तक आंशिक खरीद का प्रतिनिधित्व करती है। आंशिक खरीफ 2019, रबी 2019–20 और ग्रीष्म 2020 के दौरान वास्तविक खरीद के अनुसार उत्पादन सब्सिडी के लगभग 51.27 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष 2019–20 में वसूली वाले माने गए है, जो अन्यथा वास्तविक खरीद के आधार पर वर्ष 2020–21 का हिस्सा होता।

(रु. करोड़ में)

विवरण	एएपी के अनुसार (लगभग / अलेखापरीक्षित)	वास्तविक खरीद के अनुसार
संचालन से राजस्व	1,096.79	1,015.18
कुल राजस्व	1,129.67	1,048.06
कर पूर्व लाभ	83.22	4.61
कर पश्चात लाभ	64.72	2.44
प्रति शेयर आय (रू. में)	1,129.09	42.51

टिप्पणी–47 : पूंजी प्रबंधन

निगम का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि सतत व्यवसाय जारी रखते हुए उसकी क्षमता सुनिश्चित हो, जिससे निगम अपने शेयर धारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेक होल्डर्स को लाभ दे सके।

इसके अलावा, निगम अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय वाचाओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन के प्रकाश में समायोजन करने के लिए करता है। निगम पूंजी की लागत को कम करने के लिए ऋण और इक्विटी की एक इष्टतम पूंजी संरचना रखता है। निगम के ऋणों में बैंकों से दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक उधार शामिल हैं। निगम की प्रमुख गतिविधियों को कैश क्रेडिट, सब्सिडी और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

Note: 46 - Production Subsidy

Upto the financial year 2013-14 production subsidy was claimed on the bais of procurement made within the financial year. Later as per the Directions of the then Joint Secretary (Crops) production subsidy during a financial year from 2014-15 upto 2019-20 was claimed on the bais of Annual Action Plan approved for that financial year by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Annual Action Plan (AAP) for a Financial Year is based on seasons which partially overlaps with the Financial Year. For eg. Annual Action Plan for 2019-20, covers Kharif 2019, Rabi 2019-20 and Summer 2020.

CAG has raised their objection during 2019-20 on the above accounting treatment, stating that the Company has accounted for its Production Subsidy on estimated basis as per AAP rather than on actual procurement, though this was as per the production program implemented as per AAP of 2019-20 being in line with the kind of sector NSC is into. During the year 2020-21, in line with the CAG comments, the Company has recognised its Production Subsidy of ₹12.49 crores on the basis of actual procurement during the year. If the ongoing treatment in line with previous year was followed, the subsidy claim would have been ₹94.09 crores. Hence to give an effect to the objection raised by CAG, the PBT and Total Revenue of the Company during 2020-21 have decreased by ₹ 81.61 crores, which is the production subsidy of part Kharif-2020, Rabi 2020-21 and summer 2021 shifted to next year.

Production Subsidy of ₹ 12.49 crores recognised during 2020-21 on the basis of actual procurement represents partial procurement during Kharif 2020 upto 31.03.2021 only. Production subsidy as per actual procurement during partial Kharif 2019, Rabi 2019-20 and Summer 2020 amounting to ₹ 51.27 crores approx. has been considered in the previous year 2019-20, which otherwise would have been a part of 2020-21 on actual procurement basis.

(₹ in Crores)

Particulars	As per AAP (Approx / Unaudited)	As per Actual Procurement
Revenue from Operations	1,096.79	1,015.18
Total Revenue	1,129.67	1,048.06
Profit Before Tax	83.22	4.61
Profit After Tax	64.72	2.44
Earning Per Share (in ₹)	1,129.09	42.51

Notes :47 Capital management

The Corporation's objective is to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that corporation can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, Corporation manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. The Corporation maintains an optimal capital structure of debt and equity to reduce the cost of capital. The Corporation's debts includes long term debt and short term borrowings from banks. Major activities of Corporation are financed through Cash Credit, subsidy and internal accruals.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
उधार		
प्रत्याभूत अल्पावधि ऋण(टिप्पणी सं0 24 + 28)	951.74	256.90
अप्रत्याभूत अल्पावधि ऋण (टिप्पणी सं0 28)	0.05	7,542.65
निवल ऋण	**951.79**	**7,799.55**
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी सं0 21)	5,731.99	5,731.99
अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं0 22)	57,069.53	58,086.74
कुल इक्विटी	**62,801.52**	**63,818.73**
इक्विटी अनुपात में निवल ऋण	0.015	0.122

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिए उद्देश्य, नीति अथवा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

टिप्पणी–48 : उचित मूल्य निर्धारण

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओ सीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओ सीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्तियां						
(i) निवेश	-	3,162.74	546.09	-	2,771.21	1,078.77
(ii) अन्य गैर चालू वित्तीय संपत्तियां	-	-	299.20	-	-	235.46
(iii) व्यापार प्राप्य	-	-	40,302.67	-	-	41,041.27
(iv) नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	10,254.48	-	-	3,548.56
(v) उक्त (iv) के अलावा बैंक शेष	-	-	250.98	-	-	434.94
(vi) अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां	-	-	16,376.33	-	-	27,983.38
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**3,162.74**	**68,029.75**	**-**	**2,771.21**	**74,322.38**
वित्तीय देयताएं						
(i) उधार	-	-	951.79	-	-	7,799.55
(ii) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	-	-	2,250.77	-	-	3,471.14
(iii) व्यापार प्रदेय	-	-	35,620.76	-	-	31,119.83
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	9,371.72	-	-	9,509.79
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**48,195.04**	**-**	**-**	**51,900.31**

i) व्यापार प्राप्तियों, व्यापार दाताओं, अल्पकालिक धरोहर राशि, नकद एवं नकदी समतुल्य और अन्य अल्प अवधि प्राप्तियां तथा देनदारियों का उचित मूल्य को अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ii) कंपनी द्वारा दीर्घावधि परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट देश के जोखिम कारकों तथा अन्य जोखिम कारकों जैसे मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसी देनदारियों का उचित मूल्य उनकी लाई गई राशि से भौतिक रूप से अलग नहीं है।

iii) जैविक सम्पत्तियों का उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उर्द्धत मूल्य के आधार पर की गई थी जिससे कि इकाईयां निर्धारण के कार्य पर उपयोग कर सकते हैं। इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर–3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021	31 March 2020
Borrowings		
Secured short term loan (Note 24 + Note 28)	951.74	256.90
Unsecured short term loan (Note No. 28)	0.05	7,542.65
Net debt	**951.79**	**7,799.55**
Equity Share Capital (Note No. 21)	5,731.99	5,731.99
Other equity (Note No. 22)	57,069.53	58,086.74
Total equity	**62,801.52**	**63,818.73**
Net Debt to equity ratio	0.015	0.122

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the year ended 31 March 2021.

Note 48 : Fair Value measurements

(i) Financial Instruments by Category

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2021			31 March 2020		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Investment	-	3,162.74	546.09	-	2,771.21	1,078.77
(ii) Other Non Current Financial Assets	-	-	299.20	-	-	235.46
(iii) Trade Receivables	-	-	40,302.67	-	-	41,041.27
(iv) Cash and Cash Equivalents	-	-	10,254.48	-	-	3,548.56
(v) Bank balances other than (iv) above	-	-	250.98	-	-	434.94
(vi) Other Current financial assets	-	-	16,376.33	-	-	27,983.38
Total Financial Assets	**-**	**3,162.74**	**68,029.75**	**-**	**2,771.21**	**74,322.38**
Financial Liabilities						
(i) Borrowings	-	-	951.79	-	-	7,799.55
(ii) Other Non Current Financial Liablities	-	-	2,250.77	-	-	3,471.14
(iii) Trade payables	-	-	35,620.76	-	-	31,119.83
(iv) Other current financial liabilities	-	-	9,371.72	-	-	9,509.79
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**48,195.04**	**-**	**-**	**51,900.31**

i) The fair value of trade receivables, trade payables, short term security deposit, cash and cash equivalents and other short term receivables and payables are considered to be the same as their carrying amount, due to short term nature.

ii) Long term variable rate borrowings are evaluated by Corporation on parameters such as interest rates, specific country risk factors and other risk factors based on this evaluation the fair value of such payables are not materially different from their carrying amount.

iii) The fair value of biological assets were calculated based on quoted price in active market that the Corporation can access at the relevant measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

iv) धरोहर राशि और अन्य जमाओं के उचित मूल्य अनुमानित उचित मूल्य है, इसलिए लाई गई लागत एवं उचित मूल्य की तुलना का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(v) कंपनी के वित्तीय साधनों के लिए लाई गई राशि एवं उचित मूल्य के श्रेणी के आधार पर तुलना उचित मूल्य पर अनुमानित है जोकि वित्तीय मूल्यों का उचित अनुमान है प्रस्तुत नहीं किए जाते है क्योंकि रिपोटिंग तारीख पर सभी वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उनके वाहक मूल्य अनुमानित करता है।

31.03.2021 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
जैविक सम्पत्तियां				
खड़ी फसलें	-	-	5,548.89	5,548.89
पेड़	-	-	4,688.05	4,688.05
पौधशाला	-	-	108.79	108.79
वित्तीय परिसंपत्तिया				
निवेश	-	-	3,162.74	3,162.74
	-	**-**	**13,508.47**	**13,508.47**

31–03–2021 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	-	-	936.38	936.38
	-	**-**	**936.38**	**936.38**

31–03–2020 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
जैविक सम्पत्तियां				
खड़ी फसलें	-	-	6,422.14	6,422.14
पेड़	-	-	4,247.80	4,247.80
पौधशाला	-	-	99.19	99.19
वित्तीय परिसंपत्तिया				
निवेश	-	-	2,771.21	2,771.21
	-	**-**	**13,540.34**	**13,540.34**

31–03–2020 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	-	-	969.25	969.25
	-	**-**	**969.25**	**969.25**

iv) Carrying value of security and other deposits approximates fair value. Therefore disclosure for comparision of carrying value and fair value is not provided.

(v) Comparision by class of the carrying amounts and fair value of the Corporation's financial instruments other than those with carrying amounts that are reasonable approximation of fair values are not presented since fair value of all financial instruments as on reporting date approximates their carrying value.

Fair Value hierarchy as on 31-3-2021

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Crops	-	-	5,548.89	5,548.89
Trees	-	-	4,688.05	4,688.05
Nursery	-	-	108.79	108.79
Financial Assets				
Investment	-	-	3,162.74	3,162.74
	-	**-**	**13,508.47**	**13,508.47**

Fair Value hierarchy as on 31-3-2021

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	936.38	936.38
	-	**-**	**936.38**	**936.38**

Fair Value hierarchy as on 31-3-2020

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Corps	-	-	6,422.14	6,422.14
Trees	-	-	4,247.80	4,247.80
Nursery	-	-	99.19	99.19
Financial Assets				
Investment	-	-	2,771.21	2,771.21
	-	**-**	**13,540.34**	**13,540.34**

Fair Value hierarchy as on 31-3-2020

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	969.25	969.25
	-	**-**	**969.25**	**969.25**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–49 : उचित मूल्य के निर्धारण हेतु उपयोगित मूल्यांकन तकनीक

(i) उचित मूल्य के लिए मूल्यांकन आदान एवं सम्बन्ध

उचित मूल्य निर्धारण में उपयोगित उल्लेखनीय अप्रभावी आदानों के संबंध में गुणात्मक जानकारी का सार निम्नलिखित सारिणी के रूप में है। उचित मूल्यों को रियायती नकदी प्रभाव के आधार पर निर्धारित किया गया है।

विवरण	उचित मूल्य पर		अप्रभावी इनपुट	इनपुट रेंज		उचित मूल्य के लिए अप्रभावी इनपुट का संबंध
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	
गैर उद्धृत इक्विटी शेयर	3,162.74	2,771.21	निगम ने स्वतंत्र मूल्याकंन के माध्यम से समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्य निर्धारित किया है। हालांकि कुछ मामलों में नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र पर विचार किया गया जोकि वर्ष 2016–17 की है।	लागू नहीं		लागू नहीं
धरोहर एवं अन्य जमा (अन्य वित्तीय संपत्तियां)	936.38	969.25	धरोहर जमा की ब्याज दर एवं संविदात्मक शर्तें	4.722% (भारत सरकार का तीन वर्षीय बोंड)	6.25% (भारत सरकार का तीन वर्षीय बोंड)	ब्याज की दर अधिक, उचित मूल्य कम
फार्म स्टॉक	5,548.89	6,422.14	उपज – प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	i) 35–40 कु./है. ii) मूंग – 3–5 कु./है. iii) उड़द – 3–5 कु./है. iv) तिल – 2–3 कु./है. v) भिंडी– 3–5 कु./है. vi) गेहूं – 30–35 कु./है. vii) जौं – 20–30 कु./है. viii) सरसों– 12–15 कु./है. ix) चना – 7–12 कु./है. x) पालक – 6–10 कु./है.		अधिक उपज, अधिक उचित मूल्य
पेड़	4,688.05	4,247.80	उपज – प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	-	-	परिधि में व्यापक, अधिक उचित मूल्य
पौधशाला	108.79	99.19	उपज – प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	धान – 35–40 कु./है.	-	उच्च बाजार मूल्य, अधिक उचित मूल्य

(ii) मूल्यांकन प्रक्रियाएं

<u>जैविक परिसंपत्तियां</u>

निगम का वित्त, उत्पादन एवं विपणन विभाग, एक टीम के रूप में वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए निगम की जैविक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करती है जिसमें स्तर–3 मान शामिल है। मूल्याकंन का आवश्यकताओं के अनुरूप यह टीम वित्त प्रमुख को रिपोर्ट करती है। प्रति वर्ष कम से कम एक बार मूल्यांकन टीम एवं वित्त प्रमुख के बीच मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाओं और परिणामों पर चर्चा होती है।

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों एवं जैविक परिसंपत्तियों के लिए मुख्य स्तर–3 आदानों को व्युत्पन्न तथा मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है।

(i) उपज का निर्धारण पौध रोपण की आयु, ऐतिहासिक उपज, जलवायु संबंधी विविधताओं जैसे कि गम्भीर मौसम की घटनाएं, पौध नुकसान तथा उत्पादन में आने वाली नई क्षेत्रों आधार पर किया जाता है।

(ii) प्रांसगिक क्षेत्र के लिए मूल्यों में लागत उद्धृत हैं जैसे कि विपणन विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है।

टिप्पणी–50 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

निगम की मुख्य वित्तीय देनदारियों में बैंक उधार, व्यापार एवं अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य निगम का संचालन तथा इस संचालन के लिए गांरटी प्रदान करना है। निगम की प्रमुख वित्तीय संपत्ति में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकद तथा नकदी समतुल्य शामिल हैं, जो इसके प्रचालन से सीधे प्राप्त होते हैं। निगम को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा तरलता जोखिम

Note: 49 - Valuation techniques used to determine fair value:

(i) Valuation inputs and relationships to fair value

The following table summarises the qualitative information about the significant unobservable inputs used in the fair value measurements. The fair values are determined based on discounted cash flow:

Description	Fair value at		Unobservable inputs	Range of Inputs		Relationship of unobservable inputs to fair value
	31st March 2021	31st March 2020		31st March 2021	31st March 2020	
Unquoted Equity Shares	3,162.74	2,771.21	Corporation has determined value of investment based on adjsuted intrinsic value, through independent valuer. However in some cases the latest available Balance Sheet was considered for valuation which is for the year 2016-17.	Not applicable		Not applicable
Security and other deposits (Other financial asstes)	936.38	969.25	Interest rate and contractual terms of security deposits	4.722% (Three year GOI bond)	6.25% (Three year GOI bond)	The higher the rate of interest, the lower the fair value
Farm Stock	5,548.89	6,422.14	Yield- tonnes per hectare and price	i) Paddy - 35-40 qtl/ha ii) Moong - 3-5 qtl/ha iii) Urd - 3-5 qtl/ha iv) Til - 2-3 qtl/ha v) Bhindi - 3-5 qtl/ha vi) Wheat - 30-35 qtl/ha vii) Barley - 20-30 qtl/ha viii) Mustard - 12-15 qtl/ha ix) Gram - 7-12 qtl/ha x) Palak 6-10 qtl/ha		The higher the yield, the higher the fair value
Trees	4,688.05	4,247.80	Yield- tonnes per hectare and price	-	-	The wider the girth, the higher the fair value
Nursery	108.79	99.19	Yield- tonnes per hectare and price	Paddy - 35-40 qtl/ha	-	The higher the market price, the higher the fair value

(ii) Valuation processes

Biological Assets

The Corporation's Finance, Production and Marketing department as a team performs the valuation of the corporations biological assets for financial reporting purposes, including level 3 values. The team reports to Finance Heads. Discussions of valuation processes and results are held between the valuation team and Finance Head at least once in every year, in line with reporting requirements.

The main level 3 inputs for unlisted equity securities and biological assets are derived and evaluated as follows:

i) Yield is determined based on the age of the plantation, historical yields, and climate-induced variations such as severe weather events, plant losses and new areas coming into production.

ii) Prices are quoted prices for relevant region as certified by marketing department.

Note: 50 - Financial risk management

The corporation's principal financial liabilities comprise bank borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the corporations operations and to provide guarantees to support its operation. The corporation's principal financial assets include trade and other receivables which includes Govt. subsidy and cash

करना पड़ता है। निगम की वित्तीय जोखिम गतिविधियां विनियोजित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और उस वित्तीय जोखिम की पहचान निगम की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित एवं प्रबंध किया गया है। निदेशक मंडल इन जोखिमों की समीक्षा करती है तथा इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए बनाई गई नीतियों से सहमत होती है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ब्याज जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण एवं उधार, जमा एवं अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। निगम बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के जोखिम के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों को प्राथमिकता देता है। निगम अपनी नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करता है।

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम निगम के वित्तीय नुकसान के लिए जोखिम बन जाता है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्षी अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। निगम अपनी वित्तीय गतिविधियों जिसमें व्यापार प्राप्य, बैंक में जमा, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों से क्रेडिट जोखिम पर निगम अपनी नीति के अनुसार प्रबंध करता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

निगम अपनी नीति के अनुसार बैंक के पास शेष राशि के लिए क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंकों से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अधिशेष का निवेश सिर्फ मान्यता प्राप्त बैंकों में किया जाता है।

टिप्पणी–51 : आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य संबंधी निम्नलिखित मुख्य अवधारणाएं हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकलन के मुख्य स्रोत हैं, जिनका अगले वित्तीय वर्ष के लिए संपत्तियों और देनदारियों की लाई गई राशि के लिए सामग्री समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन निर्धारण और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से निर्धारित किया जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रभावी बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां पर उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक फैसले की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम और उतार–चढ़ाव जैसे निवेश शामिल हैं। इन कारकों से संबंधित धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के बताए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

अप्रयुक्त कर के नुकसान के लिए अस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की गई है और उस हद तक अवशोषित मूल्यह्रास यह कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिसके विरूद्ध हानि का उपयोग किया जा सकता है तथा भावी कर नियोजन ऋण नीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ की संभावना समय और स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है।

ग) अनुमान और निर्णय

जैविक परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने में और उद्धृत इक्विटी में निवेश में अनुमान और निर्णय में तुलन पत्र की तारीख पर जैविक संपत्ति और इक्विटी उपकरणों की परिपक्वता की मात्रा और स्तर शामिल हैं। अविश्वससनीय निविष्टयों के बारे में प्रमुख मान्यताओं और उचित मूल्य के साथ उनके संबंध के लिए टिप्पणी संख्या 49 देखें।

and cash equivalents that derive directly from its operations. The corporation is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The corporation's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risk are identified, measured and managed in accordance with the corporation's policies and risk objectives. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loans and borrowing, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The Corporation's exposure to the risk of changes in market interest rate relates primilarly to the Corporate's debt obligations with floating interest rate. The Corporation manages its interest risk in accordance with the Corporation's policies and risk objective.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Corporation if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Corporation's receivables from customer. The Corporation is exposed to credit risk from its financial activities including trade receivables, deposits with banks, financial institutions and other financial instruments.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks is managed in accordance with the corporations policy. Investment of surplus are made only with approved banks on the basis of the financial quotes received from the banks.

Note 51 - Key sources of estimation of uncertainty

The following are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation of uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial liabilities is measured by the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

b) Taxes

Deferred tax assets are recognised for unused tax losses and unabsorbed depreciation to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which losses can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax asset that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profit together with future tax planning strategies.

c) Estimates and judgment

Estimates and judgments in determining the fair value of biological assets and Investment in Unquoted Equity instrument includes the volume and stage of maturity of biological assets and Equity instruments as at balance sheet date. See note 49 for key assumptions about unobservable inputs and their relationship to fair value.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

घ) निवेश का उचित मूल्यांकन

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग करके संस्थाओं की निवल परिसंपत्तियों के समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि कुछ निगमों के लिए नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे, निवेश का और मूल्यांकन बाजार और आर्थिक कारकों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों में परिवर्तन और नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की उपलब्धता वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तित हो सकते हैं।

ड) लीज

इंड एएस–116 के तहत, पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के लिए किसी विकल्प के साथ समायोजित, यदि इस तरह के विकल्प का उपयोग उचित है, पट्टे की रद्द न करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा अवधि निर्धारित करने के लिए पट्टेदारों की आवश्यकता है। कंपनी लीज–बाय–लीज के आधार पर अपेक्षित लीज टर्म पर एक आंकलन करती है और इस प्रकार यह आंकलन करती है कि क्या यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित है कि अनुबंध का विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का उपयोग किया जाएगा। भविष्य अवधियों में लीज टर्म का पुर्नमूल्याकंन यह सुनिश्चित करता है कि लीज टर्म मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है।

च) कोविड–19 (कोविड –19) से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड –19 से संबंधित महामारी से उत्पन्न हो सकता है। कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर, इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करने में सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों तथा आर्थिक पूर्वानुमानों का उपयोग किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है क्योंकि यह अनुमान वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से लगाए गए हैं।

टिप्पणी–52 : अनुबंधीय प्रतिबद्धताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
शेष ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाता है और प्रावधान नहीं किया (अग्रिमों का निवल)	363.66	625.82
कुल	**363.66**	**625.82**

टिप्पणी–53 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

निगम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में 57 विक्रेताओं की पहचान की है, जैसे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) में परिभाषित है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :–

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि देय	1,149.22	2,127.42
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत उपरोक्त राशि पर आपूर्तिकर्ता के कारण अर्जित ब्याज और अप्रदत्त	-	-
वर्ष केदौरान नियुक्त तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को (ब्याज के अलावा) दिया गया भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16 के अलावा) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पहले से ही किए गए भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय / प्रदेय ब्याज	-	-

d) Fair Valuation of Investment

Investments are valued based on adjusted intrinsic value of net assets of entities, using audited Financial Statements. However latest financial statement for some of the Corporations were not available, further valuation of investment depends on various factors including market and economic factor Changes in conditions and availability of latest audited financial statements may lead to change in value of financial assets.

e) Leases

Ind AS-116 requires lessees to determine the lease term as the non-cancellable period of a lease adjusted with any option to extend or terminate the lease, if the use of such option is reasonably certain. The Company makes an assessment on the expected lease term on a lease-by-lease basis and thereby assesses whether it is reasonably certain that any options to extend or terminate the contract will be exercised. The lease term in future periods is reassessed to ensure that the lease term relects the current economic circumstances.

f) Estimation of uncertainties relating to the global health pandemic from COVID-19 (COVID-19)

The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of receivables. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information and economic forecasts. The impact of COVID-19 on the Company's financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements.

Note : 52 Contractual Commitments

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advances)	363.66	625.82
Total	**363.66**	**625.82**

Note : 53 Micro Small and Medium Enterprises.

The Corporation has identified 57 vendors as Micro, Small and Medium enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). The disclosures pursuant to the said Act is as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2021	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2020
Principal amount due to suppliers under MSMED Act	1,149.22	2,127.42
Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	-	-
Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than section 16)	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (section 16)	-	-
Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–54 : विदेशी मुद्रा व्यापार

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
विदेशी मुद्रा में अर्जन		
पोतपर्यन्त निःशुल्क आधार पर बीजों का निर्यात	-	-
विदेशी मुद्रा में व्यय		
विदेश भ्रमण	-	4.11
सदस्यता शुल्क	3.97	4.47
सीआईएफ आधार पर आयात बीजों का मूल्य	-	-

टिप्पणी–55

टिप्पणी–55.1

व्यापार प्राप्तियां, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / समाधान के अध्याधीन है। सरकारी विभागो / पार्टियों के विरूद्ध 08/03 वर्ष से कम या उसके बराबर अवधि के लिए लंबित देय वसूली योग्य है।

टिप्पणी–55.2

एनएससी कोलकाता में मैसर्स पार्क इंडीकॉम प्रा.लि. को रू. 83754.00 लाख में किराये पर रखा गया था, जिसका करारनामा नवम्बर, 2011 में समाप्त हो गया था और किरायेदार द्वारा किराया नहीं देने के कारण एनएससी द्वारा कानूनी कार्रवाई की थी। अधिवक्ता की सलाह के अनुसार वित्त वर्ष 2016–17 से अब तक लाइसेंस फीस के लिए कोई बिल नहीं दिया गया और इसे वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 तक के बही खातें में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है और सांविधिक देय का भुगतान नहीं किया गया है।

टिप्पणी–56

सी.एस.आर. कार्यकलाप :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसतन कर–पूर्व लाभ का कम से कम 2% राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च किया जाना चाहिए। तद्नुसार 2020–21 के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए रू. 92.70 लाख का बजट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान सी.एस.आर. के मद में खर्च की गई वास्तविक राशि रू. 84.65 लाख है। रू. 8.05 लाख की शेष राशि अव्ययित सीएसआर रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई है जिसे अलग बैंक खाते में रख दी गई। इसी प्रकार 2014–15 से 2019–20 तक रू. 16.42 लाख की राशि अप्रयुक्त रह गई थी, जिसे 07.04.2021 को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है जिसे 30.09.2021 तक खर्च कर दिया गया है। इसके अलावा 31.03.2014 तक अप्रयुक्त शेष रू. 256.86 लाख की राशि को भी 31.03.2021 को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है जो अब तक अप्रयुक्त पड़ी है। चूंकि रू. 256.86 लाख की राशि डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शासित थी, बाद के वर्षों में इसके उपयोग के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रियाधनियम निर्धारित नहीं थे। हालांकि उक्त राशि का उपयोग आने वाले वर्षों में कुछ निश्चित परियोजनाओं में किया जाएगा। सीएसआर से संबंधित हाल ही में संशोधित कंपनी अधिनियम, जो 22.01.2021 से प्रभावी है और जो कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित वर्ष 2014–15 से संचित अप्रयुक्त राशि के लिए लागू हैं।

विवरण निम्नानुसार हैः

क) कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि अर्थात सीएसआर बजट की राशि रू. 92.70 लाख है।

(रु. लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20
(i) निर्माण/अधिगृहीत संपत्ति	42.58	41.53
(ii) अन्य उद्देश्य	42.07	123.34
कुल	**84.65**	**164.87**

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित कोई संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं है।

ग) वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कम राशि खर्च करने के कारण सीएसआर आरक्षित के लिए रू. 8.05 लाख का प्रावधान किया गया है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note : 54 - FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(₹ in lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2021	Figures for the current reporting period ended 31.03.2020
Earnings in Foreign Exchange:		
Export of seeds on F.O.B. Basis	-	-
Expenditure in Foreign Currency:		
Foreign Travel	-	4.11
Membership fees	3.97	4.47
Value of Import of Seeds on CIF basis	-	-

Note: 55

Note:55.1

The balances under Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade Payables and Other Current Liabilities are subject to confirmation/reconciliation. Dues against the Govt Department/Parties outstanding for a period of less than or equal to eight/three years are considered good.

Note: 55.2

NSC, Kolkata has a tenant for monthly rent of ₹ 83,754.00 in their premises at Salt Lake named Park Indicom Pvt. Ltd. Tenancy agreement has expired in November 2011 and due to non payment by the tenent, legal action taken by NSC. No bill has been raised for license fees as per Advocate advise from F.Y. 2016-17 onwards. So income has not been booked from FY 2016-17 to FY 2020-21 for the same and statutory dues not paid.

Note : 56

CSR Activities:

As per Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average PBT during the three immediately preceeding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility. Accordingly a budget of ₹ 92.70 lakhs was earmarked during 2020-21 for CSR activities. Actual amount spent on account of CSR during 2020-21 was ₹84.65 lakhs. The short amount of ₹ 8.05 Lakhs was tranferred to unspent CSR Reserve and kept in a separate bank Account. Similarly an amount of ₹16.42 Lakhs was remaining unutilized from 2014-15 to 2019-20 which was transferred to a separate bank account on 07.04.2021 and has been spent by 30.09.2021. Further an amount of ₹256.86 Lakhs remaining unutilized till 31.03.2014 was also transferred to a separate bank account on 31.03.2021 which is still lying untutilized till date. Since this amount of ₹256.86 Lakhs was governed by the DPE guidelines, no specific set of procedure / rules is prescribed for its utilization in subsequent years. However the said amount will be utilized in the years to come in certain earmarked projects. The recent amendments in the Companies Act effective from 22.01.2021 relating to CSR is applicable for the unutilized amount accumulating from 2014-15 governed by Companies Act, 2013.

The details are as below:

(a) Gross amount required to be spent by the company i.e. CSR Budget is ₹ 92.70 lakhs.

(₹ in lakhs)

Particulars	2020-21	2019-20
(i) Construction/Assets Acquired	42.58	41.53
(ii) Other Purpose	42.07	123.34
TOTAL	**84.65**	**164.87**

(b) There is no related party transaction w.r.t controlled by the company in relation to CSR expenditure.

(c) Provision of ₹ 8.05 lakh is made towards CSR Reserve due to less amount spent on CSR activities during the year.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–57 : संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

टिप्पणी–57.1 संस्था के मुख्य प्रबंधन अधिकारीगण

नाम	पदनाम
श्री वी.के. गौड़	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. मोहन	निदेशक (वित्त)
श्री एम.एल. अरोड़ा	निदेशक (वाणिज्यक)
श्री कौशिक रक्षित (मुख्य वित्त अधिकारी)	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)
मो. राक़िम	कम्पनी सचिव सह महा प्रबंधक (कं.मा)

टिप्पणी : 57.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन का प्रकटीकरण।

मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों की क्षतिपूर्ति

वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं अन्य मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों का मानदेय निम्न प्रकार से हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
श्री वी.के. गौड़ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	69.30	45.09
श्री एम.एल. अरोड़ा (निदेशक वाणिज्यिक) (30.08.2019 को कार्य ग्रहण कि)	34.90	16.47
श्री वी. मोहन (निदेशक वित्त)	43.48	35.66
श्री कौशिक रक्षित (वरिष्ठ महाप्रबंधक वित्त)	28.00	23.81
श्री मो. राक़िम (कम्पनी सचिव सह महाप्रबंधक (कं.मा)	37.55	32.01
कुल	**213.23**	**153.04**

मुख्य प्रबंधन अधिकारियों को मानदेय का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	208.87	150.91
सेवानिवृत्ति कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य दीर्घकालिक लाभ	4.36	2.13
समाप्ति लाभ	-	-
कुल	**213.23**	**153.04**

57.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

ऊपर दिए गए लेनदेन के अलावा, कंपनी के पास अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेन–देन हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं हैं

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note 57 : Related Party Disclosures

57.1 Key Managerial personnel of the entity

Name	Position
V.K. Gaur	Chairman cum Managing Director
V. Mohan	Director Finance
M.L.Arora	Director Commercial
Kaushik Rakshit (Chief Financial Officer)	Senior General Manager (Finance)
Mohd. Raquim	Company Secretary cum General Manager Corporate Affairs

57.2 Disclosure of transaction with related parties:

Compensation of Key Managerial Personnel

The remuneration of CMD, whole time Directors and other members of Key Managerial Personnel during the year was as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2020
Shri V.K. Gaur (Chairman cum Managing Director)	69.30	45.09
Shri M.L.Arora(Director Commercial)	34.90	16.47
Shri. V. Mohan (Director Finance)	43.48	35.66
Shri. Kaushik Rakshit (Senior General Manager-Finance)	28.00	23.81
Shri. Mohd. Raquim (Company Secretary cum General Manager Corporate Affairs)	37.55	32.01
Total	**213.23**	**153.04**

Details of Remuneration to KMP

(₹ in lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2020
Short-Term Employee Benefits	208.87	150.91
Post-Employment Benefits	-	-
Other Long-Term Benefits	4.36	2.13
Termination Benefits	-	-
Total	**213.23**	**153.04**

57.3 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सरकार का नामः भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेनः–

(रु. लाख में)

पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2020-21		2019-20	
		दावा	रसीद	दावा	रसीद
भारत सरकार	मिनीकिट	3,277.73	3,061.86	4,141.99	5,054.51
भारत सरकार	बीज बैंक	378.00	299.41	299.41	205.48
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	1,248.65	12,506.94	9,259.23	6,468.33*
भारत सरकार	वितरण सब्सिडी	-	-	-	-
भारत सरकार	एमआईडीएच	-	-	-	225.97
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	246.44	156.58	254.06	181.70
भारत सरकार	अनुदान	-	3,980.47	-	2,394.70

सरकार पर शेष

(रु. लाख में)

पार्टी	विवरण	2020-21	2019-20
भारत सरकार	मिनीकिट	3,909.84	3,693.97
भारत सरकार	बीज बैंक	378.00	299.40
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	9,514.99	20,773.29
भारत सरकार	वितरण सब्सिडी	3,400.94	3,400.94
भारत सरकार	एमआईडीएच	-	-
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	345.13	255.26
भारत सरकार	अनुदान	2,420.93	1,680.18

* वितरण सहायता सहित

अन्य खुलासेः (यदि कोई)

ये लेनदेन कंपनी के कारोबार में सामान्यतः आयोजित किए जाते है।

टिप्पणी–57.4

एनएससी द्वारा पहले से ही खर्च किए गए व्यय के विरूद्ध भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की प्राप्ति में देरी से उत्पन्न होने वाले कार्य पूंजी में घाटे की भरपाई करने के लिए उपयोग किए जाने तक अनुदान राशि, एनएससी के सामान्य नकद क्रेडिट खाते में जमा की जाती है। एनएससी को समय पर सब्सिडी और मिनीकिट की राशि जारी नहीं की जाती है तथा 31 मार्च 2021 को 6 महीने से अधिक समय तक प्रशासनिक मंत्रालय में रू 125.63 करोड़ बकाया है। इसलिए, अनुदान पर ब्याज आय की भरपाई कंपनी को सब्सिडी जारी करने में देरी पर किए गए ब्याज खर्च से होती है।

टिप्पणी–58

निदेशक मंडल की राय में सभी सम्पत्तियां (सिवाए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर चालू निवेश के अलावा) की लागत कम से कम उस राशि के बराबर है, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में बताया गया है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Name of Government: Government of India, through Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Significant Influence over company)

Certain significant Transactions:-

(₹ in lakhs)

PARTY	NATURE OF TRANSACTION	2020-21		2019-20	
		CLAIMED	RECEIPT	CLAIMED	RECEIPT
GOI	Minikit	3,277.73	3,061.86	4,141.99	5,054.51
GOI	Seed Bank	378.00	299.41	299.41	205.48
GOI	Production Subsidy	1,248.65	12,506.94	9,259.23	6,468.33*
GOI	Distribution Subsidy	-	-	-	-
GOI	MIDH	-	-	-	225.97
GOI	Transport Subsidy	246.44	156.58	254.06	181.70
GOI	Grant	-	3,980.47	-	2,394.70

Balance with Government

(₹ in lakhs)

PARTY	Partculars	2020-21	2019-20
GOI	Minikit	3,909.84	3,693.97
GOI	Seed Bank	378.00	299.40
GOI	Production Subsidy	9,514.99	20,773.29
GOI	Distribution Subsidy	3,400.94	3,400.94
GOI	MIDH	-	-
GOI	Transport Subsidy	345.13	255.26
GOI	Grant	2,420.93	1,680.18

*Includes Distribution Subsidy

Other Disclsoures: (if any)

These transactions are conducted in the ordinary course of the Corporation's business.

Note: 57.4

The grant funds are pooled in the common Cash Credit Account of NSC until utilised to compensate the deficit in working capital arising out of the delay in realization of subsidy receivable from Govt. of India against the expenditure already incurred by NSC. The subsidy and minikit amounts are not released in time to NSC and outstanding from the Administrative Ministry for more than 6 months as on 31st March 2021 is ₹ 125.63 crores. Hence the interest income on grant is compensated by the interest expenses to the company on delayed release of subsidy.

Note: 58

In the opinion of the Board, all the assets (other than Property, Plant & Equipment and Non Current Investments) have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–59 : आकस्मिक देयता

(रु. लाख में)

आकस्मिक देयता	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कम्पनी के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
कर्मचारियों एवं अन्यों द्वारा	7,377.64	2,715.80
धन वापसी गारंटी योजना के अंतर्गत लम्बित जांच/स्वीकृति के लिए दाखिल किए गए दावे	16.48	10.92
विवादित बिक्री कर मांग	46.78	49.15
विवादित बिक्री कर मांग – असम	6.43	19.26
विवादित आय कर की मांग	1,362.31	1,224.12
लाईव एवं लेट लाईव (पार्टी ने साख एवं धन के लिए एनएससी के विरूद्ध मुकदमा दाखिल किया है)	47.89	47.89
विवादित मांग – कर्मचारी राज्य बीमा निगम की	6.38	6.38
टीडीएस लंबित मांग (टेरेसैस) के अनुसार (समायोजन योग्य अनउपभोगित चालान)	-	4.37

टिप्पणी–60 : सम्पत्तियों की हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि कम्पनी की गैर चालू परिसम्पत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षित से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर सम्पत्ति की कोई हानि नहीं है।

टिप्पणी–61

केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढ़ोवाल के मामले में, पूर्व भा.रा.फा.नि. से पी.एल.डी. एवं आर.सी./पी.ए.यू./पंजाब सरकार को स्थानांतरित परिसम्पत्तियों की कीमत के गैर भुगतान के कारण, भा.रा.फा.नि. ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश/निर्णय प्राप्त कर लिए हैं। जबकी पी ए यू ने रू117.84 लाख का भुगतान कर दिया है तथा भा.रा.फा.नि. के देयताओं के विरूद्ध निपटान कर दिया है परन्तु पी.एल.डी. एवं आर.सी. ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एल पी ए दायर किया है, जो निपटान के लिए लम्बित है। हालांकि एनएससी ने माननीय न्यायालय के खंडपीठ से एलपीए की तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया है! खंडपीठ इस मामले पर अगले माह सुनवाई करेगी जैसे कि अधिवक्ता ने बताया है। पी.एल.डी. एवं आर.सी. से प्राप्त योग्य राशि रू 137.16 लाख है। एनएससी, एलपीए के शीघ्र निपटान के लिए आगे बढ़ रही है।

टिप्पणी–62

इंड एएस –115

राजस्व का गैर संकलन

उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का गैर संकलन निम्न प्रकार से हैः उत्पाद एवं सेवा के आधार पर

(रु. लाख में)

माल अथवा सेवा का प्रकार	31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1. उत्पादों की बिक्री	100,031.10	96,660.30
2. सेवा की बिक्री		
1) सेवाओं की बिक्री	42.71	47.64
2) अन्य परिचालन राजस्व	1,444.02	9,288.72
3. अन्य आय	3,288.21	2,547.15
कुल	**104,806.04**	**108,543.81**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note 59: Contingent liability

(₹ in lakhs)

Contingent Liabilities:	31 March 2021	31 March 2020
Claims against the Company not acknowledged as debt		
By employees and others	7,377.64	2,715.80
Claims lodged under money back guarantee scheme, pending investigation /acceptance.	16.48	10.92
Disputed Sales-tax demands	46.78	49.15
Disputed Sales-tax demands - Assam	6.43	19.26
Disputed Income tax demands	1,362.31	1,224.12
Live & Let Live (party has filed a case against NSC for loss of Goodwill & finance)	47.89	47.89
Disputed Employee State Insurance Corporation demand	6.38	6.38
TDS Outstanding Demand as per TRACES(Adjustable Unconsumed Challans)	-	4.37

Note 60 : Impairment of Assets

On the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of non financial assets of the Corporation is not lower than expected and therefore there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

Note: 61

In case of erstwhile CSF Ladhowal, due to non-payment of value of assets transferred from erstwhile SFCI(now known as NSC to PLD & RC /PAU/ Punjab Govt., SFCI obtained orders in its favour from P & H HC. Whereas PAU have paid ₹ 117.84 lakhs and settled SFCI's claim to the extent of their liability; PLD & RC have however filed LPA before Division Bench of the same High Court which is pending for disposal. However, NSC has moved applications requesting court to make early hearing of the LPA. Amount to be received from PLD and RC is ₹ 137.16 lakhs. NSC counsel is persuing the matter for expeditious disposal of LPA.

Note : 62

Ind AS-115

Disaggregation of revenue

Below is the disaggregation of the Company's revenue from contracts with customers: Type of Products and Service Wise

(₹ in lakhs)

Type of goods or service	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
1. Sale of Products	100,031.10	96,660.30
2. Sale of Service-		
i) Sale of services	42.71	47.64
ii) Other operating Revenue	1,444.02	9,288.72
3. Other Income	3,288.21	2,547.15
Total	**104,806.04**	**108,543.81**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का गैर संकलन निम्न प्रकार से हैः खंढ के आधार पर

(रु. लाख में)

खंड आधार पर	31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पाद खंड उत्पादों की बिक्र	13,599.73	13,915.73
खुदरा एवं वितरण	91,206.31	94,628.08
कुल	**104,806.04**	**108,543.81**

अनुबंध शेष

(रु. लाख में)

	31/03/2021 को	31/03/2020 को
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 15)	40,302.67	41,041.27
अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-
अनुबंध देयताएं	-	-

व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज असर है और ग्राहक प्रोफाइल में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसतन परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

अनुबंध की संपत्ति उस अवधि में अभिज्ञात की जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लिए सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। पहले से अनुबंधित संपत्ति के रूप में अभिज्ञात कोई भी राशि संलग्न शर्त के संतुष्टि पर व्यापार रसीदों के लिए पुनर्वर्गीकृत है, अर्थात् भविष्य की सेवा में मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है।

(रु. लाख में)

विवरण	31/03/2021 को	31/03/2020 को
वर्ष के प्रांरभ में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-

(रु. लाख में)

विवरण	31/03/2021 को	31/03/2020 को
वर्ष के प्रांरभ में अनुबंध देयताएं	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	-	-

टिप्पणी–63

"प्रखंड रिर्पोटिंग" पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, अपेक्षित सूचना संलग्न है।

व्यवसायिक खंड : व्यवसायिक खंड निम्न प्रकार से चिह्नित किए गए हैं :–

1. उत्पादन खंड
2. खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड

टिप्पणी–64

पट्टों (लीज) का खुलासा

इंड एएस 116 ''लीज'' की प्रयोज्यता के कारण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्ष 2019–20 से 'पट्टों' की नीति को संशोधित किया गया है।

Below is the disaggregation of the Company's revenue from contracts with customers: Segment Wise

(₹ in lakhs)

Segment Wise	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Producing Segment	13,599.73	13,915.73
Retailing & Distribution segment	91,206.31	94,628.08
Total	**104,806.04**	**108,543.81**

Contract balances

(₹ in lakhs)

	March 31, 2021	March 31, 2020
Trade receivables (Note 15)	40,302.67	41,041.27
Contract assets	-	-
Contract liabilities	-	-

Trade receivables are non-interest bearing and the customer profile include Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, State Governments' public sector enterprises etc . The Company’s average project execution cycle is upto 12 months.

Contract assets is recognised over the period in which services are performed to represent the Company's right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. Any amount previously recognised as a contract asset is reclassified to trade receivables on satisfaction of the condition attached i.e. future service which is necessary to achieve the billing milestone.

(₹ in lakhs)

Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
Contract Asset at the beginning of the year	-	-
Contract Asset at the end of the year	-	-

(₹ in lakhs)

Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
Contract Liabilities at the beginning of the year	-	-
Contract Liabilities at the end of the year	-	-

Note : 63

In compliance of Ind AS 108 on “Operating Segment”, the required information is annexed

Business segments: The Business segments have been identified as:-

1. Producing Segment
2. Retailing & Distribution Segment

Note : 64

Leases Disclosures

Policy of ‘Leases’ has been modified in 2019-20 in the significant accounting policies due to the applicability of Ind AS 116 "Leases".

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

इंड एएस 17 के स्थान पर इंड एएस 116 को 1 अप्रैल, 2019 को अधिसूचित किया गया था। इंड एएस 116 पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है तथा तुलनपत्र पर अधिकांश पट्टों को स्वीकार करने (रिकोनाईज) के लिए पट्टेदारों की आवश्यकता होती है।

इंड एएस 116 के तहत पट्टादाता लेखांकन इंड एएस 17 से काफी हद तक अपरिवर्तित है। इंड एएस 17 में समान सिद्धांतों का उपयोग करके, या तो परिचालन या वित्त पट्टों के रूप में पट्टेदारों को वर्गीकृत करना जारी रहेगा। इसलिए, जहां कंपनी पट्टादाता है, वहां पट्टादाता के लिए इंड एएस 116 का प्रभाव नहीं पड़ा।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) की तारीख से अभिग्रहण की संशोधित पूर्वव्यापी प्रक्रिया का उपयोग करके इंड एएस 116 को अपनाया है। इस प्रक्रिया के तहत, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख से मान्यता प्राप्त मानक को आंरभ में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी रूप से मानक लागू किया जाता है। **कंपनी इस ट्राजेक्शन प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का उपयोग करने के लिए चुना है, न कि इस पूर्नमूल्याकंन के लिए 01 अप्रैल, 2019 को अनबंध है या लीज पर है।** इसके बजाय, कंपनी ने मानकों को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया है, जिन्हें पहले इंड एएस 17 लागू करके पट्टों के रूप में पहचाना गया था।

कंपनी के पास भूमि और भवन के लिए पट्टे के अनुबंध हैं। इंड एएस 116 को अपनाने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टें (पट्टेदार के रूप में) को स्थापना की तारीख से वित्त पट्टा या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। इंड एएस 116 को अपनाने पर, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू किया है। मानक विशिष्ट ट्रांजिशन आवश्यकताएं और व्यावहारिक प्रणाली प्रदान करता है, जो कंपनी द्वारा लागू किए गए हैं।

पट्टों को पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था

कंपनी ने पहले से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक एप्लीकेशन की तारीख पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक कैरिंग राशि (अकाऊंट) को नहीं बदला (अर्थात, परिसपंत्ति के उपयोग का अधिकारी इंड एएस 17 के तहत मान्यता प्राप्त लीज परिसंपत्ति के बराबर है)। इंड एएस 116 की आवश्यकताओं को 01 अप्रैल, 2019 से इन पट्टों पर लागू किया गया था।

पट्टे, जिनकी पहले परिचालन पट्टों के रूप में लेखाकंन किया गया था

कंपनी ने उन पट्टों के लिए जिनको पहले परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, सिवाय लघु अवधि पट्टों को छोड़कर। संपत्तियों के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयताओं को मान्यता दी। पट्टेदार बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता, प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टेदार की वृद्धिशील दर का उपयोग करके रियायत के बाद, को मान्य करता है और इसी के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार को, पहले से मान्य की गई पूर्वभुगतान या अर्जित बीज भुगतानों के लिए समायोजित की गई पट्टा देयता के बराबर एक राशि पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक समीक्षकों को लागू किया, जिसमें इसनेः

(i) यथोचित समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर का उपयोग किया

(ii) प्रारंभिक अवधि की तारीख के 12 महीनों के भीतर समाप्त होने वाली लीज अवधि और कुल पट्टा अवधि 12 महीने से कम होने वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टों की छूट को लागू किया है।

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तारीख में संपत्ति के उपयोग का अधिकार का निर्धारण प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर है।

(iv) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में उपयोगित लीज किया जाता है, जहां अनुबंध में पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प होते है।

इंड एएस –17 के तहत, पट्टा दायित्व के बीच अंतर और हस्तातंरण की तारीख पर, लीज देनदारी का मूल्य, मुख्य रूप से इंड एएस 116 के अनुसार लीज देयता का निर्धारण निश्चित रूप से विस्तार और समाप्ति विकल्प के कारण है, जो कि इंड एएस 116 के तहत, वर्तमान मूल्य के लिए लीज देनदारियों में छूट के कारण है। 1 अप्रैल, 2019 को लीज की देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील दर 8.15% है।

क) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे के अनुबंधों किए हैं, जिसमें भूमि और कार्यालय अंतरिक्ष के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस 116 के

Ind AS 116 was notified with effect from April 1, 2019 which replaces Ind AS 17. Ind AS 116 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to recognise most leases on the balance sheet.

Lessor accounting under Ind AS 116 is substantially unchanged from Ind AS 17. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in Ind AS 17. Therefore, Ind AS 116 did not have an impact for leases where the Company is the lessor.

The Company adopted Ind AS 116 using the modified retrospective method of adoption with the date of initial application of April 1, 2019. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognised at the date of initial application. **The Company elected to use the transition practical expedient not to reassess whether contract is or contains lease at April 01, 2019.** Instead, the Company applied the standards only to contracts that were previously identified as leases applying Ind AS 17.

The Company has lease contracts for land and building. Before the adoption of Ind AS 116, the Company classified each of its leases (as lessee) at the inception date as either a finance lease or an operating lease. Upon adoption of Ind AS 116, the Company applied a single recognition and measurement approach for all leases except for short-term leases. The standard provides specific transition requirements and practical expedients, which have been applied by the Company.

Leases previously classified as finance leases

The Company did not change the initial carrying amounts of recognised assets at the date of initial application for leases previously classified as finance leases (i.e., the right-of-use assets equal the lease assets recognised under Ind AS 17). The requirements of Ind AS 116 were applied to these leases from April 01, 2019

Leases previously accounted for as operating leases

The Company recognised right-of-use assets and lease liabilities for those leases previously classified as operating leases, except for short-term leases. The lessee recognizes a lease liability measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lessee's incremental borrowing rate at the date of initial application and correspondingy measured the right-of-use asset at an amount equal to the lease liability, adjusted for previously recognized prepaid or accrued lease payments.

The Company also applied the available practical expedients wherein it:

(i) Used a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.

(ii) Applied the short-term leases exemptions to leases with lease term that ends within 12 months of the date of initial application and the total lease term is less than 12 months.

(iii) Excluded the initial direct costs from the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application.

(iv) Used hindsight in determining the lease term where the contract contained options to extend or terminate the lease.

The difference between the lease obligation under the Ind AS-17 and value of the lease liability as on the date of transition is primarily is on account of extension and termination option reasonably certain to exercised in measuring the lease liability in accordance to the Ind AS-116 and discounting of the lease liabilities to the present value under the Ind AS-116. The weighted average incremental borrowings rate applied to lease liabilities as at 1st April, 2019 is 8.15%.

a) Company as a Lessee

The Company as a lessee has entered into various lease contracts, which includes lease of land and office space. Before

अपनाने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) स्थापना के समय वित्त लीज पट्टा या एक ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे के कार्यालय और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक लीज' पहचान छूट लागू करती है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

अभिज्ञात संपत्ति के उपयोग का अधिकार की प्राप्त राशियाँ और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों का खुलासा नोट 4 में किया गया है।

लीज देनदारी

वर्ष के दौरान निर्धारित पट्टे की देयताएं एवं संचलन नीचे दी गई हैंः

(रु. लाख में)

	पर जैसा 31 मार्च, 2021	पर जैसा 31 मार्च, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**54.43**	**73.48**
वृद्धि	-	-
ब्याज की राशि	-	5.99
भुगतान	26.22	25.04
वर्ष के अंत में शेष	**28.21**	**54.43**
वर्तमान	12.99	25.20
गैर–वर्तमान	19.65	29.23

<u>31 मार्च 2021 तक अघोषित रूप से लीज देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैः –</u>

(रु. लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
लीज देयताएं	13.08	11.58	15.79
	13.08	**11.58**	**15.79**

<u>31 मार्च 2020 तक अघोषित रूप से लीज देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैः –</u>

(रु. लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
लीज देयताएं	26.22	13.14	27.37
	26.22	**13.14**	**27.37**

लाभ और हानि के विवरण में दिखाई गई राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सही उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास व्यय (संदर्भ नोट 41)	26.41	33.50
लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय (नोट 40 देखें)	4.44	5.99
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय(संदर्भ नोट 42)	326.46	256.62
	357.31	**296.11**

the adoption of Ind AS 116, the Company classified each of its leases (as lessee) at the inception date as either a finance lease or an operating lease. The Company also has certain leases of offices and guest house with lease terms of 12 months or less. The Company applies the 'short-term lease' recognition exemptions for these leases.

Right of Use Assets

The carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year are disclosed in Note 4.

Lease Liabilities

Set out below are the carrying amounts of lease liabilities recognised and the movements during the year:

(₹ in lakhs)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Balance at Beginning of the year	**54.43**	**73.48**
Addition	-	-
Accredition of interest	-	5.99
Payments	26.22	25.04
Balance at the end of the year	**28.21**	**54.43**
Current	12.99	25.20
Non-current	19.65	29.23

The maturity analysis of the lease liability on an undiscounted basis as on 31st March 2021 are as follows :-

(₹ in lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2 year and above
Lease liabilities	13.08	11.58	15.79
	13.08	**11.58**	**15.79**

The maturity analysis of the lease liability on an undiscounted basis as on 31st March 2020 are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2 year and above
Lease liabilities	26.22	13.14	27.37
	26.22	**13.14**	**27.37**

Amounts recognised in Statement of Profit and Loss

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
Depreciation expense of right-of-use assets (Refer Note 41)	26.41	33.50
Interest expense on lease liabilities (Refer Note 40)	4.44	5.99
Expense relating to short-term leases (Refer Note 42)	326.46	256.62
	357.31	**296.11**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी के पास कई पट्टे अनुबंध पर हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। इन विकल्पों पर प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाती है और कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ परिचालित किया जाता है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है।

बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ / हानि कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने पट्टों पर अपनी संपत्ति दी है, उसका विवरण नोट संख्या –8 निवेश संपत्ति के तहत दिया गया है।

'पट्टों' पर इंड एएस–116 के अनुसार, निगम ने नई दिल्ली स्थित नेहरू प्लेस कार्यालय भवन का कुछ हिस्सा और केराफा, सूरतगढ़ में कुछ दुकानें किराए पर दी है पार्टियों के साथ एक पट्टा समझौता किया है। कुछ हद तक पट्टा/लीज प्रचलित हैं। नेहरू प्लेस कार्यालय भवन और सूरतगढ़ की दुकानों से क्रमशः मासिक और वार्षिक लीज किराए प्राप्त किए जा रहे हैं।

टिप्पणी–65

केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच :– वर्ष 2013 के दौरान उच्च्तम न्यायलय, लखनऊ के निर्णय के पश्चात, केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच के पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता को नियुक्ति की गया था। तद्नुसार मूल्यांकन किया गया था और उच्च स्तरीय समिति ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया और दोनों पक्षों के दावों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिए :–

i. माननीय न्यायालय में पूर्व में जमा किए गए रू. 25.00 लाख की राशि की निकासी के बाद रू. 477.27 लाख की राशि वसूली योग्य है। उत्तरप्रदेश सरकार के रू. 198.00 लाख के बकाया राशि के समायोजन के पश्चात केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच पर पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत वसूली योग्य है। 08 वर्षों से अधिक संदिग्ध दावों के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है।

ii. यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायलय, लखनऊ में विचाराधीन है।

iii. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच से संबंधित बहुत पुरानी शेष राशि रू. 85.61 लाख खर्च न की गई पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत दिखाई जा रही है। इस राशि को उक्त अनुदान के पता लगने पर समायोजित किया जाएगा।

टिप्पणी–66

क) राष्ट्रीय बीज निगम की कोई सहायक कम्पनी नहीं है। इसकी 06 राज्य बीज निगमों में 20% या अधिक शेयरहोल्डिंग है जिन्हें "एसोसियेटस कंपनी" कहा जाता है। इन निगमों के खातों को निगम के खातों के साथ समेकित करना तथा संलग्न करना जरूरी था। हालांकि एमओए और एफडब्ल्यू में संयुक्त सचिव (बीज) के साथ एसोसिएट राज्य बीज निगमों के प्रबंध निदेशकों की बैठक सहित सभी प्रयासों के बावजूद वे अपने बैकलाग खातों को इंड एएस में तैयार करने और समय पर जमा करने में असमर्थ थे । तद्नुसार, इन एसोसिएट राज्य बीज निगमों के खातों को समेकित नहीं किया जा सका और निगम के खातों के साथ संलग्न नहीं किया जा सका । चूंकि राज्य बीज निगमों में निवेश की राशि भारत सरकार द्वारा एनएसपी के तहत थी, एनएससी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष अपने पत्र दिनांक 24 अगस्त, 2021 के द्वारा मामले को उठाया जिसे स्वीकार कर लिया है तथा इन एसोसिएट कंपनियों में एनएससी की हिस्सेदारी 50% शेयरों का हस्तातंरण के माध्यम से कम करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। एनएससी इस मामले पर निरंतर प्रयासरत है।

ख) एनएससी ने पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयर में 24.96% का निवेश किया है और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक इस निवेश को गैर–एसोसिएट कंपनी के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था जिसे वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सही किया गया है और इसका हिसाब बहीखातों में दिया गया है।

टिप्पणी–67

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जनवरी, 2014 में एनएससी, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का संयुक्त औचक निरीक्षण किया और वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान बीज उत्पादन, बीज विपणन से संबंधित रिकार्डों और एनएससी के अन्य राज्यों को प्रेषण से संबंधित रिकार्डों को जब्त कर लिया। सीबीआई कोर्ट में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में वारांगल, नंदियाल एवं कुरनूल प्रक्षेत्र

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. These options are negotiated by management and align with the Company's business needs. Management exercises significant judgement in determining whether these extension and termination options are reasonably certain to be exercised.

Gain/loss from sale and leaseback transactions is not applicable to the Company.

b) Company as a Lessor

The Company has given its Assets on the leases, details of the same are given under the Note No-8 Investment Property.

As per Ind AS-116 on 'Leases' the Corporation has entered into a lease agreement with parties to let out part of its Nehru Place office building at New Delhi and shops at CSF Suratgarh on rent. The lease to some extent is operating in nature. Monthly and yearly lease rentals are received from its Nehru Place office building and shops at Suratgarh respectively.

Note : 65

CSF Bahraich: After the decision of the Hon'ble High Court Lucknow Bench during 2013, a High power Committee comprising higher level functionaries of Central and State Government was constituted by the High Court to assess the value of trees and assets of Central State Farm, Bahraich by a valuer appointed by the U.P. Government. The valuation was done accordingly and High Power Committee considered the valuation report and after hearing the claims of both the parties decided as under:-

i. Net receivable amount of ₹ 477.27 lakhs after withdrawal of ₹ 25 lakhs earlier deposited in the High Court; is recoverable from UP Govt. on account of the value of trees and assets of central state farm Bahraich after adjustment of their outstanding dues of ₹ 198.00 lakhs. Provision for doubtful claims which is more than eight years has already been created.

ii. The matter is still subjudice before the High court Lucknow Bench.

iii. Very old balance of ₹ 85.61 lakhs relating to CSF Bahraich is appearing under unspent capital grant. The same will be adjusted once the detail of the asset created against the said grant is traced.

Note : 66

(a) National Seeds Corporation Limited does not have any Subsidiary Company. It is holding 20% or more shareholdings in six State Seeds Corporations which are called 'Associate Companies'. The Accounts of such corporations are required to be consolidated and separately attached with the Accounts of Corporation. However inspite of all efforts including a meeting of the Managing Directors of the Associate State Seeds Corporations with the Joint Secretary (Seeds) in MOA & FW, they were unable to either complete their backlog Accounts or prepare their current year accounts in Ind AS and submit in time. Accordingly the Accounts of these Associate State Seeds Corporations could not be consolidated and attached with the accounts of the Corporation. Since the amount invested in the State Seeds Corpoaration was under NSP of Government of India, NSC has taken up the matter with MOA & FW Ministry vide its letter dated 24 August 2021 has approved for reducing the stakes of NSC in these Associate Companies by transfer of 50 % shares held by NSC in the 06 Associate Companies in the name of Department. The matter is being taken up by NSC.

(b) NSC has invested 24.96% in equity share of Punjab State Seeds Corporation Ltd. and from FY 2016-17 upto FY 2019-20 this investment has been recategorised to Associate Company during FY 2020-21.

Note : 67

The CBI had conducted joint surprise check at the Hyderabad Regional Office in the month of January 2014 and seized the records pertaining to the seed production, seed marketing and dispatches to other states of NSC for the period 2010-11 to 2013-14. As per the Charge sheet filed by the CBI in the CBI Court the total wrongful loss caused to Govt. of India was ₹ 255.41 Lakhs, ₹ 697.23 Lakhs and ₹ 438.39 lakhs by some private parties in collusion with the officials of Warangal,

NSC

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कार्यालय के कर्मचारियों की कुछ निजी पार्टियों के साथ मिलीभगत से भारत सरकार को क्रमशः रू. 255.41 लाख, रू. 697.23 लाख एवं रू. 438.39 लाख का नुकसान पहुँचाया। यद्यपि सीबीआई ने वारांगल एवं नंदयाल कार्यालयों के विरूद्ध सितम्बर, 2015 में तथा प्रक्षेत्र कार्यालय कुरनूल के विरूद्ध अप्रैल, 2019 में मुकदमा दायर किया गया। वर्ष के दौरान सीवीआई से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

टिप्पणी–68

क. सीएसएफ सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर (राजस्थान) और रायचूर (कर्नाटक) की कब्जे वाली भूमि भारत सरकार के स्वामित्व में है और एनएससी केवल कब्जाधारक है । बलियापुर (झारखंड) का मालिकाना हक राज्य सरकार के नाम पर है, एनएससी पट्टाधारक है। यद्यपि यह फार्म बंद होने की प्रक्रिया चल रही है। नालहाटी (प. बंगाल) और सुकिंदा (उड़ीसा) के मामले में भी जमीन राज्य सरकारों के स्वामित्व में है जहां निगम पट्टेदार है। इन सभी फार्मों को कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तद्नुसार गैर–राजस्व अनुदान के तहत इनका खुलासा नहीं किया गया है।

ख. लीज एग्रीमेंट दिनांक 05.11.2013 के अनुसार सीएसएफ हिसार में 6693 एकड़ 06 कनाल और जीएलएफ से संबंधित 01 मरला के कब्जे के तहत भूमि को 1 अगस्त 1988 से 30 साल 8 महीने की अवधि के लिए फार्म को पट्टे पर दिया गया था, जो 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गया। वर्तमान में 6538 एकड़, 1 कनाल 2 मार्लास भूमि एनएससी के कब्जे में है। इस संबंध में एनएससी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार के साथ सीएसएफ हिसार के लीज समझौते के नवीनीकरण के लिए निरन्तर उत्साह से आगे बढ़ा रहा है।

इस संबंध में दिनांक 22.04.2019 के अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को अनुरोध भेजा गया था कि सीएसएफ, हिसार की लीज अवधि को 01.04.2019 से 30 वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 4–2/2016–एसडी–I दिनांक 2 सितंबर 2021 के साथ, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री अंकुर गुप्ता, आईएएस, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति अग्रेषित की है। जिसमें नागरिक उड्डयन विभाग, हरियाणा को भूमि को सौंपने के लिए एनएससी को पट्टे पर दी गई जीएलएफ हिसार से संबंधित भूमि को जल्द से जल्द खाली करने का अनुरोध किया है।

निगम ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष अपने पत्र संख्या एनएससी / 4–28 / 2017–एलएस / 213 दिनांक 20 / 21 सितंबर 2021 के द्वारा अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप किया जाए और लीज समझौते को नवीनीकृत करने की व्यवस्था की जाए।

टिप्पणी–69 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) कोलकाता (मिदनापुर) क्षेत्रीय कार्यालय की भूमि का पट्टा / विलेख (जिन पर भवनों का निर्माण किया गया है) निगम के पक्ष में है परंतु भूमि के मूल्य का भुगतान का विवरण एवं उसके मूल्य का लेखा जोखा उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि भूमि की प्राप्ति के बारे में दस्तावेजी प्रमाण, जो 1984 में मिदनापुर में 30 वर्षों की अवधि के लिए ली गई थी (लीज डीड पहले ही समाप्त हो चुकी है), का पता लगा लिया है और इसके आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है।

(ii) पटना (शेखपुरा) क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय, पूर्णिया के पट्टा विलेख (शेखपुरा में 02 एकड़ पर भवन निर्माण किया गया है) निगम के नाम पर है परंतु भुगतान का विवरण एवं लागत का लेखाकंन उपलब्ध नहीं है। शेखपुरा का नगर पालिका कर 31.03.2020 तक भुगतान किया गया है।

(iii) नंदयाल के भूमि की लीज डीड का निष्पादन के संबंध में निगम ने आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से 15.10.1994 को बीज प्रसंस्करण संयंत्र–सह–गोदाम परिसर के निर्माण के लिए 04 एकड़ भूमि ली थी जिसकी लीज राशि को अंतिम रूप न देने के कारण निष्पादित नहीं किया गया है। हालाँकि अब कृषि विभाग ने उनके पत्र संख्या ए / 242/94 दिनांक 02–04–2016 के द्वारा इस भूमि के लीज किराए रू. 0.83 लाख प्रति वर्ष कर दिया है और लीज डीड को निष्पादित किया जा रहा है और लीज रेंट का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान, तत्कालीन एसएफसीआई ने रू. 16.97 लाख में आंध्र प्रदेश के गुट्टी में 46100 वर्ग मी. फ्री होल्ड भूमि खरीदी थी, लेकिन अभी तक निगम के नाम पर जमीन का पंजीकरण नहीं किया गया है, इस तथ्य के कारण कि पट्टा विलेख का हस्तांतरण गोदामों के निर्माण पूरा होने और मशीनरी की स्थापना पर किया जाएगा। गोदाम का निर्माण एवं मशीनरी की स्थापना सितंबर

Nandyal and Kurnool area offices respectively. However, the case has been filed by Hon'ble CBI Court in September 2015 in case of Nandyal and Warangal Area Offices and in April 2019 in case of Kurnool Area Office. No fresh communication during the year has been received from CBI.

Note : 68

a) Lands under possession in CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar (All three in Rajasthan) and Raichur(Karnataka) are under the ownership of Government of India and NSC is only the custodian. Land at Baliapur (Jharkhand) is under the ownership of the State Governments where Corporation is the lessee. However, the Farm at this land is under the process of closure. Land at Nalhati (West Bengal) and Sukinda (Odisha) also belongs to respective State Governments and are in permissee possession. Since the period for which the Farm land is given is not known and since no Grant letter is received from MOA & FW, hence not treated as a non-monetary grant.

b) Land under possesion in CSF Hisar measuring 6693 Acres 06 Kanals and 01 Marla belonging to GLF was leased out to the Farm as per lease agreement dated 05.11.2013 for a period of 30 years 8 months commencing from 1st August 1988 and ending on 31st March 2019. Presently 6538 Acres 1 Kanals 2 Marlas Land is in possession of NSC. In this connection NSC has been rigorously and ardently pursuing the matter of renewal of lease agreement of CSF Hisar with Animal Husbandry & Dairying Dept.

In this regard Vide Do letter dated 22.04.2019 a request was forwarded to the State government to extend the lease period of CSF, Hisar for another period of 30 years w.e.f. 01.04.2019. Vide Letter No. 4-2/2016-SD-I dated 2nd Sept 2021, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare forwarded a copy of letter sent by Shri Ankur Gupta, IAS, Addl. Chief Secretary to Government of Haryana, Animal Husbandry & Dairying Dept. requesting to vacate the land pertaining to GLF Hisar leased out to NSC at the earliest to enable them for handing over the land to Civil Aviation Department, Haryana.

The Corporation has represented the matter before Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, New Delhi vide Letter No. NSC/4-28/2017-LS/213 dated 20th/21st September 2021 and requested to intervene in the matter and arrange to renew Lease Agreement.

Note : 69 - Property Plant and Equipment

(i) In respect of Kolkata (Midnapore) Regional Office, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available, although documentary proof about receipt of land in 1984 at Midnapur initially for a period of 30 years(lease deed already expired), have since been located and based thereon the concerned authorities are being asked to expedite necessary action.

(ii) In respect of Patna (Sheikhpura) Regional Office & Area Office Purnea, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed-Sheikhpura 2 acres) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available. In respect of Sheikhpura, municipal tax paid upto 31.03.2020.

(iii) Execution of lease deed of land at Nandyal - 4 acres, obtained by the Corporation on 15.10.1994 from the Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh for construction of Seed Processing Plant-cum-Store Complex, is pending due to non finalization of lease amount. However now the Department of Agriculture vide their letter No A/242/94 dt. 02-04-2016 finalised the lease rent as ₹ 0.83 Lakhs per year and the lease deed is being executed and lease rent is regularly paid.

(iv) Freehold Land - 46100 sq. meters, at Gooty worth of ₹ 16.97 Lakhs was purchased by erstwhile SFCI during the F.Y 2009-10. But the land has not yet been registered in the name of the Corporation till date, due to the fact that the transfer of title will be done on completion of the construction of Godowns and installation of Machinery. The

2014 में पूरा हो गया है और एपीआईआईसी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा पट्टा निष्पादन एवं पंजीकरण स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(v) पीपीई में शामिल गाँवः बुहेरा, डाकः नवाबगंज जिला बाराबंकी की फ्रीहोल्ड भूमि एवं बरेली, मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, उधम सिंह नगर, शाहजहाँपुर और अमेठी में भूमि और भवन के पट्टे शामिल हैं। इन सभी जमीनों के पट्टे निगम के नाम पर पंजीकृत है। हेमपुर, उधम सिंह नगर की 7 एकड़ की लीजहोल्ड भूमि को छोड़कर, जोकि समाप्त हो चुकी है। इस भूमि को उत्तराखंड सरकार द्वारा नवीनीकृत किया जाना बाकी है। वर्ष 1986 में बुनियादी ढांचे के साथ 16 एकड़ भूमि के हस्तातंरण पर, उत्तराखंड सरकार से रू. 25.00 लाख के मुआवजे को लंबित रहने के कारण इस नवीकरण प्रीमियम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(vi) निवाड़ी में भूमि को स्थायी रूप से रू.0.40 लाख के प्रीमियम पर तथा रू. 0.03 लाख प्रतिवर्ष के किराए पर निगम को हस्तांतरित की गई है। हालांकि, निवाड़ी में पट्टे की आवधिकता के अभाव में, 99 साल की अवधि के लिए भूमि का परिशोधन किया जा रहा है।

(vii) निगम ने वर्ष 2011–12 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रू. 97.75 लाख की भूमि खरीदी, जिसे निगम के नाम पर पंजीकृत किया गया। हालाँकि निगम ने अभी तक इस भूमि का मुन्टेशन नहीं किया और न ही निगम ने जीआईडीए से भूमि का कब्जा लिया है और इसे गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (नोट –11) के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

(viii) निगम ने वर्ष 2012 में इंडियन बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) से नाबार्ड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के वित्तपोषण के लिए रू 225.74 लाख का सावधि ऋण प्राप्त किया था, जिसके लिए वह रू 45.00 लाख की सब्सिडी का हकदार है, जो कि उक्त सावधि ऋण की भविष्य की किश्तों के लिए समायोज्य है। हालांकि अभी तक 45 लाख रुपए की सब्सिडी नहीं मिली है। उक्त सावधि ऋण खाते को एनपीए से बचाने के लिए, मई, 21 एवं जून, 21 में बैंक को भुगतान की गई कुल राशि रू.9.15 लाख को छोड़कर, सब्सिडी के लंबित वितरण का 2016 के बाद से बैंक को कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया। 31/03/2021 को उक्त ऋण खाते में बकाया ब्याज सहित देय राशि 93.42 लाख रुपये है (टिप्पणी 24)। इसके अलावा, बैंक का (31/03/2021 तक उस पर अर्जित ब्याज सहित) उक्त सावधि ऋण भी रू.91.58 की सावधि जमा द्वारा संपार्श्विक रूप से भी सुरक्षित है। उक्त ऋण खाता अब बंद कर दिया गया है और सावधि जमा के विरुद्ध समायोजित किया गया है, शेष रू. 9.94 लाख को 29/09/2021 को एनएससी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

टिप्पणी–70

पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः एकजुट / पुनः वर्गीकृत किया गया है जहां आवश्यक हो, ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकरण/ प्रकटीकरण हो सके।

टिप्पणी–71 : वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को 27.10.2021 को अनुमोदन किया गया।

टिप्पणी–72

लेखाकंन नीति संख्या 2.1 (घ) के अनुसार, मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड आफ किया जाना चाहिए था। यद्यपि, समेकन के दौरान सटीकता के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों के वित्तीय जानकारी रूपयों में दी गई थी और मुख्यालय स्तर पर समेकन के समय मूल्यों को निकटतम लाख पर राउंड ऑफ किया गया।

टिप्पणी–73 पूर्वावधि मदें

इंड एएस–1 के तहत परिभाषित, महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यह आसपास की परिस्थितियों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। तद्नुसार, वर्ष के दौरान अभिज्ञात रू. 447.88 लाख की कुल पूर्व अवधि की मदों को वर्तमान अवधि में कुल राजस्व का 1% से कम दर्ज किया गया है। उनका आकार सारहीन है और उनकी प्रकृति आर्थिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करती है। यह इंड एएस–8 के अनुरूप है, जहां पूर्वावधि, जिसमें त्रुटि हुई है, को पुनः स्थापित करके पूर्वव्यापी रूप से महत्वपूर्ण पूर्वावधि त्रुटियों को ठीक करने का प्रावधान है।

construction and installation of machinery has been completed in the month of September 2014 and inspection by APIIC has been completed and further process to transfer the title and registration is under progress.

(v) PPE consists of Freehold land at Village : Buhera, Post : Nawabganj Distt Barabanki and leasehold lands and buildings thereon at Bareilly, Meerut, Kanpur, Agra, Varanasi, Udham Singh Nagar, Shahjahanpur and Amethi. All these lands are registered in the name of the Corporation except for -

- Leasehold rights in respect of land measuring 7 acre at Village : Hempur, Udham Singh Nagar have reportedly since expired which are yet to be renewed by Uttarakhand authorities. No provision for this renewal premium has been made owing to pending receipt of compensation of ₹ 25.00 lakhs from the government on a/c of surrender of 16 acres of land with infrastructure to them in the year 1986.

(vi) Land at Niwari has been transferred to corporation permanently at a premium of ₹ 0.40 Lakhs and at a rent of ₹0.03 Lakhs per annum. However, in absence of periodicity of lease, land at Niwari is being amortized over a period of 99 years.

(vii) An amount of ₹ 97.75 lakhs had been paid to Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) in the financial year 2011-12 by the Corporation and lease deed registered. However, since neither mutation has been done in favour of Corporation nor possession handed over by the GIDA, the amount paid has been shown as a Capital Advance (Note No. 11).

(viii) The Corporation has availed a term loan of ₹ 225.74 Lakhs in the year 2012 from Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) under the NABARD scheme for funding of godowns in rural areas against which it is entitled to a subsidy of ₹ 45.00 Lakhs which is adjustable against the future installments of the said term loan. However, the subsidy of ₹ 45 lakhs has not yet been received. Pending disburement of subsidy, no repayments were made to the bank since 2016 except for an agregated sum of ₹ 9.15 lakhs which was paid to the bank in the months of May'21 and June'21 to avoid the said term loan account from becoming Non Performing Asset (NPA). The outstanding in the said loan account account as on 31/03/2021 together with the interest due thereon is ₹ 93.42 lakhs (Note 24). Further, the said term loan of the bank is also collaterally secured by a fixed deposit of ₹ 91.58 (including interest accrued thereon till 31/03/2021). The said loan account has now been closed and adjusted against the fixed deposit, the remaining balance of ₹ 9.94 lakhs has been transfered to NSC on 29/09/2021.

Note : 70

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Note : 71 Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 27th October 2021.

Note : 72

As per Accounting Policy No.2.1(d), the values had to be rounded off to the nearest lakhs. However, for more accuracy during consolidation, the financial information of Regional Offices/Farms are presented in Rupees and the values are rounded off to the nearest lakhs at the time of consolidation at HO.

Note : 73 Prior Period items

As per the definition of materiality as defined under Ind AS-1; Material misstatements are considered to be material if they individually or collectively influence the economic decisions. Further as per the definition materiality depends on the size and nature of misstatement judged in the surrounding circumstances. Accordingly, the total prior period items of ₹ 574.13 lakhs- recognised during the year being less than 1% of the total revenue has been booked in the current period, their size being immaterial and their nature does not influence the economic decisions. This is in line with Ind AS-8 where there is a provision to correct only material prior period errors retrospectively by restating the prior period in which the error has occured.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी—74 शेयरों का विनिवेश

एनएससी को 1963 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अपनी स्थिति के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। 2013—14 के दौरान, भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड (एसएफसीआई) जो कृषि और किसान कल्याण मंत्राल, भारत सरकार का एक अन्य उपक्रम था, उसे 01.04.2014 से एनएससी में विलय कर दिया गया था। इस प्रकार एनएससी इस मंत्रालय के तहत बड़े संसाधनों वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी बन गई है।

सचिवों के कोर ग्रुप ने 27.01.2020 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) को सूचीबद्ध करने की सिफारिश की थी और निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को एनएससी के सूचीबद्ध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। तद्नुसार 17.02.2020 को आयोजित इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) की बैठक में, डीआईपीएएम ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से खुले बाजार में भारत के राष्ट्रपति के 25% इक्विटी शेयरहोल्डिंग को ऑफलोड करने और शेयरों की सूची बनाने का निर्णय लिया। स्टॉक एक्सचेंज पर एन.एस.सी. के शेयरधारकों ने 28.02.2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में अपनी स्थिति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया है और एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के नए सेट को भी अपनाया है। तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने 04.04.2020 को एक नया निगमन प्रमाणपत्र जारी किया है और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान, शेयरधारक की संख्या मौजूदा तीन से बढ़कर आठ हो गई हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के 100% इक्विटी शेयर शामिल हैं। निगम के शेयरधारक अपने सात अन्य नामांकित व्यक्तियों के साथ, जिनके पास भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामिति की क्षमता में रु. 1000/— का एक इक्विटी शेयर है।

इस संबंध में, डीआईपीएएम द्वारा 11.08.2021 को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) और कानूनी सलाहकारों के लिए प्रस्तावों का अनुरोध (आरएफपी) प्रकाशित किए जाते हैं, हालांकि, शुद्धिपत्र दिनांक 31.08.2021 को जारी करने के द्वारा एनएससी के लिए कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए आमंत्रित निविदा की बोली जमा करने की तारीख डीआईपीएएम द्वारा बढ़ा दी गई है। विभाग ने 24.09.2021 को आयोजित आईएमजी बैठक में एनएससी के आईपीओ के लिए बीआरएलएम और कानूनी सलाहकारों का चयन किया है और बाद के चरण में विज्ञापन एजेंसी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए आरएफपी आमंत्रित करेगा। एनएससी ने तत्काल कार्रवाई करने और आईपीओ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभागाध्यक्षों की समिति का भी गठन किया है।

Note : 74 Disinvestment of Shares

NSC was incorporated during 1963 as a wholly-owned Government of India Undertaking with its status of a Private Limited Company under the Companies Act, 1956. During 2013-14, State Farms Corporation of India Limited (SFCI) which was another Government of India Undertaking under the same Ministry of Agriculture and Farmers Welfare was merged with NSC with effect from 01.04.2014. Thus NSC has become a sole Public Sector wholly owned Government Company with large resources under this Ministry.

The Core Group of Secretaries in its Meeting held on 27.01.2020 had recommended the listing of National Seeds Corporation Limited (NSC) and directed Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM) to proceed with the listing of NSC. Accordingly in the Inter Ministerial Group (IMG) meeting held on 17.02.2020, DIPAM took the decision to offload 25% Equity Shareholding held with the President of India in the open market by way of Initial Public Offer (IPO) and list the Shares of NSC on Stock Exchange. The Shareholders of the Corporation in the Extraordinary General Meeting held on 28.02.2020 has converted its status from Private Limited Company to a Public Limited Company and also adopted the new set of Memorandum of Association and Articles of Association. Accordingly, the Registrar of Companies (ROC) has issued a fresh Certificate of Incorporation on 04.04.2020 and thereafter during the F.Y. 2020-21, the shareholders have increased from existing three to eight which includes President of India being the 100% Equity Shareholder of the Corporation along with his seven other Nominees who are holding One Equity Share of Rs. 1000/- in the capacity of Nominee of Hon'ble President of India.

In this regard the Request For Proposals (RFPs) for Book Running Lead Managers BRLM and Legal Advisors are published by DIPAM on 11.08.2021, however vide issuance of corrigendum dated 31.08.2021 the bid submission date for the Tender invited for engagement of Legal Advisors for NSC was extended by DIPAM. The Department in its IMG meeting held on 24.09.2021 has selected the BRLM and Legal Advisors for IPO of NSC and at later stage will invite RFPs for Advertisement Agency and Registrar & Share Transfer Agent. NSC has also constitured a Head of Divisions level Committee to take immediate action and handle the IPO Process.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–75 :

इंड–एएस 19 में परिभाषित ''कर्मचारी हितलाभ'' का प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न हितों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है :–		
(क) परिभाषित अंशदान योजनाः		
वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में निम्नलिखित राशि अभिज्ञात की है।		
(i) भविष्य निधिः		
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	837.43	937.15
(ii) राज्य योजनाः		
कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में नियोक्ता का अंशदान	1.04	1.20
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान	383.67	380.01
(ख) परिभाषित लाभ योजना		
कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है । देयता का वर्तमान मूल्य परियोजना एकक ऋण विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है ।		
	ग्रेच्यूटी (निधिकृत)	ग्रेच्यूटी (निधिकृत)
तालिका 1		
1 बीमांकिक धारणाएं		
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012–14 अंतिम	आईएएलएम 2012–14 अंतिम
घर्षण दर	01.00% प्रतिवर्ष p.a.	01.00% प्रतिवर्ष p.a.
आरोपित ब्याज दर/(छूट दर)	06.67% प्रतिवर्ष p.a.	06.63% प्रतिवर्ष p.a.
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	बेसिक 3% और डीए 4%	बेसिक 3% और डीए 4%
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ		
शेष कार्यशील जीवन	14.06 वर्ष	11.54 वर्ष
तालिका 2		
2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)		
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	4,860.59	5,748.53
ब्याज लागत	322.26	438.04
वर्तमान सेवा लागत	231.76	260.25
कटौती लाभ/हानि सहित आंशकि सेवा लागत	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	1,605.53	1,876.66
जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	0.06
वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(220.60)	10.37
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	702.62	280.00
वर्ष के अंत में पीवीओ	4,291.10	4,860.59

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note 75:

The disclosures of Employee benefits as defined in Ind-AS 19 'Employee Benefits' are given below:

(₹ in lakhs)

	Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2021	Figures for the current reporting period ended 31.03.2020
	The Company has classified the various benefits provided to employees as under :		
A)	**Defined Contribution Plan:**		
	During the year, the Company has recognised the following amounts in the statement of profit and loss:		
(i)	**Provident Fund:**		
	Employer's Contribution to Provident Fund	837.43	937.15
(ii)	**State Plans:**		
	Employers' Contribution to Employee's State Insurance Act, 1948	1.04	1.20
	Employers' Contribution to Employee's Pension Scheme, 1995	383.67	380.01
B)	**Defined Benefit Plan:**		
	The **Employee Gratuity Fund** Scheme is a defined benefit plan. The present value of the obligation is based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method.		
		Gratuity (Funded)	**Gratuity (Funded)**
	Table 1		
1	**Actuarial Assumptions**		
	Mortality Table	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate
	Attrition Rate	01.00% p.a.	01.00% p.a.
	Imputed rate of Interest/(discount rate)	06.67% p.a.	06.63% p.a.
	Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-2%	Basic-3% & DA-4%
	Expected Return on plan assets		
	Remaining Working Life	14.06 Years	11.54 Years
	Table 2		
2	Changes in the Present value of obligations (PVO)		
	PVO as at beginning of year	4,860.59	5,748.53
	Interest Cost	322.26	438.04
	Current Service cost	231.76	260.25
	Part service cost including curtailment gains/losses	-	-
	Benefits Paid	1,605.53	1,876.66
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in demographic Assumption	-	0.06
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	(220.60)	10.37
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	702.62	280.00
	PVO as at end of year	4,291.10	4,860.59

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

तालिका 3

3	आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	2,387.93	3,248.80
	ब्याज आय	158.32	247.56
	नियोक्ता अंशदान	1,887.69	697.00
	भुगतान किए गए लाभ	1,444.87	1,765.39
	परिसम्पत्तियों पर वर्ष के लिए बीमाकिंक (लाभ)/हानि	7.27	(40.04)
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,996.34	2,387.93

तालिका 4

4	तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है		
	वित्त पोषित स्थिति	(1,294.76)	(2,472.66)
	वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	2,996.34	2,387.93
	निधि देयता	4,291.10	4,860.59

तालिका 5

5	लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे		
	वर्तमान सेवा लागत	231.76	260.25
	ब्याज लागत	163.93	190.48
	लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	395.69	450.73

तालिका 6

6	अन्य व्यापक आय		
	वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(220.60)	10.37
	जनसांख्यिकी धारणा के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	0.06
	अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	702.62	280.00
	कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	**482.02**	**290.43**
	ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	7.27	(40.04)
	संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
	अवधि के अंत में शेष	474.75	330.47
	ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	**474.75**	**330.47**

क. निगम ने स्थाई कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक आफॅ कामर्स, जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड में उपदान निधि के रूप में रू. 150.00 लाख जमा किए थे। अंशदान, उपार्जित ब्याज एवं भुगतान किए गए लाभ के पश्चात वित्त वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान निधि लागत रु. 998.34 लाख रह गई है।

अर्जित अवकाश / अर्ध वेतन अवकाश का जीवनानंकीय मूल्याकंन नीचे दिया जा रहा है:

तालिका 1

1	योजना आकलन		
	मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012–14 अंतिम	आईएएलएम 2012–14 अंतिम
	घर्षण दर	01.00% प्रतिवर्ष p.a	01.00% प्रतिवर्ष p.a
	इम्प्यूटड ब्याज दर/ (छूट दर)	06.67% प्रतिवर्ष p.a.	06.63% प्रतिवर्ष p.a.
	क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	बेसिक 3% और डीए 4%	बेसिक 3% और डीए 4%
	आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
	शेष कार्यशील जीवन	14.60 वर्ष	11.94 वर्ष

Table 3

3	Changes in the fair value of plan assets		
	Fair Value of Plan Assets at beginning of year	2,387.93	3,248.80
	Interest Income	158.32	247.56
	Employer Contributions	1,887.69	697.00
	Benefits paid	1,444.87	1,765.39
	Actuarial (gain)/loss for the year on assets	7.27	(40.04)
	Fair value of Plan Assets at the end of year	2,996.34	2,387.93

Table 4

4	Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
	Funded Status	(1,294.76)	(2,472.66)
	Funded Assets	2,996.34	2,387.93
	Fund Liability	4,291.10	4,860.59

Table 5

5	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
	Current Service Cost	231.76	260.25
	Interest Cost	163.93	190.48
	Benefit Cost (Expense Recognised in Statement of Profit and Loss)	395.69	450.73

Table 6

6	Other Comprehensive Income		
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	(220.60)	10.37
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in demographic Assumption	-	0.06
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	702.62	280.00
	Total Actuarial (Gain)/Loss	**482.02**	**290.43**
	Return on Plan Assets excluding Interest Income	7.27	(40.04)
	The Effect of asset ceiling	-	-
	Balance at the end of the Period	474.75	330.47
	Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	**474.75**	**330.47**

a. The Corporation has deposited ₹ 150.00 Lakhs in Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited during the financial year 2011-12 towards the gratuity fund of regular staff. Fund value after taking contribution, accrued interest and pay out benefits during the financial year 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 is ₹ 998.34 lakhs.

Actuarial valuation in respect of EL/HPL has been given as under:

Table 1

1	Plan Assumptions		
	Mortality Table	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate
	Attrition Rate	01.00% p.a	01.00% p.a
	Imputed rate of Interest/(discount rate)	06.67% p.a.	06.63% p.a.
	Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-2%	Basic-3% & DA-4%
	Return on plan assets	-	-
	Remaining Working Life	14.60 Years	11.94 Years

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

तालिका 2

2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

	(अनिधिकृत)	(अनिधिकृत)
पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ	3,193.55	3,616.06
वर्तमान सेवा लागत	199.43	467.68
ब्याज लागत	211.73	275.54
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(157.88)	(3.51)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	169.84	(344.86)
भुगतान की गई प्रसुविधायें	883.19	817.36
वर्ष के अंत में पीवीओ	2,733.48	3,193.55

तालिका 3

3 आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य		

तालिका 4

4 तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है

वित्त पोषित स्थिति	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	-	-
निधि देयता	2,733.48	3,193.55

तालिका 5

5 लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे

वर्तमान सेवा लागत	199.43	467.68
शुद्ध ब्याज लागत	211.73	275.54
केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिंक लाभ/हानि	11.96	(348.37)
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	423.12	394.85

तालिका 6

6 अन्य व्यापक आय

वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	**-**	**-**
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-	-

Table 2

2 Changes in the Present value of obligations (PVO)

	(Unfunded)	(Unfunded)
PVO as on last Valuation	3,193.55	3,616.06
Current Service cost	199.43	467.68
Interest Cost	211.73	275.54
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	(157.88)	(3.51)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unexpected Experience	169.84	(344.86)
Benefits Paid	883.19	817.36
PVO as at end of year	2,733.48	3,193.55

Table 3

3 Changes in the fair value of plan assets

Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan Assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of Plan Assets at the end of year		

Table 4

4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet

Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	2,733.48	3,193.55

Table 5

5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss

Current Service Cost	199.43	467.68
Net Interest Cost	211.73	275.54
Actuarial (Gain)/Loss only for last year	11.96	(348.37)
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	423.12	394.85

Table 6

6 Other Comprehensive Income

Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	**-**	**-**
Return on Plan Assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	-	-

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सेवा निवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा भत्ता से संबंधित बीमाकिंक मूल्यांकन नीचे दिया गया है।

तालिका 1

1	योजना आकलन		
	मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006–08 अंतिम	आईएएलएम 2006–08 अंतिम
	घर्षण दर	-	-
	इमप्यूटड ब्याज दर/ (छूट दर)	-	-
	क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	-	-
	कार्यशील जीवन शेष	-	-

तालिका 2

2	दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)		
		(अनिधिकृत)	(अनिधिकृत)
	पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ	-	-
	वर्तमान सेवा लागत	-	-
	ब्याज लागत	-	-
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
	अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
	भुगतान किए गए लाभ	-	-
	वर्ष के अंत में पीवीओ	-	-

तालिका 3

3	आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	ब्याज आय	-	-
	आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
	अंशदान	-	-
	भुगतान किए गए लाभ	-	-
	ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य		

तालिका 4

4	तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है		
	वित्त पोषित स्थिति	लागू नहीं	लागू नहीं
	वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	-	-
	निधि देयता	-	-

तालिका 5

5	लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे		
	वर्तमान सेवा लागत	-	-
	शुद्ध ब्याज लागत	-	-
	आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
	केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिंक लाभ/हानि	-	-
	लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	-	-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Actuarial valuation in respect of Travelling Allowance for Journey on Retirement has been given as under:

Table 1

1	Plan Assumptions		
	Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
	Attrition Rate	-	-
	Imputed rate of Interest/(discount rate)	-	-
	Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	-	-
	Remaining Working Life	-	-

Table 2

2	Changes in the Present value of obligations (PVO)		
		(Unfunded)	(Unfunded)
	PVO as on last Valuation	-	-
	Current Service cost	-	-
	Interest Cost	-	-
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	-	-
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unecpected Experience	-	-
	Benefits Paid	-	-
	PVO as at end of year	-	-

Table 3

3	Changes in the fair value of plan assets		
	Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
	Interest Income	-	-
	Expected Return on Plan Assets	-	-
	Contributions	-	-
	Benefits paid	-	-
	Return on plan Assets excluding Interest Income	-	-
	Fair value of Plan Assets at the end of year		

Table 4

4	Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
	Funded Status	N/A	N/A
	Funded Assets	-	-
	Fund Liability	-	-

Table 5

5	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
	Current Service Cost	-	-
	Net Interest Cost Interest Cost	-	-
	Expected Return on Plan Assets	-	-
	Actuarial (Gain)/Loss only for last year	-	-
	Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	-	-

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

तालिका 6

6 अन्य व्यापक आय		
वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	**-**	**-**
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-	-

टिप्पणीः वर्ष 2020–21 के दौरान निगम अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपने नकदी ऋण सीमा एवं एसटीएल पर निर्भर था जिसके लिए पूंजीकरण प्रक्रिया को कम किया गया। तदनुसार, निगम अवकाश नकदीकरण के लिए अलग से दीर्घाकालीक लाभ निधि बनाने की स्थिति में नहीं था।

(ग) संवेदनशील विश्लेषण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े

(रु. लाख में)

	अवधारणाओं में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव		अर्जित/अर्धवेतन अवकाश पर प्रभाव	
		डीबीओ में वृद्धि %	देयताएं	डीबीओ में वृद्धि %	देयताएं
छूट दर	+0.50%	-2.34%	(100.47)	-2.49%	(68.05)
	-0.50%	2.49%	106.76	2.66%	72.68
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	2.44%	104.69	2.69%	73.51
	-0.50%	-2.34%	(100.22)	-2.54%	(69.42)

Table 6

6	Other Comprehensive Income		
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	-	-
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
	Total Actuarial (Gain)/Loss	**-**	**-**
	Return on Plan Assets excluding Interest Income	-	-
	The Effect of asset ceiling	-	-
	Balance at the end of the Period	-	-
	Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	-	-

Note: During the year 2020-21, the Corporation completely depended on its CC limit and STL for its working capital requirements reducing its capitalisation process to a bare minimum due to acqute shortage of funds. Accordingly, the Corporation was not in a position to create a separate long-term employee benefit fund for leave encashment.

C) Sensitivity Analysis

For the year ended March 31st, 2021

(₹ in lakhs)

	Change in assumptions	Effect on Gratuity obligation		Effect on EL/HPL	
		% Increase in DBO	Liability	% Increase in DBO	Liability
Discount Rate	+0.50%	-2.34%	(100.47)	-2.49%	(68.05)
	-0.50%	2.49%	106.76	2.66%	72.68
Salary Growth Rate	+0.50%	2.44%	104.69	2.69%	73.51
	-0.50%	-2.34%	(100.22)	-2.54%	(69.42)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 76

(i) मौजूदा लेखा नीति (नीति संख्या 2.2 (ix)) में परिवर्तन हुआ था, कार्यालय भवन और गोदाम का उपयोगी जीवन क्रमशः 60 वर्ष और 30 वर्ष माना जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। अब नीति में आंशिक संशोधन से वही कार्यालय भवन एवं गोदाम को ''विद्युत फिटिंग सहित'' के रूप में पढ़ा जाएगा, ताकि समान उपयोगी जीवन जारी रहे। वित्तीय विवरणों पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

(ii) सरकार/पार्टियों के विरूद्ध व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम और अन्य वर्तमान संपत्तियों के तहत देय राशि के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए लेखांकन नीति (नीति संख्या 2.2 (xxi)) में भी बदलाव किया गया था जिसमें छह वर्ष या उससे कम अवधि के लिए बकाए को वसूली वाले माने जाते हैं। तदनुसार संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किया गया है। अब पॉलिसी में आंशिक संशोधन में छह साल को बढ़ाकर आठ साल कर दिया गया है। वित्तीय विवरणों पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण रू. 3086.86 लाख का वित्तीय प्रभाव पड़ा।

टिप्पणी 77

वर्ष के दौरान, अमूर्त संपत्तियों के विकास में (नोट 7) कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि नए ईआरपी सॉफ्टवेयर के विकास के लिए मैसर्स एमिटी टेक्नोलॉजीज द्वारा 30% की अगली बिलिंग नहीं की गई, जिसे एप्लिकेशन की स्थापना के बाद उठाया जाना था। वर्ष के दौरान शून्य वृद्धि के बावजूद, बहुत सारे विकास हुए हैं जैसे कि एसआरएस दस्तावेज पर सभी विभागों के साथ संबंधित अंतिम–उपयोगकर्ताओं की प्रक्रिया और इनपुट की पुनः पुष्टि / परिवर्तित प्रबंधन से चर्चा की गई। ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड की डिजाइन, समीक्षा और पुष्टि, डेटाबेस डिजाइन और हार्डवेयर आवश्यकता का विश्लेषण पूरा किया गया। परियोजना निरंतर प्रगति पर है (कोविड –19 लॉकडाउन से कार्य प्रभावित हुआ)।

टिप्पणी 78

11.12.2019 को एनएससी और एनटीपीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार:-

(क) एनटीपीसी को राजस्थान में श्री गंगा नगर जिले में एनएससी, के केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर में अनुपयोगी कृषि भूमि पर 160 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली परियोजना विकसित करनी है।

(ख) एनएससी, एनटीपीसी के 27 साल (2+25 साल) की अवधि के लिए जैतसर में 160 मेगावाट सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करेगा, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और लाइनों के निर्माण के साथ–साथ पारस्परिक रूप से आगे विस्तार के प्रावधान शामिल हैं। बशर्ते, जिसके विफल होने पर पूरे संयंत्र को जैसा है जहां के आधार पर, एनएससी को सौंप दिया जाएगा। एनएससी, एनटीपीसी को जहां है जैसी है के आधार पर जमीन मुहैया कराएगा। एनटीपीसी, एनएससी को लागू प्रीमियम और वार्षिक लीज रेंट का भुगतान करेगा। प्रीमियम राशि रू. 679.62 लाख आंकी गई है। लीज रेंट पहले दो वर्षों के लिए प्रीमियम राशि का 5% है, जिसे पिछले वर्ष के वार्षिक लीज रेंट का 5% प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2019–20 के दौरान एनएससी ने रू 842.06 लाख का बिल बनाया, जिसमें से रू. 400.96 लाख का अग्रिम किराया एनटीपीसी से बैंक में प्राप्त हो गया है।

(ग) वर्तमान वर्ष में, एनएससी और एनटीपीसी के बीच 02.03.2021 को, एनएससी के द्वारा एनटीपीसी को 28.09.2020 को भूमि सौंपने के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएजी ने वर्ष 2019–20 के अपने लेन–देन ऑडिट में अपने ऑडिट नोट दिनांक 24.03.2021 के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एनटीपीसी को भूमि के हस्तांतरण के लिए निर्धारित प्रीमियम और वार्षिक लीज रेंट पर मौजूदा डीएलसी की तुलना में कम दर पर आपत्ति जताई है जैसे कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के साथ पठित राजस्थान भूमि आरक्षित नियम 2007 के अनुसार दर, जो विशेष रूप से सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए परिवर्तित भूमि के लिए है।

टिप्पणी 79

31 मार्च, 2021 तक एमएसएमई को कुल बकाया राशि रू.1149.22 लाख है। इसमें, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ से संबंधित रू. 255.63 लाख की राशि ग्राहकों (सरकार) को आगे की आपूर्ति के लिए एमएसएमई से बीजों की खरीद से संबंधित है। आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे इन बीजों की ग्राहकों को आपूर्ति की गई थी और ग्राहकों से स्वीकृति और भुगतान प्राप्त होने के बाद तुरंत भुगतान किया जाना था। रू. 4.33 लाख केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में श्रमशक्ति एजेंसी को भुगतान से संबंधित है जोकि सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किया जाएगा और

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Note 76

(i) There was a change in existing accounting policy(Policy no. 2.2(ix)), useful life of Office Building and Building Godown is considered as 60 years and 30 years respectively and depreciation is charged accordingly. Now in the partial modification in the policy, the same Office Building and Building Godown will be read as "Inclusive of electrical fittings", with the same useful life to continue. There was no financial impact due to change in accounting policy on the financial statements.

(ii) There was also a change in accounting policy (Policy no. 2.2(xxi)(f)) for Impairment of Financial Assets in respect of dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against Govt. Departments/Parties outstanding for a period equal to or less than six years are considered good and accordingly provision is made for doubtful debt. Now in the partial modification to the policy, six years is increased to eight years. There is a financial impact of ₹ 3086.86 lakhs due to change in accounting policy on the financial statements.

Note 77

There was no addition in Intangible Assets under Development (Note 7) during the year since the next billing by M/s Amity Technologies of 30% towards development of new ERP software was not raised,which was to be raised after installation of the application. Despite of nil addition during the year, lot of development has occured like the SRS document was discussed with all the departments for reconfirming / Change Management in the process & input of the concerned End-Users. Design, Review & Confirmation of Report & Dashboard, Database Design and Hardware Requirement Analysis completed for Implementation of ERP. Project is under development phase (Work Progress affected by Covid-19 Lockdown).

Note 78

As per the MOU signed between NSC and NTPC on 11.12.2019 ;

(a) NTPC has to develop 160 MW Solar PV Power Project on uncultivable farm land at NSCL's Central State Farm, Jetsar in Sri Ganga Nagar District in Rajasthan.

(b) NSCL shall provide the requisite land to NTPC for setting up of 160 MW Solar PV Power Project at Jetsar for a period of 27 years (2+25 years) including infrastructure development and construction of lines with a provision for further extension on mutually agreed terms, failing which the entire plant will be surrendered to NSCL on as is where is basis. NSCL shall provide the land on as is where is basis to NTPC. For providing the land, NTPC shall pay NSCL, the applicable Premium and Annual Lease Rent. Premium amount is worked out at ₹ 679.62 lakhs. Lease rent is 5% of the premium amount for first two years, which shall be enhanced there after for every year at the rate of 5% per annum of the annual lease rent of the previous year. During the year 2019-20 NSCL raised a bill ₹ 842.06 lakh, out of which the advance rent received in bank from NTPC was ₹ 400.96 lakh.

(c) In the present year an agreement has been signed by NSC and NTPC on 02.03.2021 after handing over the land to NTPC on 28.09.2020. CAG, in its transaction audit for the year 2019-20 vide its audit note dated 24.03.2021, has objected on the premium and the yearly lease rent fixed towards transfer of land to NTPC for the solar power project, as lower than the existing DLC rate as per Rajasthan Land Reserve Rules 2007 read with Rajasthan Stamp Rules 2004, which is specifically meant for land converted for Solar Power Plant. NSC is in discussion with NTPC for further necessary action.

Note 79

Total dues to MSMEs as at 31st March 2021 is ₹ 1149.22 lakhs. In this, an amount of ₹ 255.63 lakhs pertaining to RO Chandigarh is procurement of seeds from MSMEs for further supplies to customers (Govt.). These seeds were directly supplied by the supplier to the customers and will be paid immediately once acceptance and payment from the customers is received . ₹ 4.33 lakhs pertains to payment to manpower agency at CSF Suratgarh where the payment will

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से संबंधित रू. 6.81 लाख सत्यापन के लिए लंबित है। शेष सभी भुगतान प्राप्त माल की स्वीकृति से 45 दिनों के भीतर सख्ती से किए गए।

टिप्पणी 80

कोविड 19 के कारण प्रभाव

उत्पादन विभाग

1. कोविड–19 की परिस्थिति में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश राज्य में रबी फसलों के कच्चे बीज के प्रापण में आवाजाही पर कई गांवँ प्रतिबंधित थे, इसलिए किसान अपनी उपज को एनएससी गोदाम में आपूर्त नहीं कर सके।
2. भोपाल क्षेत्र में कच्चे बीज के प्रापण में अरहर की फसल पर भी असर पड़ा है।
3. परिवहन की समस्या के कारण रोपण सामग्री की आवाजाही में देरी हुई। इसके अलावा कोविड –19 महामारी के कारण कई संस्थान बंद कर दिए गए, जहाँ से रोपण सामग्री की आपूर्ति की जानी थी।
4. राजस्थान में कोविड –19 के कारण रबी के कच्चे बीज के भौतिक सत्यापन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप रबी 2020–21 के दौरान कच्चे बीज के प्रसंस्करण में देरी हुई।
5. कोविड –19 महामारी के कारण एसटीएल परिणाम में देरी हुई, क्योंकि कुछ बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को कंटेटमेंट जोन के कारण बंद कर दिया गया था या प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे।
6. कोविड –19 महामारी के दौरान नहर रोस्टर में गड़बड़ी के कारण, खेतों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई और उपज कम हुई।
7. श्रमिकों की उपलब्धता की समस्या के कारण कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि कार्यों में देरी हुई और जहां कही कर्मचारी कोविड –19 के दिशानिर्देशों के अनुसार संक्रमित पाए गए वहां कार्यालय बंद होने की वजह से कई बार कार्यस्थलों को बंद कर दिया गया,

विपणन विभाग

कोलकाता क्षेत्रः

1. लॉकडाउन के कारण लोकल ट्रेन / बसों को रद्द कर दिया गया और साथ ही व्यक्तियों की अंतर–जिला आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे बीजों के उत्पादन और विपणन में बहुत कठिनाई हुई। एसएससीए जैसे सरकारी कार्यालय के बंद होने के कारण बीजों के उत्पादन में भी देरी हुई। इसके अलावा, बीज की पैकिंग के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ कुछ ही मजदूरों को अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप पैकिंग में देरी हुई। 2020–21 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 1700 क्विंटल धान का बीज बिना बिका रहा गया, जो बाद में अवमानक स्तर का हो गया।
2. कई राज्य सरकारों के कृषि विभागों ने धन के अभाव / कम आवंटन की सूचना दी, और इसलिए उन्होंने बीज की खरीद कम मात्रा में की।
3. बीएडीसी से 12 करोड़ (लगभग) रूपये मूल्य के 8000 क्विंटल के लिए एक निश्चित आपूर्ति आदेश प्राप्त हुए थे। बांग्लादेश को पटसन के बीज (8000 क्विंटल) का निर्यात रद्द कर दिया गया था, हालांकि हमारी ओर से बीज की सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी। अंतिम चरण में, बांग्लादेश प्राधिकरण ने अपने देश में तालाबंदी की सूचना दी और अग्रिम भुगतान नहीं किया, और इस तरह आदेश रद्द कर दिया गया।

सिकंदराबाद क्षेत्रः

1. 2020–21 के दौरान कोविड 19 महामारी के कारण जनता / किसानों की आवाजाही प्रतिबंधित थी जिसके कारण किसान अपने स्वयं के बीज का उपयोग कर रहे थे अथवा किसानों के बीज का आदान–प्रदान कर रहे थे।
2. इसलिए 2019–20 की तुलना में, 17 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव के साथ मूंगफली के 26100 क्विंटल बीज की बिक्री प्रभावित हुई और 24 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के साथ काला चना भी 37500 क्विंटल बिना बिके रह गए।

be done once the verification is completed and ₹ 6.81 lakhs pertaining to RO Lucknow pending for verification. Rest all payments were made strictly within 45 days from acceptance of goods received.

Note 80

Impact Due to COVID 19

Production Division

1. Raw seed intake of Rabi crops affected due to COVID-19 in MP state as movement restricted in many villages due to lockdown. Hence farmers could not be supply their produce to NSC godown.
2. Raw seed intake also affected of Redgram Crop in Bhopal Region.
3. Due to transportation problem the movement of planting material delayed. Moreover many institutes were closed due to COVID-19 pandemic, from where planting material was to be supplied.
4. Physical Verification of Rabi raw seed delayed due to COVID-19 in Rajasthan resulting delay processing of Rabi 2020-21 raw seed.
5. Delay in STL result due to COVID-19 pandemic, as some Seed Testing Laboratories were closed due contentment zone or the employee working in the lab was found infected.
6. Due to disturbance of canal roster during COVID-19 pandemic, the water availability at farms affected and yield reduced at farms.
7. Harvesting, threshing and other agricultural operations delayed due to labour problem and also due to closing of office, as many times working places were closed, where any employee found infected as per standing guidelines of COVID-19.

Marketing Division

Kolkata Region:

1. Due to lockdown, local train/ buses were cancelled as well as the inter-district movement of individuals was restricted, which caused lots of difficulty in the production and marketing of seeds. Production of seeds was even delayed due to the closing of Govt. Office such as SSCA. Moreover, for packing of seeds just a few laborers were allowed in order to maintain social distancing which resulted in the delay in packing. Nearly 1700 quintals of Paddy seed remained unsold in the region during 2020-21, which become a substandard later date.
2. Many State Govt. departments associated with agriculture, reported no/less allotment of funds, and therefore they reduced their purchase quantity of seed.
3. A confirmed supply order for 8000 quintals worth ₹12 Crores (appx) was received from BADC. Export of Jute Seeds (8000 quintals) to Bangladesh was cancelled though all preparation of seeds was completed from our side. At the last stage, the Bangladesh authority reported lock-down in their country and did not pay the advance, and thus the order was cancelled.

Secunderabad Region:

1. During 2020-21 due to Covid 19 pandemic , the movement of public/ farmers was restricted due to which farmers were using their own seeds or exchanging seeds between farmers to farmers.
2. Therefore the sales when compared with 2019-20 was affected in Groundnut seeds to an extent of 26100 quintals with financial impact of ₹17 crores and also in case of Bengal Gram 37500.00 quintals was left unsold with financial impact of ₹24 crores.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

बैंगलोर क्षेत्र:

1. लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के कारण, ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, जिससे आरएसके केंद्रों में समय पर बीज की पहूंच प्रभावित हुई।
2. पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध न होने से, टैग प्रिंटिंग एवं अन्य प्रमाणन कार्यों में देरी के कारण समय पर प्रसंस्करण तथा बीजों की पैकिंग प्रभावित हुई।
3. कोविड –19 से बचाव के लिए, विभाग ने बीज आपूर्तिकर्ताओं को मुख्य बिक्री बिंदु के बजाय आरएसके उप–केंद्रों पर ही बीज की आपूर्ति करने की सलाह दी, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत अधिक हुई।
4. लॉकडाउन के कारण डीलरों को दुकान खोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण डीलरों ने बीज के लिए कम मांग की, जिससे डीलर बिक्री भी प्रभावित हुई।
5. पिछले दो वर्षों की तुलना में लॉकडाउन के कारण, खरीफ 2020 के दौरान बीज बिक्री में कमी आई। वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान, खरीफ की औसत बिक्री 38.07 करोड़ थी लेकिन खरीफ 2020 के दौरान यह बिक्री 36.82 करोड़ रही। इसलिए पिछले दो साल के औसत की तुलना में खरीफ–2020 के बिक्री में रू. 1.25 करोड़ की कमी आई।
6. रबी उत्पादन स्टॉक की खरीद साधारणतया मार्च से जून तक की जाती है। लेकिन लॉकडाउन के कारण कई उत्पादकों ने रबी 2019–20 के उत्पादित स्टॉक को नहीं दिया। इसलिए लगभग 16600 क्विंटल स्टॉक नहीं खरीदा गया जिससे हम रबी 2020–21 के दौरान रू. 11 करोड़ से अधिक की बिक्री हासिल कर लेते।

चेन्नई क्षेत्र:

- केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए निरंतर लॉक डाउन और सख्त प्रतिबंधित आवाजाही के कारण, वर्ष 2020–21 के दौरान बीजों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई।
- डीलरों और किसानों की बैठक, योजना अनुसार नहीं हो सकी, जिससे बीज की बिक्री कम हुई और 65 करोड़ रुपये के बिक्री के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका।
- कुछ मामलों में ट्रकों की आवाजाही में भी देरी हुई, इसलिए कई पार्टियों ने अपने आदेश रद्द कर दिए।
- धान उमा बीजों में लगभग 30000 क्विंटल की भारी कमी हुई, हालांकि मुख्यालय की मंजूरी मिलने के बाद देर से आउट सोर्सिंग की व्यवस्था की गई। न्यूनतम प्रतिभागियों को प्राप्त करने के लिए तीन बार निविदाएं मंगाई गई। इस कारण वर्ष 2020–21 के दौरान कई विभागों के आदेश गवाने पड़े।
- कोविड–19 के कारण श्रमिकों की कमी से बीजों के प्रसंस्करण एवं पैकिंग में देरी हुई।
- केरल और तमिलनाडु सरकारों ने कुछ कृषि योजना निधियों को कोविड –19 के उद्देश्य में बदल दिए, जिससे उनकी ओर से पूर्व वर्षों की तुलना में कम बीजों की खरीद हुई।

  तमाम बाधाओं के बावजूद रुपये 2.51 करोड़ के लाभ के साथ सिर्फ 44.40 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल कर सके। सभी बीज सामान्य बिक्री के तहत बेचे जाते है, सब्सिडी बिक्री के तहत नहीं बेचे जाते हैं।

लखनऊ क्षेत्र:

1. वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड –19 की गंभीरता तथा उत्तर प्रदेश राज्य में लॉकडाउन के कारण, बिक्री प्रभावित हुई, क्योंकि डीलर अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे और किसान भी नहीं आ रहे थे क्योंकि आवाजाही प्रतिबंधित थी। लॉकडाउन में ढील के बाद ही बीजों की बिक्री की गई।
2. इस अवधि के दौरान, विभिन्न डीलरों के साथ हुई चर्चा के अनुसार, अधिकांश किसानों ने प्रमाणित बीज खरीदने के बजाय अपने खेत में बचाए गए बीजों का ही इस्तेमाल किया, जिससे बिक्री प्रभावित हुई।
3. कोविड –19 के कारण, माल की आवाजाही भी प्रभावित हुई क्योंकि बीजों के परिवहन की व्यवस्था करने की समस्या थी।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Bangalore Region:

1. Due to lockdown and night curfew, truck movement was restricted which affected timely placement of seeds at RSK centres.
2. Due to non-availability of sufficient number of labours, delay in tag printing and other certification works, timely processing and packing of seeds was affected.
3. To contain the spread of Covid-19, the Department advised seed suppliers to supply the seeds to RSK sub-centres instead of the main sale point which resulted in incurrence of more transportation cost.
4. Due to lockdown, dealers shop opening was also restricted due to which dealers have placed less indents which affected our dealer sales.
5. The sales during kharif 2020 was reduced due to lockdown compared to the last two years. The average sales of Kharif during 2018-19 & 19-20 was ₹38.07 crores but during Kharif 2020 the sales was ₹36.82 crores. Hence, there is a reduction of ₹1.25 crores sales in kharif-2020 compared to the last two years' average.
6. The procurement of Rabi production stock is usually done between March to June. But due to lockdown many growers have not surrendered the Rabi 2019-20 production stock. Around 16600 quintals of stock was not procured from which we would have achieved ₹ 11 crores more sales during Rabi 2020-21.

Chennai Region:

- The Seeds sale in the year 2020-21 was badly affected due to continuous lock down and strict movement restrictions imposed from State Government side in Kerala & Tamil Nadu.
- Dealers and farmers meeting could not carry as planned, which resulted less sales and could not achieve the set sales target of ₹65crores.
- Truck movements were also delayed in some cases, so parties cancelled their orders.
- Huge Shortage in Paddy Uma Seeds experienced about 30000 quintals, though out sourcing arranged in late after getting HO approval. Three times tender floated to get minimum participants. Due to that reason major Department orders lost in the year 2020-21.
- Processing & packing of seeds were delayed due to labour shortage because of Covid -19.
- The Kerala & Tamil Nadu Governments diverted some Agriculture plan funds to COVID-19 purpose that also created less seed purchase from their side than earlier years.

  In-spite of all hurdles could do the sales of ₹44.40crores with a profit of ₹2.51 crores. All Seeds are sold under general sale not under subsidy sale.

Lucknow Region:

1. Due to severity of COVID-19 during the year 2020-21 and lockdown in UP state the sale was affected as the dealers were not opening the shops and farmers were also not coming as movement was negligible. Only after relaxation in the lockdown the sale was done.
2. As per discussion with various dealers during the period, majority of farmers used farm saved seeds instead of purchasing Certified seeds which affected sale.
3. Due to COVID-19, the movement of goods was also affected as there was problem in arranging the transportation of the seeds.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अहमदाबाद क्षेत्र:

1. लॉकडाउन के कारण गुजरात में कृषि क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, खपत में कमी, परिवहन सुविधाओं की कमी, दुकानों एवं बाजारों को निर्दिष्ट समयानुसार खोलने से, छोटे एवं सीमांत किसानों की कटी हुई उपज उनकी अपनी आंखों के सामने सड़ एवं गल गई।

2. गुजरात में लॉकडाउन के दौरान रबी की फसल की कटाई का मौसम था। प्रमुख फसलें गेहूं, चना और जीरा हैं। 2020 में लॉकडाउन के कारण, गेहूं की कीमतों में गिरावट शुरू हुई। फरवरी 2020 में, बाजार में गेहूं की कीमत रु 2200 प्रति क्विंटल थी और बाद में यह रु. 1742 प्रति क्विंटल (एक महीने में 20% की गिरावट) पर आ गई है। कीमतें अभी और नीचे जाने की संभावना थी। सरकार ने मांग एवं खपत में कमी तथा कीमतों में गिरावट के कारण से आपूर्ति में व्यवधान की रिपोर्ट दी है जिससे किसानों को उनकी उपज से बहुत कम आय हुई। इस प्रकार किसानों की क्रय शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

चंडीगढ़ क्षेत्र:

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 की शुरुआत में, कोरोनावायरस (कोविड –19) से बचाव के लिए, एक निवारक उपाय के रूप में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया, जिसे आगे कई महीनों के लिए बढ़ा दिया गया एवं विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण माल की आवाजाही प्रतिबंधित थी। यद्यपि कृषि माल की आवाजाही की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिवहन की कमी के कारण, सिकंदराबाद एवं बैंगलोर जैसे दूर के स्थानों से बीज उठाया जाना था जिससे बीज की डिलीवरी में देरी हुई।

2. खुदरा केन्द्रों के खुलने का समय कम होने से मांग भी कम थी जिसके कारण परिवहन की कमी से समय पर बीज की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस प्रकार वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2019–20 की तुलना में बीज की बिक्री कम रही।

3. विपणन और प्रचार गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही, गेहूं के बीज की मांग भी कम रही क्योंकि कुछ किसानों ने अपने ही खेत में बचाए गए बीजों से बुवाई का विकल्प चुना।

4. इसलिए कुल मिलाकर विपणन गतिविधियां प्रभावित हुईं और इन्हीं कारणों से बिक्री भी कम रही।

पुणे क्षेत्र:

1. राज्य में लॉकडाउन के कारण बीज की आवाजाही में भी व्यवधान पहुँचने से समय अधिक लगता था, इसलिए पार्टियों ने देर से बीज प्राप्त होने के कारण, बीज को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री कम हुई। दैनिक परिवहन बंद होने से, सब्जी के बीज, चारा बीज जैसी छोटी डिलीवरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2. कोविड–19 महामारी के कारण डीलरों की दुकानें बंद रही, जिससे बीज की बिक्री प्रभावित हुई।

3. राज्य में लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की उपलब्धता से भी प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव प्रभाव पड़ा।

4. कोविड–19 महामारी के दौरान, अधिकांश कर्मचारी कोविड–19 से संक्रमित थे। इसलिए एनएससी के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

5. राज्य में लॉकडाउन के कारण, कर्मचारी बिक्री संवर्धन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए डीलरों की दुकानों/सरकारी पार्टियों के पास नहीं जा पा रहे थे।

6. राज्य में लॉकडाउन से बैंकिंग समय भी कम था इसलिए डीलर समय पर एनएससी खाते में बीज की राशि जमा नहीं कर पा रहे थे।

7. सार्वजनिक परिवहन भी बंद थे, इसलिए दौरा संभव नहीं था और अंतर जिला आवाजाही भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित थी।

8. अंतर–जिला आवाजाही प्रतिबंधित होने के कारण, डीलर से उप डीलर तक बीजों की आवाजाही भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Ahmedabad Region:

1. Due to lockdown the agriculture sector affected very acutely in Gujarat, reduced consumptions, lack of transportation facilities, shops and markets operating in specified times, lead the harvested produce of the small and marginal farmers decay and rotten in front of their own eyes.
2. In Gujarat, during lockdown period it was harvest season of Rabi crop. The major crops are Wheat, Gram & Cumin. During 2020 due to lockdown the wheat prices started declining. Initially in the month of February 2020, the wheat prices in market was ₹ 2200 per quintal and later on, it has come down to ₹1742 per quintal (20% drop in one month) and the price is likely to go still down further. The government is helpless reporting lack of demand and consumption by individuals and commercial buyers and supply disruption as the causes for the declining prices. Due to this farmers have received very less income from their produce, which adversely affected their purchasing power.

Chandigarh Region:

1. With the wider spread of the Coronavirus (Covid-19) with the onset of the FY-2020-21, as a preventative measure, the Indian Government ordered a nationwide lockdown which was extended for several months, due to which the movement of the goods was restricted due to restrictions imposed by the various states. Although the movement of the Agriculture goods was allowed however due to less connectivity of the transportation, the delivery of the seeds was delayed in cases where the seed was to be lifted from distant places like Secunderabad and Bangalore.
2. Due to less opening hours of the Retail points, the demand order quantity was also less due to which the seed could not be arranged on time due to less transport connectivity and thus the sale during FY-2020-21 was less than FY-2019-20.
3. The marketing and promotional activities were also impacted. Also, the demand of the Wheat seed was also less as some farmers opted for sowing of their own farm saved seeds.
4. Therefore overall the marketing activities were impacted and the sales were also less due to these factors.

Pune Region:

1. Due to lockdown in the State, transport of seed affected and seed movement also took more time to reach the destinations hence parties did not accept the seed due to late receipt, hence resulting in less sales. Small deliveries like vegetable seeds, fodder seeds were affected adversely due to closure of daily transport.
2. Due to COVID-19 pandemic dealer shops were closed hence sale of seed was affected.
3. Due to lockdown in the State, availability of labours for processing and after work affected adversely.
4. During COVID-19 pandemics most of staff infected from COVID-19 hence NSC work adversely affected.
5. Due to lockdown in the State, staff were unable to visit the dealers shop/ Govt. party for sale promotion and other related work.
6. Banking hours were less in lockdown in the State hence dealers were not able to deposit the amount of required seed in time in NSC account.
7. Public transport was also closed hence tour was not possible and inter District movement was also restricted by Govt.
8. Movement of seeds from dealer to sub dealer also adverse affected due to restricted of Inter District movement.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

भोपाल क्षेत्रः

1. 2020–21 के दौरान लॉकडाउन से बीज डीलरों से अग्रिम बिक्री की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई।
2. लॉकडाउन के दौरान डीलरों की दुकानें करीब 3 महीने तक बंद रहीं, जिससे किसानों ने अपने खेत के बचाए गए बीजों से बुवाई के लिए इस्तेमाल किया जिससे बिक्री प्रभावित हुई।
3. प्रतिबंधित परिवहन आवाजाही के कारण, बीज मांग संग्रह के लिए कर्मचारियों के दौरे प्रभावित हुए। केवल टेलीफोन के माध्यम से ही बीज मांगपत्र एकत्रित किए जा सके।
4. विपणन एवं प्रचार गतिविधियॉ जैसे जीप अभियान, डीलर बैठक, किसानों की बैठक आदि पिछले वर्षों की तरह आयोजित नहीं किए जा सके।
5. सीमित बजट के कारण सरकारी चौनल के माध्यम से बिक्री कम रही।
6. सीमित बजट के कारण सरकार से भी बकाए राशि समय पर नहीं मिला।
7. उत्पादकों के माध्यम से बीज का इंटेक समय पर नहीं किया जा सका।

जयपुर क्षेत्रः

1. 2020–21 के दौरान राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोविड–19 के पैकेज घोषणा के अर्न्तगत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने संकर बाजरा (10434 क्विंटल मूल्य लगभग 9 करोड़) और मक्का (25000 क्विंटल मूल्य 32.6 करोड़) की आपूर्ति की है।

पटना क्षेत्रः

1. व्यवसाय – बिहार में राज्य सरकार ने डीलर को सप्ताह में केवल दो दिन दुकान खोलने की अनुमति दी थी और वह भी प्रतिबंधित समय में यानी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, इससे डीलरों की बिक्री प्रभावित हुई। अधिकांश डीलरों की दुकानें इसलिए नहीं खुल पा रही थीं क्योंकि कई डीलर और उनके परिवार के सदस्य कोविड से प्रभावित थे।
2. प्रचार और प्रचार– चूंकि इस अवधि के दौरान आवाजाही प्रतिबंधित थी इसलिए डीलरों द्वारा ठीक से दौरा नहीं किया जा सकता था, न ही बिक्री संवर्धन और न ही सार्वजनिक गतिविधियों को उचित तरीके से संचालित किया जा सकता था।
3. किसान अपने सहेजे हुए बीजों का उपयोग कर रहे थें– महामारी की मौजूदा परिस्थितियों के कारण, कई किसानों ने डीलरों की दुकानों से बीज नहीं खरीदा क्योंकि उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। इनमें से कई किसानों ने डीलरों एवं एनएससी के बिक्री केंद्रों से नए बीज खरीदने के बजाय अपने खेत में बचाए गए बीजों का ही उपयोग किया।
4. कार्य प्रगति– वित्तीय वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, पटना के अधिकांश कर्मचारियों के साथ–साथ कुछ प्रक्षेत्र कार्यालयों के अधिकारी भी कोविड से प्रभावित थे, जिसके परिणामस्वरूप कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

Bhopal Region:

1. Due to lockdown during 2020-21 advance sales planning was not received from Seed Dealers.
2. The shops of dealers were closed for around 3 months during lockdown due to which the farmers used their own farm saved seeds for sowing which affected sales.
3. Due to restricted transport movement, visits of staffs for collection of seed indent were affected. Only through telephone seed indent could be collected.
4. The marketing and promotional activities like jeep campaign, dealer meeting, farmers meeting, etc. could not be held like previous years.
5. Due to restricted budget, sale through government channel was less.
6. Due to restricted budget, the outstanding govt. dues were also not received timely.
7. Timely intake of seed through growers could not be done.

Jaipur Region:

1. During 2020-21 RO Jaipur has supplied Hybrid Bajra (10434 quintals value approx ₹9 crores) and Maize (25000 quintals value ₹32.6 crores) in COVID-19 package announcement by Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.

Patna Region:

1. Business – In Bihar, the State Governments had allowed the dealer shops to open only twice a week and that too in restricted timing i.e., 6 A.M. to 10 A.M. This affected the dealer sales as the dealer shops were also not opening and many of the dealers and their families were affected by Covid.
2. Promotion and publicity- As during the period the movements were restricted so the dealers could not be visited properly, neither the sales promotion and publicly activities could be conducted in appropriate manner.
3. Farmers using own saved seeds- Due to the prevailing conditions of the pandemic many farmers did not buy the seeds from the dealer shops as there were restrictions on the movement as well as poor economic condition of them and so many of the farmers resorted to use their own farm saved seeds instead of buying new seeds from the dealers, shops of NSC sales counters.
4. Work progress– During the financial year majority of the staff of Regional Office R.O. NSC, Patna as well as some of the area offices got Covid and as a result of which the work progress was affected severely.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	खंड	उत्पादन खंड	खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड	समेकित
1	राजस्व			
	बाहरी बिक्री/आर्थिक सहायता/अन्य आय	13,599.73	91,206.31	104,806.04
	कुल राजस्व	**13,599.73**	**91,206.31**	**104,806.04**
2	परिणाम			
	खंड परिणाम			
	व्यय	13,211.54	91,212.20	104,423.74
	असाधारण मदें	66.13	12.51	78.64
		-	-	-
	असाधारण मदों के बाद कुल व्यय	**13,145.41**	**91,199.69**	**104,345.10**
	कर पूर्वलाभ	**454.32**	**6.62**	**460.94**
	कराधान के लिए प्रावधान	-	-	-
	पिछले वर्षो के लिए चालू कर	-	(11.27)	(11.27)
	अस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	228.53	228.53
	निवल लाभ/हानि	**454.32**	**(210.64)**	**243.68**
3	अन्य सूचना			
	खंड परिसंपत्तियां	30,247.70	102,744.31	132,992.01
	खंड देयताएं	29,783.11	37,218.76	67,001.87
		-	-	-
		-	-	-
	पूंजीगत व्यय	942.05	941.85	1,883.90
	मूल्याह्रास	1,214.91	541.28	1,756.19

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 24 मार्च 2021 को अपनी अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में 1 अप्रैल 2021 से संशोधन किया। प्रबंधन का विचार है कि चूंकि परिवर्तन 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं, इसलिए वे 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू है और 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाले लेखांकन वर्षो के संबंध में जारी वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं। इसलिए, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर विचार नहीं किया जाता है।

ह0/–
आयुषी कनोडिया
कंपनी सचिव

ह0/–
कौशिक रक्षित
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/–
राकेश सिंह नयाल
सरकारी निदेशक
उप. सचिव (बीज)
डिन– 09300428

ह0/–
वि. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)
डिन. 07296539

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेटस के निमित
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

ह0/–
साझेदार – विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं:– 81843

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2021

(₹ in lakhs)

S. No.	SEGMENTS	Producing Segment	Retailing & Distribution segment	Consolidated
1	<u>Revenue</u>			
	External Sales/ Subsidy/Other Income	13,599.73	91,206.31	104,806.04
	Total Revenue	**13,599.73**	**91,206.31**	**104,806.04**
2	<u>Results</u>			
	Segment Result			
	Expenditure	13,211.54	91,212.20	104,423.74
	Exceptional Items	66.13	12.51	78.64
		-	-	-
	Total Expenditure after Exceptional Items	**13,145.41**	**91,199.69**	**104,345.10**
	Profit Before Tax	**454.32**	**6.62**	**460.94**
	Provision for Taxation	-	-	-
	Current Tax for earlier years	-	(11.27)	(11.27)
	Deferred Tax Asset	-	228.53	228.53
	Net Profit / Loss	**454.32**	**(210.64)**	**243.68**
3	<u>Other Information</u>			
	Segment Assets	30,247.70	102,744.31	132,992.01
	Segment Liabilities	29,783.11	37,218.76	67,001.87
		-	-	-
		-	-	-
	Capital Expenditure	942.05	941.85	1,883.90
	Depreciation	1,214.91	541.28	1,756.19

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its notification dated March 24, 2021, amended Schedule III of the Companies Act, 2013 with effect from April 1, 2021. Management is of the view that since the changes are applicable from April 1, 2021, those are applicable for the financial year commencing from April 1, 2021 and are applicable to Financial statements issued in respect of accounting years commencing on or after April 1st, 2021. Therefore, related disclosures are not considered in these financial statements for the year ended on March 31, 2021.

Sd/-
Aayushi Kanodia
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Senior General Manager(Finance)

Sd/-
Rakesh Singh Nayal
Govt. Director
Deputy Secretary (Seeds)
DIN -09300428

Sd/-
V. Mohan
Chairman-cum-Managing Director (Addl. charge)
& Director Finance
DIN- 07296539

As per our report of even date

For Arora & Choudhary Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870

Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

Place : New Delhi
Dated : 27th October 2021

पर्यावरणीय नीति

बीजों के प्रसंस्करण, जांच, भण्डारण तथा विपणन, वितरण में कार्यरत एनएससी, स्वस्छ व हरित पर्यावरण के संरक्षण हेतु वचनवद्व है। यह नीति हमारी निम्न वचनबद्वताओं की अभिपुष्टि है :

- ❖ बीज प्रसंस्करण संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुरक्षित और पर्यावरण मे अनुकूल चनल।
- ❖ प्राकृतिक संसाधनों जैसे विद्युत, जल और ईधन का दक्षतापूर्ण उपयोग एवं संरक्षण।
- ❖ संबंद्व पर्यावरण विधिक, नयामें एवं विनियमों का पालन।
- ❖ प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों, चलनों एवं तकनीकी के अनुसार प्रदूषण और पर्यावरण क्षति की रोकथाम।
- ❖ पर्यावरणीय निषपादन में निरन्तर सुधार।

ENVIIROMENTAL POLICY

NSC, engaged in production, processing, marketing, testing, storage and distribution of seed, is committed to preserve clean and green environment. This policy statement is in affirmation of our commitment to:

- ❖ Safe and environmentally sound practices in operation and maintenance of seed processing plant.
- ❖ Efficient utilization and conservation of natural resources like electricity, water and fuels.
- ❖ Comply with relevant environmental legislation, rules and regulations.
- ❖ Prevention of pollution and environmental degradation in accordance with prevailing international/national standards, practices and technology.
- ❖ Continual improvement in environmental performance.

पर्यावरणीय उद्देश्य

- ❖ प्रसंस्कण संयंत्र के चारो और हरित आवरण में सुधार कराना।
- ❖ प्रसंस्करण संयंत्र का पर्यावरण के अनुकूल विधि द्वारा सहज प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण करना।
- ❖ प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की प्रणालियों का पालन करना।
- ❖ जल संग्रहण के उपाय करना।
- ❖ आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं स्थानीय समुदाय सहित संपूर्ण संस्थान में पर्यावरणीय पहलुओं एवं संबंधित प्रभावों पर सूचनाओं के प्रसार द्वारा जागरूकता लाना।

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

- ❖ Improving the green cover in and around the processing plant.
- ❖ To carry out maintenance of the processing plant to ensure smooth running of plant in an environmentally friendly manner.
- ❖ To adhere to the systems of segregation, collection and disposal of waste to prevent pollution and environmental degradation.
- ❖ To undertake water harvesting measures.
- ❖ Enhance awareness by dissemination of information on environmental aspects and related impacts through out organization including suppliers, contractors and local community.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम– "मिनी रत्न" कम्पनी)

(A Government of India Undertaking- "Mini Ratna" Company)

सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110 012
(आईएसओ 9001 : 2015 एवं 14001 : 2015 प्रमाणित कम्पनी)

CIN : U74899DL1963GOI003913
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012
(An ISO 9001 : 2015 and 14001 : 2015 Certified Company)

दुरभाष **(Phone No.) : 91-11-25846292, 25846295**

ई–मेल / **E-Mail : nsc@indiaseeds.com** वेबसाईट / **Website : www.indiaseeds.com**

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218